भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राजस्व क्षेत्र

एवं

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
भाग - अ		
विहंगावलोकन		vii-ix
अध्याय 1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	1.2	3
संग्रहण की लागत	1.3	3
राजस्व में बकायों का विश्लेषण	1.4	4
कर निर्धारण में बकाया	1.5	5
कर अपवंचन	1.6	5
वापसी	1.7	6
लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के उत्तर	1.8	6
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण	1.9	10
लेखापरीक्षा योजना	1.10	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	13
अध्याय-2 : बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		
लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ	2.12	20
सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा	2.13	21
कर की गलत दर का लगाया जाना	2.14	23
स्रोत पर कर की कटौती पर अनियमित कटौती का दावा	2.15	24
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा	2.16	25
श्रम तथा सेवाओं के कारण अनुमत अनियमित कटौती	2.17	25
पुराने सामानों की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट में अनियमितितापूर्ण समायोजन	2.18	26
बहु-माह लेन देनों को सम्मिलित करते हुए 'एफ' प्रपत्रों पर छूट का अनुचित दावा	2.19	26
'एफ' प्रपत्रों पर स्थानांतरित सामानों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम न करना	2.20	27

दोषपूर्ण संवैधानिक (सी) प्रपत्रों पर रियायती कर दरों का अनुचित दावा	2.21	27
स्टॉक स्थानान्तरण पर छूट के अनुचित दावे	2.22	28
संशोधित रिटर्न के माध्यम से धन की वापसी के अनियमितितापूर्ण दावे	2.23	28
कर की कम अदायगी	2.24	29
अध्याय-3 : राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर		
मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता पर कर निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा	3.6	33
अध्याय-4 : स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क		
स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की कम उगाही	4.7	49
चार तल से ज्यादा वाले भवनों पर निर्धारित दर का गैर-कार्यान्वयन	4.8	50
अध्याय-5 : मोटर वाहन कर		
राजस्व का सरकारी लेखों में स्थानांतरित न किया जाना	5.7	53
भाग - ब		
अध्याय-6 : सा.क्षे.उ. पर प्रस्तावना		
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य, राजस्व व आर्थिक क्षेत्र) पर प्रस्तावना	6.1	59
लेखापरीक्षा अधिदेश	6.2	59
राज्य पी.एस.यू. में निवेश	6.3	60
बजटीय व्यय अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटी तथा ऋण	6.4	61
वित्तीय लेखों के साथ मिलान	6.5	62
सा.क्षे.उ. का निष्पादन	6.6	63
खातों को अंतिम रूप देने में बकाया	6.7	66
लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आंतरिक लेखापरीक्षा	6.8	67
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	6.9	72
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति	6.10	72
पीएसयू का विनिवेश निजीकरण एवं पुर्नसंगठन	6.11	72

अध्याय - 7 निष्पादन लेखापरीक्षा		
दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड	7	73
अध्याय - 8 लेन-देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ		
कम बीमे के कारण हानि	8.1.1	121
अधिक सुरक्षा कर्मियों पर अनावश्यक व्यय	8.1.2	123
अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों के कारण अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर चूकना	8.2.1	125

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
3.6.9	अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान न किया जाना	3.6.9.8	131
6.1	सरकारी कम्पनियों तथा वैधानिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2012 पर प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋणों और मानव शक्ति के अद्यतन बयौरों को दर्शाती विवरणी	6.3	133
6.2	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्ति-योग्य अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारण्टियॉं, देयो का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं अंशदान में परिवर्तित ऋण और मार्च 2012 के अंत पर गारण्टी	6.4	135
6.3	नवीनतम वर्ष सरकारी कम्पनियों तथा वैधानिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के लिए जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है,	6.6, 6.7 तथा 6.8	137
6.4	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणा	6.6	140
6.5	सांविधिक निगमों के कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण	6.6	141
6.6	पीएसयू में जिनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दिखाते हुए विवरणी	6.7	142

7.1	ट्रांसमिशन लाईन और एस.एस. परियोजनायें तथा चयनित लेखापरीक्षा की कार्य निष्पादन की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका	7.2	143
7.2 (क)	वर्ष 2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान योजनागत क्षमता वृद्धियाँ वास्तविक वृद्धियाँ तथा कमी को दर्शाने वाली तालिका	7.7.2	143
7.2 (ख)	2011-12 तक के पाँच वर्षो के दौरान डी.टी.एल. द्वारा संचालित किए गए विभिन्न वोल्टेज़ स्तरों पर योजनागत क्षमता परिवर्धन, वास्तविक परिवर्धन तथा कमी दर्शाने वाली विवरणी	7.7.2	144
7.3	ट्रांसमिशन लाइनों तथा एस.एस. परियोजनाओं की समाप्ति में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी	7.7.3	146
7.4	परियोजनाओं में लागत-वृद्धि दर्शाता विवरण	7.7.4	148
7.5	परियोजनाओं में निधियों का अवरोध दर्शाता विवरण	7.7.6	148
7.6 (क)	एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुमत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था	7.7.7.4	149
7.6 (ख)	एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुमत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था	7.7.7.4	149
7.7	ट्रांसफॉर्मरों की खराबी की स्थिति दर्शाता विवरण	7.8.2.1	150
7.8	डी.टी.एल. की ट्रांसमिशन हानियों को दर्शाता विवरण	7.8.4	150
7.9	2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल की वित्तीय स्थिति को दर्शाता विवरण	7.10.1	151
7.10	2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल के कार्य परिणामों का विवरण	7.10.1 & 7.10.2	152
7.11	बेकार ट्रांसफॉर्मरों के निपटान में देरी के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता विवरण	7.11.2.2	153

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है । यह रिपोर्ट दो भागों में है:

भाग क मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री/मूल्य-वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहनों पर कर, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क तथा अन्य कर व गैर-कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

भाग ख उसी वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सा.क्षे.उ. की अनुपालना लेखापरीक्षा से प्राप्त परिणामों, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) (सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र) की भूमिका को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय लेखे तथा विनियोजन लेखे की जाँच से उत्पन्न लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की जाँच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के पार्ट-ए में ₹ 2363.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम भुगतान/राजस्व की हानि इत्यादि को शामिल करते हुए एक पुनरीक्षण सहित 16 पैराग्राफ है । मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: विहंगावलोकन

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 22393.18 करोड़ थी । राज्य सरकार द्वारा उत्थित ₹ 20432.54 करोड़ के राजस्व में ₹ 19971.66 करोड़ कर राजस्व, ₹ 460.86 करोड़ गैर-कर राजस्व तथा ₹ 1960.64 करोड़ की भारत सरकार द्वारा प्राप्तियाँ शामिल थी । पिछले वर्ष के मुकावले राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 21.20 प्रतिशत थी और गैर-कर राजस्व में कमी पिछले वर्ष के मुकवले 88.99 प्रतिशत थी ।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन, परिवहन एवं राजस्व विभागों इत्यादि 1655 मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कुल ₹ 2706.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि का पता चला । वर्ष 2011-12 के दौरान संबंधित विभागों ने 1028 मामलों में ₹ 19.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई है । इनमें से विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 187 मामलों में ₹ 1.23 करोड़ वसूल किए ।

(पैराग्राफ 1.11)

II. बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

उचित सांविधिक प्रपत्रों को प्रस्तुत किए बिना छूट के अनियमित दावे/कर की रियायती दर के कारण ₹ 2310.14 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 404.30 करोड़ का ब्याज शामिल है ।

(पैराग्राफ 2.13)

कर की गलत दर लगाए जाने के कारण ₹ 21.44 लाख के ब्याज तथा ₹ 74.67 लाख के जुर्माने को शामिल करते हुए ₹ 1.69 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 2.14)

प्रपत्र डी वी ए टी- 43 की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना स्रोत पर कर कटौती के लिए कटौती को अनियमित अनुमति के कारण ₹ 94.48 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.50 करोड़ के राजस्व की गैर प्राप्ति हुई ।

(पैराग्राफ 2.15)

इनपुट टैक्स क्रेडिट के अत्याधिक दावे के कारण ₹ 8.08 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 3.40 करोड़ का जुर्माना शामिल था ।

(पैराग्राफ 2.16)

मजदूरी एवं सेवाओं के कारण अनियमित कटौती का अनुमति दिए जाने से ₹ 18.38 लाख के ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 76.93 लाख के कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 2.17)

पुराने सामान की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट के अनियमित समायोजन से ₹ 1.19 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 19.59 लाख ब्याज तथा ₹ 49.56 लाख का जुर्माना शामिल था ।

(पैराग्राफ 2.18)

एफ प्रपत्र पर स्थानांतरित मालों के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गैर-निराकरण के कारण ₹ 74.45 लाख के राजस्व की प्राप्ति नही हो सकी जिसमें ₹ 9.72 लाख का ब्याज तथा ₹ 33.76 लाख का जुर्माना शामिल है ।

(पैराग्राफ 2.20)

III. राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर

कर निर्धारितियों द्वारा कर भुगतान के प्रमाणस्वरूप जमा कराए गए विवरणियों एवं चालानों के पूर्ण अभिलेख रखने में विभाग की असफलता से कर निर्धारितियों द्वारा भुगतान किए गए करों की विशुद्धता प्रमाणित नहीं की जा सकी ।

(पैराग्राफ 3.6.8)

भुगतान में देरी से ₹ 11.00 लाख का ब्याज तथा ₹ 100 लाख का कर केबल आपरेटरों से संग्रहण करने में विभाग असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.1)

विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं से कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 4.89 करोड़ के ब्याज की वसूली करने में असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.2)

विभाग 12 सिनेमा हॉल मालिकों से ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन कर के बकाया वसूलने एवं ₹ 9.76 करोड विलासिता कर की वसूली में असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.3 & 3.6.9.7)

2007-08 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान विलासिता कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित करों के विरूद्ध ₹ 4.64 करोड़ की 64 अपीलें दायर की गई थी लेकिन अपील प्राधिकरण द्वारा केवल तीन मामले निर्गत किए गए । इसके अतिरिक्त, होटल मालिकों द्वारा विलासिता कर अभी जमा किया जाना था ।

(पैराग्राफ 3.6.9.8)

बैंकट/सम्मेलन हॉल के लिए होटल मालिकों द्वारा प्राप्त किराया राशि/शुल्क को विलासिता कर के उद्ग्रहण के लिए प्राप्ति के तौर पर नहीं लिया जा रहा था । जिसके कारण छः होटलों में ₹ 5.99 करोड़ के विलासिता कर का कम उद्ग्रहण हुआ ।

(पैराग्राफ 3.6.9.9)

IV. स्टॉम्प कर एवं पंजीकरण शुल्क

स्टॉम्प कर एवं पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारण (गाड़ी पार्किंग के बिल्ट अप एरिया/स्टिल्ट पार्किंग) ₹ 12.76 लाख के स्टॉम्प कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 4.7)

चार से अधिक मंजिलों वाले भवन में निर्धारित दरों को लागु नही किए जाने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के स्टॉम्प कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 4.8)

V. मोटर गाड़ी कर

अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण सरकारी खातों में ₹ 8.93 करोड़ के राजस्व का स्थानान्तरण नहीं हुआ ।

अध्याय - 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2011 12 के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए हैः

तालिका 1.1 राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
कर राजस्व		11,782.80	12,180.70	13,447.85	16,477.75	19.971.67
गैर-कर राजस्व		1,816.70	2,300.72	3,467.40	4,188.95	460.87
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
सहायता अनुदान		1,312.88	1,870.79	3,536.08	4,357.40	1,960.64
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 तथा 2)**	**14,912.38**	**16,352.21**	**20,451.33**	**25,024.10**	**22,393.18**
4.	**1 से 3 तक की प्रतिशतता**	**91**	**89**	**83**	**83**	**91**

स्रोतः राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

उपर्युक्त तालिका यह इंगित करती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वृद्धि राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 22393.18 करोड़) का 91 *प्रतिशत* थी । शेष नौ *प्रतिशत* प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त थीं । पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व में वृद्धि 21.20 *प्रतिशत* थी तथा गैर-कर राजस्व में कमी पूर्व वर्ष की तुलना में 88.99 *प्रतिशत* थी ।

1.1.2 वर्ष 2007-08 से 2012-12 की अवधि के दौरान बढ़ाया गया कर राजस्व विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया हैः

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि (+) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि	8,310.49	9,152.09	10,126.01	12,068.62	13.750.95	**(+)13.94**
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,301.25	1,420.91	1,643.56	2,027.09	2.533.72	**(+)24.99**
3.	स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	1,318.40	788.01	929.97	1,355.75	2.240.25	**(+)65.24**
4.	वाहनों पर कर	420.20	419.12	462.65	707.55	1,049.19	**(+)48.28**
5.	अन्य कर	432.46	400.57	285.66	318.74	397.55	**(+)24.73**
कुल		**11.782.80**	**12.180.70**	**13,447.85**	**16,477.75**	**19,971.66**	**(+)21.20**

स्रोतः राज्य प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों ने 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण बताए ।

बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर करः इसमें वृद्धि अधिक व्यापारियों के पंजीकरण तथा अधिक प्रवर्तन सर्वेक्षण किए जाने के कारण थी ।

राज्य उत्पाद शुल्कः इसमें वृद्धि 1 जुलाई 2011 से नये ड्यूटी ढाँचे के लागू होने के कारण थी ।

स्टांप तथा पंजीकरण शुल्कः इसमें वृद्धि फरवरी 2011 में अधिसूचित सर्किल दरों के संशोधन तथा ₹ 50,000 की अधिकतम सीमा को हटाने के पश्चात पंजीकरण शुल्क संग्रहण में वृद्धि के कारण थी ।

वाहनों पर करः इसमें वृद्धि वाहन बिक्री में वृद्धि तथा डीजल वाहनों पर अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में वृद्धि के कारण थी ।

1.1.3 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान जारी गैर-कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दिए गए हैः

तालिका 1.3 : गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 की अपेक्षा 2011-12 में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,634.79	2,101.41	3,236.61	3,869.84	174.14	(-)95.50
2.	लाभांश व लाभ	31.15	29.92	41.56	46.59	33.00	(-)29.17
3.	सामान्य सेवाएँ	85.20	64.91	93.41	101.84	128.58	(+)26.25
4.	समाज सेवाएँ	37.47	54.53	56.13	61.59	79.48	(+)29.05
5.	आर्थिक सेवाएँ	28.09	49.95	39.69	109.08	45.67	(-)58.13
कुल		**1,816.70**	**2,300.72**	**3,467.40**	**4,188.94**	**460.87**	**(-) 88.99**

स्रोतः राजस्व प्राप्तियाँ प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि/कमी के कारण नीचे दिए गए हैं ।

ब्याज प्राप्तियाँः इसमें कमी दि.ज.बो. एवं दि.प.नि. से देय ब्याज की वसूली में कमी के कारण थी तथा 2011-12 से इसे गैर-योजनागत ऋणों में बदलने से रोक दिया गया था ।

लाभांश व लाभः इसमें कमी वास्तविक लाभों तथा कंपनियों द्वारा घोषित विभिन्न अन्य लाभांश की नीतियों पर आधारित थी ।

सामान्य सेवाएँ तथा समाज सेवाएँः इसमें वृद्धि सेवा लेने वालों/सेवा प्रदान करने वालों की संख्या तथा शुल्कों इत्यादि में वृद्धि के कारण थी ।

आर्थिक सेवाएँ: इसमें कमी गाँवों तथा लघु उद्योगों के राजस्व में निर्दिष्ट कमी के कारण थी ।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

वर्ष 2011-12 के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व के संबंध में राजस्व प्राप्तियों बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर **तालिका 1.4** में उल्लिखित है:

तालिका 1.4: संशोधित बजट अनुमान वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता आधिक्य (+)/कमी (-)	विभिन्नता की प्रतिशतता
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	14000.00	13750.95	(-)249.05	(-)1.78
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2400.00	2533.73	(+)133.73	(+)5.57
3.	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	2399.97	2240.25	(-)159.72	(-)6.66
4.	वाहनों पर कर	950.00	1049.19	(+)99.19	(+)10.44
5.	अन्य कर	378.00	397.55	(+)19.55	(+)5.17
गैर-कर राजस्व					
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	369.81	174.14	(-)195.67	(-)52.91
2.	लाभांश व लाभ	45.00	32.99	(-)12.01	(-)26.69
3.	सामान्य सेवाएँ	109.54	128.58	(+)19.04	(+)17.38
4.	सामाजिक सेवाएँ	73.32	79.48	(+)6.16	(+)8.40
5.	आर्थिक सेवाएँ	42.80	45.67	(+)2.87	(+)6.71

स्रोतः प्राप्तियाँ बजट 2012-2013 और वेतन व लेखा कार्यालय, दिल्ली

विभाग ने बताया कि अनुमान पिछली प्रवृत्तियों और साथ ही साथ पिछले वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर माह तक की वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित हैं और अनुमानों को 16 से 18 महीने पूर्व ही तैयार कर लिए जाते हैं और बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर होने की पूरी संभावना है ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियाँ, उनके संग्रहण में किए गए व्यय और ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशत, साथ ही वर्ष 2010-11 के लिए सकल संग्रहण के एकत्रण पर व्यय की संबंधित अखिल भारतीय औसत *प्रतिशत* को

तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2009-10 2010-11 2011-12	10126.01 12068.62 13750.95	50.83 50.69 53.67	0.50 0.42 0.39	0.75
राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10 2010-11 2011-12	1643.56 2027.09 2533.73	8.75 9.44 10.79	0.53 0.47 0.43	3.05
स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2009-10 2010-11 2011-12	929.97 1355.75 2240.25	19.53 19.30 31.60	2.10 1.42 1.41	1.60
वाहनों पर कर	2009-10 2010-11 2011-12	462.65 707.55 1049.19	34.34 37.03 31.79	7.42 5.23 3.03	3.71

स्रोतः राज्य वित्त प्रतिवेदन 2011 तथा वेतन एवं लेखा, दिल्ली

1.4 राजस्व मे बकायों का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों के राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 तक बिक्री कर/मुल्य वर्धित कर से सम्बन्धित ₹ 15254.20 करोड़ में से ₹ 15249.16 करोड़ की राशि के राजस्व के बकायों का उल्लेख **तालिका 1.6** में दिया गया है:

तालिका 1.6: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2012 तक बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	15249.16	1010.60	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	5.04	0.31	31 मार्च 2012 तक, कुल बकाया मांग ₹ 3.52 करोड़ थी जिसमें से ₹ 0.91 करोड़ की मांग अपील के तहत तथा ₹ 0.63 करोड़ की मांग नए सिरे से कर निर्धारण के लिए वापस कर दी गई । उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹ 0.31 करोड़ की राशि भी ब्याज सहित मध्यस्थ के पास लम्बित है ।
कुल		**15254.20**	**1010.91**	

राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) द्वारा राजस्व प्राप्ति के बकायों को शून्य बताया गया । परिवहन विभाग ने बताया कि बकायों की राशि को आज तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका (दिसम्बर 2012) ।

1.5 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए लम्बित कर निर्धारण के ब्यौरों का उल्लेख **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: कर निर्धारण में बकाया

वर्ष	प्रारंभिक शेष	मामले जिनका कर निर्धारण किया जाना था	कुल	वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले
व्यापार तथा कर विभाग					
2009-10	5559	94521	100080	95135	4945
2010-11	4945	85360	90305	85720	4585
2011-12	4585	144115	148700	146774	1926
राज्य उत्पाद विभाग					
2009-10	1152	725	1877	455	1422
2010-11	1422	854	2276	584	1692
2011-12	1692	879	2571	834	1737

राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) तथा परिवहन विभाग ने कर निर्धारण में बकायों को शून्य बताया ।

1.6 कर अपवंचन

व्यापार तथा कर विभाग द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कर अपवंचन के बहुत से मामले जैसा कि उनके द्वारा बताया गया क्रमशः 1451, 1843 तथा 871 पता लगाये गये थे । वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों के अनुसार आंकडों के मध्य ₹ 815.59 करोड़ की विभिन्नता थी तथा जिसे प्रवर्तन शाखा द्वारा छापा मारे जाने के दौरान प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया जैसाकि **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभिन्नता के प्रकार	पता लगाई गई राशि
1.	नकद विभिन्नता	16.19
2.	स्टॉक विभिन्नता	284.20
3.	पता लगाये गये अभिग्रहण	515.20
कुल		**815.59**

शाखा द्वारा पता लगाए गए मामलों को, बाद में विभाग के सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिए गए ।

राज्य उत्पाद विभाग तथा राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण) ने कर के अपवंचन के मामलों को शून्य बताया ।

1.7 वापसी

वर्ष 2011-12 के दौरान बहुत से मामलों में धन की वापसी की अनुमति दी गई जैसाकि सम्बन्धित विभागों द्वारा बताया गया, का उल्लेख **तालिका 1.9** में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.9: वापसी

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	मामलों की संख्या	राशि
व्यापार तथा कर विभाग	22790	356.04
परिवहन विभाग	23	0.02
राजस्व विभाग (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)	2836	32.57
राज्य उत्पाद शुल्क	14	0.19

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के उत्तर

1.8.1 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी नियत करने तथा राज्य सरकार के हित की सुरक्षा में विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार लेन-देनों तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण में नमूना जाँच करता है । निरीक्षणों में सामने आई अनियमितताओं की जाँच के दौरान जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सके उन्हें प्रतिवेदनों में जारी करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे मुख्य प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है । निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शायी गई अभियुक्तियों को कार्यालयों में प्रमुख/सरकार को शीघ्रतः त्रुटियों एवं अन्य गलतियों को सुधारने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन की जारी हुई तारीख से एक महीने के भीतर महालेखाकार को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है । गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों तथा सरकार के प्रमुखों को भेजा जाता है ।

दिसम्बर 2011 तक जारी किए गए 483 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 8938.03 करोड़ को सम्मिलित करते हुए जून 2012 की समाप्ति तक 10028 पैराग्राफ बकाया

रहे थे जैसा कि विगत दो वर्षों के आंकडों के साथ तालिका 1.10 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10 बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

	जून, 2010	जून, 2011	जून, 2012
बकाया नि.प्र.की संख्या	341	360	483
बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	6002	7867	10028
शामिल राशि (₹ करोड़ में)	**3920.65**	**6619.49**	**8938.03**

30 जून 2012 को विभाग-वार बकाया नि.प्र. तथा राशि को शामिल करके लेखापरीक्षा पैराग्राफों के ब्यौरे का उल्लेख **तालिका 1.11** में किया गया है:

तालिका 1.11: विभागवार बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफ की संख्या	सम्मिलित धन राशि
1.	व्यापार तथा कर	बिक्री,व्यापार इत्यादि पर कर/मू.व.क.	388	9629	8918.44
2.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	7	27	11.42
3.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	40	87	4.08
4.	वित्त (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)	स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	48	285	4.09
कुल			**483**	**10028**	**8938.03**

जवाबों की गैर-प्राप्ति के कारण बड़ी मात्रा में बकाया नि.प्र. यह दर्शाते है कि प्र.म.ले. द्वारा नि.प्र. में इंगित की गई कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं के सुधार में विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के अध्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहे थे ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर तुरन्त और तर्कसंगत प्रतिक्रिया के लिए एक कारगर कार्यप्रणाली की स्थापना करे और ऐसे कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करे जो निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराग्राफों के निर्धारित समय में जबाव भेजने में असफल रहते है और जो समयबद्ध सीमा में हानि/बकायों की वसूली करने में भी कोई कार्रवाई करने में विफल रहते हैं ।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन (विभिन्न अवधियों के दौरान) नि.प्र. में पैराग्राफों तथा नि.प्र. के निपटान की प्रगति को शीघ्रता से पूरा करने एवं अनुवीक्षण करने के लिए करती है । वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित की गई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के ब्यौरे तथा पैराग्राफों के निपटान का उल्लेख **तालिका 1.12** में किया गया है:

तालिका 1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	की गई बैठकों की संख्या	निपटान किए गए पैराग्राफों की संख्या	राशि
बिक्री कर	8	583	503.85
कुल	**8**	**583**	**503.85**

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें कराने के बावजूद 9629 पैराग्राफों की बड़ी मात्रा में बकाया की तुलना में बिक्री कर से सम्बन्धित पैराग्राफों के निपटान की प्रगति नगण्य थी ।

यह सिफारिश की गई कि सरकार को अधिक बैठकें करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए ।

1.8.3 जाँच के लिए लेखपरीक्षा को अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद विभाग, मनोरंजन तथा विलासिता कर, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ करने से एक माह पूर्व सूचनाएं जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए तैयार रखें ।

वर्ष 2011-12 के दौरान, कर निर्धारण अभिलेखों के 1601 मामलों को शामिल करते हुए तीन कार्यालयों से सम्बन्धित कर निधारण अभिलेखों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया । 1601 मामलों में से 1599 मामले व्यापार तथा कर विभाग से सम्बन्धित थे । इस प्रकार के कार्यालयों का वर्षवार ब्यौरा जिन्होने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे, **तालिका 1.13** में दिया गया है:

तालिका 1.13 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुति करण

कार्यालय का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की जानी चाहिए थी	लेखापरीक्षा न किए गए निर्धारण के मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें सम्मिलित राजस्व निश्चित किया जा सका
स्टॉम्प तथा पंजीकरण	2011-12	1	शून्य
परिवहन	2011-12	1	शून्य
व्यापार तथा कर विभाग	2011-12	1599	शून्य
कुल		**1601**	

उपरोक्त मामलों में शामिल राजस्व मालूम नहीं किया जा सका, क्योंकि लेखापरीक्षा जांच के लिए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

1.8.4 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के उत्तर

प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से संबंधित विभागों को अग्रेषित किया जाता है । सभी विभागों को उनकी टिप्पणियाँ उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजनी अपेक्षित होती है । सरकार से जवाब की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में दर्शाया जाता है ।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित करने के लिए 17 पैराग्राफ (एक निष्पादन लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए) संबंधित विभागों तथा सरकार को जुलाई 2012 में अग्रेषित किए गए थे । विभाग से सभी पैराग्राफों के संबंध मे उत्तर खण्डों में प्राप्त हुए थे ।

1.8.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-संक्षिप्त स्थिति

जब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाते है तो विभिन्न विभागों को रिपोर्ट में लिए सभी पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन.) लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) के विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है । ए.टी.एन.को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को कम करता है । भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्व प्राप्तियों से संबंधित प्रतिवेदन में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों पर बकाया एक्शन टेकन नोट की अक्टूबर 2012 की स्थिति का उल्लेख निम्नलिखित **तालिका 1.14** में है:

तालिका 1.14: बकाया एक्शन टेकन नोट

क्र.सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में छापे गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों की संख्या	पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतिक्षित थे
1.	2004	20+3 (पुनरीक्षण)	3+1 (पुनरीक्षण)
2.	2005	26+1 (पुनरीक्षण)	1+0 (पुनरीक्षण)
3.	2006	19+1 (पुनरीक्षण)	0+1 (पुनरीक्षण)
4.	2007	15+1 (पुनरीक्षण)	0+1[1] (पुनरीक्षण)
5.	2008	9+2 (पुनरीक्षण)	0+2[2] (पुनरीक्षण)
6.	2009	13+2 (पुनरीक्षण)	13[3]+2 (पुनरीक्षण)
7.	2010	17+1 (पुनरीक्षण)	16+1[1] (पुनरीक्षण)
8.	2011	12+3 (पुनरीक्षण)	12+3 (पुनरीक्षण)

1 ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त हुए ।
2 एक पुनरीक्षण के संबंध में ए.टी.एन.आंशिक रूप से प्राप्त हुए ।
3 वर्ष 2009 के लिए, 4 पैराग्राफ पर ए.टी.एन. प्राप्त किए गए परन्तु आंशिक रूप से ।

सरकार को, लंबित एक्शन टेकन नोट्स की समीक्षा करने तथा शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

1.8.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

2006-07 से 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गये ₹ 453.59 करोड़ के राजस्व के पैराग्राफों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया जिसमें से अक्टूबर 2012 तक

केवल ₹ 1.04 करोड़ वसूल किए गए जिनका विवरण **तालिका 1.15** में है:

तालिका 1.15: स्वीकृत मामलों के प्रति वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की धनराशि	स्वीकृत मामलों की धनराशि	वसूल की गई राशि
2006-07	254.93	209.06	0.27
2007-08	945.52	28.17	0.18
2008-09	1729.62	109.00	0.14
2009-10	1764.20	49.36	0.39
2010-11	1479.98	58.00	0.06
कुल	**6174.25**	**453.59**	**1.04**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ₹ 453.59 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के प्रति केवल ₹ 1.04 करोड़ (0.23 *प्रतिशत*) वसूल किए गए थे ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली के लिए प्रयास करें ।

1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभाग/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों से निपटने की प्रणाली के विश्लेषण के उद्देश्य से व्यापार तथा कर विभाग के संबंध में पिछले आठ वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों तथा पुनरीक्षण पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया ।

अनुवर्ती पैराग्राफ 1.9.1 से 1.9.2.2 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों में पिछले आठ वर्षों के दौरान व्यापार तथा कर विभाग द्वारा की गई अनुपालना के निष्पादन तथा वर्ष 2004-05 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए मामलों पर विचार विमर्श किया गया है ।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले आठ वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2012 को उनकी स्थिति की

तालिका 1.16 में सारणीबद्ध किया गया है:-

तालिका 1.16: निरीक्षण प्रतिवेदन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि
2004-05	1145	10821	1127.42	93	1436	306.27	668	7468	404.91	570	4789	1028.78
2005-06	570	4789	1028.78	81	1377	399.89	227	1916	174.95	424	4250	1253.72
2006-07	424	4250	1253.72	64	880	320.51	265	2548	543.25	223	2582	1030.98
2007-08	223	2582	1030.98	62	1329	1077.42	79	1266	349.89	206	2645	1758.51
2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65

विभाग तथा इस कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति की बैठकों को आयोजित किया जाता है तथा यह समितियाँ पुराने पैराग्राफों का मौके पर निपटान करती है । उपरोक्त सारणी प्रमाणित करती है कि बहुत अधिक प्रयासों के कारण 2004-05 के अंत तक, 4789 बकाया पैराग्राफों सहित 570 नि.प्र. के प्रति 2011-12 की समाप्ति पर 427 नि.प्र. के 10144 पैराग्राफ ही शेष रह गए है ।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों पर विभाग/सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन

1.9.2.1 स्वीकार किए गए मामलों की वसूली

पिछले छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा जिनकी राशि वसूल कर ली गई थी, की स्थिति **तालिका 1.17** में दर्शाई गई है:

तालिका 1.17: स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रतिवेदन	सम्मिलित किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि	स्वीकार किए गए पैराग्राफों की धनराशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	स्वीकृत मामलों में वसूली की समेकित स्थिति
2005	27	402.36	55.65	0.18	0.18
2006	20	177.85	11.52	0.11	0.29
2007	16	254.93	16.54	0.08	0.37
2008	11	945.52	70.75	0.14	0.51
2009	15	1729.62	428.96	0.04	0.55
2010	18	1764.20	0.52	0.52	1.07

उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा पैराग्राफों पर की गई कार्यवाही अपर्याप्त थी और उसे कम से कम स्वीकृत मामलों में निहित राजस्व की वसूली के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

1.9.2.2 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

प्रधान महालेखाकर द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं/पुनरीक्षणों को संबंधित विभागों/सरकार को उनके सूचनार्थ जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किए गये । इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में विचार किया गया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देने से पूर्व विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया गया ।

पिछले छः वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में व्यापार एवं कर विभाग, राज्य उत्पाद शुल्क मनोरंजन एवं विलासिता कर तथा परिवहन विभाग के निम्नलिखित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को **तालिका 1.18** में दर्शाया गया है । यद्यपि लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इनमें से किसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं को चर्चा के लिए नहीं लिया गया है।

तालिका 1.18: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

नि.प्र.का वर्ष	पुनरीक्षण का नाम	सिफारिशों की संख्या	स्थिति
2005-06	मनोरंजन, बैटिंग तथा विलासिता कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा वसूली	3	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
2006-07	निर्यात तथा हाई सी सेल के कारण कर की छूट	3	तदनंतर लेखापरीक्षाओं से पता चला कि विभाग ने सिफारिश को लागू नहीं किया है ।
2007-08	शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण बिक्री के कारण केन्द्रीय बिक्री कर की छूट का निष्पादन मूल्यांकन	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	परिवहन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा	5	उत्तरवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि विभाग ने सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है।
2008-09	निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा वसूली	3	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	दिल्ली बिक्री कर से दिल्ली मूल्य वर्धित कर में परिवर्तन	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
2009-10	स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का उद्ग्रहण तथा एकत्रण	5	विभाग द्वारा सभी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालयों के आधुनिक केन्द्रीय रजिस्ट्री से सम्बन्धित पंजीकृत दस्तावेजों प्रत्यक्ष तथा डीजीटल दोनों फार्मो को सुरक्षित रूप से रखे जाने की अवधारणा की योजना की एक सिफारिश को कार्यान्वित किया गया
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यिक में घोषणा-फार्म की उपयोगिता	4	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	मोटर वाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण	5	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया
	ब्याज प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5	विभाग द्वारा उत्तर नहीं भेजा गया

1.10 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागो के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीकृत किया गया है । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के आलोचनात्मक मामले जैसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य तथा केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के लक्षण, लेखापरीक्षा कवरेज तथा पिछले पाँच वर्षो के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि शामिल है ।

वर्ष 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 111 लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयाँ समाविष्ट थीं, जिसमें से 95 इकाईयाँ योजनागत थीं तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 89 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों का 93.68 *प्रतिशत* था ।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा इन प्राप्तियों पर कर प्रशासन की क्षमता को जाँचने के लिए भी की गई थीं ।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.11.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2011-12 के दौरान व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद, मनोरंजन, परिवहन, तथा राजस्व विभाग इत्यादि के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1655 मामलों में कुल ₹ 2706.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि का पता चला । वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1028 मामलों में सम्मिलित ₹ 19.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकृत किया । इनमें से विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 187 मामलों में ₹ 1.23 करोड़ की वसूली की ।

1.11.2 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में "मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता पर कर के निर्धारण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण के तंत्र" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 16 पैराग्राफ सम्मिलित हैं जिनमें लेखापरीक्षा में ₹ 2363.11 करोड़ के वित्तीय प्रभाव, जिसमें से ₹ 19.14 करोड़ विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है, को शामिल करते हुए कर, ड्यूटी ब्याज तथा जुर्माने के कम/गैर-उद्ग्रहण के अतिरिक्त कुछ प्रणालीगत व अनुपालन कमियों को इंगित किया गया है । इनकी चर्चा आगामी अध्यायों-II से V में की गई है ।

अध्याय-2

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) मूल्य वर्धन पर एक कर है । यह एक बहुमुखी कर है, जो बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है । यह निर्माण/पुनः बिक्री के स्तर पर संग्रहित किया जाता है और इसमें इनपुट व खरीद पर दिए गए कर पर छूट देने का प्रावधान है, अतः यह सरकार को मूल्य बढ़ने के प्रत्येक स्तर पर राजस्व प्रदान करता है ।

आयुक्त,व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) द्वारा चार विशेष आयुक्तों की सहायता से मू.व.क.द्वारा प्राप्त प्राप्तियों को शासित किया जाता है । यहाँ पर दस जोन हैं तथा प्रत्येक जोन का प्रमुख संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त होते है जो कि अतिरिक्त आयुक्तों के अधीन कार्य करते है और मूल्य वर्धित कर अधिकारियों (मू.व.क.अ.) और सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारियों (स.मू.व.क.अ.) और अपने नियंत्रण के अधीन वार्डों में कार्य करने वाले निरीक्षकों का पर्यवेक्षण करते है । दिल्ली को 108 वार्डों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक वार्ड का प्रमुख मूल्य वर्धित कर अधिकारी होता है ।

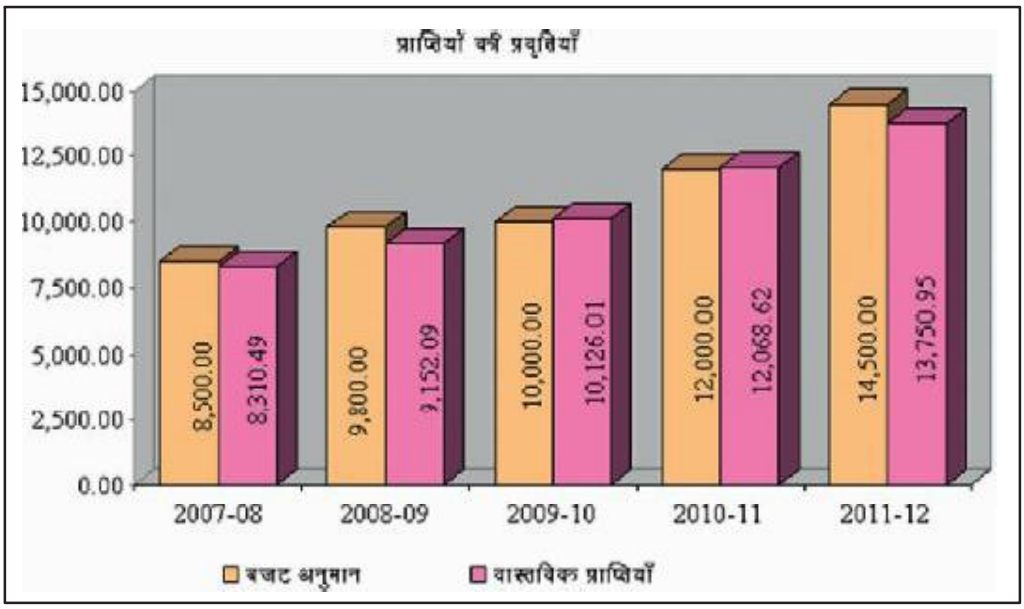
2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

पिछले पाँच वर्ष में 2007-08 से 2011-12 के दौरान मू.व.क. से वास्तविक प्राप्तियों सहित उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियाँ **तालिका 2.1** तथा ग्राफ में दर्शाई गई हैं ।

तालिका 2.1 : राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तिवक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+)/ कमियाँ (-)	भिन्नताओं की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों सहित वास्तविक मू.व.क.प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	8,500.00	8,310.49	(-) 189.51	(-) 2.23	11,782.80	70.53
2008-09	9,800.00	9,152.09	(-) 647.91	(-) 6.61	12,180.70	75.14
2009-10	10,000.00	10,126.01	(+) 126.01	(+) 1.26	13,447.86	75.30
2010-11	12,000.00	12,068.62	(+) 68.62	(+).0.57	16,477.75	73.24
2011-12	14,500.00	13,750.95	(-) 749.05	(-) 5.17	19,971.67	68.85



2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व के बकाया ₹ 15249.16 करोड़ के थे जिसमें से ₹ 9253.44 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे । वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति **तालिका 2.2** में दी गई है:

तालिका 2.2 : राजस्व के बकाया

(₹ करोड में)

वर्ष	बकाया राशि का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकाया राशि का अंतिम शेष
2007-08	9253.44	193.23	982.71	8463.96
2008-09	8463.96	534.79	324.63	8674.12
2009-10	8674.12	2060.95	790.69	9944.38
2010-11	9944.38	2291.80	465.30	11770.88
2011-12	11770.88	3846.79	368.51	15249.16

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 और 2011-12 के दौरान राजस्व के बकायों में वृद्धि हुई है ₹ 7224.93 करोड का मुख्य भाग दिल्ली बिक्री कर (दि.बि.क.) से संबंधित था जो ₹ 15249.16 करोड़ के बकाया अंतिम शेष में भी सम्मिलित था ।

2.4 कर निर्धारिती की रूपरेखा

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 233035 पंजीकृत व्यापारियों में से मासिक और त्रैमासिक व्यापारी क्रमशः 15825 तथा 217210 थे । 1349 व्यापारी एक करोड़ रूपये से अधिक जमा कर के आधार पर बड़े कर दाता थे तथा 93387 व्यापारी एक लाख रूपये से कम जमा कर के आधार

पर छोटे कर दाता थे । 233035 व्यापारियों को 31 मार्च 2012 को रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता थी जिनमें से 202632 व्यापारियों ने अपनी रिटर्न फाइल की ।

2.5 प्रति कर निर्धारती पर मू.व.क. की लागत

वर्ष के दौरान तथा पिछले तीन वर्षो में प्रति कर निर्धारिती पर मू.व.क. **तालिका 2.3** में दिखाया गया है:

तालिका 2.3 : प्रति कर निर्धारती की मू.व.क. की लागत

(₹ लाख में)

वर्ष	कर निर्धारतियों की कुल संख्या	संग्रहण की लागत	प्रति कर निर्धारती पर मू.व.क. की लागत
2009-10	219902	5097.00	0.02
2010-11	231833	5080.00	0.02
2011-12	233035	5367.00	0.02

दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति कर निर्धारती पर वैट की लागत समान रही ।

2.6 कर निर्धारण में बकाया/संवीक्षा

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में व्यापार तथा कर विभाग द्वारा बिक्री/मू.व.क.इत्यादि पर वर्ष के प्रारंभ में बकाया कर निर्धारण/संवीक्षा के मामलों की संख्या जो कि इस वर्ष के दौरान देय हो गई तथा वर्ष के दौरान निपटाये गए तथा लम्बित मामलों का **तालिका 2.4** उल्लेख किया गया है:

तालिका 2.4 : निर्धारण में बकाया

वर्ष	प्रारंभिक शेष		मामले जो कर निर्धारण*/**संवीक्षा के लिए देय बन गए		कुल		वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले		वर्ष के अंत में बकाया मामले	
	दि.बि.क. प्रणाली	डी.वैट प्रणाली	दि.बि.क. प्रणाली	डी वैट प्रणाली	दि.बि.क. प्रणाली	डी वैट प्रणाली	दि.बि.क. प्रणाली	डी वैट प्रणाली	दि.बि.क. प्रणाली	डी वैट प्रणाली
2009-10	5559	80059	390	105185	5949	185244	1004	94131	4945	91113
2010-11	4945	91113	634	42553	5579	133666	994	84726	4585	48940
2011-12	4585	48940	555	207155	5140	256095	3214	143560	1926	112535

**डी वैट अधिनियम 2004 की धारा 31 के अनुसार जब रिटर्न एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है जैसाकि इस अधिनियम की धारा 26 अथवा 27 के अंतर्गत आवश्यक है तो उसमें निर्धारित सूचना और इस अधिनियम तथा नियमों की आवश्यकताओं का पालन शामिल है । यह रिटर्न कर-निर्धारण का नोटिस मानी जाती है तथा आयुक्त को दी जाती है ।*

*** विभाग द्वारा जारी दिनांक 23-06-05 की अधिसूचना के अनुसार वैट अधि/सहा. वैट अधि. रिटर्नों की संवीक्षा करता है; (i) पाँच करोड़ से अधिक सकल बिक्री के लिए शतप्रतिशत संवीक्षा, (ii) दो से पाँच करोड़ के बीच सकल बिक्री के लिए 50 प्रतिशत संवीक्षा (iii) एक से दो करोड़ के बीच कम सकल बिक्री के लिए 25 प्रतिशत, (iv) एक करोड़ से कम सकल बिक्री के लिए दो प्रतिशत संवीक्षा.*

2.7 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के वर्षों के दौरान मूल्यवर्धित कर के संबंध में सकल संग्रहण राजस्व प्राप्तियों, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण, से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ वर्ष 2010-11 के लिए सकल संग्रहण को संग्रहित करने पर व्यय की न्यायोचित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 2.5** में दर्शाई गई है:

तालिका 2.5 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2009-10 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार पर कर इत्यादि	2009-10	10126.01	50.97	0.50	0.75
	2010-11	12068.62	50.80	0.42	
	2011-12	13750.95	53.67	0.39	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 से 2011-12 के सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी ।.

2.8 संग्रहण का विश्लेषण

बिक्री, व्यापार पर कर के राजस्व का संग्रहण वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 10126.01 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 13750.95 करोड़ हो गया जबकि संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता उसी समयावधि के दौरान ***0.50 प्रतिशत*** से घटकर ***0.39 प्रतिशत*** हो गई ।

2.9 राजस्व प्रभाव

लेखापरीक्षा ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पिछले पाँच वर्षों के दौरान (चालू वर्ष की रिपोर्ट सहित) 61 पैराग्राफों में ₹ 5471.97 करोड़ के निहितार्थ राजस्व सहित गैर/कम उद्ग्रहण, गैर/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व की हानि, त्रुटिपूर्ण छूट, छिपाव/ बिक्री का उन्मूलन, कर की अनुचित दर का उपयोग, त्रुटिपूर्ण गणना इत्यादि को इंगित किया गया है । इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 516.25 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है और इनमें से अब तक ₹ 0.26 करोड़ की वसूली की गई है । आपत्तियों को स्वीकार करने की तुलना में

रिकवरी स्थिति केवल 0.05 *प्रतिशत* थी । जिसका विवरण **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6 : राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ*	वसूली राशि*
	संख्या	राशि	राशि	राशि
2006-07	12	59.71	16.54	0.08
2007-08	9	929.83	70.75	0.14
2008-09	12	1706.46	428.96	0.04
2009-10	15	1296.86	00	00
2010-11	13	1479.11	00	00
कुल	**61**	**5471.97**	**516.25**	**0.26**

*टिप्पणी: * एक समीक्षा को एक पैराग्राफ माना गया है; इसलिए केवल विभाग द्वारा स्वीकृत राशि को 'स्वीकृत पैराग्राफ' आँकड़ों में लिया गया है ।*

2.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

व्या.क.वि.में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल (आ.ले.प.सै.) अतिरिक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा) के अधिभार के अन्तर्गत हैं । इस सैल को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति द्वारा नियत मापदण्डों के अनुसार तथा अनुमोदित कार्य योजना तथा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार मामलों की नमूना जांच करनी थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर, व्या.क.वि. ने बताया कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वार्षिक योजना विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा सैल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु मामलों के चयन के लिए कसौटी का निर्णय लेने हेतु बनाई गई थी । आगे की अवधियों के लिए वार्षिक योजना नहीं बनाई गई थी ।

इसके अलावा, वित्त विभाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा निदेशालय को सरकार के सभी कार्यालयों/विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा सौंपी जाती है । केवल व्यय के लिए विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 2011-12 तक की गई है ।

2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में वैट से संबंधित 53 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान 1469 मामलों में ₹ 2667.19 करोड़ के कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को देखा गया

जो कि **तालिका 2.7 :** में दर्शाई गयी है:

तालिका 2.7 : अवनिर्धारण का श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा	1104	2310.14
2.	कर की अनुचित दर का उपयोग	4	1.69
3.	टी डी एस के कारण दावित अनियमित कटौती	9	3.50
4.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा	15	8.08
5.	धन की वापसी का अनियमित भत्ता	4	0.75
6.	श्रम एवं सेवाओं के कारण अनुमत अनियमित कटौती	1	0.77
7.	पुरानी वस्तुओं की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट का अनियमित समायोजन	1	1.19
8.	बहु-माह लेनदेनों को शामिल करते हुए 'एफ' प्रपत्रों पर छूट का गलत दावा	1	0.47
9.	एफ प्रपत्रों पर स्थानांतरित सामान के, संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का गैर कटौती	1	0.74
10.	त्रुटिपूर्ण सांविधिक (सी) प्रपत्रों पर कर की रियायती दर/छूट का गलत दावा	4	0.26
11.	स्टॉक स्थानांतरण पर छूट का अनियमित दावा	1	0.18
12.	संशोधित रिटर्न के जरिए कर की वापसी/कमी का अनियमित दावा	5	0.39
13.	कर का कम भुगतान	1	0.15
14.	अन्य	318	338.88
कुल		**1469**	**2667.19**

इन मामलों का उल्लेख आगामी पैराग्राफों में किया गया है ।

2.12 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा में निर्धारित सांविधिक प्रपत्रों/अथवा त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों की प्रस्तुति के बिना रियायत/छूट के दावे, बिक्री/क्रय/स्टॉक का छिपाव, कटौती का अधिक दावा, छूट का अनियमित दावा इत्यादि के कई मामले पाए गए जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण किया गया जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई हैं । ये मामले व्याख्यात्मक हैं और लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना जाँच के दौरान देखे गए मामलों पर आधारित है । प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा में कर निर्धारण

प्राधिकारियों (क.प्रा.) को ऐसी त्रुटियों को इंगित किया गया, परन्तु न केवल अनियमितताएँ निरन्तर होती रहीं बल्कि जब तक लेखापरीक्षा नहीं की गई उनका पता नहीं चल पाया । सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मामलों को रोका जा सके, पता लगाया जा सके और सुधार किया जा सके ।

2.13 सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा

के.बि.क.अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अंतर्गत एक व्यापारी अन्तर्राज्यीय बिक्री के अंतर्गत सामग्री के लिये कर की छूट/रियायती दर का दावा कर सकता है:(क) किसी सामान के संदर्भ में इस आधार पर कि उसके द्वारा अपने व्यापार के किसी अन्य स्थान में अथवा अपनी शाखा को अथवा अपने एजेन्ट या प्रधान को जैसा मामला हो, ऐसे सामान के स्थानांतरण द्वारा लाया गया है । (ख) एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा सामान की बिक्री यदि व्यापारी बिक्री के सभी लेनदेनों को शामिल करते हुए 'सी' प्रपत्र में प्रस्तुत करता है; (ग) जहाँ किसी सामान की बिक्री, ऐसे सामान को एक राज्य से अन्य राज्य में ले जाने के दौरान (पारगमन बिक्री) स्वामित्व के दस्तावेजों को सरकार को या पंजीकृत व्यापारी को स्थानांतरण के कारण प्रभाव में लाई गई हो; तथा (घ) निर्यात बिक्री या विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाई को की गयी बिक्री के संबंध में फार्म 'एच' अथवा फार्म 'आई' जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने पर छूट दी जायेगी । कर की छूट/रियायती दर का दावा करने के लिए व्यापारी को के.बि.क. अधिनियम और नियमो के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक प्रपत्र जैसे एफ,सी, ई-I, ई-II, एच तथा आई प्रस्तुत करने की आवश्यकता है । प्रपत्रों को प्रस्तुत करने में चूक के मामलों में लेनदेनों को राज्य में लागू दर पर निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

लेखापरीक्षा में व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) के व्यापारियों के अभिलेखों की अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच की गई नमूना जाँच में यह पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 में 1104 मामलो में व्यापारियों ने छूट/रियायती दर पर कर का दावा ₹ 28255.25 करोड़ पर किया जो शाखा स्थानांतरण/प्रेषण बिक्री, पारगमन बिक्री, विशेष आर्थिक जोन की बिक्री, भारत के बाहर निर्यात जिनका विवरण प्रपत्र I और प्रपत्र डी-वैट 51 में दिया गया था । लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला कि इन मामलों में व्यापारियों ने आवश्यक सांवधिक प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित तिथि (31 दिसम्बर 2010) तक प्रस्तुत नहीं किए थे लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि 184 मामलों में व्यापारियों ने सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि में बढ़ोतरी मांगी थी । तथापि बढ़ी हुई अवधि के बीत जाने के पश्चात भी व्यापारियों ने प्रपत्र जमा नहीं कराए । विभाग ने मांगी गई छूट को रद्द करते हुए इन व्यापारियों का कर निर्धारण करने का कोई कदम नहीं उठाया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1905.84 करोड के कर की अनियमित छूट दी गई । इसके अतिरिक्त कर के गैर भुगतान के लिए ₹ 404.30 करोड़ का ब्याज भी उदग्रहण योग्य था ।

विवरण **तालिका 2.8** में दिये गये हैं:

तालिका 2.8 : अनियमित छूट का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेनदेन का विवरण	मामलों की संख्या	लेनदेन का मूल्य	दिया जाने वाला कर	उद्ग्रहण योग्य ब्याज	कुल
1.	71 वार्डों[1] में व्यापारियों ने शाखा स्थानांतरण/प्रेषण बिक्री के समर्थन में निर्धारित एफ प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया	359	19694.12	1427.73	302.76	1730.49
2.	81 वार्डों[2] में व्यापारियों ने निर्धारित सी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया	638	5360.39	332.20	70.58	402.78
3.	49 वार्डों[3] में व्यापारियों ने निर्धारित ई I/ई II प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया	88	2636.55	140.51	29.80	170.31
4.	14 वार्डों[4] में व्यापारियों ने निर्धारित फार्म एच प्रस्तुत नहीं किया	13	19.45	1.17	0.26	1.43
5.	पांच वार्डों[5] में व्यापारियों ने निर्धारित प्रपत्र 'आई' प्रस्तुत नहीं किया	06	400.61	4.23	0.90	5.13
	कुल	**1104**	**28111.12**	**1905.84**	**404.29**	**2310.14**

[1] वार्ड संख्या 1,3,7,8,11,12,14,15, 16, 17, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,43,44,45,46,48, 49, 50,52,53,54,56,57,58,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,104,105,106, के सी एस I, के सी एस II, के सी एस III, के सी एस IV, के सी एस V तथा के सी एस VI

[2] वार्ड संख्या 1,2,3,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33, 34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, 102, 103, 104,105,106, के सी एस I, के सी एस II, के सी एस III, के सी एस IV, के सी एस V तथा के सी एस VI

[3] वार्ड संख्या 2,3,7,9,10,11,14,15,19,21,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,41,43,45,46,49,50,52, 53,56,59,60,61,62,63,64,67,68,69,71,72,77,83,84,85,86,87,88,89,91,94,95,96,98,100,101,102,103,104, के सी एस I, के सी एस II के सी एस III तथा के सी एस VI

[4] वार्ड संख्या 6,8,13,17,30,33,34,35,43,49,52,57,66,71,72,74,80,83,84,87,93,96,97,105,106, के सी एस II, के सी एस III तथा के सी एस IV

[5] वार्ड संख्या 12,19,100,102 तथा के सी एस VI,

लेखापरीक्षा द्वारा मामले की सूचना देने के पश्चात, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि 14 मामलों में ₹ 2.06 करोड़ की माँगें जारी की गयी हैं । आगे, शेष मामलों के संबंध में रिपोर्ट और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला अगस्त 2012 में सरकार को सूचित किया गया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.13.1 धन की वापसी का अनियमित भत्ता

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 38 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के दावा कर की वापसी की अवधि एक माह या दो माह के भीतर है, यदि किसी व्यक्ति के दावा कर वापसी की अवधि तीन माह की है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय राशि से अधिक दी गई राशि, यदि कोई है, को आयुक्त रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि अथवा वापसी के लिए दावा करने के पश्चात एक माह के भीतर कर की राशि, जुर्माना तथा ब्याज वापिस करेगा ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 07-08-2008 के संख्या के संदर्भ में जारी 2008-09 के परिपत्र स.-2एफ 6 (58)/पालिसी-1/वैट/2008/237 के अनुसार वापसी के दावे की अनुमति देने से पहले मू.व.क. अधिकारियों को सांविधिक प्रपत्रों की प्रस्तुति के लिए निर्धारित तिथियों को ध्यान में रखते हुए संबंधित रिटर्न/रिटर्नों के साथ डी-वैट-51, प्रपत्रों के साथ-साथ प्राप्त सांविधिक प्रपत्रों की जाँच करना आवश्यक है । यदि ऐसे प्रपत्रों को फाइल करने की तिथि (तिथियाँ) पहले ही बीत चुकी हैं, के.बि.क.(दिल्ली) नियमावली 2005 के नियम (4) के प्रावधान के अनुसार कमी के मामले में माँग उत्थित की जा सकती है ।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के दो वार्डों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित चार मामलों में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान व्यापारियों की कर देयता की जाँच किये बिना व्यापारियों को ₹ 61.29 लाख की धन की वापसी की अनुमति दी गई थी । दो मामलों में व्यापारियों ने सांविधिक प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए थे तथा अन्य मामलों में व्यापारियों ने 2008-09 के परिपत्र सं. 2 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.29 लाख की अनियमित वापसी की गई थी । इसके अतिरिक्त ₹ 13.62 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले को विभाग तथा सरकार को भेजा, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था ।

2.14 कर की गलत दर का लगाया जाना

डी.वैट अधिनियम, 2004 की धारा 3(2) में विनिर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक व्यापारी उसके द्वारा की गई वस्तुओं की प्रत्येक बक्री पर अधिनियम की धारा 4 की अनुसूचियों में उल्लिखित दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा । अधिनियम की धारा 86(12) में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गलत रिटर्न जमा करता है, आयुक्त एक कर अवधि के लिए देय कर की

[6] वार्ड संख्या 16,71

राशि का निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकता है । कर का कम भुगतान करने पर कमी का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना या चूक की अवधि के लिये ₹ 100 प्रति सप्ताह, जो भी अधिक हों और उस पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से दैनिक आधार पर परिकलित ब्याज, देय होगा ।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के चार वार्डों[7] के अभिलेखों की नमूना चांच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित चार मामलों में व्यापारियों ने ₹ 13.07 करोड़ के बिक्री मूल्य पर अधिनियम में निर्धारित दरों की अपेक्षा कम दर पर कर का भुगतान किया । तथापि निर्धारण प्राधिकारी ने भुगतान किए गए कर की दर की सत्यता को निश्चित करने के लिए व्यापारियों के रिटर्नों की जाँच नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 73.20 लाख के कर का कम भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त, ₹ 21.44 लाख का ब्याज तथा ₹ 74.67 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहण योग्य थे ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले को विभाग तथा सरकार को भेजा, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.15 स्रोत पर कर की कटौती पर अनियमित कटौता का दावा

"डी.वैट" अधिनियम 2004 की धारा 36(क) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जो न तो व्यक्तिगत है और न हिन्दु अविभाजित परिवार है, बीस हजार रूपए के मूल्य से अधिक के लिए निर्माण कार्य करार के अनुरूप सामान की संपत्ति (चाहे वह वस्तुएँ अथवा किसी अन्य रूप में हो) के हस्तांतरण के लिए किसी व्यापारी/ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है तो वह ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में क्रेडिट करते समय अथवा नकद में भुगतान करते समय अथवा अन्य किसी भी ढंग से जोकि पहले किया जाएगा उस पर दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा । इसके अतिरिक्त डी-वैट नियमावली 2005 के नियम 59(2) में भी प्रावधान है कि वह व्यक्ति जिसने कर की कटौती की है वह कटौती की राशि, दर जिस पर कटौती की गई है तथा सरकारी कोषागार में जमा के ब्यौरे के संबंध में मूल डी-वैट 43 प्रपत्र में कर की कटौती हेतु प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के पाँच वार्डों[8] के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि 2009-10 के कर-निर्धारण वर्ष से संबंधित नौ मामलों में निर्धारण प्राधिकारी यह पता लगाने में विफल रहा कि व्यापारियों ने डी.वैट-43 प्रपत्र में टी.डी.एस प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना टी.डी.एस की कटौती का दावा किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.56 करोड़ के कर की कमी का गलत दावा किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 94.48 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था ।

लेखापरीक्षा ने मामला अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को भेजा परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

[7] वार्ड संख्या. 74,84,96 तथा के सी एस-I
[8] वार्ड संख्या. 84,86,89,98 तथा 107

2.16 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 9 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी कर अवधि के दौरान कुल खरीद के संदर्भ में टैक्स क्रेडिट के लिये हकदार है, जहां खरीद व्यापारी के रूप में उसके क्रियाकलापों के दौरान होती है और सामग्री को उन बिक्रियों के उद्देश्य के लिये प्रत्यक्ष् या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी द्वारा उपयोग किया जाता है जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर योग्य हैं या अन्तर्राज्यीय व्यापार या भारत के संघ राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के दौरान किया जाता है । टैक्स क्रेडिट के गलत दावों पर जुर्माना दावा किए गए टैक्स क्रेडिट के बराबर अथवा ₹ 10,000 जो अधिक है, लगाया जाएगा । व्यापारी दैनिक आधार पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के दौरान व्या.क.वि. के दस वार्डों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित 15 मामलों में व्यापारियों ने ₹ 795.94 करोड की स्थानीय रूप से वस्तुओं की खरीद पर अनुमत क्रेडिट ₹ 13.90 करोड के प्रति ₹ 17.31 करोड के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.40 करोड के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा हुआ जिसके फलस्वरूप उसी राशि तक कर का कम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज और ₹ 3.40 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहण योग्य /वसूली योग्य थे ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.17 श्रम तथा सेवाओं के कारण अनुमत अनियमित कटौती

डी-वैट नियमावली 2005 के नियम 3 के अनुसार यदि निर्माण ठेके के निष्पादन से कुल बिक्री बढ रही है, कर योग्य बिक्री की राशि में श्रम व सेवाओं हेतू प्रभार इस शर्त के साथ सम्मिलित नहीं होंगे कि व्यापारी के पास आयुक्त की संतुष्टि के लिए इन प्रभारों की अदायगी के प्रमाणीकरण के समुचित अभिलेख हों । यदि श्रम व सेवाओं के प्रभारों की राशि व्यापारी के खातों से निश्चित नहीं हो सकती है तब निर्धारित प्रतिशतता से उसकी कटौती कर दी जायेगी ।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2011 में डीटीटी के वार्ड 96 के अभिलेखों की नमूना जाँच में आकलन वर्ष 2009-10 से सम्बिन्धत एक मामले में पाया कि डीलर ने बिना एक पृथक खाता प्रदान किए हुए जो इस प्रकार की छूट के लिए आवश्यक है, श्रम व सेवा प्रभार पर अपनी सकल उत्पाद निर्गत में से अनुमोदित दर से उच्चतर दर पर छूट माँगी । विभाग ने रिटर्न की भी जाँच नहीं की और डीलर द्वारा की गई कटौती को अनुमत्य नहीं किया । इस प्रकार ₹ 4.68 करोड़ की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप कर अदायगी ₹ 58.55 लाख कम हुई । इसके अतिरिक्त ₹ 18.38 लाख ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था ।

लेखापरीक्षा ने यह मामला अगस्त 2012 में विभाग व सरकार को अगस्त 2012 में इस मामले से अवगत कराया, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

[9] वार्ड संख्या. 16,42,54,55,60,62,74,89,96 तथा 97

2.18 पुराने सामानों की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट में अनियमिततापूर्ण समायोजन

डी-वैट नियम 2005 के नियम 9 के अनुसार किसी पंजीकृत डीलर द्वारा किसी स्थानीय विक्रेता, जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, खरीदे गए पुराने सामान पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास ऐसे सामान हेतु दी गई राशि दर्शाते हुए ऐसे स्थानीय विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक बीजक या रसीद के तौर पर पर्याप्त प्रमाण न हो ।

डी-वैट अधिनियम 2004 के अनुबन्ध 15(3) के अनुसार यदि पंजीकृत डीलर द्वारा दी गई धनराशि ₹ 2000 से अधिक है, तो टैक्स क्रेडिट उस टैक्स अवधि के लिए मान्य होगा, जब पंजीकृत व्यापारी द्वारा उन सामानों अथवा जिन सामानों में उन सामानों का प्रत्यारोपण किया गया है, को बेचा जाता है । अधिनियम के अनुबन्ध 86(10) यह प्रावधान करता है कि टैक्स क्रेडिट हेतु अनुचित दावा, माँगे गए टैक्स क्रेडिट के समान अथवा ₹ 10,000 जो भी अधिक हो, का दण्ड होगा । डीलर को प्रतिदिन के आधार पर अवकलित 15 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से सामान्य ब्याज भी उद्ग्राह्य होगा ।

अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच व्या.क.वि. के वार्ड 93 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में डीलर ने स्थानीय विक्रेता से हस्ताक्षरित कोई बीजक या रसीद प्रदान किए बिना पुराने सामान की खरीद के आधार पर ₹ 49.56 लाख की राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन किया । आकलन प्राधिकारी ने व्यापारी द्वारा उसकी रिटर्नों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की सत्यता के रिटर्नों की समीक्षा में निश्चत नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.56 लाख से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 19.59 लाख का ब्याज और ₹ 49.56 लाख का अर्थदण्ड भी लिया जाना चाहिए था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.19 बहु-माह लेनदेनों को सम्मिलित करते हुए 'एफ' प्रपत्रों पर छूट का अनुचित दावा

के.बि.क.अ. की धारा 6-ए के साथ पठित के. बि.क. (आर.व टी.) नियमावली के नियम 12(5) के अंतर्गत व्यापारी कर की छूट का दावा "एफ" प्रपत्र में घोषणा फाईल करने से कर सकता है जिसमें व्यापारी द्वारा एक कैलेण्डर माह की अवधि के दौरान प्रभावित सामान का स्थानांतरण जो राज्य के बाहर उसके व्यापार के किसी अन्य स्थान पर अथवा उसके एजेन्ट अथवा प्रधान द्वारा जैसा भी मामला हो, सम्मिलित है। अन्यथा, लेनदेनों को अन्तर्राज्यीय बिक्रियाँ माना जाएगा और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अगस्त 2011 की अवधि के व्या.क.वि. के वार्ड 22 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि निर्धारण वर्ष 2007-08 (चूक निर्धारण मामले) से संबंधित एक मामले में व्यापारी ने 'एफ' प्रपत्रों के आधार पर ₹ 2.42 करोड़ के शाखा स्थानांतरण/प्रेषण बिक्री पर कर की छूट का दावा किया जिनमें एक कैलेण्डर माह से अधिक के लेनदेन शामिल थे जिनको वैध घोषणाओं के बिना

अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ माना जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.22 लाख के कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त ₹ 16.50 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा में अगस्त 2012 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

2.20 'एफ' प्रपत्रों पर स्थानांतरित सामानों के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम न करना

डी-वैट अधिनियम 2004 की धारा 10(3) के अंतर्गत एक व्यापारी को निर्धारित अनुपात से दावित मूल रूप से कर क्रेडिट की राशि को कम करना आवश्यक है जहाँ-

(क) सामान व्यापारी द्वारा स्थानीय रूप से खरीदा गया था; और

(ख) व्यापारी ने सामान के संबंध में कर क्रेडिट का दावा किया, तथा निर्धारित प्रतिशतता से कर को कम नहीं किया; और

(ग) सामान का पंजीकृत व्यापारी की एक शाखा अथवा प्रेषण एजेन्ट को बिक्री के रूप में दिल्ली से स्थानांतरित किया गया ।

अन्यथा टैक्स क्रेडिट के अधिक दावे पर जुर्माना कर में कमी का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह अथवा चूक की अवधि के लिए ₹ 100 प्रति सप्ताह जो भी अधिक हो तथा उस पर साधारण ब्याज आकलन दैनिक आधार पर 15 *प्रतिशत* वार्षिक की दर पर देय होगा ।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2011 में डीटीटी के वार्ड सं. 104 के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में व्यापारी ने स्थानीय स्तर पर खरीदे गए सामान ₹ 9.17 करोड़ के सामान में से ₹ 5.24 करोड़ का शाखा स्थानांतरण किया, परन्तु इस प्रकार स्थानांतरित किए गए सामान के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी नहीं की। डीलर ने वर्ष के दौरान खरीद पर ₹ 30.97 लाख की राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.97 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक दावा किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 9.72 लाख का ब्याज व ₹ 33.76 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा ने मामले से अगस्त 2012 में विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.21 दोषयुक्त संवैधानिक (सी) प्रपत्रों पर रियायती कर दरों का अनुचित दावा

सीएसटी अधिनियम 1956 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत एक डीलर अन्तर्राज्यीय व्यापार के अंतर्गत लेनदेन किए गए सामान हेतु कर से छूट/रियायती दरों हेतु दावा कर सकता है । दावा करने हेतु डीलर को अनुमोदित संवैधानिक प्रपत्र (मूल अंश में), जैसे एफ,सी, ई-I, ई-II, एच और आई प्रस्तुत करने होते हैं जो लेन-देन उचित व वैध संवैधानिक प्रपत्रों से प्रमाणित नहीं हैं, छूट/रियायती दर हेतु पात्र नहीं है और उनके द्वारा अधिनियम में निर्धारित लागू होने वाली दरों पर कर ब्याज सहित देय है ।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के तीन वार्डों[10] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित चार मामलों में डीलरों ने ₹ 6.23 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर के रियायती दर का दावा किया था । ये दावे वैध संवैधानिक प्रपत्रों द्वारा प्रमाणित नहीं थे । कर निर्धारक प्राधिकारी ने डीलरों द्वारा जमा कराए गए संवैधानिक प्रपत्रों की जाँच कर डीलर द्वारा अपने रिटर्न में किए गए अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर की रियायती दर के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं की । इसके परिणामस्वरूप कर की उगाही में ₹ 21.30 लाख की कमी हुई । इसके अतिरिक्त ₹ 4.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त् 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला ।.

2.22 स्टॉक स्थानांतरण पर छूट के अनुचित दावे

डी-वैट 2004 के अनुबन्ध 86(10) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी रिटर्न प्रस्तुत करता है जो असत्य, भ्रामक अथवा किसी महत्वपूर्ण विवरण में कपटपूर्ण हो, अथवा उसमें किसी ऐसे विषय या वस्तु का उल्लेख नहीं करता है जिसके बिना रिटर्न असत्य अथवा महत्वपूर्ण विवरण में भ्रामक हो जाए, अर्थदण्ड के रूप में ₹ 10,000 अथवा कर में कमी की धनराशि, जो अधिक हो का दायी होगा । इसके अतिरिक्त, कर पर 15 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से अवकलित ब्याज भी उदग्राहय होगा ।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के वार्ड सं. 75 के आकलन वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि डीलर ने डी-वैट-51 में स्टॉक स्थानांतरण के प्रति लेनदेन की धनराशि शून्य दर्शाई है जबकि डी-वैट-16(रिटर्न) के अनुसार इसे ₹ 1.90 करोड दर्शाया गया है । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.90 करोड़ के स्टॉक ट्रांसफर का दावा अधिक हुआ जिससे कर में ₹ 7.60 लाख की कम अदायगी हुई । इसके अतिरिक्त ₹ 2.38 लाख का ब्याज और ₹ 7.60 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में विभाग और सरकार को मामले से अवगत कराया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.23 संशोधित रिटर्न के माध्यम से धन की वापसी के अनियमिततापूर्ण दावे

डी-वैट अधिनियम,2004 के अनुबन्ध 28 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 29 यह निर्धारित करते हैं कि यदि कर निर्धारण करने के चार वर्षो के भीतर कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत अपने द्वारा दाखिल की गई किसी रिटर्न में कोई गलती या त्रुटि पाता है और उसने उस गलती या त्रुटि के कारण अधिनियम के अन्तर्गत देय कर से अधिक भुगतान किया है, तो वह अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत निर्धारित शर्तो के अधीन तथा इस ढंग से निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करा सकता है ।

[10] वार्ड संख्या 15,33 और 53

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के चार वार्डों[11] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बंधित पांच मामलों में डीलरों ने अधिनियम की धारा 74 के अनुपालन में कर निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति दर्ज कराए बिना रिटर्नों को बाद में संशोधित कर धन की वापसी की राशि बढा दी अथवा कर का दावा घटा दिया जो अनियमित था । कर निर्धारण प्राधिकारी ने संशोधित रिटर्नों में डीलरों द्वारा बढ़ाई गई वापसियों या डीलरों की रिटर्नों में कर माँग की कमी को अनुमत न करना आदि की समीक्षा नहीं की जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 16.01 लाख की वापसी के दावों की गलत अनुमति के फलस्वरूप उसी सीमा तक कर का कम भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त ₹ 6.81 लाख का ब्याज और ₹ 16.01 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राहय था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

2.24 कर की कम अदायगी

डी-वैट अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिनयम के अधीन रिटर्न जमा कराने के 4 वर्षो के भीतर रिटर्न को स्वेच्छा से संशोधित करते हुए कर, ब्याज और उस पर कम किया हुआ अर्थदण्ड अदा कर गलती या त्रुटि को सुधारने हेतु अनुमत्य है । इसके विपरीत, कर की कम अदायगी हेतु चूक की अवधि के लिए प्रति सप्ताह कर में कमी का एक *प्रतिशत* अथवा ₹ 100 प्रति सप्ताह जो भी अधिक हो की दर से अर्थदण्ड और उस पर प्रतिदिन के आधार पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आकलित ब्याज देय होगा ।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच डीटीटी के वार्ड-92 के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित एक मामले में डीलर ने अपने कर देयताओं का अवकलन ₹ 10.87 लाख की सही धनराशि के स्थान पर कुल ₹ 4.75 लाख किया । कर निर्धारक प्राधिकारी ने कर अदायगी का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु रिटर्नों की जाँच नहीं की । इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.12 लाख के कर का कम भुगतान हुआ । इसके अतिरिक्त ₹ 1.92 लाख का ब्याज और ₹ 6.67 लाख का अर्थदण्ड भी उद्ग्राह्य था ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 में मामले से विभाग और सरकार को अवगत कराया परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

[11] वार्ड सं. 74,96,97 और 98

अध्याय - 3

राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर

3.1 कर प्रबंधन

विभाग का अध्यक्ष आयुक्त (उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर) है जो प्रधान सचिव (वित्त) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है । विभाग सिनेमा हॉलों, केबल सेवा प्रदाताओं, सट्टेबाजी की गतिविधियों व होटल मालिकों से राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता करों के आरोपण व संग्रहण हेतु उत्तरदायी है ।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता पर करों की वास्तविक प्राप्तियाँ और इस अवधि की कुल प्राप्तियाँ निम्न **तालिका 3.1** और ग्राफ में प्रदर्शित है:

तालिका 3.1 : कुल कर प्राप्तियों का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता आधिक्य (+)/ कमी (-)	विभिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्ति	कुल कर प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता
राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग तथा विलासिता कर	2007-08	1580.03	1733.68	(+) 153.65	(+) 9.72	11782.80	14.71
	2008-09	1917.30	1821.46	(-) 95.84	(-) 5.00	12180.70	14.95
	2009-10	2006.00	1929.20	(-) 76.80	(-) 3.83	13447.86	14.35
	2010-11	2022.50	2345.29	(+) 322.79	(+) 15.96	16477.75	14.23
	2011-12	2746.00	2931.25	(+) 185.25	(+) 6.74	19971.67	14.68

यह देखा जा सकता है कि ब.अ. और वास्तविक प्राप्तियों के बीच विभिन्नता 2008-09 के दौरान कम से कम (-) ₹ 95.84 करोड़ थी और 2010-11 के दौरान अधिक से अधिक ₹ 322.79 करोड़ तक अधिक थी ।

3.3 संग्रहण पर व्यय

2009-10 से 2011-12 के दौरान संग्रहण पर व्यय और इस व्यय का राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर के सकल संग्रहण से प्रतिशत और वर्ष 2010-11

के लिए सकल संग्रहण से संग्रहण पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 3.2** में दी गई है:

तालिका 3.2 : संग्रहण लागत का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण में व्यय का प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए राज्य उत्पाद शुल्क की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर	2009-10 2010-11 2011-12	1929.20 2345.29 2931.25	9.24 10.07 11.55	0.48 0.43 0.39	3.05

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर के संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम थी ।

3.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागों के पास अपनी कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी । वित्त मंत्रालय, के रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा निदेशक को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों/विभागों जिनमें राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग भी सम्मिलित हैं, की आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य सौंपा गया है ।

3.5 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार के राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में 26 मामलों में ₹ 28.78 करोड़ की राजस्व की हानि, कम कर की उगाही और अन्य अनियमितताएँ निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत पाई गई जिन्हें **तालिका 3.3** में दिया गया है:

तालिका 3.3 : वर्गानुसार अनियमितताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	मामलों की सं.	धनराशि
राज्य उत्पाद, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर			
1.	मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता के कर निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण की प्रणाली	1	24.66
2.	अन्य	25	4.12
कुल		**26**	**28.78**

₹ 24.66 करोड़ की धनराशि के मामले की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

3.6 मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता पर कर निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

- कर अदायगी के प्रमाण के रूप में कर दाताओं द्वारा जमा कराए गए रिटर्नों और चालानों का संपूर्ण अभिलेख रखने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप कर दाताओं द्वारा अदा किए गए कर की शुद्धता का सत्यापन नहीं हो सका ।

(अनुच्छेद 3.6.8)

- केवल आपरेटरों से कर के देरी से भुगतान पर ₹ 11.00 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 100 लाख का कर अदा करने में देरी पर कर तथा ब्याज के संग्रहण में विभाग असफल रहा ।

(अनुच्छेद 3.6.9.1)

- विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं से कर की देर से अदायगी के कारण ₹ 4.89 करोड़ के ब्याज की वसूली में असफल रहा ।

(अनुच्छेद 3.6.9.2)

- विभाग 12 सिनेमाघर मालिकों से ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन शुल्क तथा होटल मालिकों से ₹ 9.76 करोड़ के विलासिता शुल्क के बकाया मामलों का अनुसरण करने में असफल रहा ।

(अनुच्छेद 3.6.9.3 और 3.6.9.7)

- 2007-08 तथा 2011-12 की अवधियों के बीच मनोरंजन कर अधिकारियों द्वारा किए गए कर निर्धारण के विरूद्ध कुल ₹ 4.64 करोड़ की 64 याचिकाएँ दायर की गई परन्तु अपीलीय प्राधिकरण द्वारा केवल तीन मामलों का निर्णय लिया जा सका । इसके अतिरिक्त विलासिता कर अब भी होटल मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया है ।

(अनुच्छेद 3.6.9.8)

- होटल मालिकों द्वारा प्राप्त किया गया बैंकट हॉल/कान्फ्रेंस हॉल हेतु किराया प्रभार/ किराये को उनकी प्राप्तियों में गैर-सम्मिलन के कारण छः होटलों में ₹ 5.99 करोड़ के विलासिता कर का कम उद्ग्रहण हुआ ।

(अनुच्छेद 3.6.9.9)

- 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान किसी आन्तरिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया जिससे विभाग का प्रभावी व कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सका ।

(अनुच्छेद 3.6.10)

3.6.1 प्रस्तावना

दिल्ली मनोरंजन व बैटिंग कर (डीईबीटी) अधिनियम, 1996, रा.रा.क्षे. दिल्ली में मनोरंजन, टोटलाइजेटर तथा बैटिंग कर के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है । मनोरंजन कर सिनेमा शो, मनोरंजन कार्यक्रमों अर्थात् प्रदर्शनी, कार्यक्रम प्रस्तुति, मनोरंजन, सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शनी, इत्यादि में प्रवेश पर और केबल और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं हेतु उद्ग्रहणीय है। टोटलाइजेटर और बैटिंग कर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अन्तर्गत घुडदौडों में लगाए जाने वाले सट्टे तथा बाजी उद्ग्रहणीय है।

यह अधिनियम उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के साथ निर्दिष्ट प्रपत्रों के जमा कराने और प्रावधानों का अनुपालन न होने पर ब्याज और अर्थदण्डों के आरोपण हेतु प्रावधान करता है । यह भूमि राजस्व के बकायों की तरह से करों की उगाही हेतु भी प्रावधान करता है ।

दिल्ली विलासिता कर (डीटीएल) अधिनयम, 1996 और उसके अन्तर्गत बने नियम होटल मालिकों की प्राप्तियों की कुल टर्नओवर पर विलासिता कर का उद्ग्रहण 15 प्रतिशत से अधिक न करने का प्रावधान करते है, यह दर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है । जहाँ प्रभार दैनिक आधार के अलावा अन्य तरीके से अथवा प्रति कमरे के आधार पर उद्ग्रहित किये जाते है, कर देयता के निर्धारण हेतु प्रभार प्रति दिन और प्रति कमरे के अनुपात में आवास में रहने की कुल अवधि के आधार पर परिकलित किए जाएँगे । विलासिता कर, खाद्य और पेय पदार्थो की आपूर्ति हेतु प्राप्तियों के कुल टर्नओवर के संबंध में उद्ग्रहणीय नहीं है, जिनकी बिक्री पर होटल मालिकों द्वारा मूल्य वर्द्धित कर (वैट) देय है । नियम के साथ पठित अधिनियम देय कर के भुगतान के लिए समय सीमा प्रस्तावित करते है और नियम के उल्लंधन पर अर्थदण्ड लगाने हेतु प्रावधान करते है ।

3.6.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के प्रशासकीय नियंत्रण में दोनों डी.ई.बी.टी अधिनियम व डी.टी.एल अधिनियम के प्रशासन का कार्यभार मनोरंजन, बैटिंग और विलासिता कर विभाग (विभाग) को सौंपा गया है ।

विभाग का अध्यक्ष आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर होता है जिसकी सहायता एक उपायुक्त (कर) करता है । कर के निर्धारण, उद्ग्रहण व संग्रहण और उनके प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन निरीक्षक के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु तीन विलासिता कर अधिकारी, एक मनोरंजन कर अधिकारी, एक अतिरिक्त मनोरंजन कर अधिकारी व एक सहायक मनोरंजन कर अधिकारी होते हैं । यह कार्य नौ जिलों में उपरोक्त अधिकारियों के बीच विभाजित किया गया है ।

3.6.2.1 राजस्व की प्रवृत्ति

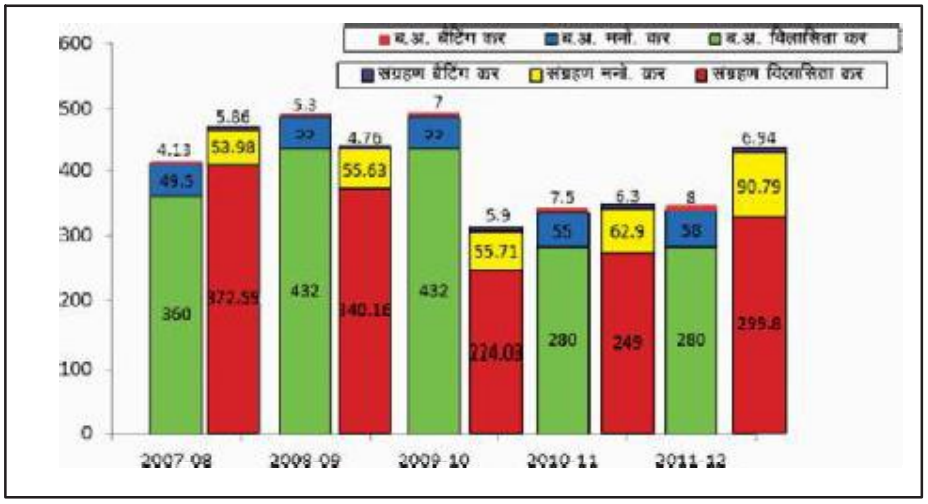
पिछले 5 वर्षो के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) और राजस्व के वास्तविक संग्रहण की

स्थिति **तालिका 3.4** में दी गई है:

तालिका 3.4 : राजस्व का बजट अनुमान तथा वास्तविक संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मनोरंजन कर		बैटिंग कर		विलासिता कर	
	ब.अ.	संग्रहण	ब.अ.	संग्रहण	ब.अ.	संग्रहण
2007-08	49.50	53.98	4.13	5.86	360.00	372.59
2008-09	55.00	55.63	5.30	4.76	432.00	340.16
2009-10	55.00	55.71	7.00	5.90	432.00	224.03
2010-11	55.00	62.90	7.50	6.30	280.00	249.00
2011-12	58.00	90.79	8.00	6.94	280.00	299.80



उपरोक्त वर्षों के दौरान बजट अनुमान या बहुत बढ़ाए गए या कम किए गए थे, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि ब.अ. और वास्तविक संग्रहणों में अन्तर दोनों ओर 7 से 57 *प्रतिशत* तक था ।

समापन सम्मेलन के दौरान आयुक्त ने बताया कि विलासिता कर पर वास्तविक प्राप्तियाँ पूर्वानुमान न किए जा सकने योग्य प्रकृति की हैं क्योंकि वे सार्वभौमिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं । मनोरंजन कर के सम्बन्ध में सरकार ने बताया (फरवरी 2013) कि ये अन्तर डीईबीटी अधिनियम के अंतर्गत डीटीएच सेवाओं को सम्मिलित करने के कारण थे । हालाँकि, विभाग द्वारा वास्तविक बजट अनुमानों को तैयार करने हेतु किसी विधि का निर्धारण करना शेष है ।

3.6.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

जून 2012 में हुए प्रवेश सम्मेलन के दौरान उपायुक्त (कर) के साथ लेखापरीक्षा क्षेत्र की विस्तार में चर्चा की गई । निष्पादन लेखापरीक्षा जून 2012 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग व विलासिता कर के कार्यालय में आयोजित की गई थी और इसमें 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेनदेनों का समावेश

किया गया था । केबल सेवा प्रदाताओं और सिनेमा हॉलों के मामलों में करदाताओं की फाईलों में क्रमशः रिटर्नों और चालनों के उपलब्ध न होने के कारण केवल 2009-10 से 2011-12 की अवधि को सम्मिलित किया गया था । उच्च, मध्यम व निम्न कर संग्रहण के आधार पर, तीन जिलों को केबल कर सम्बन्ध में (दक्षिण, पश्चिम और उत्तर), सिनेमा कर (दक्षिण, नई दिल्ली और उत्तर) और विलासिता कर (नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम) का चुनाव किया गया । सिनेमा हॉलों केबल सेवा प्रदाताओं, मनोरंजन-कार्यक्रम आयोजकों, होटल मालिकों एवं बैटिंग कियाकलापों से कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित विभाग की समस्त गतिविधियां लेखापरीक्षा कार्य में शामिल की गई है ।

3.6.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

चूँकि अभिलेखों का रख-रखाव लगभग सभी मामलों में बहुत खराब था इसलिए रिटर्न एवं कर चालान सम्बंधित फाइलों में नहीं रखे पाए गए बल्कि बोरों में भरकर रखे गए थे (जैसा कि फोटोग्राफ में चित्रित किया गया है)। जिस कारण इसके विस्तृत संवीक्षा के लिए विशिष्ट इकाईयों का चयन संभव न हो सक और लेखापरीक्षा दल विभाग के इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पर उपलब्ध सूचना से यदृच्छया प्रतिदर्श के आधार पर चयनित जिलों में से इकाईयों के चयन के लिए बाध्य हुआ । तंत्र पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विस्तृत संवीक्षा के लिए 34 सिनेमा हॉलों में से 12 सिनेमा हॉल, 688 केबिल सेवा प्रदाताओं में से 304 केबिल सेवा प्रदाता, 177 होटल प्रतिष्ठानों में से 60 होटल प्रतिष्ठान और 32 बुक मेकर्स में से 16 बुक मेकर्स का चयन किया गया । लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में चयनित होटल मालिकों के द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों का संवीक्षण, तंत्र पर उपलब्ध चयनित कर निर्धारितियों (केबिल, बुक मेकर एवं सिनेमा) के विषय में सूचना और उनके द्वारा सरकारी लेखे में जमा राशि का परीक्षण शामिल था । इसके अतिरिक्त 31 कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों से संबंधित अभिलेखों और 20 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों से संबंधित फाइलों की संवीक्षा की गई ।



बोरे में कर चालान और रिटर्न



लेखापरीक्षा दल द्वारा बोरों से चालान और रिटर्नों को बाहर निकालते हुए

3.6.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य कर संग्रहण कार्यप्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना तथा क्या सभी देय कर सरकारी खजाने में प्रेषित किए जा रहे थे का निर्धारण करना था । निष्पादन लेखापरीक्षा में विभाग में क्रियाशील आंतरिक नियंत्रण

तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन भी शामिल था । लेखापरीक्षा मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य यह निश्चित करना है कि क्याः-

- विलासिता, मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स का कर निर्धारण, कर उद्ग्रहण और संग्रहण डीटीएल अधिनियम, डीईबीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन नियमों के अंतर्गत है ।
- कर की रियायतों को लागू अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सही तरीके से अनुमत किया गया है ।
- माँग की बकाया राशि के प्रभावी और समय पर अनुपालन के लिए तंत्र रखा गया है और बकायों की वसूली के लिए समुचित कदम उठाए गए हैं ।
- विभाग में उपयुक्त तंत्र और आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली थी ताकि राजस्व निःसरण को रोका जा सके ।
- क्या अधिनियमों और नियमों अथवा उनके क्रियान्वयन में कोई कमी थी जिसके कारण राजस्व का निःसरण हुआ ।
- विभाग के अंतिम निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि के मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स के मामले तथा मार्च 2006 तक विलासिता कर के मामले शामिल थे, में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए थे ।

3.6.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्त्रोतों से व्युत्पन्न थेः

- दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग टैक्स अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम ।
- दिल्ली टैक्स विलासिता अधिनियम,1996 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम ।
- सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान ।

3.6.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को पूर्ण करने में लेखापरीक्षा को दिए गए मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता कर विभाग रा.रा. क्षे. दि.स. के सहयोग की स्वीकृति देती है । सरकार को नवम्बर 2012 में निष्पादन लेखापरीक्षा अग्रेषित किया गया । आयुक्त, मनोरंजन, बैटिंग एवं विलासिता कर और उपसचिव (वित्त) रा.रा. क्षे. दि.स. के साथ 29 जनवरी 2013 को समापन सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के परिणामों तथा सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया । सरकार के प्रत्युत्तरों को सम्बन्धित पैराग्राफों में उचित रूप से सम्मिलित किया गया है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6.8 मूल अभिलेखों का गैर अनुरक्षण

जिस प्रकार मनोरंजन कर, केबिल कर, डीटीएच सेवायें और बैटिंग कर के भुगतान के समर्थन में रिटर्नों के प्रस्तुतिकरण में डीईबीटी नियमों के नियम सं. 14,26,26ए और 50 में प्रावधान है। उसी प्रकार डीटीएल नियमों के नियम सं.16 में होटल मालिकों के द्वारा रिटर्न प्रस्तुतिकरण के लिए उपबंध है । यदि रिटर्न के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित विलासिता कर अधिकारी उसे नोटिस भेजकर उससे रिटर्न के अनुसार देय राशि के भुगतान के लिए माँग करेगा परन्तु शेष अदत्त राशि के लिए डीटीएल नियमों के नियम सं.18 के अन्तर्गत जारी नोटिस में विनिर्धारित तिथि तक भुगतान करने के लिए माँग करेगा । डीईबीटी अधिनियम की धारा 15 निर्धारित करती है कि जहाँ पर कर निर्धारण प्राधिकारी को यह संतुष्टि होती है कि एक मनोरंजन इकाई का मालिक सही और पूर्ण रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहा है अथवा धोखे से कर अपवंचन किया है तो वहाँ पर सम्बन्धित मालिक को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए जाने के पश्चात् उसे देय कर राशि का निर्धारण करना चाहिए ।

अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की सुनिश्चितता के लिए कर भुगतान के समर्थन में रिटर्नों और चालानों का उचित रख-रखाव तथा संवीक्षा आवश्यक है । लेखापरीक्षा के दौरान रिटर्न और चालान संबद्ध फाइलों में समुचित रूप से फाइल करने के बजाय बड़े थैलों में भरे हुए पाए गए । यह इस तथ्य का सूचक है कि देय और भुगतान किए गए कर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए इन रिटर्नों की संवीक्षा नहीं की गयी जब कि कर निर्धारिती के द्वारा भुगतान किए गए कर को साधारणतया देय कर के रूप में माना गया था । विभाग में अभिलेखों का गैर रख-रखाव आन्तरिक नियंत्रण की कमजोरी इंगित करता है ।

सरकार (फरवरी 2013) ने कहा कि कार्य के भार और कर्मचारियों की कमी के कारण अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका । हालाँकि विभाग ने संबंधित कर्मचारियों को रिटर्नों और चालानों को सम्बद्ध फाइलों में अद्यतन रखने के लिए निर्देश जारी किया है ।

3.6.9 कर का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण

मनोरंजन कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि विभाग द्वारा देय कर का निर्धारण और वसूली की कार्यवाही अपर्याप्त रही और साथ ही साथ विभाग कर निर्धारितियों के द्वारा रिटर्नों की प्रस्तुति में नियमों के प्रावधानों को लागू करवाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व की गैर-वसूली और कर संग्रहण में विलंब हुआ जैसा कि आगे के पैरागाफों में प्रस्तुत किया गया है ।

3.6.9.1 केबल आपरेटरों से कर तथा विलम्बित कर भुगतानों पर ब्याज का गैर-संग्रहण

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 40 में उपबंध है कि यदि कोई स्वामी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत जैसा कि आवश्यक

हो, देय कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे देय कर के अतिरिक्त उस देय राशि पर एक माह की अवधि के लिए ब्याज की दर कर के भुगतान की अंतिम तिथि के तत्काल आगामी तिथि से डेढ़ *प्रतिशत* प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से अदा करना होगा और उसके बाद बशर्ते कि वह इस प्रकार का भुगतान करने में लगातार समय तक चूक करता है तो वह दो *प्रतिशत* प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

लेखापरीक्षा संवीक्षण के लिए चयनित तीन जिलों पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में पंजीकृत 688 केबल आपरेटरों में से 304 के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 123 आपरेटरों (39 प्रतिशत) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर का भुगतान नहीं किया था और 175 आपरेटर ₹ 100.00 लाख की कर राशि के अलावा कर के विलम्बित भुगतानों पर ₹ 11.00 लाख के ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे ।

लेखापरीक्षा के अधीन शामिल तीन वर्षों के दौरान इन 175 केबल आपरेटरों के द्वारा समय पर कर की अदायगी करने में 2335 अवसरों पर चूक हुई जबकि 2127 महीने के कर की अदायगी बिल्कुल भी नहीं की गयी ।

सरकार ने कहा है (फरवरी 2013) कि केबल आपरेटरों से जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर का भुगतान नहीं किया था, से देय कर और ब्याज की वसूली के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

3.6.9.2 डीटीएच सेवा प्रदाताओं से विलम्बित भुगतान पर ब्याज की गैर-वसूली

डीईबीटी नियमों के नियम सं. 26ए में उल्लिखित है कि डीटीएच सेवा मालिकों को उस महीने जिसके लिए कर देय हो की समाप्ति से सात दिनों के अन्दर सरकारी लेखे में कर को जमा करना चाहिए ।

सभी छः डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि उन्होंने कर को डीईबीटी अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों के अन्तर्गत गणना की गई ₹ 4.89 करोड़ ब्याज की राशि के भुगतान के बिना सरकारी लेखे में विलम्ब से जमा किया ।

सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में सूचित किया (फरवरी 2013) कि डीटीएच प्रदाताओं को ब्याज भुगतान के लिए निर्धारण नोटिस जारी किया गया था ।

3.6.9.3 सिनेमा हॉलों से ₹ 1.26 करोड़ की गैर-वसूली

डीईबीटी नियम,1997 के नियम संख्या 16 और 25 की शर्तों के अनुसार सिनेमा हॉल/थियेटर मालिकों को रिटर्नों को प्रपत्र सं.7 में प्रस्तुत करना और बृहस्पतिवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिन से चार दिनों के अन्दर मनोरंजन कर जमा करना आवश्यक होता है । सिनेमा हॉलों के अभिलेखों के परीक्षण से यह पता चला कि 12 सिनेमा हॉल मालिकों ने लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल 198 सप्ताह की अवधि के लिए ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन कर को जमा नहीं किया था । विभाग ने सम्बद्ध मालिकों से कर वसूली के मामले का अनुसरण नहीं किया ।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 12 सिनेमा हॉलों में से 2 सिनेमा हॉलों ने अपने देय कर का भुगतान कर दिया है तथा देय मनोरंजन कर को जमा करने के लिए शेष 10 चूककर्त्ता सिनेमा हॉल मालिकों को नोटिस भेज दिया गया हैं ।

3.6.9.4 कर-छूट प्राप्त विषयों के आयोजकों द्वारा विनिर्धारित शर्तों का गैर अनुपालन

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 14(1) में उल्लिखित है कि सरकार कला,संस्कृति अथवा खेल-कूद की प्रोन्नति के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी विशिष्ट मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मनोरंजन संवर्ग को अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान उत्तरदायित्व से छूट दे सकती है और अधिनियम की धारा 14(4) में उल्लिखित है कि जहाँ सरकार को यह संतुष्टि हो जाए कि मनोरंजन कार्यक्रम लाभ के लिए संचालित न हों एवं मनोरंजन के प्रवेश के लिए भुगतान से सकल प्राप्ति/लोकहितैषी धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्धेश्यों को समर्पित हों, मनोरंजन के लिए व्यय के जो भी कारण हों यह ऐसे मनोरंजन को कर के भुगतान से उन नियमों तथा शर्तों जिन्हें वह लागू करने के लिए उचित समझती है, छूट प्रदान कर सकती है ।

इसके अतिरिक्त छूट की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार तथा अधिनियम के प्रावधानों के पालन की सुनिश्चितता के लिए कार्यक्रमों के आयोजकों को घटना की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें यह दिखाते हुए कि जिस उद्देश्य के लिए छूट प्रदान की गई थी उसके लिए सकल प्राप्ति का उपयोग किया जा चुका है जिसके असफल होने पर विभाग को छूट के लिए दिए गए आवेदन-पत्र में उत्तरदायित्व के रूप में आयोजकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के जब्ती के अलावा मनोरंजन कर की वसूली इस प्रकार करना था मानो छूट ही प्रदान नहीं की गयी थी ।

31 कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों/विषयों के एक लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि ₹ 78.41 लाख के कर-छूट को शामिल करते हुए 29 कार्यक्रमों में से 14 आयोजकों ने कार्यक्रमों/विषयों से प्राप्त सकल प्राप्ति के उपयोग के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत ही नहीं किए तथा 15 आयोजक जिन्होंने दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए वे 2 से 24 महीने की देरी से थे । विभाग भी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने में असफल रहा जिसके कारण उसे ₹ 78.41 लाख के मनोरंजन कर की हानि उठानी पड़ी । इसके अतिरिक्त उसने ₹ 4.67 लाख राशि की प्रतिभूति जमा को नौ कार्यक्रम आयोजकों को वापस कर दिया । शेष 20 कार्यक्रमों के लिए प्रतिभूति जमा जब्त की जानी शेष है ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आवेदक आवेदन-पत्र में घोषित उद्देश्यों के लिए निधियों का उपयोग विनिर्धारित अवधि के 30 दिनों के अन्दर नहीं कर सके तथा विभाग इस संबंध में देरी की माफी कर चुका था । सरकार का यह दावा तर्क संगत नहीं है क्योंकि इस संबंध में अभिलेखों पर कुछ भी उपलब्ध नहीं था तथा देरी की माफी के लिए अधिनियम एवं नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था ।

3.6.9.5 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स का देरी से जमा करना

वर्ष 2010-11 और 2011-12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए 20 कर-प्रदत्त कार्यक्रमों के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 16 मामलों में कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा जमा ₹ 32.40 लाख राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट को मनोरंजन कर के स्थान पर प्रतिभूति राशि के रूप में सरकारी लेखे में देरी से जमा किया गया जैसा कि आगे के पैराग्राफ में दर्शाया गया है ।

कार्यक्रमों के आयोजकों को जारी संस्वीकृत पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कार्यक्रम के लेखे विभाग को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे । कार्यक्रम की तिथि से 15 दिनों के अन्दर देय मनोरंजन कर को जमा करना होगा जिसके असफल होने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी परन्तु इस प्रकार के कोई लेखे विनिर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए गए । जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्टों को कर राशि के रूप में माना गया परन्तु असामान्य देरी के साथ सरकारी लेखे में जमा किया गया क्योंकि 16 मामलों में ₹ 32.40 लाख के ड्राफ्ट 31 से 206 दिनों तक की देरी के साथ जमा किए गए ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आगे से डिमाण्ड ड्राफ्ट सरकारी लेखे में समय पर जमा करा दिए जाएंगे ।

3.6.9.6 बैटिंग कर संग्रहण में जुर्माना प्रावधानों का गैर पालन

डीईबीटी अधिनियम 1996 की धारा 33 में उल्लिखित है कि यदि कोई बुकमेकर जो अधिनियम के प्रावधानों या नियमों का उल्लंघन करता है अथवा अधिनियम के प्रावधानों या नियमों के अनुसार जारी किसी आदेश या निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो वह ₹ 2000 तक के जुर्माने का भागीदार होगा । इसके अतिरिक्त डीईबीटी अधिनियम की धारा 40 में देरी से भुगतान पर ब्याज के लिए उपबंध है कि एक माह की अवधि के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि के तत्काल बाद आगामी तिथि से *1.5 प्रतिशत* प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से और उसके बाद वह इस प्रकार का भुगतान करने में चूक करता है तो 2 *प्रतिशत* प्रतिमाह साधारण ब्याज दर से ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए लेखा परीक्षा संवीक्षा के लिए चयनित 16 बुक मेकरों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि उन्होंने डीईबीटी नियमों 1997 के अधीन नियम 50 के अनुसार रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया । विभाग पुनरीक्षण के अन्तर्गत अवधि के लिए न केवल ₹ 83.20 लाख मूल्य के जुर्माना की वसूली करने में असफल रहा बल्कि कर की राशि की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में भी असफल रहा । लेखापरीक्षा ने 2009-10 और 2011-12 के वर्षों में 14 बुक मेकरों के द्वारा कर की देरी से जमा पर ₹ 1.28 लाख के ब्याज की गैर अदायगी की गणना की । लेखापरीक्षा को शेष वर्षों के अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के प्रत्युत्तर में सूचित किया (फरवरी 2013) चूँकि विभाग ने जुर्माने से संबंधित कोई आदेश ही नहीं पारित किया था इसलिए लेखापरीक्षा का यह

प्रेक्षण कि विभाग ₹ 83.20 लाख मूल्य के जुर्माने की उद्ग्रहण में असफल रहा, तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होता है । सरकार का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीईबीटी अधिनियम के अंतर्गत रखे गये प्रावधानों के अनुसार यह चूककर्त्ताओं से जुर्माने की उगाही करने वाले सम्बद्ध अधिकारियों/प्राधिकारियों का कर्तव्य है । जहाँ तक बुक मेकरों का देरी से भुगतान के लिए ब्याज की धन राशि का संबंध है विभाग ने सूचित किया कि संबंधित बुक मेकरों को नोटिस भेजा जा चुका है ।

3.6.9.7 होटल मालिकों से बकायों की माँग

डीटीएल अधिनियम की धारा 18(4) के अंतर्गत होटल मालिक को नोटिस की सेवा की तिथि से 30 दिनों से पहले नहीं विनिर्धारित अवधि के अन्दर माँग/अतिरिक्त माँग को जमा करना आवश्यक होता है । इसके अतिरिक्त डीटीएल अधिनियम की धारा 18(5) में उपबंध है कि माँग/अतिरिक्त माँग की वसूली बकाया भू-राजस्व के रूप में की जानी चाहिए ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए माँग एवं संग्रहण रजिस्टर (डीसीआर) के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 664 मामलों में मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 9.76 करोड़ राशि के उठाए गए माँग को कर निर्धारितियों के द्वारा अभी जमा किया जाना शेष है यद्यपि माँग को जमा करने के लिए 30 दिनों के लिए विनिर्धारित तिथि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इनमें से 226 मामलों (34 *प्रतिशत*) का मूल्यांकन किया गया तथा अतिरिक्त माँग निकाले हुए तीन वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो गया । होटल मालिकों से माँग की गैर-अनुपालना के कारण ₹ 9.76 करोड़ की वसूली की जानी शेष रही ।

सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि ₹ 0.86 करोड़ राशि की वसूली हो चुकी है और ₹ 5.20 करोड़ की वसूली के लिए अपील की गई है ।

3.6.9.8 अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान न किया जाना

डीटीएल अधिनियम 1996 की धारा 36(1) में उपबंध है कि कोई भी होटल मालिक पारित मूल कर-निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है ।

अपील सम्बन्धी मामलों से संबंधित अभिलेखों के लेखा परीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2007-08 और 2011-12 की अवधि के दौरान 64 अपील सम्बन्धी मामले जिसमें ₹ 4.64 करोड़ का विलासिता कर शामिल था को दाखिल किया गया । हालाँकि अपील प्राधिकारी ने ₹ 11.19 लाख को शामिल करते हुए केवल तीन मामलों पर निर्णय दिया । यद्यपि इन मामलों में होटल मालिकों द्वारा सरकारी लेखे में विलासिता कर को जमा किया जाना शेष है । इसके अतिरिक्त शेष 61 मामलों में से 18 मामले कर-निर्धारण प्राधिकारी को वापस रिमाण्ड पर भेजे गए तथा 43 मामले अपील प्राधिकरण में अभी तक लम्बित पड़े थे । अभिलेखों पर कोई कारण उपलब्ध नहीं था कि ये अपील सम्बन्धी मामले पाँच वर्षों तक क्यों लम्बित पड़े रहे । लम्बित अपील मामलों का वर्षवार

ब्यौरा तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5 : लम्बित अपील मामलों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	लम्बित मामले
2007-08	11
2008-09	25
2009-10	04
2010-11	03

लम्बित अपील मामले **अनुलग्नक-I** में दर्शाए गए हैं ।

सरकार ने इन अपीलीय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आश्वासन दिया है (फरवरी 2013)।

3.6.9.9 बैंकेट हॉल पर विलासिता कर का गैर-उद्ग्रहण

डीटीएल अधिनियम में उल्लिखित है कि होटल मालिक, को प्राप्तियों के टर्नओवर पर, जो 15 *प्रतिशत* से ज्यादा नहीं हो, अधिसूचित दर पर विलासिता कर का उद्ग्रहण करना चाहिए । जहाँ पर प्रभारों को दैनिक आधार से भिन्न लगाया जाता है तब वहाँ पर कर दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रभारों को अधिग्रहित आवास की संपूर्ण अवधि पर आधारित एक दिन के लिए प्रति कक्ष के अनुपात में परिकलित किया जाएगा ।

होटलों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि होटलों के द्वारा प्राप्त बैंकेट हॉलों/सम्मेलन कक्षों के लिए किराया/भाड़ा प्रभारों को विलासिता कर के उद्ग्रहण के उद्देश्य से होटल की प्राप्तियों में नहीं शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 6 होटलों से ₹ 5.99 करोड़ के कर का कम संग्रहण हुआ ।

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा के द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के प्रत्युत्तर में सरकार ने कहा (अगस्त 2006) था कि आवासीय उद्देश्यों के लिए किसी होटल में उपलब्ध कमरों पर विलासिता कर उद्ग्रहणीय था । बैंकेट हॉल/सम्मेलन कक्ष आवासीय उद्देश्यों के लिए किराये पर नहीं उठाए जाते है और इसलिए होटलों के द्वारा उनसे प्राप्त किराया/भाड़ा प्रभार "होटल में उपलब्ध विलासिला" विलासिता कर के उद्देश्यों के लिए नहीं थे और इस प्रकार उस पर विलासिता कर उद्ग्रहणीय नहीं था । सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि विलासिता कर की सीमा के अन्तर्गत बैंकेट प्राप्तियों को शामिल करने के लिए 22 जून 2012 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है जो पूर्व निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षा दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है ।

3.6.9.10 बुक मेकरों का गैर निरीक्षण

डी.ई.बी.टी. अधिनियम, 1996 की धारा 26 में उल्लिखित है कि अधिकार प्राप्त अथवा प्राधिकृत अधिकारियों को अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की सुनिश्चतता के लिए बुक मेकरों, बैटिंग एवं टोटलाइजेटरों के विषय में कर के निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए निरीक्षण करने की शक्ति है । हालाँकि यह

पाया गया कि इस प्रकार का कोई भी निरीक्षण न तो किसी आयुक्त द्वारा अथवा न ही उनके बदले में किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संचालित किया गया ।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण की अनुपालना में सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि विभाग ने (सितंबर 2012) को बुक मेकरों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के उपरान्त चार बुक मेकरों के लाइसेंस रद्द कर दिए ।

3.6.9.11 केबल ग्राहकों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण न करना

किसी राजस्व अर्जित करने वाले विभाग को यथासंभव कर निर्धारितियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत देय कर की सुनिश्चितता के लिए कदम उठाना आवश्यक है । चूँकि केबिल आपरेटरों से संग्रहीत कर दिल्ली की जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा के अनुरूप नहीं था जिसका कि विभाग की ओर से नमूना सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक था । यदि नमूना सर्वेक्षण सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं था तो कम से कम चयनित क्षेत्रों में ग्राहकों की संख्या के बारे में केबिल आपरेटरों द्वारा की गई घोषणा की शुद्धता का पता लगाने के लिए किया जाना आवश्यक था । हालाँकि विभाग ने केबिल संचालकों के द्वारा देय कर, वास्तव में अदा किए जा रहे थे, की सुनिश्चितता हेतु कोई कदम नहीं उठाया ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि कर्मचारियों की कमी एवं दिल्ली की विशाल भौगोलिक सीमा के कारण केबिल ग्राहकों के सर्वेक्षण को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका । इसके अलावा सरकार ने कहा कि मल्टी सिस्टम आपरेटरों (एमएसओ) जो कि सीमित संख्या में हैं की नियुक्ति के बाद कर संग्रहण में रिसाव की रोकथाम आसान हो जाएगी ।

3.6.9.12 केबल आपरेटरों से कमतर राशि के लिए प्रतिभूति

विभाग में प्रचलित व्यवहार के अनुसार केबल आपरेटरों के द्वारा डीईवीटी अधिनियम की धारा 13 के अनुरूप एक महीने के कर के बराबर प्रतिभूति राशि जमा की जानी चाहिए । दिल्ली के तीन जिलों अर्थात् दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम जिलों में से चयनित 193 केबिल आपरेटरों के लेखा परीक्षा मूल्यांकन से उद्घाटित हुआ कि 79 केबल आपरेटरों (41 *प्रतिशत*) ने ₹ 2.72 लाख की अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा नहीं की । 30 आपरेटरों (16 *प्रतिशत*) की फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी ।

सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण की स्वीकारोक्ति के दौरान सूचित किया (फरवरी 2013) कि केबिल आपरेटरों को नोटिस भेजा जा चुका है एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को शेष प्रतिभूति राशि के संग्रहण के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं ।

3.6.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि इसके द्वारा स्थापित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपने कुशल एवं लागत प्रभावी कार्य के लिए पर्याप्त और प्रभावी है। हालाँकि पिछले चार वर्षों के दौरान विभाग में कोई भी

आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नहीं किया गया यद्यपि पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में कम से कम वार्षिक आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन किए जाने की सिफारिश की गई थी ।

लेखापरीक्षा में उठाए गए बिन्दुओं पर सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा की शुरूआत हो चुकी है और वह प्रगति पर है । उपायुक्त (कर) ने समापन सम्मेलन के दौरान तथ्यों की पुष्टि की थी ।

3.6.11 विभागीय नियमावली

विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों के नियमित करने और सरल व कारगर बनाने के लिए विभागीय नियमावली आवश्यक है परन्तु कोई विभागीय नियमावली विभाग द्वारा तैयार नहीं की गई जबकि अधिनियम 1996 में ही लागू हो गया था । नियमावली के अभाव में प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण को लागू और मूल्यांकित नहीं किया जा सकता ।

3.6.12 पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर निष्क्रियता

मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियों) में प्रकाशित वर्ष 2000-01 से 2004-05 की अवधि में शामिल विषय के निष्पादन लेखापरीक्षा में कर-निर्धारितियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्नों की वैधता एवं शुद्धता की प्रति जाँच करने की क्रियाविधियों की शुरूआत के साथ-2 अभिलेखों के रख-रखाव और प्रलेखन की गुणवत्ता में सुधार और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर के बकायों के प्रभावी अनुसरण की सिफारिश की गयी थी परन्तु लेखापरीक्षा से पता चला कि विभाग के द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा सिफारिशों के पालन में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया ।

सरकार ने कहा (फरवरी 2013) कि हॉल ही में कर के संग्रहण की उचित निगरानी हेतु विभाग की सम्पूर्ण सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) के साथ समझौते के ज्ञापन-पत्र (एम.ओ.यू.)पर हस्ताक्षर किया है ।

3.6.13 निष्कर्ष

विभाग द्वारा सम्पूर्ण अभिलेखों का गैर-रखरखाव विशेष रूप से मनोरंजन एवं बैटिंग कर के संग्रहण के सम्बन्ध में निरर्थक प्रयास सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग के पास कर निर्धारितियों द्वारा जमा की गई कर राशि को सही कर राशि के रूप में स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा विभाग द्वारा संगत अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों को लागू करने की असफलता के परिणामस्वरूप कर निर्धारितियों से देय कर की वसूली नहीं हो पायी। कर-छूट प्राप्त कार्यक्रमों के आयोजकों को बिना आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किए ही प्रतिभूति राशि की वापसी कर दी गयी यद्यपि विभाग को कर-छूट को रद्द करना आवश्यक था एवं देय कर यदि कर से छूट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हो तो वसूल करना था। मॉग के गैर अनुसरण के परिणामस्वरूप होटल मालिकों से कर की बकाया राशि इकट्ठा हो गयी।

3.6.14 सिफारिशें

- रिटर्नों और चालानों के सम्पूर्ण अभिलेखों के रख-रखाव तथा विधिक प्रावधानों के सुनिश्चित पालन के लिए निगरानी प्रक्रिया को समर्थ बनाने की अनिवार्य आवश्यकता है ।
- अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर के बकायों के अनुसरण के लिए समय पर कार्यवाही की शुरूआत किए जाने की आवश्यकता है ।
- अपीलीय मामलों के निपटान के लिए निश्चित समय सीमा को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है ताकि सरकार को देय राशि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र हो सके ।
- विभाग को प्रभावी और दक्ष बनाने हेतु नियमित आधार पर आन्तरिक लेखापरीक्षा किया जाना चाहिए ।
- विभागीय नियामवली तैयार की जानी चाहिए ।

अध्याय - 4

स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क

4.1 कर प्रशासन

सचिव (राजस्व) भारतीय स्टॉम्प अधिनियम तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम एवं इनके अंतर्गत बनाये गए नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होता है। वह जिला न्यायधीश (दिल्ली) तथा पंजीकरण महानिरीक्षक भी होता है । एक उपायुक्त तथा एक अतिरिक्त जिला न्यायधीश उसकी सहायता करते हैं । इसके नौ क्षेत्र है जिसका मुखिया एक उपायुक्त होता है । प्रत्येक क्षेत्र आगे तीन उप क्षेत्रों में विभाजित होता है जिसका मुखिया एक उप जिला न्यायधीश होता है जिसे स्टॉम्प के संग्रहणकर्ता के रूप में भी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक क्षेत्र में एक सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय होता है जो उस क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है । रा.रा. क्षेत्र दिल्ली के लिए एक कोषागार होता है जो न्यायिक एवं गैर-न्यायिक स्टॉम्प/स्टॉम्प पेपर्स को जारी करने एवं उसके प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होता है । यह प्राप्ति डिविजनल आयुक्त द्वारा माँग पत्र जमा कराने पर इसे भारतीय सुरक्षा प्रैस नासिक से प्राप्त की जाती है। रा0रा0 क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2008 से ई-स्टैम्पिंग आरंभ की है । यह कार्य मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है को कमीशन के आधार पर सौंपा गया है । वर्ष 2012-13 (20 अक्टूबर 2012 तक) के दौरान दो अतिरिक्त सब-रजिस्ट्रार कार्यालय भी स्थापित किये गए ।

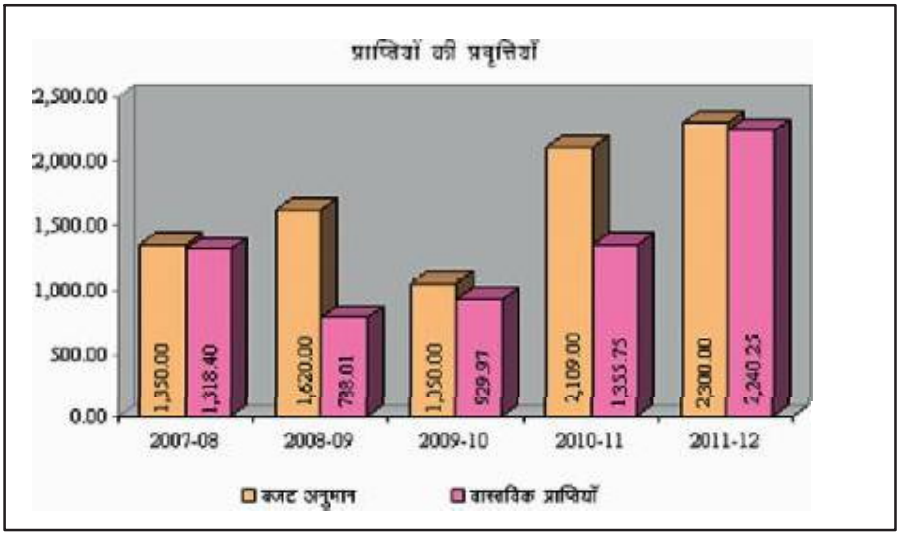
4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 के वर्षो के दौरान स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क से वास्तविक प्राप्तियों के साथ उसी अवधि के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियां नीचे **तालिका 4.1** तथा **ग्राफ** में दर्शाई गई है:

तालिका 4.1 : राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य(अ)/ कमियाँ (-)	भिन्नताओं का प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की कुल कर प्राप्तियों से प्रतिशतता
2007-08	1350.00	1318.40	(-)031.60	(-)02.34	11782.80	11.19
2008-09	1620.00	0788.01	(-)831.99	(-)51.36	12180.7	06.47
2009-10	1050.00	0929.97	(-)120.03	(-)11.43	13447.86	06.92
2010-11	2109.00	1355.75	(-)753.25	(-)35.72	16477.75	08.23
2011-12	2300.00	2240.25	(-)059.75	(-)02.60	19971.67	11.22



यह देखा गया कि बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के अन्तर में 2.34 से 51.36 प्रतिशत तक की सीमा में कमी थी ।

4.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क प्राप्तियों से संबधित सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ उस वर्ष के लिए सकल संग्रहण से संग्रहीत करने पर व्यय की संगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 4.2** में दर्शाई गई है:

तालिका 4.2 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2009-10 के लिए अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता
स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण् शुल्क	2009-10	929.97	19.52	2.09	1.60
	2010-11	1355.75	19.30	1.42	
	2011-12	2240.25	31.60	1.41	

ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क के संग्रह पर किए गए व्यय की प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम थी ।

4.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग राजस्व विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग से महानिरीक्षक पंजीकरण का कार्यालय, कोषागार तथा 13 उप-पंजीकरण कार्यालयों की

लेखापरीक्षा करना अपेक्षित है । वर्ष 2011-12 के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा विभाग तथा उप-पंजीकरण कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा जॉच नहीं की गई है ।

4.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कम/ड्यूटी की उगाही न करने तथा 117 मामलों में ₹ 121.04 लाख की अन्य अनियमितताएँ शामिल थी जो कि **तालिका 4.3** में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत आती है:

तालिका 4.3 : श्रेणीवार मामले

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
1.	स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की कम उगाही (गाड़ी खड़ी करने हेतु निर्मित एरिया/ स्टिल्ट पार्किंग)	78	12.76
2.	ऐसे भवन जिनमें चार तल से ज्यादा तल है उन पर निर्धारित दर लागू न करना	39	108.28
योग		**117**	**121.04**

ये सभी मामले आगे के पैरों में शामिल किए गए हैः

4.6 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

राजस्व प्राप्ति से संबंधित रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के अभिलेखों की जॉच से अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की गैर-अनुपालना के विभिन्न मामलों का पता चला जिसके परिणाम स्वरूप स्टॉम्प ड्यूटी का कम उद्ग्रहण हुआ, जिनकी इस अध्याय में आगे के पैरों में चर्चा की गई है। ये मामले निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। अतः सरकार के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के मामलों के होने से बचा जा सके।

4.7 स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की कम उगाही

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ 2(12) वित्त (ई-1) पार्ट फाईल/खण्ड-1 (ii) /3548 दिनांक 18 जुलाई 2007 के अनुसार रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में स्थित विभिन्न स्थानों की जायदादों के मूल्यांकन हेतू न्यूनतम दरें तय की गई थीं । रा.रा. क्षेत्र दिल्ली का समस्त क्षेत्र ए से एच तक की विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है जैसा कि दिल्ली स्टॉम्प (प्रपत्रों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियम 2002 के अनुलग्नक-I में दिया गया है । रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में स्थित किसी जायदाद के पंजीकरण के समय इन मूल्यों के अनुसार स्टॉम्प ड्यूटी वसूल की जाती है जो समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है ।.

तीन सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया (जून से अगस्त 2012) कि 78 मामलों में जायदाद के विचाराधीन मूल्य का मूल्यांकन करते समय कार पार्किंग करने हेतु निर्मित एरिया/स्टिल्ट पार्किंग को ध्यान में नहीं रखा गया । यद्यपि इस प्रकार, कार पार्किंग/स्टिल्ट पार्किंग पर समानता अधिकार विक्री के प्रपत्रों में यह साफ तौर पर शामिल था कि खरीदार को पार्किंग पर सामान्य अधिकार है के समानुपातिक निर्माण मूल्य पर विचार न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 12.76 लाख की राशि की स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण् शुल्क की कम उगाही की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2012 में, मामला सरकार एवं विभाग को प्रतिवेदित किया गया, परन्तु कोई उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ ।

4.8 चार तल से ज्यादा वाले भवनों पर निर्धारित दर का गैर-क्रियान्वयन

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ 2 (12)/वित्त (ई.I)/पार्ट फाइल/खंड-1 (ii)/3548 दिनांक 18 जुलाई 2007 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की कालोनियों में स्थित भूमि एवं भवनों के न्यूनतम सर्कल रेट शुरू किये गये । अधिसूचना के अनुलग्नक-1 में, भारतीय स्टॉम्प एक्ट 1899 (1899 का 2) के अनुभाग 27 एवं अनुभाग 47 ए के तहत भूमि एवं भवनों के मुल्याकंन के लिए न्यूनतम रेट दिए गए है । ये दरे अधिसूचना की तिथि अर्थात् 18.07.07 से प्रभावी थी इसके पश्चात् रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 8 फरवरी 2011 तथा दोबारा 16 नवम्बर 2011 से न्यूनतम सर्कल रेट में संशोधन किया गया है ।

चार तल से अधिक के भवनों में निर्मित भवनों के लिए अधिसूचना (16 नवम्बर 2011 से प्रभावी) के उपरोक्त अनुलग्नक के पैरा 4.1 के अनुसार डी.डी.ए/कोआपरेटिव/ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों के लिए निर्मित दर के न्यूनतम मूल्य के तौर पर ₹ 60,000/- प्रति वर्ग.मी.की एकसमान दर लिया जाना था । निजी निर्माताओं द्वारा बहुतल फ्लैटों के लिए 1.25 के गुणात्मक गुणांक लागू होगा ।

दिल्ली के चार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा में यह पाया (जून से सितम्बर 2012) कि दिसम्बर 2011 से मार्च 2012 के दौरान 39 मामलों में चार तल से अधिक के भवनों के लिए निर्धारित दरों जैसाकि अधिसूचना के पैरा 4.1 के अन्तर्गत निर्धारित है की बजाय स्टॉम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण फीस की गणना अधिसूचना के पैरा 1 से 3 के अनुसार की गई । अतः जायदाद का मूल्य तय करते समय गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 108.28 लाख की राशि की स्टॉम्प ड्यूटी की कम उगाही की गई ।

लेखापरीक्षा ने मामले को सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 में विभाग तथा सरकार को सूचित किया, अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

[1] एस.आर. II जनकपुरी (19 मामले), एस.आर. II ए पंजाबी बाग (46 मामले),तथा एस.आर. VIII गीता कालोनी (13 मामले)

[2] एस.आर.-I कश्मीरी गेट (3 गागले), एस.आर. II जनकपुरी (9 गागले), एस.आर. II ए नागलोई (16 मामले) तथा एस.आर. VIII गीता कालोनी (11 मामले)

अध्याय - 5

मोटर वाहन कर

5.1 कर प्रबंधन

परिवहन विभाग के अध्यक्ष प्रधान सचिव व आयुक्त (परिवहन) है जो कि इसके प्रबंधन के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रति उत्तरदायी है । मोटर लाइसेंसिग अधिकारी की देखरेख में सभी 13 क्षेत्रीय कार्यालयों के सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य परिवहन आयुक्त करता है । क्षेत्रीय कार्यालय वाहनों के पंजीकरण शुल्क, परमिट शुल्क, सडक कर, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने इत्यादि से राजस्व संग्रह करते है ।

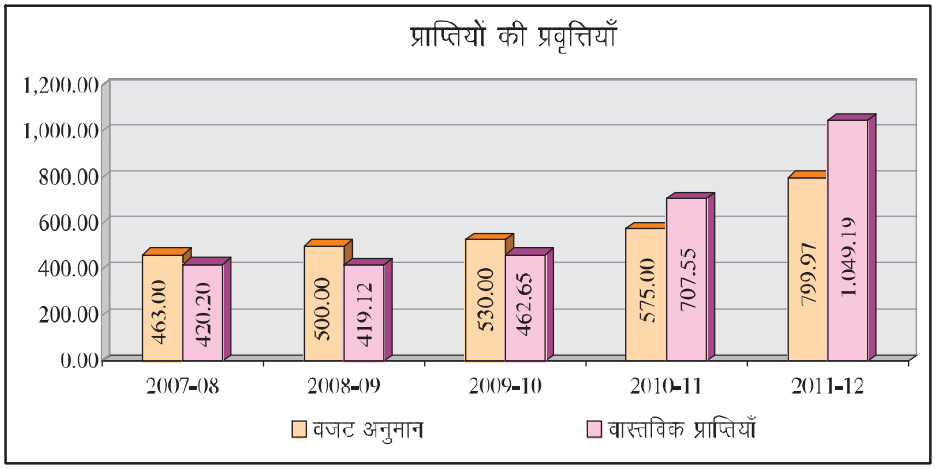
5.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान वाहनों के करों से वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान राज्य की कुल कर/गैर-कर प्राप्तियों को **तालिका 5.1** तथा ग्राफ में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1 : राजस्व प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नताएं आधिक्य (+)/कमी (-)	विभिन्नताओं की प्रतिशतता	राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति	वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
वाहनों पर कर	2007-08	463.00	420.20	(-) 42.80	(-) 9.24	11782.80	3.57
	2008-09	500.00	419.12	(-) 80.88	(-) 16.18	12180.70	3.44
	2009-10	530.00	462.65	(-) 67.35	(-) 12.71	13447.86	3.44
	2010-11	575.00	707.55	(+) 132.55	(+) 23.05	16477.75	4.29
	2011-12	799.97	1049.19	(+) 249.22	(+) 31.15	19971.67	5.25



यह पाया गया कि बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों में विभिन्नताएँ 2007-08 के दौरान कम से कम ₹ (-) ₹ 42.80 करोड और 2011-12 के दौरान अधिक से अधिक ₹ 249.22 करोड़ थी ।

5.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान अन्य कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा ऐसे व्यय की सकल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ-साथ संग्रहण पर हुए व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता **तालिका 5.2** मे दर्शायी गई है:

तालिका 5.2 : संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
वाहनों पर कर	2009-10	462.65	18.96	4.10	3.71
	2010-11	707.55	19.34	2.73	
	2011-12	1049.19	31.79	3.03	

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि मोटर वाहनों पर करों के संग्रहण पर हुए व्यय का प्रतिशत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशत की तुलना में कम था ।

5.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग के पास अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं था । रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के लेखापरीक्षा निदेशक को परिवहन विभाग सहित रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है ।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में सरकारी लेखों में ₹ 8.93 करोड़ के राजस्व के अहस्तांतरण का एक मामला पाया गया जो कि निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसे **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3 : श्रेणीवार मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की सं.	राशि
	मोटर वाहन कर		
1.	सरकारी लेखे में राजस्व का अहस्तांतरण	1	8.93
2.	अन्य	42	00
	कुल	**43**	**8.93**

₹ 8.93 करोड़ वाले मामले की निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है ।

5.6 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के राजस्व प्राप्ति संबंधित अभिलेखों की जाँच में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का अनुसरण नहीं करने के परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व के अहस्तांतरण का एक मामला पाया गया जो कि इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेद में शामिल किया गया है । यह मामला एक दृष्टांत है और लेखापरीक्षा में नमूना जाँच पर आधारित है । अतः सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के मामलों के गठित होने से बचा जा सके ।

5.7 ₹ 8.93 करोड के राजस्व का सरकारी लेखों में स्थानांतरित न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 7 के अनुसार, सरकार द्वारा या उसके पक्ष में प्राप्त की गई सभी प्रकार की धनराशि चाहे वह जमा के रूप में हो या बकाया, धन प्रेषण हो या अन्य, अविलम्ब सरकारी खाते मे जमा करानी चाहिए । केन्द्रीय सरकारी लेखे (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली 1983 के नियम 6 के अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी प्राप्तियां पूर्णतया अविलंब सरकारी लेखे में शामिल करने के लिए विर्निष्ट बैंक में जमा होनी चाहिए । आगे यह भी अनुबंधित है कि उपरोक्त प्राप्त राशि ना तो सरकारी खातों से अलग रखी जाए, ना ही अन्य विभागीय खर्चों में व्यय की जाए ।

11 फरवरी 2008 को रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अम्बेडकर नगर से मूल चन्द के बीच बस रैपिड ट्रांजिट (बी.आर.टी.) कॉरीडोर के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेवारी मैसर्स दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) को खुली निविदा की शर्तों का पालन किए बगैर नामांकन आधार पर सौंप दी जाए । इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार के अनुमोदन के लिए डीआईएमटीएस द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें बस क्यू शेल्टर, जन सुविधाओं इत्यादि पर विज्ञापन से प्राप्त राजस्व का किए गए व्यय में समायोजन होगा । इस बैठक का कार्यवृत्त परिवहन विभाग द्वारा नहीं बल्कि डीआईएमटीएस द्वारा बनाया और वितरित किया गया । इस कार्यवृत्त की परिवहन विभाग से स्वीकृति भी अभिलेखों में नहीं पाई गई ।

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2012) कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णय को औपचारिक संधि में नहीं बदला गया, न ही मैसर्स डीआईएमटीएस को कार्य की सुपुर्दगी का निर्धारण करने वाले नियमों और शर्तो का निर्धारण और उन पर परस्पर सहमति हुई थी । डीआईएमटीएस प्रभावी रूप से अप्रैल 2008 से बीआरटी कारीडोर के संचालन व रखरखाव की देखरेख कर रहा है और 2008-11 की अवधि के दौरान बीआरटी कॉरीडोर में बस क्यू शेल्टरों से विज्ञापन राजस्व से ₹ 8.93 करोड़ की धनराशि का संग्रहण किया । डीआईएमटीएस ने इस राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया, बल्कि फरवरी 2008 की बैठक में लिए गए निर्णय की दलील के आधार पर कॉरीडोर के संचालन और रखरखाव के व्ययों में समायोजित कर दिया ।

इस प्रकार ₹ 8.93 करोड का सरकारी राजस्व सरकारी खातो से बाहर रहा, क्योंकि डीआईएमटीएस ने स्वयं द्वारा संग्रहित की गई राशि को सरकार के पक्ष में जमा नहीं कराया ।

यह इंगित किए जाने पर विभाग ने डीआईएमटीएस से प्राप्त उत्तर की प्रति अग्रेषित की जिसमें बताया गया था कि 11 फरवरी 2008 को मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी के कार्यालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डीआईएमटीएस को बीआरटी कॉरीडोर के संचालन व रखरखाव हेतु वास्तविक व्यय में से विज्ञापनों से उत्पन्न राजस्व को घटाकर प्रतिपूर्ति दी जानी थी । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा डीआईएमटीएस को सरकारी राजस्व को व्यय के प्रति समायोजित करने देने की अनुमति देना निर्दिष्ट प्राप्ति व भुगतान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं है ।

लेखापरीक्षा ने यह मामला सरकार को सितम्बर, 2012 में सूचित किया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था ।

अध्याय 6

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य, राजस्व व आर्थिक क्षेत्र) पर प्रस्तावना

कार्यकारी सारांश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के द्वारा नियंत्रित किया गया है । सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है । ये लेखे भारत के नि.म.ले.प. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा अध्याधीन हैं । सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों द्वारा नियंत्रित होती है । 31 मार्च 2012 तक दिल्ली में 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू 15 सरकारी कम्पनियाँ और दो सांविधिक निगम थे । राज्यीय पीएसयू में 0.48 लाख कर्मचारी नियोजित थे और 30 सितम्बर 2012 को अंतिम रूप दिए गए अद्यतन लेखों के अनुसार 2011-12 के लिए ₹ 7341.49 करोड़ का टर्नओवर दर्ज की गई । यह टर्नओवर राज्य जी.डी.पी. का 2.34 प्रतिशत थी । पीएसयू को 2011-12 में ₹ 645.50 करोड़ का कुल घाटा हुआ और संचित घाटा ₹ 15519.42 करोड़ था ।

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू में निवेश (पूंजीगत व दीर्घावधि ऋण) ₹ 28085.32 करोड़ था । यह 2006-07 के ₹ 11312.87 करोड़ से 148.26 प्रतिशत बढ़ा । सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान राज्य पीएसयू को अंशदान, ऋण और अनुदान/आर्थिक सहायता हेतु ₹ 942.96 करोड़ का योगदान किया गया ।

वर्ष 2011-12 के दौरान 17 कार्यशील पीएसयू में से वर्ष के दौरान में समाविष्ट चार नई कम्पनियों ने अपने वित्तीय विवरणों को 30 सितम्बर 2012 तक अंतिम रूप नहीं दिया था । शेष 13 पीएसयू में से आठ ने ₹ 1772.40 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, चार ने ₹ 2417.90 करोड़ की हानि उठाई और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी । लाभ में प्रमुखतः योगदान करने वाले दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 1005.33 करोड़), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 397.14 करोड़), प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 220.26 करोड़), दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (₹ 123.52 करोड़) और दिल्ली पर्यटन और यातायात विकास निगम लिमिटेड (₹ 20.86 करोड़) था दिल्ली परिवहन निगम (₹ 2335.13 करोड़) और दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (₹ 82.64 करोड़) को भारी घाटे हुए ।

हानियाँ होने के कारण प्रमुखतः परियोजनाओं के नियोजन, निगरानी, और कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन में कमियाँ होना था । भारत के नि.म.ले.प. के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू की ₹ 1967.34 करोड़ की हानियाँ जिसे बेहतर प्रबंधन से रोका जा सकता था । पीएसयू अपनी भूमिकाएँ कुशलता से तभी निर्वाह कर सकती हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो । उपरोक्त स्थिति पीएसयू को कार्यप्रणाली मे व्यावसायिकता व दायित्वपूर्णता की आवश्यकता की ओर संकेत करती है ।

पीएसयू के लेखों की गुणवता में सुधार की आवश्यकता है । अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान अंतिम रूप दिए गए 12 में से नौ लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त हुए । पाँच कम्पनियों के लेखों मे लेखा मानकों के अनुरूप न होने के सात मामले थे ।

सितम्बर 2012 को आठ पीएसयू के 16 का बकाया था । इन बकायों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता है ।

6.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक उद्यम (पीएसयू) में राज्य सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य पीएसयू की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए की गई है । दिल्ली में राज्य पीएसयू राज्य अर्थव्यवस्था में किए लघु परंतु महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । राज्य पीएसयू ने 30 सितम्बर 2012 तक नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 7341.49 करोड़ का टर्नओवर दर्ज कराया । यह टर्नओवर 2011-12 में ₹ 313934 करोड़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.34 प्रतिशत था । दिल्ली राज्य पीएसयू की गतिविधियाँ प्रमुखतः विद्युत एवं परिवहन क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं । 30 सितम्बर 2012 तक नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार राज्य पीएसयू ने कुल ₹ 645.50 करोड़ की हानि उठाई और 31 मार्च 2012 तक 0.48 लाख कर्मचारी कार्यरत थे ।

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू थे (सभी कार्यशील) जिनमें 15 (11+4[1]) सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम सम्मिलित थे । इनमें से कोई भी कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं थी ।

6.2 *लेखापरीक्षा अधिदेश*

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से की जाती है । धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा धारण किया जाता हो । सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायिका को भी सम्मिलित किया जाता है । इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत किसी भी योग में सरकार, सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारण किया जाता है कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 बी के अनुसार सरकारी कम्पनी (मानित सरकारी कम्पनी) ही मानी जाएगा ।

राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में पारिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित की जाती हैं ।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानूनों द्वारा नियंत्रित होती हैं । दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है । दिल्ली वित्त निगम (दि.वि.नि.) के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड अकाउण्टैन्ट्स द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है ।

[1] (i) डीएसआईआईडीसी एक्जिम लिमिटेड, (ii) डीएसआईआईडीसी लिमिटेड, (iii) डीएसआईआईडीसी इनर्जी लिमिटेड और (iv) डीएसआईआईडीसी मेनटीनेन्स सर्विसेज लिमिटेड मई 2011 में समाविष्ट किए गए ।

6.3 राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2012 तक 17 पीएसयू में (सभी कार्यशील) में कुल निवेश (पूंजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 28085.32 करोड़ था,जो **तालिका 6.1** में दिया गया है

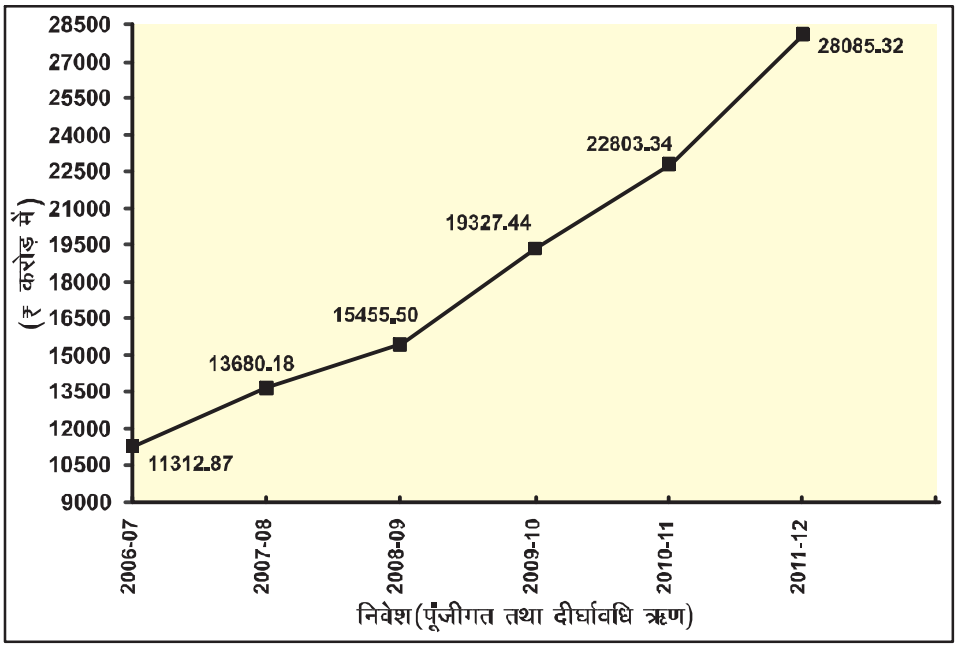
तालिका 6.1: पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

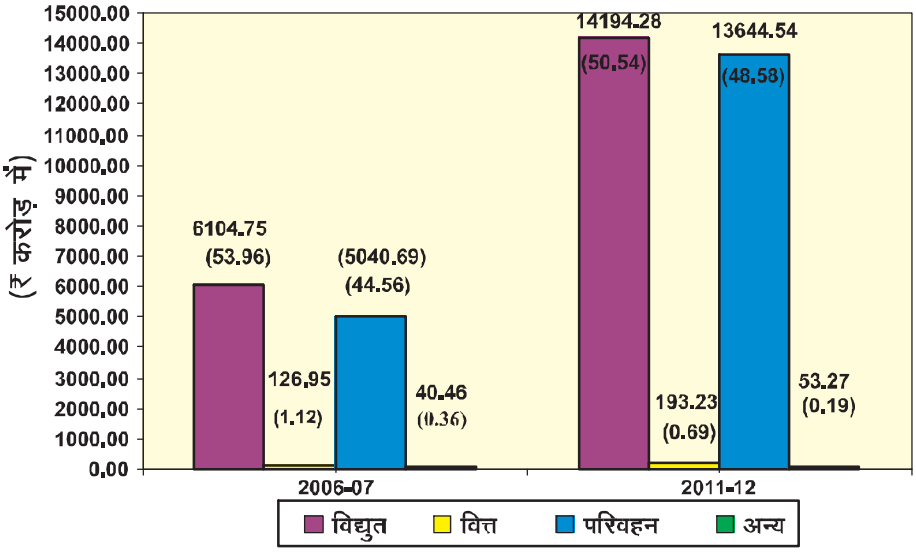
सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
पूंजी	दीघावधि ऋण	कुल	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	कुल	
7203.66	7275.68	14479.34	1810.48	11795.50	13605.98	28085.32

राज्य पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट 6.1** में दी गई है ।

31 मार्च 2012 तक राज्य पीएसयू में कुल निवेश में 32.10 प्रतिशत पूंजी के लिए और 67.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के लिए था । निवेश 2006-07 में ₹ 11312.87 करोड़ से 148.26 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 28085.32 करोड़ हो गया,जैसा कि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:



31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है:



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

पीएसयू में निवेश परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में था । परिवहन क्षेत्र में निवेश 2006-07 में ₹ 5040.69[2] करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 13644.54 करोड़ हो गया जिसके साथ-साथ कुल निवेश में सम्बन्धित *प्रतिशत* अंश में वृद्धि 44.56 *प्रतिशत* (2006-07) से 48.58 *प्रतिशत* (2011-12) हो गई । यद्यपि विद्युत क्षेत्र में निवेश 2006-07 में ₹ 6104.75 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 14194.28 करोड़ हो गया, कुल निवेश में *प्रतिशत* अंश 53.96 *प्रतिशत* (2006-07) से घटकर 50.54 *प्रतिशत* (2011-12) हो गया ।

6.4 *बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटी तथा ऋण*

राज्य पीएसयू से संबंधित बजटीय व्यय से जारी की गई अंशदान, ऋणों, अनुदानों/आर्थिक सहायता एवं जारी गारंटी और अंशदान में बदले गए ऋणों का विवरण **अनुलग्नक 6.2** में दिया गया है । 2011-12 के अंत में गत तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 6.2** में दिया गया है:

तालिका 6.2 राज्य पीएसयू को बजटीय व्यय

(₹ करोड में)

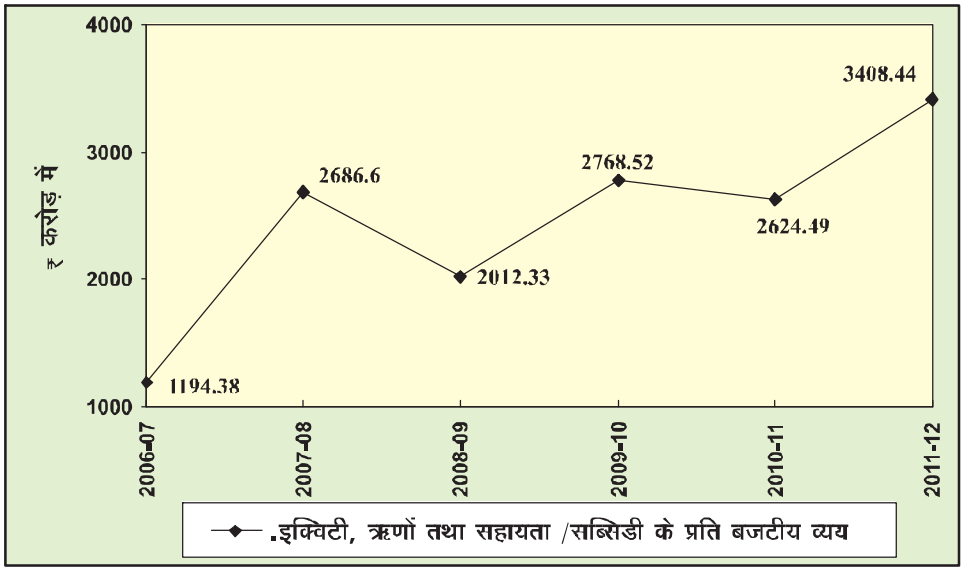
क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंशदान पूंजी व्यय	3	626.06	3	222.89	5	1300.40
2.	बजट से दिया गया ऋण	1	1981.28	1	2128.60	5	1191.01
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	6	161.18	7	273.00	5	917.03
4.	कुल व्यय[3] (1+2+3)	7	2768.52	8	2624.49	9	3408.44
5.	अंशदान में परिवर्तित ऋण	-	-	1	239.00	-	-

[2] आंकड़े जी.आई.एम.टी.एस. में किए गए ₹ 7.30 करोड़ (अंशदान) को सम्मिलित करते है । कम्पनी 2007-08 में सरकारी कम्पनी नहीं रही।

[3] पीएसयू की वास्तविक संख्या जिन्हें बजटीय सहायता प्राप्त हुई ।

6.	बट्टे खाते में डाला गया ऋण	-	-	-	-	-	-
7	वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी	1	633.22	-	-	-	-

अंशदान, ऋण व अनुदान/आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय का गत छः वर्षों का विवरण निम्न ग्राफ में दिया गया है:



अंशदान, ऋणों, अनुदान/आर्थिक सहायता के प्रति बजटीय व्यय में 2006-07 और 2011-12 के बीच छः वर्षों की अवधि के दौरान मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाई देती है । यह 2006-07 में ₹ 1194.38 करोड़ की तुलना में 2011-12 में ₹ 3408.44 करोड़ था । 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 783.95 करोड़ की वृद्धि हुई । वर्ष 2011-12 के दैरान दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड (₹ 616.36 करोड़ ऋण), प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 400 करोड़ अंशदान तथा ₹ 300 करोड़ ऋण), दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड (₹ 500 करोड़ अंशदान तथा ₹ 362.35 करोड़ सहायता) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹ 201 करोड़ अंशदान तथा ₹ 530.90 करोड़ अनुदान) बजटीय व्यय के मुख्य प्राप्तकर्ता थे ।

6.5 वित्तीय लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों में बकाया अंशदान, ऋणों तथा गारण्टियों के आंकड़े राज्य के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए । यदि आंकड़े मेल नही खाते हैं तो वित्त विभाग और सम्बन्धित पीएसयू को अन्तर का समन्वय स्थापित करना चाहिए । इस संबंध में 31 मार्च 2012 तक की स्थिति **तालिका 6.3** में दी गई है:

तालिका 6.3: *समाधान न किए गए अंशदान तथा ऋणों का विवरण* **(₹ करोड़ में)**

विवरण	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
अंशदान[4]	8195.22	8594.09	(-) 398.87
ऋण[5]	156.56	2323.23	(-)2166.67

[4] अंशदान आकड़े में केवल राज्य सरकार का अंश सम्मिलित है ।

यह पाया गया कि नौ[6] पीएसयू के सम्बन्ध में अंशदान और ऋण आंकड़ों में अन्तर था और दो कम्पनियों के मामले में (शाहजहॉनाबाद पुनर्विकास निगम तथा जियोस्पाटियल दिल्ली लिमिटेड) अन्तर का समाधान पिछले चार वर्षों से लम्बित था । सरकार व पीएसयू को एक समयबद्ध ढ़ंग से से अन्तरों को समन्वित करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए ।

6.6 सा० क्षे० उ० का निष्पादन

पीएसयू के वित्तीय परिणामों, **अनुलग्नक 6.3** में दिखाए गए हैं तथा सांविधिक निगमों के वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम क्रमशः **अनुलग्नक 6.4** तथा **6.5** में दर्शाए गए हैं । राज्य जीडीपी से पीएसयू टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में पीएसयू की गतिविधियों का विस्तार दर्शाता है । 2006-07 से 2011-12 के दौरान कार्यशील पीएसयू के टर्नओवर और राज्य जीडीपी **तालिका 6.4** में दिया गया है:

तालिका 6.4: राज्य जीडीपी से पीएसयू टर्नओवर का अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर[7]	8283.41	3019.71	3555.63	5211.80	5255.01	7341.49
राज्य जीडीपी[8]	135583.65	57947.18	189533.12	223759.38	264495.61	313933.51
राज्य जीडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	6.11	1.91	1.88	2.33	1.99	2.34

पीएसयू के टर्नओवर मे 2006-07 के टर्नओवर की तुलना में 2007-08 में 63 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि एक विद्युत क्षेत्रीय पीएसयू (दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड) ने अपने मुख्य क्रियाकलापों में से 1 अप्रैल 2007 से एक प्रभावी निजी क्षेत्र की विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत की बिक्री के लिए हस्तांतरित की थी यह आगे के वर्षों में जीडीपी से पीएसयू के टर्नओवर के प्रतिशत में महत्वपूर्ण कमी का कारण बनी । यद्यपि 2008-09 और उसके बाद पीएसयू के टर्नओवर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है ।

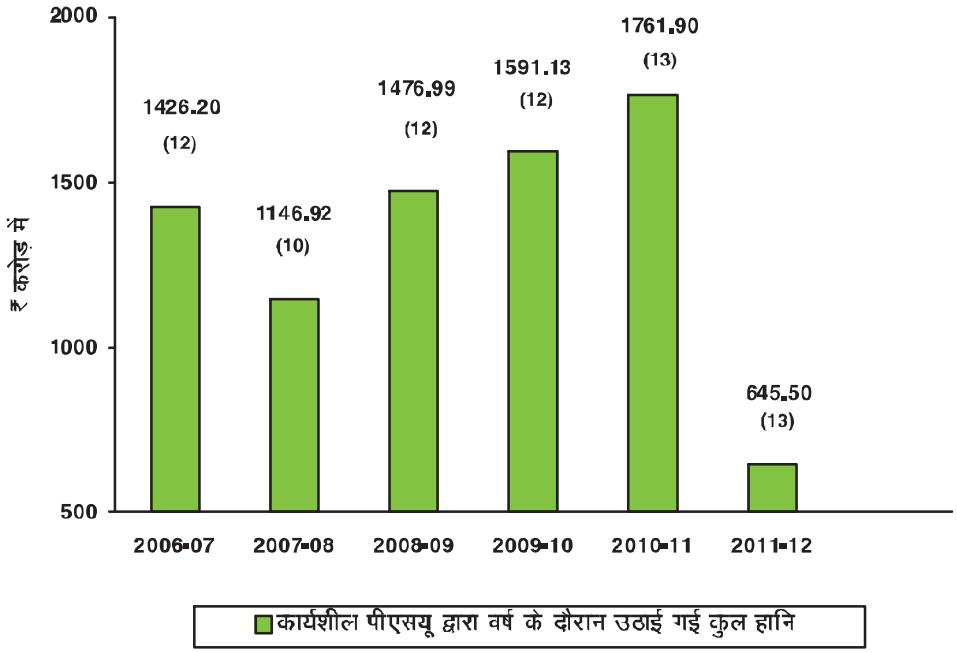
राज्य पीएसयू द्वारा 2006-07 से 2011-12 के दौरान उठाई गई हानियाँ बार चार्ट में नीचे दी गई है:

[5] ऋण आंकड़ा वित्तीय अभिलेखो के अनुसार सात मे से चार कम्पनियों से सम्बन्धित चार में से दो पीएओ से प्राप्त हैं । शेष आकड़े प्रतिक्षित थे ।

[6] अनुलग्नक 6.1 में क्रम सं. 3, 5, 11, 15 और 17 पर कम्पनियों के अंशदान के आंकड़े तथा क्रम सं. 1, 4, 5,6,10 तथा 15 पर कम्पनियों के ऋणों के आंकड़े।

[7] टर्नओवर सम्बन्धित वर्ष में 30 सितम्बर तक के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ।

[8] दर्शाए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों (2008-09),अनंतिम अनुमानों (2009-10),तुरंत अनुमानों (2010-11) और अग्रिम अनुमानों (2011-12) के आधार पर हैं ।



(कोष्टक में आंकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील पीएसयू की संख्या दर्शाते हैं)

कार्यशील पीएसयू ने वर्ष 2006-07 के दौरान ₹ 1426.20 करोड़ की कुल हानि उठाई जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 1761.90 करोड़ हो गई । ये हानियाँ 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से कम होकर ₹ 645.50 करोड़ हो गए । वर्ष 2011-12 के दौरान 17 कार्यशील पीएसयू में से वर्ष के दौरान चार नवीन संस्थापित पीएसयू ने 30 सितम्बर 2012 तक अपने वित्तीय परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया था । शेष 13 पीएसयू में से आठ पीएसयू ने ₹ 1772.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया, चार पीएसयू ने ₹ 2417.90 करोड़ का घाटा उठाया और एक पीएसयू न हानि न लाभ की स्थिति में था । लाभ में मुख्य रूप से योगदान करने वाले दि.ट्रा.लि. (₹ 1005.33 करोड़), आई.पी.जी.सी.एल (₹ 397.14 करोड़), पी.पी.सी.एल (₹220.26 करोड़) डी.एस.आई.आई.डी.सी (₹123.52 करोड़) और डी.टी.टी.डी.सी. (₹ 20.86 करोड़) थे । दि.प.नि.(₹ 2335.13 करोड़) और डी.पी.सी.एल. (₹ 82.64 करोड़) ने भारी हानि उठाई ।

पीएसयू से हुई हानियों के कारण प्रमुखतः परियोजनाओं के नियोजन, निगरानी कार्यान्वयन तथा वित्तीय प्रबन्धन में कमियाँ थे । नि.मे.ले.प. की नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू को लगभग ₹ 1967.34 करोड़ का हानि हुई जिन्हें बेहतर प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से प्राप्त विवरण वर्षवार **तालिका 6.5** में दिया गया है:

तालिका 6.5: नि.म.ले.प. की नवीनतम लेखापरीक्षा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
शुद्ध लाभ(+)/हानि (-)	(-)1591.13	(-)1761.90	(-)645.50	(-)3998.53
नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार हानि जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था ।	702.19	5.80	1259.35	1967.34

नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए घाटे पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं । वास्तविक नियंत्रित की जा सकने योग्य हानियां अधिक होंगे । उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबंधन से घाटों को कम किया जा सकता था । पीएसयू अपनी भूमिकाएँ कुशलता से तभी निर्वाह कर सकती हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों । उपरोक्त स्थिति पीएसयू की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता व दायित्वपूर्णता की आवश्यकता की ओर संकेत करती है ।

राज्य पीएसयू से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व **तालिका 6.6** में दिए गए हैं ।

तालिका 6.6: राज्य पीएसयू के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी पर रिटर्न *(प्रतिशत)*	-	6.78	-	0.48	-	10.45
ऋण	10452.39	7857.61	8910.50	12155.74	15089.70	19071.18
टर्नओवर[9]	8283.41	3019.71	3555.63	5211.80	5255.01	7341.49
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.26:1	2.60:1	2.51:1	2.33:1	2.87:1	2.60:1
ब्याज भुगतान	964.81	1302.00	1474.21	1614.00	1578.67	2140.48
संचित लाभ/(हानियाँ)	(8712.51)	(10851.79)	(12395.49)	(14266.66)	(14242.56)	(15519.42)

(उपरोक्त आंकड़े सभी पीएसयू से सम्बन्धित हैं) ।

उपरोक्त आंकड़े पीएसयू की वित्तीय स्थिति में अवनति को दर्शाते हैं । 2006-07 और 2011-12 के बीच नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) के *प्रतिशत* में मिली-जुली प्रवृत्ति दिखाई देती है । 2006-07,2008-09 और 2010-11 के दौरान आरओसीई ऋणात्मक था । यह 2011-12 के दौरान 10.45 *प्रतिशत* था । टर्नओवर से ऋण का अनुपात 2006-07 से घटता जा रहा है और इसे 2011-12 मे 2.60:1 दर्ज किया गया । संचित घाटे भी 2006-07 और 2011–12 के दौरान सतत वृद्धिशील रहे।

आठ[10] पीएसयू ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1772.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया परंतु केवल दो कम्पनियों अर्थात दि.ट्रा.लि. तथा डी.टी.टी.डी.सी. ने ₹ 11.85 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ का कमशः लाभांश घोषित किया ।

[9] सम्बन्धित वर्ष (30 सितम्बर तक) में नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार कार्यशील पीएसयू का टर्नओवर ।

6.7 खातों का अंतिम रूप देने में बकाए

कम्पनी अधिनियम 1956 के धाराओं 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष के अंत से छः महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है,उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । 30 सितम्बर 2012 को कार्यशील पीएसयू के अन्तिम लेखों का विवरण **तालिका 6.7** में दिया गया है ।

तालिका 6.7: 30 सितम्बर 2012 को कार्यशील पीएसयूके अन्तिम लेखे

क्रम सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यशील पीएसयू की संख्या	10	12	12	13	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम किए गए लेखों की संख्या	14	11	14	11	12
3.	बकाया में लेखों की संख्या	10	11	9	11	16
4.	प्रति पीएसयू औसत बकाए (3/1)	1.00	0.92	0.75	0.85	0.94
5.	कार्यशील पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	2	3	3	4	8[11]
6.	बकायों का विस्तार	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष

प्रति कार्यशील पीएसयू बकाया खातों की औसत संख्या 2007-08 में 1.00 से घटकर 2011-12 में 0.94 हो गई। एक पीएसयू अर्थात दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकालांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नौ वर्षों के खातों का बृहत अवशिष्ट कार्य था। अन्य पी एस यू के पास 30 सितम्बर 2012 तक केवल एक वर्ष के लेखों का बकाया था ।

राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान तीन पीएसयू में ₹ 942.96 करोड़ (अंशदानः ₹ 369.68 करोड़,ऋणः ₹ 37.14 करोड़ और अनुदान/आर्थिक सहायताः ₹ 536.14 करोड़) का निवेश किया,जिनके लेखों को अभी अंतिम किया जाना शेष था, जिसका **अनुलग्नक 6.6** में विवरण दिया गया है । खातों की अनुपलब्धता और तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश व उसमें हुए व्यय को समुचित लेखों में सम्मलित कर लिया गया हैं तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि का निवेश किया गया वह पूर्ण हुआ है या नहीं । इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम,1956 के प्रावधानों के उल्लघन के अतिरिक्त जालसाजी और जननिधि की बर्बादी का खतरा उत्पन्न होता है ।

[10] अनुलग्नक 6.3 में क्रम सं. 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 और 12

[11] अनुलग्नक 6.3 में क्रम सं. 1, 2. 11 और 13 एवं चार नवीन निर्मित कम्पनियाँ

प्रशासकीय विभागों पर इन तत्वों की गतिविधियों की निगरानी का तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदयित्व होता है कि लेखों को इन पीएसयू द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम रूप दिया और अंगीकृत किया जाये । परिणामस्वरूप इन पीएसयू का निवल मूल्य का आंकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया गया । एक समयबद्ध ढंग से बकाया लेखों के निष्पादन हेतु लेखों को अंतिम रूप देने के मामले पर प्रतिमाह प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से चर्चा की जाती है । दिसम्बर 2012 में इस मामले को प्रमुख सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया ।

6.8 लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

6.8.1 सरकारी कम्पनियाँ

नौ कार्यशील लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने दस लेखापरीक्षित किए गए लेखों को अग्रेषित किया । इनमें से नौ लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और एक लेखे को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया । नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है । सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य का विवरण **तालिका 6.8** में दिया गया है:

तालिका 6.8: सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	4	17.48	3	7.90	3	10.68
2.	लाभ में वृद्धि	4	86.71	-	-	1	47.55
3.	हानि में वृद्धि	1	7.52	1	381.88	1	220.31
4.	हानि में कमी	1	1.00	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर न करना	5	242.27	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	3	4.30	2	20.87	2	22.71

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और सात खातों को सशर्त प्रमाणपत्र प्रदान किया। इसके अतिरिक्त नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के बाद दो खातों को सशर्त प्रमाणपत्र, सात खातों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और एक खाते को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान किया । वर्ष के दौरान लेखा मानकों के अनुपालन न होने के सात दृष्टान्त थे ।

वर्ष 2011-12 के दौरान जिन कम्पनियों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया उनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्न है:

दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (2011-12)

- लेखा मानक-13 में कहा गया है कि दीर्घावधि निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा में कमी को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाए । कम्पनी का दि.ट्रा.लि. में ₹ 260 करोड़ का अंशदान निवेश (₹ 10 प्रत्येक के 2600 लाख अंश) 31-03-2011 तक ₹ 1.5267 प्रति अंश नियत हुआ था, जिससे फलस्वरूप अंशदान निवेश का मूल्य कम होकर ₹ 39.69 करोड़ रह गया । निवेश के मूल्य के कमी को लाभ व हानि खाते में नहीं डाला गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 220.31 करोड़ के लाभ का अधिक आकलन किया गया ।

इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (2011-12)

- कार्पेट कोल की ₹ 3.97 करोड़ की लागत को ईधन उपयोग के बजाय मरम्मत एवं रखरखाव (पूर्व अवधि खर्चे) में दर्ज किया गया ।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (2011-12)

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी "परिसम्पत्तियों की हानि" पर लेखा मानक-28 का अनुपालन न किए जाने से ₹ 0.76 करोड़ के हानिकरण घाटों हेतु प्रावधान नहीं किया गया। इस कारण लाभ और सम्पत्ति का ₹ 0.76 करोड़ से अधिक आकलन किया गया।

दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना निर्माण निगम (2010-11)

- डीएसआईआईडीसी को दिल्ली सरकार की ओर से नियत विभागीय प्रभारों के आधार पर क्रियान्वयक अभिकरण के रूप में सीईटीपी योजना के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके लिए पिछले वर्ष में सीईटीपी योजना से हुई ₹ 47.55 करोड़ की आय के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2008-09 में प्रावधान किया। इस विषय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे कि निगम की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में कोई बाध्यता थी । इसे ध्यान में रखते हुए किया गया प्रावधान लेखा मानक-29 जो आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसम्पत्तियों के प्रावधान करने, हेतु लागू होता है, के अनुरूप नहीं था।
- कम्पनी ने 2919 वर्क सेन्टरों के स्थानान्तरण के लिए ₹ 11 करोड़ के वास्तविक प्रतिफल की प्राप्ति के सम्बन्ध में नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु ₹ 12.26 करोड के पूर्णतः प्रदत्त अंशदान अंशों का आवण्टन किया (1993-94)। कम्पनी वसूली योग्य बकाया राशि ₹ 1.16 करोड़ (1998-99 मे ₹ 10 लाख प्राप्ति को समायोजित करने के बाद) रा.रा.क्षे.दि.स. से पुष्टि के बिना दर्शा रही है।
- कम लागत हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत बवाना में 896 फ्लैटों के निर्माण के संबंध में ₹ 34.84 करोड़ के व्यय की बुकिंग में बिलों की अनुपस्थिति में अन्नतिम/अनुमानित आधार पर दर्ज किया गया ₹ 2.08 करोड़ का व्यय सम्मिलित था ।
- बवाना रीलोकेशन इन्डस्ट्रीयल स्कीम के संबंध में, दि.ट्रा.लि. (पूर्व में दि.वि.बो.) ने पूर्व वर्ष के उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार ₹ 10.86 करोड़ की मांग की ।

नवीनतम उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 30.11.10 के अनुसार, दि.ट्रा.लि. ने ₹ 8.13 करोड़ की मांग की । इन आंकड़ों में अन्तर का समाधान अभी नहीं हुआ था। क्योंकि समाधान प्रक्रिया पिछले काफी वर्षों से बकाया थी, कम्पनी ने अधिक व्यय के किसी प्रावधान को दर्ज नहीं किया था जैसा कि दि.ट्रा.लि. द्वारा दावा किया गया है। इसके प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया।

- पाकेट-बी, बवाना औद्योगिक काम्प्लेक्स में 626 फ्लैटों को तुलन पत्र में दर्शाये गये लेकिन इन फ्लैटों का रूपए में परिवर्तित किए जाने योग्य शुद्ध मूल्य वास्तविक लागत से कम था । यह लेखा मानक-2 (सामग्री सूची का मूल्यांकन) का उल्लंघन था । इससे लाभ को ₹ 1.10 करोड़ अधिक बताया गया ।
- कम्पनी ने लेखा मानक15 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा योजना पर लेखा नीतियों को प्रकट नहीं किया था ।

6.8.2 सांविधिक निगम

इसी प्रकार दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए दो लेखे अग्रेषित किए। इनमें से एक निगम दि.प.नि. के खाते की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. के डीपीसी एक्ट,1971 के अनुबन्ध 19 के अन्तर्गत की गई तथा दूसरे निगम दि.वि.नि. का एक लेखा पूरक लेखापरीक्षा के लिए लिया गया । सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाते हैं कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है । सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का सकल धन मूल्य **तालिका 6.9** में दिया गया है:

तालिका 6.9: सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का धन मूल्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12[12]	
		खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि	खातों की संख्या	धनराशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	0.05	1	0.10
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.26	-	-	-	-
3.	हानि मे वृद्धि	1	543.05	1	1677.89	1	11.34
4.	हानि में कमी	1	1.17	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	1	19.43	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	3.82	2	15.99	2	18.68

12 खाता पर अभ्युक्तियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के तथा दिल्ली वित्त निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2011-12 के लिए है ।

वर्ष के दौरान दो निगमों के दो खातों में से अर्थात दि. वि. नि. को सांविधिक लेखापरीक्षकों से बिना-शर्त प्रमाण पत्र तथा नि.म.ले.प. से सशर्त प्रमाण दिया गया । दि.प.नि.के संबंध में,जहाँ नि.म.ले.प. एकमात्र लेखापरीक्षक है, 2011-12 वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रगति में है (जनवरी 2013)

सांविधिक निगमों के लेखों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ थीः

दिल्ली वित्त निगम (2011-12)

निगम द्वारा दिल्ली वित्त निगम,(सामान्य) विनियम, 2006 के वि. नियम 93 के प्रपत्र सी की तुलना में तुलनपत्र में परिवर्तन किए गए थे ।

- बैकों में पेंशन निधि खातों के सम्बन्ध में मियादी जमा (₹ 11.80 करोड़) को अन्य परिसम्पत्तियाँ के अन्तर्गत दर्शाया गया जबकि विनियमों के अनुसार पेंशन निधि जमाओं को 'अन्य देयताओं' के अन्तर्गत दि.वि.नि. कर्मचारी पेंशन निधि से घटाया जाना चाहिए था जिससे अन्य परिसम्पत्तियों और अन्य देयताओं का ₹ 11.80 करोड़ अधिक बढ़ाकर बताया गया था ।
- जारी किए गए परंतु अदायगी के लिए प्रस्तुत न किए गए चेक के समबन्ध में ₹ 2.63 करोड़ की देयता को नकद व बैंक अधिशेष में से घटाया गया, जबकि विनियमों के अनुसार उक्त देयता को पृथक दर्शाया जाना चाहिए था, जिससे नकद व बैंक अधिशेष और अन्य देयताओं में ₹ 2.63 करोड़ का कम दर्शाया गया ।
- मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान ₹ 44.68 लाख को "ऋण व अग्रिम" में समायोजित किया गया जबकि विनियमों के अनुसार प्रावधान को शीर्ष "प्रावधानों" के अन्तर्गत तुलन-पत्र के देयता की ओर दर्शाया जाना चाहिए जिससे ऋण तथा प्रावधानों का ₹ 44.68 लाख कम दर्शाया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के खातों में उक्त कमियों को ध्यान में लाये जाने के बाद भी निगम द्वारा अनुपालन नहीं किया गया ।

दिल्ली परिवहन निगम (2010-11)

- निगम ने ग्रैच्युटी हेतु देय ₹ 0.78 करोड़ का ग्रैच्यूटी फण्ड एडजस्टमेन्ट अकाउण्ट के बजाय ग्रैच्यूटी फण्ड अकाउन्ट में समायोजन किया जिससे एक सी धनराशि से ग्रैच्यूटी फण्ड एडजस्टमेन्ट अकाउण्ट को अधिक और ग्रैच्यूटी फण्ड अकाउण्ट में कम दर्शाया गया ।
- निगम ने ₹ 1.36 करोड़ के अधिक और निष्प्रयोज्य भण्डारों के शुद्ध उद्ग्रहणीय अनुमान को दर्शाया है । यद्यपि निगम ने लेखा मानक-2 के अनुसार ₹ 0.36 करोड़ (*26.18 प्रतिशत*) लगाया था । इससे स्टॉक एवं ट्रांजिट में भण्डारों तथा सामान को अधिक और वर्ष की हानियों को ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक को कम बताया गया ।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि के क्रय हेतु जमा के रूप में ₹ 1.56 करोड़ अग्रिम के रूप में दिए गए । इसे विविध ऋणी के बजाय ऋण व अग्रिम के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था । इससे ₹ 1.56 करोड़ से विविध ऋणी एवं अन्य प्राप्य को अधिक और अग्रिम तथा जमा में कम दर्शाया गया है ।

- निगम को एक विज्ञापन कर्ता से अनुज्ञप्ति शुल्क वसूलने थे जिसका मामला न्यायाधीन था । निगम ने उद्ग्रहणीय अनुज्ञप्ति शुल्क पर ₹ 9.38 करोड़ का ब्याज स्वीकार किया । चूंकि मामला न्यायाधीन था, ब्याज आय की मान्यता त्रुटिपूर्ण थी । इससे विविध ऋणी को अधिक और अनुद्ग्रहणीय ऋणों हेतु प्रावधान को कम बताया गया और परिणामस्वरूप हानियों को ₹ 9.38 करोड़ कम बताया गया ।
- निगम ने इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को कॉमनवेल्थ गेम्स परियोजना हेतु डीटीसी बस पार्किंग के आईपी पावर स्टेशन पर अधिष्ठापित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम (आईएसएस) हेतु ₹ 0.78 करोड़ प्रदान किए । ठेकेदार ने कार्य पूर्ण कर ₹ 1.46 करोड़ का अंतिम बिल जमा किया परंतु निगम ने इसका हिसाब नहीं दिया है । इससे अग्रिम व जमाओं को ₹ 0.78 करोड़ अधिक और परिसम्पत्तियों को ₹ 1.46 करोड़ कम, वर्तमान देयताओं का ₹ 0.68 करोड़ कम, अवमूल्यन और साथ ही साथ हानियों दोनों को ₹ 0.58 करोड़ कम बताया गया ।
- वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 0.45 करोड़ के अनुषंगी लाभ कर का यद्यपि निगम द्वारा प्रावधान किया गया, परंतु इसकी अदायगी नहीं की । इसपर ब्याज देयताएँ भी खातों में प्रदान नहीं की गई हैं । इससे वर्तमान देयताएँ व हानियों को ₹ 0.11 करोड़ कम बताया गया ।
- लेखा मानक 12 के उल्लंघन में अपनी वित्तीय विवरणियों में सरकारी सहायता के समाधान के लिए अपनायी गई लेखांकन नीति को कॉरपोरेशन ने प्रदर्शित नहीं किया है ।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउण्टेन्टस) द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत उन्हें नि.म.ले.प. द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना अपेक्षित है । एक कम्पनी[13] के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 के लिए और चार कम्पनियों[14] के संबंध में वर्ष 2011-12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पिणियाँ का निदर्शी सारांश **तालिका 6.10** में दिया गया है:

तालिका 6.10: सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों का सार

क्रम सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पिणियाँ की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या	अनुलग्नक 6.3 के अनुसार कम्पनियों का क्रम सं. संदर्भ
1.	भण्डार और अतिरिक्त वस्तुओं की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न होना	5	क-2, 5, 6, 7 व 8
2.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का न होना	5	क -2, 5, 6, 8 व 9

13 अनुलंग्नक 6.3 में क्र.सं.2

14 अनुलंग्नक 6.3 में क्रम सं. 6, 7, 8 और 9

3.	परिमाणात्मक विवरण, स्थितियों, पहचान संख्या, प्राप्तियों की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों को अवमूल्यन के बाद मूल्य और उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना	5	क - 2, 6,7,8 व 9

6.9 लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

निजी शराब आपूर्तिकर्ता दिल्ली में विभिन्न बिक्री केन्द्रों पर शराब की आपूर्ति करते हैं तथा दि.रा.औ.अ.वि.नि. आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करता है । वर्ष 2003-04 तक, भुगतान नीति ने विनिर्दिष्ट किया कि आपूर्तिकर्त्ताओं को सात दिनों के पश्चात भुगतान किया जाऐगा यदि वे एक प्रतिशत नकद छूट अनुमत करते हैं । वर्ष 2004-05 से ये नीति को बंद कर दिया गया । नवम्बर 2008 में दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए एक संशोधित आदेशकारी नीति को अपनाया। लेकिन उसी समय, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समीक्षा नहीं की तथा एक प्रतिशत नगद छूट नीति पुनः आरम्भ नहीं की । लेखापरीक्षा ने बताया कि यदि आपूर्तिकर्त्ताओं के 50 *प्रतिशत* बिलों का भुगतान भी एक सप्ताह के समय में कर दिया गया होता तो 2009-12 की अवधि के दौरान दि.रा.औ.अ.वि.नि. ₹ 3.74 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता था । लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर, दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने समीक्षा की तथा नकद छूट नीति को पुनः प्रारम्भ किया तथा ₹ 6.24 लाख नवम्बर 2012 तक अर्जित किए।

6.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति

नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.) सरकार द्वारा विधायिका में प्रस्तुत किए जाते है । पृ.ले.प. को विधायिका में प्रस्तुति की तिथि **तालिका 6.11** में दी गई है ।

तालिका 6.11 विधायिका में पृ.ले.प. प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रम सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक विधायिका में पृ.ले.प. प्रस्तुत किया गया	जिन वर्षों के पृ.ले.प. विधायिका में प्रस्तुत नहीं हुए		
			पृ.ले.प. का वर्ष	सरकार को जारी किए जाने की तिथि	विधायिका में प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारण
1	दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	-	-	-

6.11 पीएसयू का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनसंगठन

राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान किसी राज्य पीएसयू के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनसंगठन का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया ।

अध्याय-7

दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

दिल्ली में विद्युत ट्रान्समिशन तथा ग्रिड प्रचालन का प्रबन्ध दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड (दि.ट्रा.लि.) द्वारा किया जाता है । मार्च 2012 के अन्त तक, ट्रान्समिशन नेटवर्क में 12191 एमवीए की अधिष्ठापित क्षमता तथा 890.534 सी.के.एम. की ट्रान्समिशन लाईनों के साथ 400कि.वा. के तीन सबस्टेशन तथा 220 कि.वा. के अठ्ठाईस सबस्टेशन सम्मिलित थे ।

2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए दि.ट्रा.लि. की निष्पादन लेखापरीक्षा, इसके प्रचालनों की मितव्ययीता, दक्षता तथा प्रभावकारिता तथा इसकी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त करने की योग्यता का निर्धारण करने के लिए की गई ।

दि.ट्रा.लि. नियोजित 12 ई.एच.टी. स.स्टे. तथा ई.एच.टी. लाईनों की 255.01 सी.के.एम. के प्रति 2007-08 से 2011-12 के दौरान 7 ई.एच.टी. स.स्टे. तथा 87.750 सी.के.एम. ई.एच.टी लाईनें प्रारम्भ कर सकी । 2007-08 से 2011-12 के दौरान 7420 एम.वी.ए. के लक्ष्य के प्रति लक्ष्य का 32.08 प्रतिशत प्राप्त करते हुए 2380 एमवीए ट्रान्समिशन क्षमता जोड़ी गई/अभिवृद्धि की गई ।

भारत सरकार (भारत सरकार) तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दि.ट्रा.लि. को ट्रान्समिशन क्षमता के लिए कोई वर्ष-वार लक्ष्य सूचित नहीं किए गए । तथापि, भारत सरकार ने दि.ट्रा.लि. को मार्च 2012 तक 14000 एम.वी.ए. की क्षमता करने के लिए कहा । इसके प्रति, मार्च 2012 को दि.ट्रा.लि. द्वारा प्राप्त की गई क्षमता (12191 एमवीए) 13 प्रतिशत से कम थी । दि.ट्रा.लि. सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित स.स्टे. परियोजनाओं के लिए 24 महीने तथा लाईन परियोजनाओं के लिए 28 महीनों की मूल समय सारणी तथा समय ढांचे के अनुसार अपनी परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सकी ।

लाईन परियोजनाओं में 13 से 64 महीनों तथा सब स्टे. में 21 से 78 महीनों के मध्य अतिरिक्त समय अधिक लगा । ट्रान्समिशन लाईनों तथा सब स्टे. की परियोजनाओं को विचार करने से लेकर क्रियान्वयन तक पर्याप्त समय के अन्तराल के कारण ₹ 109.04 करोड़ की राशि अधिक लगी ।

अन्तर-संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों के गैर-प्रारम्भिकरण तथा परियोजनाओं के विलम्बित कार्यान्वयन के परिणाम में ₹ 287.09 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ । परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियों के पाये जाने के कारण ₹ 64.42 करोड़ की हानि/परिहार्य/अतिरिक्त व्यय हुआ । यद्यपि ट्रान्समिशन हानि 1.59 *प्रतिशत* से 1.21 *प्रतिशत* तक गिर गई परन्तु यह सभी पाँचों वर्षो के दि.वि.वि.आ. के 0.95 *प्रतिशत* के मानकों से अधिक थी जिसके परिणाम में ₹ 10.54 करोड़ की हानि हुई ।

वोल्टेज स्तरों को स्टेबिलाईज नहीं किया जा सका क्योंकि कैपेसिटर बैंकों/शन्ट रिऐक्टरों की अपर्याप्त संख्या के कारण रिएक्टिव पॉवर का बहाव नियन्त्रित नहीं था ।

निर्णय लेने में देरी, गलत निर्णय तथा अनुचित अनुबंध के कारण ₹ 5.35 करोड़ के अतिरिक्त/परिहार्य व्यय के अतिरिक्त सब स्टे. तथा लाईनों के प्रचालन तथ रखरखाव को प्रभावित किया ।

एक अनशेड्यूल्ड इन्टरचेन्ज पूल एकाउन्ट फण्ड, 31 मार्च 2012 को ₹ 165 करोड़ के शेष के साथ एस.एल.डी.सी. द्वारा प्रचालित किया गया लेकिन ग्रिड प्रणाली के सुधार की कोई योजना पर किसी राशि का उपयोग नहीं किया गया ।

दि.ट्रां.लि. ने 2007-08 से प्रचालनीय लाभ अर्जित करना प्रारम्भ किया । दि.ट्रां.लि. का कर पूर्व लाभ 2007-08 में ₹ 58.79 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1005.33 करोड़ हो गया । 2011-12 में लाभ में वृद्धि मुख्य रूप से 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिए बकायों को अनुमत करने के कारण ₹ 478.91 करोड़ की अतिरिक्त आय, 2011-12 के ए.आर.आर. में दि.वि.वि.आ. द्वारा 2011-12 के लिए ₹ 51.63 करोड़ का उच्चतर व्यय अनुमत करना तथा अन्य विविध आय में ₹ 182 करोड़ की वृद्धि के कारण थी । दि.ट्रां.लि. की संचित हानि 2007-08 में ₹ 3607.30 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2552.29 करोड़ हो गई ।

दि.ट्रा.लि. द्वारा एआरआर में ₹ 1248.27 करोड़ की राशि का दावा किया गया जो 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमोदित किया गया यद्यपि इसे अभी ठीक किया जाना है । दि.ट्रां.लि. द्वारा व्हीलिंग पॉवर पर डिस्कॉमों को ₹ 6.81 करोड़ की छूट दी गयी थी । जो दि.वि.वि.आ. द्वारा अनुमत नहीं किया गया ।

व्हीलिंग प्रभारों के भुगतान में डिस्कॉम (बी.आर.पी.एल. तथा बी.वाई.पी.एल) अक्टूबर 2010 से नियमित नहीं थे । उनसे 15 दिसंबर 2012 को ₹ 754.83 करोड़ की राशि बकाया थी ।

सामग्री की प्राप्ति में कमियों के परिणाम में ₹ 4.44 करोड़ की हानि तथा अतिरिक्त व्यय हुआ । स्क्रैप ट्रान्सफार्मरों के निपटान में सात तथा 80 महीनों के मध्य असामान्य विलम्बों के परिणाम में ₹ 7.03 करोड़ का अवरोधन तथा ₹ 2.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

7.1 प्रस्तावना

2012 तक सभी को विश्वसनीय तथा गुणवत्ता पॉवर आपूर्ति की दृष्टि से, भारत सरकार (भारत सरकार) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (रा.वि.नी.) तैयार की जो कहती है कि देश के लिए एक मजबूत तथा एकीकृत पॉवर प्रणाली का विकास करने के लिए दक्ष तथा समन्वित कार्रवाई के अतिरिक्त पर्याप्त तथा सामयिक निवेश की आवश्यकता है । साथ ही, केन्द्र/राज्य पारगमन उपयोगिता के समन्वय से राष्ट्रीय तथा राज्य ग्रिड के विकास की आवश्यकता का पता भी चला । दिल्ली में विद्युत पारगमन तथा ग्रिड संचालन का प्रबन्ध तथा नियंत्रण दिल्ली ट्रान्सको लिमिटेड (दि.ट्रा.लि.) द्वारा किया जाता है जिसे एक दक्ष, पर्याप्त तथा उचित रूप से समन्वयित ग्रिड प्रबन्धन तथा ऊर्जा पारगमन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है । दि.ट्रा.लि., कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 4 जुलाई 2001 को गठित पॉवर ट्रान्समिशन गतिविधियों के लिए पूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) की उत्तरवर्ती कम्पनी है, जो एक जुलाई 2002 को अस्तित्व मे आई । दि.वि.बो. के अनबंडल होने के पश्चात रा.रा.क्षे. दिल्ली में पॉवर वितरण क्षेत्र निजी कम्पनियों को सौंपा गया है जबकि उत्पादन तथा ट्रान्समिशन अभी भी सरकार के पास है (स्वयं की कम्पनियाँ) । दि.ट्रा.लि., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के विद्युत विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत है ।

दि.ट्रा.लि. का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आठ सदस्यों सहित चार स्वतन्त्र निदेशकों से बने निदेशक मण्डल में निहित है । दिन-प्रतिदिन का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो दि.ट्रा.लि. के मुख्य कार्यकारी है के द्वारा निदेशक (संचालन), निदेशक (वित्त), निदेशक (मानव संसाधन) तथा कम्पनी सचिव की सहायता से किया जाता है । 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास 890.534 सर्किट किलो मीटर (सी.के.एम.) के नेटवर्क की ट्रान्समिशन लाईन तथा 12191 मेगा वोल्टेज एम्पीयर (एम.वी.ए.) की अधिष्ठापित क्षमता के साथ 31 सब-स्टेशन (एस.एस.) थे जो 220 के.वी. पर 70 प्रतिशत क्षमता पर 52306 मिलियन यूनिट (एम.यू.)[1] की वार्षिक पारगमन के योग्य थे ।

दिल्ली की पॉवर आवश्यकता 22086 एम.यू. से 25602 एम.यू. की सीमा के प्रति, 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान दि.ट्रा.लि. के द्वारा 21958 एम.यू. से 25284 एम.यू. की सीमा के बीच पॉवर ट्रान्समिट की गई (आवश्यकता की 99.70 *प्रतिशत* से 99.24 *प्रतिशत* तक पॉवर पारेषित की गई) (**पैराग्राफ 7.8.4** में चर्चा की गई है)। 2011-12 में दि.ट्रा.लि. की टर्नओवर ₹ 1447.36 करोड़ थी जो संबंधित वर्ष के लिए ₹ 313934 करोड़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.46 *प्रतिशत* के बराबर थी । 31 मार्च 2012 को इसमें 1666 कर्मी नियुक्त थे ।

[1] मिलियन यूनिट : बिजली की एक यूनिट 1 घंटा उपयोग की गई । कि.वाट घण्टा (1000 वॉट) के बराबर है (1 यूनिट = 1 कि.वाट यूनिट 1 एम.यू. = 1000000 कि.वाट घण्टा

7.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

यह प्रस्तुत निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 और 2011-12 के बीच कम्पनी की ट्रान्समिशन गतिविधियों का निष्पादन कवर करते हुए फरवरी तथा जून 2012 के दौरान संचालित किया गया ।

पूँजीगत परियोजनाऐं (ट्रान्समिशन लाईनें तथा सब-स्टेशन) जिनकी योजना बनायी गई की तुलना में दि.ट्रा.लि. द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रारम्भ करने तथा लेखापरीक्षा द्वारा जाँची गई परियोजनाऐं **अनुलग्नक -7.1** में वर्णित हैं ।

लेखापरीक्षा जाँच में मुख्यालय तथा यूनिटों अर्थात स्टेट लोड डिस्पैच सैन्टर (एस.एल.डी.सी.), योजना, परियोजनाऐं, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव (एस.एस. की मरम्मत तथा रखरखाव तथा ₹ 25 लाख की निविदा लागत से अधिक की लाईनें), स्टोर एवं खरीद (₹ 25 लाख से अधिक के खरीद आदेश), दि.ट्रा.लि. के वित्त एवं वाणिज्यिक विभाग में रिकॉर्ड की जाँच सम्मिलित है ।

7.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारण करने के लिए थे कि क्या:

- परिपेक्ष्य योजना राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा राज्य विद्युत नियमन कमीशन (रा.वि.नि.क.) की दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है तथा योजना बनाने में असफलता के प्रभाव का निर्धारण, यदि कोई है:
- ट्रान्समिशन प्रणाली का संचालन तथा रखरखाव मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावी ढंग से किया गया था;
- ट्रान्समिशन प्रणाली एड-कमिशन्ड मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावी ढंग से विकसित किया गया था;
- डिजास्टर प्रबंधन प्रणाली को इसके प्रचालनों को अप्रत्याशित विघटन के प्रति सुरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया था;
- प्रभावी तथा दक्ष वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का ज़ोर समय से बिलों को बनाने तथा संग्रहण करने तथा समय से दर-सूची परिवर्तन के लिए एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेन्ट (एआरआर) को फाईल करने पर था;
- सामग्री को प्राप्त करने की दक्ष तथा प्रभावी प्रणाली तथा इन्वेन्टरी नियंत्रण क्रियाविधि विद्यमान थी;
- दक्ष तथा प्रभावी ऊर्जा लेखांकन तथा लाईन पर लेखापरीक्षा मीटर सेन्ट्रल इलैक्ट्रिक अथॉरिटी (सी.ई.ए.) के दिशा-निर्देशों के साथ स्थापित थीं तथा;
- विद्यमान/जारी परियोजनाओं, पता लगाई गई कमियों को ठीक करने के लिए सुधारात्मक मापदण्ड लेने, लेखापरीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए शीघ्रता से तथा पर्याप्त रूप से जवाब देने के पुनरीक्षण के लिए एक मॉनीटरिंग प्रणाली विद्यमान थी ।

7.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

दि.ट्रा.लि. की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न स्रोत से प्राप्त मापदण्ड के प्रति निर्देश चिन्हित की गई थी:

- ❖ राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रावधान;
- ❖ दि.ट्रा.लि. की परिपेक्ष्य योजना तथा परियोजना प्रतिवेदन;
- ❖ मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता, इक्विटी तथा आचार नीति के संदर्भ में अनुबंधों को प्रदान करने के लिए मानक प्रविधियाँ;
- ❖ दर सूची निश्चित करने, परिपत्रों, नियम पुस्तिकाएं, प्र.सू.प्र. प्रतिवेदन तथा बोर्ड कार्यवृतान्त के लिए दिल्ली विद्युत नियमन आयोग (दि.वि.नि.आ.) को एआरआर फाईल करना;
- ❖ पारगमन योजना मापदण्ड की नियम पुस्तिका (पा.यो.मा.नि.);
- ❖ योजना, प्रचालन, संबंध हेतु कोड समेत ग्रिड कोड;
- ❖ राज्य सरकार/विद्युत मन्त्रालय (वि.मं.) भारत सरकार से जारी निर्देश;
- ❖ दि.वि.नि.आ./के.वि.प्रा. द्वारा जारी मापदण्ड/दिशा निर्देश; तथा
- ❖ वि.म.द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन में की गई पारगमन के संबंध में उत्तम व्यवहार्य सिफारिशें !

7.5 लेखापरीक्षा कार्यविधि

उच्च प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों को वर्णित करने, अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा की जाने वाली संस्था के कर्मियों से बातचीत, लेखापरीक्षा मापदण्ड के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, प्रबन्धन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा, प्रबन्धन /सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए मसौदा संवीक्षा जारी करना लेखापरीक्षा के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य विधि में सम्मिलित है ।

लेखापरीक्षा ने निम्न मिली-जुली कार्य प्रणाली अपनाई :

- ❖ कार्यवृत नोट तथा बोर्ड के कार्यवृतान्त की संवीक्षा/ग्रिड समन्वय समिति (ग्रि.स.स.), वार्षिक प्रतिवेदन, एस.एल.डी.सी., प्र.सु.प्र. की रिपोर्ट;
- ❖ भौतिकीय तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की जाँच;
- ❖ वार्षिक लेखों /बजटों से आँकड़ों का विश्लेषण तथा समापन रिपोर्टों के साथ भौतिकीय तथा वित्तीय प्रगति;
- ❖ दि.वि.नि.आ. द्वारा एआरआर की संवीक्षा तथा दस-सूची को निश्चित करना;

- ❖ परियोजनाओं को प्रदान करने, क्रियान्वयन, निधि प्रदान करना तथा व्यय से संबंधित अभिलेखों की जाँच;
- ❖ सामग्री तथा इन्वेन्ट्री नियंत्रण से संबन्धित अभिलेखों की जाँच; तथा
- ❖ प्रबन्धन के साथ मेलजोल।

7.6 ट्रान्समिशन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

विद्युत के पारगमन को उच्च वोल्टेज पर सामान्यतः 132 के.वी. तथा अधिक पर, लम्बी दूरी तक पॉवर संयत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत पॉवर का उच्च वोल्टेज पर बढ़ाया जाता है। पॉवर स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इससे पूर्व इसे ट्रान्समिशन में हानि को कम करने के लिए तथा ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रान्समिट किया जाए उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत स.स्टे. के पास सुविधाएँ है जिन्हें वोल्टेज को एक स्तर से अन्य पर बढ़ाने /कम करने के लिए, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने के लिए तथा प्रणाली के बाहर व अन्दर यन्त्रों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उत्पादन स्टेशनों पर स्टेपअप ट्रान्समिशन स.स्टे. लम्बी दूरियों के लिए ट्रान्समिशन हेतु वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रान्सफार्मरों का उपयोग किया जाता है।

ट्रान्समिशन लाईनों में उच्च वोल्टेज इलैक्ट्रिक पॉवर होती है। स्टेप-डाउन ट्रान्समिशन स.स्टे. उसके पश्चात उपभोक्ता को वितरण करने के लिए सब-ट्रान्समिशन वोल्टेज स्तरों की वोल्टेज को कम करता है। वितरण प्रणाली में लाईनें, खम्बे, ट्रान्सफार्मर तथा अन्य उपकरण सम्मिलित होते है जिनकी निश्चित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यकता होती है।

जैसा कि विद्युत ऊर्जा का भण्डारण नहीं किया जा सकता; अतः उत्पादन आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक ट्रान्समिशन प्रणाली को एक नियंत्रण की उन्नत और जटिल प्रणाली की आवश्यकता होती है। जिसे ग्रिड प्रबंधन कहते है जो पॉवर आवश्यकता का सन्तुलन मांग के समीप उपलब्धता सुनिश्चित करता है। ट्रान्समिशन प्रक्रिया का एक चित्रमय वर्णन नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दि.ट्रा.लि. को लेखापरीक्षा उद्देश्य, 9 फरवरी 2012 को हुए एक प्रवेश सम्मेलन के दौरान वर्णित किए गए । इसके पश्चात लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दि.ट्रा.लि. तथा राज्य सरकार को (सितम्बर 2012) रिपोर्ट किया गया तथा एक 'समापन सम्मेलन' (4 जनवरी 2013) में चर्चा की गई । समापन सम्मेलन प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा), दिल्ली की अध्यक्षता में हुआ जिसमें दि.ट्रा.लि. के निदेशक(वित्त) तथा निदेशक (प्रचालन) तथा अति.सचिव (पॉवर) रा.रा.क्षे.दि.स. उपस्थित थे दि.ट्रा.लि./राज्य सरकार ने दिसम्बर 2012 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का जवाब दिया । उनके द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार किया गया तथा निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिमरूप देते हुए समाविष्ट कर लिया गया है । बाद के पैराग्राफों में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा की गई है ।

7.7 योजना

7.7.1 राष्ट्रीय विद्युत योजना

सैन्ट्रल ट्रान्समिशन यूटीलिटिज (सी.टी.यू.) तथा स्टेट ट्रान्समिशन यूटिलिटिज(एस.टी.यू) के पास सभी सबधित ऐजेन्सियों के साथ समन्वय में राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित नेटवर्क योजना तथा विकास की प्रमुख जिम्मेदारी है । 10 वीं पंचवर्षीय योजना (मार्च 2007) के अन्त में देश में 765/एच.वी.डी.सी./400/230/220 के.वी. पर ट्रान्समिशन प्रणाली ट्रान्समिशन लाईनों के 1.98 लाख सी.के.एम.पर रही जिसे 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2.93 लाख सी.के.एम बढ़ाने की योजना थी । राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006-07 के अंत तक 14100 मे.वा.का अन्तर प्रादेशिक ट्रान्समिशन क्षमता का आकलन किया तथा आगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल अन्तर-प्रादेशिक क्षमता 37700 मे.वा. तक लाने के लिए 23600 मे.वा.बढ़ाने की योजना बनाई ।

2007-08 के प्रारम्भ में, दि.ट्रा.लि. के ट्रान्समिशन नेटवर्क में 24 एक्सट्रा हाई टेन्शन (ई.एच.टी.) सब.स्टे. 9811 एमवीए की ट्रान्समिशन क्षमता तथा ईएचटी ट्रान्समिशन लाईनों की 802.784 सी.के.एम सम्मिलित थीं । 31 मार्च 2012 को ट्रान्समिशन नेटवर्क में 31 ई.एच.टी.स.स्टे.12191 एम.वी.ए. की ट्रान्सफोरमेशन क्षमता तथा ई.एच.टी. ट्रान्समिशन लाईनों की 890.534 सी.के.एम के साथ सम्मिलित थी ।

क्षमता वद्धि की योजना के लिए मांग का निर्धारण महत्वपूर्ण पूर्व वांछनीय है । दि.ट्रा.लि., एस.टी.यू. होने के कारण दिल्ली में अन्तर-राज्यीय ट्रान्समीशन प्रणाली की योजना तथा उसे विकसित करने के लिए जिम्मेदार था । 30 मई 2007 को, दि.वि.नि.सी. ने दि.ट्रा.लि. को एक राज्य विद्युत योजना (व्यवसायिक योजना) तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया ।

दि.ट्रा.लि. ने अपनी योजना (पूँजीगत निवेश योजना) शिखर माँग के लिए प्रक्षेपणों के आधार पर 2007-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए योजनाओं के प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया । व्यावसायिक योजनाओं को दि.वि.नि.आ. को प्रस्तुत किया तथा दि.वि.नि.आ. से स्कीम-वार अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यान्वित किया ।

7.7.2 ट्रान्समिशन नेटवर्क और इसकी वृद्धि

2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी की ई.एच.टी स्त्रर पर ट्रान्समिशन क्षमता नियोजित तथा वास्तविक उपलब्धि **अनुलग्नक-7.2(ए) तथा 7.2(बी)** में दी गई है ।

यह देखा गया कि 12 ई.एच.टी.स.स्टे. के उत्थापन, अधिष्ठापन तथा प्रारम्भ करने तथा ई.एच.टी. लाईनों के 255.01 सी.के.एम के लक्ष्यों के प्रति, दि.ट्रा.लि. पांच वर्ष की अवधि के दौरान (क्रमशः 42 *प्रतिशत* तथा 66 *प्रतिशत* की कमी रही) 7 ई.एच.टी.स.स्टे. तथा 87.750 सी.के.एम.ई.एच.टी.लाईनें प्रारम्भ करने के योग्य थी । 2011-12 को समाप्त पाँच वर्षीय अवधि के दौरान 32.08 *प्रतिशत* प्राप्त करते हुए 7420 एम.वी.ए. के लक्ष्य के प्रति 2380 एम.वी.ए. ट्रान्समिशन क्षमता में जोड़ी बढ़ाई गई । यह देखा गया है कि 2007-08 से 2011-12 क दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, क्रमशः ट्रान्सफार्मरों तथा ट्रान्समिशन लाईन क्षमता के संबंध में 58.46 *प्रतिशत* एवं 74.22 *प्रतिशत* तथा 33.56 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* की सीमा में थी ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.ट्रा.लि. को अलग से कोई वर्ष-वार लक्ष्य सूचित नहीं किए । यद्यपि, भारत सरकार ने दि.ट्रा.लि. (दिसम्बर 2006) को मार्च 2012 (11वीं योजना) तक 14000 एम.वी.ए. की क्षमता करने के लिए सूचित किया । इसके प्रति मार्च 2012 तक (12191 एम.वी.ए.) की अधिष्ठापित क्षमता 13 प्रतिशत से कम थी ।

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी तथा उनके कारणों की चर्चा निम्न पैराग्राफों में की गई है।

7.7.3 ट्रान्समिशन प्रणाली का परियोजना प्रबंधन

एक ट्रान्समिशन परियोजना में संकल्पना से लेकर प्रारम्भ करने तक विभिन्न गतिविधियाँ सम्मिलित होती है । एक ट्रान्सनिशन परियोजना में मुख्य गतिविधियाँ (i) परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन तथा अनुमोदन पक्ष तथा (ii) परियोजना कार्यान्वयन तथा प्रारम्भिकरण पक्ष होते हैं ।

सी.ई.ए./भारत सरकार की टॉस्क फोर्स, के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रान्समिशन परियोजना को इस प्रकार नियोजित, प्रदान तथा क्रियान्वयन किया जाना चाहिए कि ट्रान्समिशन लाईन तथा स.स्टे. परियोजनाओं की पूरी प्रक्रिया क्रमशः निदेशक मण्डल (नि.म.) द्वारा परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 28 तथा 24 महीनों के बीच पूर्ण हो जानी चाहिए ।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कम्पनी 2007-12 के दौरान कई ट्रान्समिशन लाईनों तथा सबस्टेशनों को निर्धारित समय सारणी के मध्य क्रियान्वित करने में असफल रही थी । 2007-12 के बीच लिए गए 16 ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं (क्षमता=211.368 सी.के.एम) में से लेखापरीक्षा द्वारा 10 मुख्य ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं (क्षमता 159.868 सी.के.एम[2].) की संवीक्षा की गई । संवीक्षा किए गए 10 ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं में से केवल 5 लाईनें सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 28

महीनों के परे 13 महीनों तथा 60 महीनों की सीमा के विलम्बों के साथ पूर्ण तथा समर्पित की गई (जून 2012) । बाकी 5 अपूर्ण लाईनें सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 28 महीनों के परे 16 तथा 64 महीनों के बीच विलम्बों के साथ क्रियान्वयन के अन्तर्गत थी जो पूरा होने के लिए मार्च 2010 तथा मई 2011 के बीच सूचीबद्ध थीं ।

समानरूप से, 2007-12 की अवधि के दौरान दि.ट्रा.लि. द्वारा लिए गए 12 सब.स्टे. परियोजनाओं में से , लेखापरीक्षा ने 11 सब.स्टे. परियोजनाओं की जाँच की जिसमें से केवल सात सब स्टे.(छ: सब स्टे.मार्च 2012 तक तथा एक मई 2012 में) 23 महीनों तथा 64 महीनों की सीमा के विलम्ब के साथ पूरे हुए तथा प्रारंभ किए गए तथा एक सब स्टे. (बवाना) 2 महीनों के विलम्ब के साथ पूरा हुआ । बाकी पाँच सबस्टेशन, 21 तथा 78 महीनों की विलंब सीमा के मध्य क्रियान्वित हुए । ट्रान्समिशन लाईन तथा सब स्टे. परियोजनाओं के लिए निदेशक मण्डल की अनुमोदन तिथि से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 67 महीनों का औसत समय लिया गया ।

ट्रान्समिशन लाईनों तथा सब स्टे.परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब का विवरण **अनुलग्नक -7.3** में दिया गया है ।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि इन विलम्बों के लिए मुख्य कारण (i) अनुसरण तथा दि.वि.वि.आ. से अनुमोदन में विलम्ब, (ii) सू.आ.नि. आमन्त्रित करने में विलम्ब, (iii) बोलियों के मूल्यांकन तथा टर्न-की परियोजनाओं को सौंपे जाने की प्रक्रिया में अधिक समय लिया गया, (iv) कार्य सौंपने के पत्र को जारी करने में विलम्ब, (v) भूमि अधिग्रहण तथा स्थान को सौंपने में विलम्ब, (vi) सिविल ऐजेन्सियों/सरकारी विभागों से रास्ते के अधिकार (रा.अ.) के प्रबन्ध में विलम्ब तथा (vii) ठेकेदारों द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब थे

7.7.4 योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन में देरी के कारण अधिक लागत

चार ट्रांसमिशन लाईन परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि महारानी बाग से इलेक्ट्रिक लेन तक, महारानी बाग से मस्जिद मोठ तक, महारानी बाग से एम्स तक, तथा शालीमार बाग से वजीरपुर तक **(अनुलग्नक-7.4)**, इन परियोजनाओं में दि.ट्रा.लि. ने यह निर्णित करने में कि इनमें क्रास लिंक पोलिइथाईलीन (एक्सएलपीई) की 1200 वर्ग मि.मी. या 1000 वर्ग मि.मी. में से किस साईज की केबल का प्रयोग किया जाए, दो से तीन वर्षों का समय लगा दिया । इन परियोजनाओं के लिए बोर्ड के प्रारंभिक अनुमोदन के समय लागत अनुमान ₹ 308.26 करोड़ से बढ़कर ₹ 377.76 करोड़ हो गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 69.50 करोड़ की राशि की

[2] महारानी बाग से एचसीएमएल (16.868 सीकेएम), रिजवैली से एम्स (11.62 सीकेएम), महारानी बाग से ट्रॉमा सेन्टर (19.156 सीकेएम), शालीमार बाग से वजीरपुर (8.36 सीकेएम), पीरागढ़ी से मुंडका (26 सीकेएम), पीरागढ़ी से वजीरपुर (17.2 सीकेएम), महारानी बाग से मस्जिद मोठ (18.404 सीकेएम), बामनौली से महरौली (19.96 सीकेएम), रिजवैली से नारायना (4.3 सीकेएम) और महारानी बाग से गाजीपुर (18 सीकेएम)

लागत अधिक हो गई । इसके अतिरिक्त, दो एस एस के संबंध में यह देखा गया कि इस विषय में सभी प्रदान करने तथा योजना बनाने में देरी के कारण, बोर्ड द्वारा अनुमानों की मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में कार्य सौंपे जाने के समय, लागत देय राशि (₹ 150.53 करोड़) से ₹ 39.54 करोड़ अधिक हो (₹ 190.07 करोड़) गई । उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त संवीक्षा ने यह भी दर्शाया कि एन.आई.टी को मंगाए जाने, बोलियों के मूल्यांकन तथा परियोजनाओं को सौंपे जाने में अधिक समय लिए जाने से विलम्ब हुआ ।

प्रबन्धन ने मामलों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2012) कहा कि इन परियोजनाओं को विभिन्न कारणों से निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सका जैसा कि लेखापरीक्षा पैराओं में इंगित किया गया था जबकि यह भी कहा गया कि 28 महीनों में इस परियोजना को पूरा किया जाना मुश्किल था क्योंकि 220 के.वी.यू./जी. केबल बहुत तकनीकी तथा परिष्कृत मदें है, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बोली द्वारा एक बहुत बड़े पैमाने की परियोजना के लिए पहली बार क्रय किया गया था, इसलिए, टेण्डर्स को अन्तिम रूप दिए जाने तथा इसे उचित रूप से निष्पादित किए जाने में अधिक समय लिया गया । प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि सब-स्टेशन-निर्माण के साथ-साथ इन लाईन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयत्न किए जाएगे ।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब न केवल विश्वसनीय गुणवत्ता पॉवर सप्लाई से उपभोक्ता वंचित रहे अपितु परियोजनाओं को बनाने तथा उन्हें सौपें जाने में काफी समय का अन्तराल होने के कारण अत्यधिक लागत ₹ 109.04 करोड़ (₹ 69.50 करोड़ तथा ₹ 39.54 करोड़) से बढ़ गई ।

7.7.5 ट्रान्समिशन लाईन्स के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण एन.डी.पी.ई. पाईपों के दिए गए आर्डर से अधिक प्रयोग में लाए जाने से ₹ 24.86 करोड़ का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय

ट्रान्समिशन लाईन की परियोजनाओं में, केबल्स अधिकतर सीधे ही खोदकर बिछाई जाती है तथा जलाशयों, रेलवे लाईनों स्ट्रीट क्रासिंग इत्यादि को पार करने के लिए एच.डी.पी.ई. पाईपों में केबल्स को समायोजित करते हुए प्रयोग में लाई जाती है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि पाँच लाईनें जैसे महारानी बाग से ट्रामा सेंटर, महारानी बाग से इलैक्ट्रिक लेन, महारानी बाग से मस्जिद मोठ, पीरागढ़ी से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा शालीमार बाग से वजीरपुर तक के संबंध में कम्पनी ने एनआईटी में 9 किमी. के प्रति खोदे जाने/लगाए जाने सहित 220 के.वी. केबल्स बिछाने के लिए एच.डी.पी.ई. के 138.10 किमी. पाइपों का प्रयोग किया । इस प्रकार दि.ट्रा.लि. ने 129.10 किमी. एच.डी.पी.ई. पाईप का अधिक प्रयोग करके ₹ 24.86 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि उल्लिखित पहली तीन ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं के संबंध में, राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान अन्य सिविक एजेन्सियों द्वारा लैंड स्केपिंग, सड़कों के नवीकरण, तथा सौन्दर्यीकरण के संबंध में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व केबल्स को खरीदा नहीं जा सका, जबकि दिसम्बर 2004 में इन सभी तीनों

परियोजनाओं के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अनुमोदन ले लिया गया था । केबल्स प्राप्त होने पर उन्हें बिछाने के लिए दि.ट्रा.लि. को भूमिगत एच.डी.पी.ई. पाईपों को बिछाने के लिए बाधित होना पड़ा । अन्य दो ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं के संबंध में, अधिक मात्रा में प्रयोग में लाई गई एच.डी.पी.ई. पाईपों के लिए लिखित औचित्य नहीं पाए गए थे ।

प्रबन्धन ने पहली तीन ट्रान्समिशन लाईनों के सम्बन्ध में उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया । उन्होंने यह भी कहा कि अन्य दो लाईनों के सम्बन्ध में जब मंजूरी ली गई तो कार्यस्थल की स्थिति के कारण मात्रा में हुई वृद्धि का उल्लेख किया गया था । यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एनआईटी में दी गई एच.डी.पी.ई. पाईप की मात्रा की तुलना में प्रयोग में लाई गई मात्रा अधिकतर भिन्न थे ।

7.7.6 ट्रान्समिशन लाईनों तथा एस.एस.परियोजना के गैर-समक्रमण होने के कारण धन का अवरोधन

लेखापरीक्षा ने अन्तःसम्बन्ध परियोजनाओं कार्यकलापों के गैर समक्रमण तथा सब स्टेशन (लोनी रोड़, हर्ष विहार) तथा 4 ट्रान्समिशन लाईनों के कार्यान्वयन की योजना में कमी का अवलोकन किया परिणामस्वरूप ₹ 287.09 करोड़ से अधिक की राशि का अवरोधन हुआ जैसाकि **अनुलग्नक-7.5** में ब्यौरा दिया गया है ।

7.7.6.1 ईस्ट ऑफ में लोनी रोड़ (हर्ष विहार) पर 400 के.वी. जी.आई.एस. सब-स्टेशन की स्थापना

डी.ई.आर.सी. तथा भारत सरकार के कार्यदल के निदेर्शों के अनुसार, टेण्डर्स को जारी करने से पूर्व कार्यस्थल भूमि का प्रत्यक्ष कब्जा तथा भू-स्वामी एजेन्सियों से आर.ओ.डब्ल्यू की मूल अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है ।

मंडोला से 400 के.वी.डी./सी. लाईन द्वारा लोनी रोड़ पूर्व को विद्युत आपूर्ति के लिए बवाना के 1500 एम.डब्ल्यू कन्टीन्यूड साइकिल गैस टरबाईन (सी.सी.जी.टी.) प्रगति III से पॉवर की आवश्यक निकासी प्राप्त करने के लिए, दि.ट्रा.लि. ने टर्न-की पैकेज के तहत लोनी रोड़ पूर्व पर ₹ 250.24 करोड़ की लागत पर 400/220/66 के.वी. गैस इन्सुलेटिड स्विचगियर (जी.आई.एस.) की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण, तथा स्थापना के लिए एक स्कीम की मंजूरी (मार्च 2009) दी । डी.ई.आर.सी. द्वारा स्कीम के शीघ्र निष्पादन की आवश्यक जरूरत को समझते हुए जून 2009 में इसकी मंजूरी दी गई थी । मैसर्स ह्वेसंग कारपोरेशन को निर्माण कार्य सितम्बर 2011 तक पूरा किए जाने हेतु ₹ 180.75 करोड़ की लागत पर सौंपा गया (मार्च 2010) ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एनआईटी के समय पर योजना के लिए वांछित 80 बीघा तथा 15 विस्वा भूमि में से, 21 बीघा तथा तीन बिस्वा भूमि के टुकड़े की दि.ट्रा.लि. के सब स्टेशन के मुख्य मार्ग पर आवागमन के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत करने की आवश्यकता थी पर वह मुकदमेबाजी के कारण उपलब्ध नहीं थी । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने (जनवरी 2012) भूमि के बताए गए हिस्से के अधिग्रहण किए जाने को रद्द कर दिया तथा नई अधिसूचना को जारी करने का निर्देश दिया । मार्च 2012 में भूमि अधिग्रहण के

लिए नई अधिसूचना को जारी किया गया था, जबकि दिसम्बर 2012 तक दि.ट्रा.लि. को भूमि का कब्जा नहीं मिला ।

उपभोक्ताओं को विश्वसनीय पावर से वंचित करने के अलावा ऑफ-शोर आपूर्ति के लिए (₹ 74.26 करोड़)तथा ऑन-शोर आपूर्ति तथा कार्यान्वयन के लिए (₹ 78.90 करोड़) मार्च 2012 तक ₹ 153.16 करोड़ के व्यय का अवरोधन हो गया ।

प्रबन्धन ने विलम्बता को स्वीकार किया तथा कहा (दिसम्बर 2012) कि मामले में कुछ अधिक नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह न्यायालय के विचाराधीन था यद्यपि उन्होंने विश्वास दिलाया कि मामले का समाधान किया जाएगा तथा सबस्टेशन को विद्युत दी जाएगी । तथ्य यह है कि भूमि को स्पष्ट रूप से अधिग्रहण न होने के बावजूद उपकरण के आर्डर को आमंत्रित और एन.आई.टी को जारी किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 153.16 करोड़ की राशि का अवरोधन हुआ ।

7.7.6.2 220 के.वी.1000 स्के.मी.मी.यू./जी.एक्स.एल.पी.ई. केबल का (i) मुण्डका से पीरागढ़ी सबस्टेशन तथा (ii) पीरागढ़ी से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सबस्टेशन के मध्य लिंक

सी.ई.ए. ने प्रतिपादित किया (मार्च 2006) कि दिल्ली के पीरागढ़ी में 220 के.वी. एस.एस. स्थापित कर मुण्डका के 400/220 के.वी. ग्रिड से पावर लेकर उपयोग किया जाए। पीरागढ़ी सब स्टेशन को वजीरपुर में बनने जा रहे 220 के.वी. सबस्टेशन के साथ 220 के.वी. डी./सी. 1000 स्के.एम.एम. यू./जी. केवल ट्रान्समिशन लाईन द्वारा जोड़ा जाना था ।

निदेशक मंडल ने जून 2009 में मुण्डका सबस्टेशन से पीरागढ़ी में बनने जा रहे एस एस तथा जून 2009 में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब स्टे. से पीरागढ़ी सब स्टे. तक 220 के.वी. यू./जी. एक्स.एल.सी.ई. केबल बिछाए जाने की स्कीम के लिए मंजूरी क्रमशः ₹ 177.52 करोड़ तथा ₹ 141.13 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रदान की। अक्तूबर 2009 में दोनों कार्यो के लिए टेण्डरों को अलग-अलग आंमत्रित किया गया । दोनों ठेकों को 28 मई 2010 में एक चीनी कम्पनी मैसर्स टी.बी.ई.ए. शानडोंग ल्यूंग तायशान केबल कम्पनी लिमिटेड (टी.बी.ई.ए.) को क्रमशः ₹ 111.70 करोड़ तथा ₹ 87.71 करोड़ की लागत मूल्य पर मई 2011 के निर्धारित समय पर पूरा किए जाने के साथ सौंपा गया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि मैसर्स टी.बी.ई.ए. को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक से परियोजना कार्यालय तथा बैंक खाता खुलवाने की अनुमति प्राप्त करनी थी । जबकि मई 2011 में मैसर्स टी.बी.ई.ए. परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित अवधि के तकरीबन अंत में भारत में परियोजना कार्यालय को बनाए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति प्राप्त किए जाने के लिए अनुमति माँगी । भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर 2012 तक अनुमति प्रदान नहीं की थी । जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को शोर सप्लाई तथा कार्य के निष्पादन के लिए भारतीय मुद्रा में भुगतान नहीं किया जा सका तथा ठेकेदार ने कार्य बंद कर दिया ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टैक्निकल बिड (दिसंबर 2009) से एलओए (मई 2010) मे पर्याप्त समय होने के बावजूद दि.ट्रा.लि. यह जाँचने में विफल रहा कि क्या मैसर्स टीबीईए के पास कार्य सम्पन्न करने की सरकार से अनुमति थी । इसके अतिरिक्त,

एनआईटी में इस हद तक खामियाँ थी कि उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि बोलीकर्ता के पास भारत में परियोजना कार्यालय तथा बैंक खाता होना चाहिए अथवा कोई नियोज्य विदेशी कम्पनी होना चाहिए जो भारत में नियमों के मापदण्डों के अनुरूप कार्य करने वाली विदेशी कम्पनी हो ।

इस प्रकार, दोनों लाइनें अनुपयोगी पड़ी रही तथा दोनों लाइनों पर अब तक ₹ 102.18 करोड़[3] का व्यय (पीरागढ़ी से वजीरपुर पर ₹ 46.29 करोड़ तथा मुण्डका से पीरागढ़ी लाईन तक ₹ 55.89 करोड़) हुआ जो अवरोधित रहा । इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विश्वसनीय पॉवर की गैर उपलब्धता हुई ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि मैसर्स टी.बी.ई.ए. ने कार्य सौंपे जाने से पूर्व हुई चर्चा के दौरान सूचित किया था कि दिल्ली में उनका एक स्थानीय कार्यालय है जिसका एल.ओ.ए. के बाद में विस्तार किया जायेगा तथा अब दि.ट्रा.लि. मैसर्स टी.बी.ई.ए. को परियोजना कार्यालय तथा बैंक खाता खोलने के अनुमोदन देने की भारतीय रिजर्व बैंक से कोशिश कर रहा है ।

प्रबन्धन का जवाब स्वीकार्य नही है क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना (मई 2000) के अनुसार चीनी फर्म के स्वामित्व वाले व्यापार को भारत में परियोजना कार्यालय बनाने से पहले अनुमति लेनी आवश्यक होती है जिसे इस मामले में नहीं लिया गया । इस प्रकार नियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से जरूरी अनुमति के अभाव की जाँच किए बिना मैसर्स टी.बी.ई ए. द्वारा दी गई सूचना पर विश्वास कर परियोजना पर किया गया, व्यय अवरोधित हो गया । दि.ट्रा.लि. के पास कार्य को पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं थे ।

7.7.6.3 शालीमार बाग स.स्टे. और प्रस्तावित वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र सब स्टे.के बीच की 220 के.वी. 1000 स्के.मी.मी. का केबल लिंक

मैसर्स टी बी ई ए को 28 मई 2010 को टर्न-की आधार पर ₹ 41.11 करोड़ की लागत पर 220 के.वी. डी./सी. 1X1000 स्के.मी.मी.यू./जी.एक्स.एल.पी.ई. केबल को शालीमार बाग 220 के.वी. सबस्टेशन से तथा प्रस्तावित 220 के.वी. एस एस वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से सप्लाई के लिए जाने, बिछाने, जोड़ने, जाँचने तथा लगाए जाने का कार्य 27 मई 2011 को पूर्ण किए जाने के लिए सौंपा गया ।

लेखापरीक्षा में उद्घाटित किया कि बिछाए जा रहे केबल के नौ हिस्सों में से, आठ भागों को जनवरी 2012 तक पूरा कर दिया गया तथा एक भाग रह गया क्योंकि दिसम्बर 2012 तक वजीरपुर में जी.आई.एस. सब स्टेशन तैयार नहीं था । इस प्रकार वजीरपुर सब स्टेशन की स्थापना के लिए तथा विद्युत लेने के लिए शालीमार बाग से वजीरपुर तक केबल्स बिछाई जा रही अंर्तसंयोजी परियोजना में एकरूपता नहीं थी । जिसके परिणामस्वरूप पावर सप्लाई स्थिति की गैर सुदृढ़तता के अतिरिक्त शालीमार बाग से वजीरपुर के मध्य परियोजना लाईन पर ₹ 24.78 करोड़ के व्यय का अवरोध हुआ ।

[3] ठेकेदार को ऑफ शोर-सप्लाई पर हुए व्यय अर्थात् आयातित उपकरणों की लागत पर भुगतान योग्य विदेशी मुद्रा, उस पर लगाया गया सीमा शुल्क ।

प्रबन्धन ने कहा कि (दिसम्बर 2012) वह सबस्टेशन तथा केबल के कार्यों की योजना को एकरूप करने की कोशिश कर रहा है तथा ऐसी आशा की जा रही है कि यह मार्च 2013 तक पूरा हो जाएगा ।

7.7.6.4 महारानी बाग सब स्टे. से गाजीपुर सब स्टे. के बीच भूमिगत के साथ-साथ ऊपर से जोड़ती 220 के.वी.ट्रान्समिशन लिंक

मार्च 2009 में महारानी बाग से गाजीपुर के मध्य 220 के.वी. टॉवर लाईन के निर्माण, परीक्षण तथा लगाए जाने के एक कार्य को ₹ 4.47 करोड़ की लागत पर मार्च 2010 तक के निर्धारित समय पर पूरे किए जाने हेतु सौंपा गया । कार्य के निष्पादन के लिए दि.ट्रा.लि. को बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग (बा.नि.सिं.वि.) से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' लेना चाहिए था । बा.नि.सि.वि. ने टॉवर की ऊँचाई में परिवर्तन करते हुए मंजूरी दी (अक्टूबर 2010) और जिसके अनुसार लागत को ₹ 7.90 करोड़ तक संशोधित किया । पाँच अतिरिक्त टॉवर के लगाए जाने के कारण दिसम्बर 2010 में सौंपी गई लागत पुनः संशोधित होकर ₹ 8.42 करोड़ हो गई । हमने देखा कि 40 टॉवरों में से मार्च 2011 तक केवल 32 टॉवर लगाए गए तथा तत्पश्चात नोएडा प्राधिकरण के प्राधिकारियों से आर.ओ.डब्ल्यू अनुमति की गैर-प्राप्ति के कारण कार्य बन्द हो गया ।

लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि डी.ई.आर.सी./कार्य दल की सलाह कि एन.आई.टी से पहले ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया जाए जिससे कार्य निष्पादन के दौरान बड़ी मात्रा में बदलावों को टाला जा सके तथा कार्य सौंपे जाने से पहले आर.ओ.डब्ल्यू की अनुमति ले ली जाए, की पालना नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप कार्य सौंपे जाने के बाद स्कीम का पुनः संशोधन हुआ तथा ₹ 6.97 करोड़ के हुए व्यय का अवरोधन (जून 2012) हुआ ।

प्रबन्धन ने (दिसम्बर 2012) कहा कि उ.प्र. सरकार के सिंचाई विभाग ने आर.ओ.डब्ल्यू की अनुमति जारी नहीं की जिसके परिणामस्वरूप कार्य के समापन की तिथि 31 मार्च 2013 तक बढ़ा दी गई है ।

7.7.7 परियोजनाओं के निष्पादन में अन्य कमियाँ

अत्याधिक समय, अत्याधिक लागत तथा परियोजना घटकों की गैर-एकरूपता के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने अन्य त्रुटियों तथा कमियों को देखा जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 39.56 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय अथवा हानि हुई जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

7.7.7.1 गैर-उद्ग्राह्य सी.वी.डी. के भुगतान के कारण 220 के.वी. जी.आई.एस के आयात पर सीमा शुल्क के अधिक भुगतान के कारण ₹ 16.91 करोड़ की हानि

दि.ट्रा.लि. ने 2008-09 तथा 2009-10 में विभिन्न सब-स्टेशन के लिए 220/33 के.वी. जी.आई.एस. की सप्लाई, निर्माण, परीक्षण तथा लगाए जाने के कार्य के ठेके सौंपे । ऑफ-शोर सप्लाई के ठेकों में जी.आई.एस. सामग्री भारत में आयातित की गई थी तथा इस प्रकार सीमा शुल्क दि.ट्रा.लि. द्वारा भुगतान योग्य थे ।

कस्टम टैरिफ अधिनियम अनुसार हाई वोल्टेज पॉवर प्रोजैक्ट के प्रयोग में लाए जाने के लिए सूची 44 में सम्मिलित सामग्री के लिए (नियम 91 के तहत) केवल पाँच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क उदग्रहित किये जाने, को निर्धारित करता है तथा 220 के.वी. और उससे ऊपर के लिए जी.आई. एस. उपकरणों पर सी.वी.डी. उद्ग्रहण योग्य नहीं था । मामले को प्रशासनिक मंत्रालय से छूट के लिए उठाया जाना था परंतु संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि प्रेषण को पास करते समय दि.ट्रा.लि. ने न तो सीमा शुल्क विभाग से छूट प्राप्त करने के लिए मामलों में प्रक्रिया की और न ही उचित प्रपत्र में इसके दावे प्रस्तुत किए ।

उपलब्ध छूट को न प्राप्त किए जाने से डी.एल.टी. ने पॉच सबस्टेशन के लिए यन्त्रों के आयात तथा अधिष्ठापन पर ₹ 16.91 करोड़ का अधिक व्यय किया था ।

प्रबन्धन ने (दिसम्बर 2012) कहा कि प्रधान सचिव (पावर) रा.रा.क्षे.दि.स. की सिफारिश के साथ दि.ट्रा.लि. ने सीमा शुल्क विभाग से सी.वी.डी की छूट के लिए निवेदन किया है इसके बाद सीमा शुल्क विभाग द्वारा रिफण्ड के लिए मामला उठाया भी गया जिसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि दि.ट्रा.लि. विशेषज्ञों से परामर्श करेगी तथा मामले को पुनः सीमा शुल्क प्राधिकरण के पास ले जाया जाएगा ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सीमाशुल्क टैरिफ सूची की छूट के नियम 91 के अनुसार, दि.ट्रा.लि. अथवा उसके निकासी विभाग को सी.वी.डी. पर छूट के लिए सरकार की सिफारिश सहित माल की निकासी तथा सीमा शुल्क के उद्ग्रहण के उचित प्रपत्र में भरकर आवेदन किया जाना था, जोकि इस मामले में नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त मामले को केवल निर्धारण अधिकारी के स्तर पर उठाया गया है, अपीलेट् प्राधिकारी के पास नहीं ले जाया गया ।

7.7.7.2 पी.जी.सी.आई.एल. को परामर्श प्रभारों के रूप में ₹ 7.97 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया

दिसम्बर 2003 में, सी.ई.ए. ने पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की पूर्वी क्षेत्र से दिल्ली को सरप्लस पावर के ट्रान्समिशन के लिए महारानी बाग में 400/220 के.वी. जी.आई.एस. सब स्टेशन को बनाए जाने के निर्देश दिए थे । तदनुसार दि.ट्रा.लि. को महारानी बाग सब स्टेशन पर खण्ड बनाना आवश्यक हो गया था ।

दि.ट्रा.लि. ने पी.जी.सी.आई.एल. के आठ खण्डों को बनाने का कार्य ₹ 33.11 करोड़ की वास्तविक लागत पर टर्न-की परियोजना के रूप में अथवा 13.50 प्रतिशत के परामर्श शुल्कों/सेवा सहित वास्तविकता के अनुसार (अगस्त 2005) सौंपा । संविदा के अनुसार परियोजना को अग्रिम देने की तिथि अथवा संविदा के हस्ताक्षर किए जाने की तिथि अथवा भूमि को हस्तांरण करने जो भी सबसे बाद में हुआ हो के 28 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था ।

मैसर्स पी.जी.सी.आई.एल. ने मैसर्स ह्यूसंग को 8 दिसम्बर 2006 को ₹ 47.94 करोड़ की कुल लागत (सीमा शुल्क और करों को छोड़कर) पर कार्य सौंपा था । दि.ट्रा.लि. ने पी.जी.सी.आई.एल. को (सितम्बर 2009) ₹ 6.27 करोड़ के परामर्श शुल्क (₹ 7.97

करोड़ के परामर्श शुल्क को शामिल करते हुए ₹ 62.71 करोड़ के बिल के प्रति) को शामिल करते हुए ₹ 60.65 करोड़ अदा किए । बिलों को अन्तिम रूप दिया जाना अभी तक बाकी था (दिसम्बर 2012) ।

लेखापरीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि दि.ट्रा.लि. ने 2005-06 में उसी प्रकार की परियोजना की योजना एवं निष्पादन का कार्य टर्न-की आधार पर स्वयं प्रारम्भ कर दिया था । इसके बावजूद, पी.जी.सी.आई.एल. को परामर्श का कार्य केवल इसी कारण से सौंपा गया था कि महारानी बाग सब स्टेशन का निर्माण तथा परिचालन पी.जी.आई.एल. द्वारा किया जा रहा था तथा इसलिए आठ अतिरिक्त 220 के.वी.जी.आई.एस. खण्डों के निर्माण/लगाए जाने का कार्य भी उसी कम्पनी द्वारा किया जाना चाहिए, इस फैसले के कारण ₹ 7.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि इस प्रकार के सभी मामलों में अक्सर वे स्वयं टेण्डरों को जारी करते है ।

7.7.7.3 तुलनात्मक मूल्यों की संगणना में नमूना परीक्षण प्रभारों को शामिल करने तथा उसके बाद करार के हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात नमूना परीक्षण प्रभारों के न लगाए जाने से अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ की हानि

रिज वैली पर 220 के.वी.जी.आई.एस. सब स्टेशन की सप्लाई, परीक्षण तथा लगाए जाने का ठेका एल-1 होने के बाद मैसर्स ह्यूसंग को 7 मई 2008 को सीमा शुल्क सहित ₹ 77.87 करोड़ की राशि पर सौंपा गया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि सभी तीनों तकनीकी प्रशिक्षित बोलीकर्ताओं की तुलनात्मक सूची को बनाते समय दि.ट्रा.लि. ने नमूना परीक्षण प्रभारों[4] को शामिल किया था । जबकि, दि.ट्रा.लि.,ने ठेके सौंपे जाने के पश्चात सभी नमूना परीक्षणों को रोक दिया । यह मैसर्स ह्यूसंग के अनुचित लाभ पहुँचाने के समान था, यदि बोली मूल्यांकन के समय नमूना परीक्षण प्रभारों को शामिल न किया गया होता तो इसे एल-2 बना दिया जाता । इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ की हानि हुई ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि नमूना परीक्षण की शर्तों को उन फर्मों में जोड़ा जाना था जिन्होंने भारत में पहले उपकरणों की सप्लाई न की हो । इसके अतिरिक्त, उन्होंने आगे कहा कि नमूना परीक्षण कराए जाने से परियोजना में विलम्ब हो सकता था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था जैसा कि एनआईटी में नमूना परीक्षित उपस्कर इन प्रावधानों के साथ दिए गए थे कि यदि दि.ट्रा.लि. द्वारा वांछित हुआ तो, सप्लाई किए जाने के पश्चात इनका पूरक नमूने का परीक्षण कराया जाएगा ।

[4] गुणवत्ता आश्वासन के लिए आई.एस.ओ./आई.ई.सी.प्रत्याशित प्रयोगशालाओं में सामग्री पर किए आवश्यक परीक्षण ।

7.7.7.4 अभिन्न ठेकेदार को समान अवधि के दौरान आर्डर की गई एक ही तरह की केबल के लिए भिन्न दरों के प्रभार की अनुमति दिए जाने के कारण ₹ 10.04 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान हुआ

टर्न-की आधार पर 220 के.वी. 1000 स्के.मी.मी. एक्स.एल.पी.ई. केबल की डिजाईन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, उनके बिछाए जाने, जोड़ने तथा लगाने के कार्य को सौंपने से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि ऐसे मामले थे जहाँ अभिन्न ठेकेदारों को समान अवधि के दौरान एक ही प्रकार की केबल (1000स्के.मी.मी. एक्स.एल.पी.ई.) टर्न-की परियोजनाओं के अन्तर्गत अधिष्ठापन तथा लगाए जाने का कार्य भिन्न मूल्यों पर बिना संयुक्त एनआईटी जारी करने के कोई प्रयत्न किए अथवा ठेकेदारों से मोल-भाव करके और अच्छी लागत की सस्ती दरों को प्राप्त किये, सौंपा ।

उपरोक्त ट्रान्समिशन लाईन परियोजनाओं के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्तावों को खोलने, मूल्यों की बोली तथा एल.ओ.ए. को जारी किए जाने के ब्यौरे **अनुलग्नक 7.6 (क) तथा 7.6 (ख)** में दिए गए है ।

यह देखा गया कि **अनुलग्नक 7.6 (क)** में उल्लिखित किए गए सभी 3 ठेकों तथा **अनुलग्नक 7.6 (ख)** में उल्लिखित दोनों ठेकों, के मूल्यों की बोली एक दिन ही खोली गई तथा प्रत्येक ठेकेदार को उसी दिन एल.ओ.ए.जारी किए गए, दि.ट्रा.लि. ने वांछित लम्बाई के लिए सस्ती लागत प्राप्त किए जाने के लिए ठेकों को संयुक्त प्रस्ताव दिए जाने के न तो प्रयत्न किए और न ही ठेकेदार से कम लागत हासिल करने के लिए वार्ता की । ठेकेदार से प्राप्त न्यूतम दरों से जब गणना की गई तो ₹ 10.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (165 किमी. के लिए मैसर्स टी.बी.ई.ए. द्वारा ₹ 142.16 लाख तथा 73.20 किमी. के मैसर्स एल.एण्ड टी. द्वारा ₹ 215.11 लाख)।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि दरों में भिन्नता हो सकती थी क्योंकि बोली कर्ताओं द्वारा बाजारी शक्तियो तथा मूल्य-योजना का अनुसरण किया गया था । प्रबन्धन ने विश्वास जताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों को नहीं होने दिया जाए ।

7.7.7.5 रेलवे भूमि के पट्टे पर लेने तथा उनकी सुविधाओं के अधिकारों के एवज में भारतीय रेलवे को ₹ 1.79 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान

प्रगति मैदान के समीप रेलवे क्रांसिग के नीचे 220 के.वी. एक्स एल.पी.ई. केबल्स को भूमि के नीचे बिछाए जाने के इरादे से इलैक्ट्रिक लेन पर 220 के.वी.जी.आई.एस. को महारानी बाग में 400/200 के.वी. जी.आई.एस. से यू./जी. ट्रान्समिशन से जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया, दि.ट्रा.लि. ने अनुमति के लिए नवम्बर 2008 में रेलवे प्राधिकारियों (उत्तरी क्षेत्र) को आवेदन दिया ।

उत्तरी रेलवे ने अनुमति प्रदान करने के लिए पट्टेधारी प्रभारों के लिए लागत के प्रति ₹ 8.73 करोड़ को शामिल करते हुए ₹ 9.31 करोड़ तथा इंजीनियरिंग,सर्विसेज, तथा प्रशासनिक प्रभारों के लिए ₹ 0.58 करोड़ की मांग 9 नवम्बर 2009 को की । दि.ट्रा.लि. ने 2 फरवरी 2010 को औपचारिक आवेदन सहित बढ़ाई गई मांग का

भुगतान कर दिया । औपचारिक करार दो के मध्य एक ही तिथि को हस्ताक्षरित किया गया । रेलवे प्राधिकारियों ने प्रगति मैदान के पास रेलवे ट्रैक के नीचे केबल बिछाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी 9 फरवरी 2010 को दी ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह उद्घाटित हुआ कि रेलवे प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग में भूमि के प्रयोग में लाए जाने के लिए पट्टेधारी प्रभार तथा सुविधा देने हेतु अधिकारों को (दस वर्षों के लिए) सम्मिलित करती है, जो दि.ट्रा.लि. तथा उत्तरी रेलवे के बीच हुए करार की तिथि अर्थात 2 फरवरी 2010 से आरम्भ होने के बजाय 1 अप्रैल 2009 से आरम्भ की गई । तदनुसार पट्टेधारी प्रभारों का भुगतान केवल करार की तिथि से किया जाना था । इस प्रकार दि.ट्रा.लि. ने भारतीय रेलवे को 10 महीनों के लिए ₹ 74.30 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया जोकि परिहार्य था ।

लेखा परीक्षा ने यह पाया कि महारानी बाग से मस्जिद मोठ तथा महारानी बाग से ट्रामा सैन्टर (एम्स) तक रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाए जाने वाली केबल की परियोजनाओं में भी देखे गए । रेलवे ने 1 अप्रैल 2009 से पट्टेदारी प्रभारों को प्रभारित किया तथा दि.ट्रा.लि. ने वैसे ही भुगतान किया जबकि अनुमति जनवरी 2010 तथा फरवरी 2010 को दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 72.26 लाख तथा ₹ 32.59 लाख की राशि के पट्टेदारी प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

दि.ट्रा.लि. ने रेलवे प्राधिकारियों द्वारा अप्रैल 2009 से पट्टेदारी किराया प्रभारित किए जाने का विरोध नहीं किया । इस प्रकार, उपरोक्त तीन मामलों में, दि.ट्रा.लि. ने ₹ 1.79 करोड़ की राशि के पट्टेदारी प्रभारों का अतिरिक्त भुगतान किया जोकि परिहार्य था ।

प्रबन्धन ने (दिसम्बर 2012) स्वीकारा कि भुगतान को करार के हस्ताक्षर की तिथि से किया जाना था न कि वित्त वर्ष के आरंभिक महीने से तथा कहा कि इस मामले को रिफण्ड के लिए रेलवे के साथ उठाया जायेगा ।

7.8 ट्रान्समिशन प्रणाली का निष्पादन

दि.ट्रा.लि. का निष्पादन मुख्य रूप से पावर की गुणवत्ता कम से कम व्यवधानों सहित सप्लाई किए जाने के लिए उसके ई.एच. टी. ट्रान्समिशन नेटवर्क (लाईनों तथा सब स्टेशनों) की उपलब्धता तथा उचित रख-रखाव पर निर्भर करता है । सी.ई.ए, सब स्टेशन तथा लाइनों के लिए ट्रान्समिशन उपयोगिता द्वारा पालन किए जाने के मानकों को निर्धारित करती है, जैसे एस.एस. स्तर पर ट्रांसमिशन क्षमता की उपलब्धता अर्थात् सब-स्टेशनों की पर्याप्तता; आवश्यक उपस्करों का अधिष्ठापन, जैसे बस-बार प्रोटेक्शन पैनल; (कैपेसिटर बैंकों इत्यादि के अधिष्ठापन द्वारा), तथा ईएचटी लाइनों की थर्मल लोडिंग सीमा (टीएलएल[5]) पर वोल्टेज़ प्रोफाइल का रख-रखाव, सरल संचालन व विश्वसनीय पॉवर की आपूर्ति को भी सुनिश्चित करती है ।इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने तकनीकें भी निर्धारित की हैं जिनका अनुरक्षण की रूपरेखा हेतु अनुपालन किया जाना है । दि.ट्रा.लि. नेटवर्क के समस्त निष्पादन की जाँच के लिए डी ई आर सी ने प्रत्येक वर्ष ट्रांसमिशन हानियों की सीमा निर्धारित की है । नियत मानकों के संबंध में ट्रांसमिशन

[5] टीएलएल अधिकतम करंट है जो लाइन ले जा सकता है ।

क्षमता की पर्याप्तता व संबंधित उपकरण दि.ट्रा.लि. नेटवर्क (ओएंडएन) के निष्पादन की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है ।

7.8.1 ट्रांसमिशन क्षमता

दि.ट्रा.लि. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़े हुए लोड को पूरा करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन तथा ग्रिड से पॉवर प्राप्त करने के लिए विभिन्न ई एच टी वॉल्टेज स्तरों पर लाइनों तथा सब स्टेशनों का निर्माण करती है । 2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रांसमिशन क्षमता (220 के.वी.) की अधिष्ठापित, उपलब्ध तथा उच्चतम माँग **तालिका 7.1** में दी गई है:

तालिका 7.1 : ट्रांसमिशन क्षमता (एमवीए में)

वर्ष	अधिष्ठापित	70% की अधिष्ठापित क्षमता पर उपलब्ध	उच्चतम माँग	अधिक/कम	अधिक क्षमता की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3-4)	(6)=5/3*100
2007-08	6400	4480	4075	405	9.04
2008-09	6560	4592	4036	556	12.11
2009-10	7120	4984	4502	482	9.67
2010-11	7970	5579	4809	770	13.80
2011-12	8530	5971	5031 (जुलाई 2012 में 5642)	940	15.74

यह देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान 30 *प्रतिशत* अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता को छोडकर इसमें 9.04 *प्रतिशत* से 15.74 *प्रतिशत* तक का मार्जिन था ।

यह पाया गया है कि दिल्ली में उच्चतम माँग 2007-08 में 4075 एम डब्ल्यू से बढ़कर जुलाई 2012 में 5642 एम डब्ल्यू हो गई । सी ई ए की विद्युत पॉवर सर्वेक्षण रिपोर्ट ने दिल्ली के लिए उचचतम माँग को 2011-12 के लिए 6092 एम डब्ल्यू तथा 2016-17 तक 8729 एम डब्ल्यू निर्धारति किया था । दि.ट्रा.लि. द्वारा बढ़ी हुई माँग अतिरिक्त क्षमता/वृद्धि स्कीमों के कार्यावयन में विलंब को ध्यान में रखते हुए विद्यमान क्षमता में 5.5 *प्रतिशत* का अंतर है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में उच्चतम माँग को 98 प्रतिशत प्रणाली की उपलब्धता[6] से पूरी की जा रही है, इस प्रकार कुछ मशीनरी के खराब होने अथवा माँग में वृद्धि की संभाव्यता में उच्चतम माँग को पूरा करने की विफलता से प्रणाली असुरक्षित हो सकती है ।

7.8.2 सब-स्टेशन

7.8.2.1 ट्रांसफोर्मर का निष्पादन

ट्रांसफोर्मरस, विद्युत ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्को के घटकों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा तीव्र-लागत घटक है । इस लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे लम्बे समय तक टिकाऊ तथा

[6] प्रणाली की उपलब्धता से तात्पर्य पॉवर के स्थानांतरण के लिए स.स्टे. की ट्रांसमिशन लाइनों तथा उपकरण की समय पर उपलब्धता है ।

न्यूनतम लागत वाले होने चाहिए। **अनुलग्नक -7.7** 2007-08 और 2011-12 के बीच ट्रांसफोर्मरों की विफलता की स्थिति को बताता है:

यह देखा गया कि पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कुल 111 से 122 ट्रांसफोर्मरों में से प्रत्येक वर्ष एक से चार ट्रांसफोर्मर विफल रहे (पाँच वर्ष की अवधि के दौरान कुल 13 ट्रांसफोर्मर विफल रहे)। इनमें से दो गारंटी अवधि के दौरान विफल रहे, दो अपनी सामान्य अवधि समाप्त होने के पश्चात विफल रहे तथा शेष नौ ट्रांसफोर्मर सामान्य कार्य अवधि के अन्दर विफल रहे जिनकी मरम्मत पर दि.ट्रा.लि. ने ₹ 4.99 करोड़ व्यय किए थे।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि ट्रांसफोर्मरों की विफलता विभिन्न डिसकॉमस के काम करने तथा उनको जोड़ने की प्रणाली में जटिलताओं के कारण थी। उन्होंने यह भी बताया कि विफलता दर कम करने के लिए उपाय जैसे निर्माणकर्त्ताओं द्वारा आधुनिक तकनीकों से ट्रांसफोर्मरों की आवधिक जाँच तथा ऐसी उच्च मूल्य की मदों की स्थापना, जाँच तथा शुरूआत स्वयं ही की जा रही थी।

7.8.2.2 वोल्टेज प्रबंधन

सीईए (ग्रिड मानक) विनियम 2010 के अनुसार ट्रांसमिशन नेटवर्कों में 400 के वी सब-स्टेशनों हेतु 420 के वी से 380 के वी तथा 220 केवी सब-स्टेशनों हेतु 245 केवी तथा 198 के वी के बीच की वोल्टेज रखना आवश्यक है। सामान्यतः प्रणाली से अधिक पॉवर लेने के परिणामस्वरूप वोल्टेज स्तर कम हो जाता है जिससे उपभोक्ताओं के विद्युत उपकरण पर प्रभाव पड सकता है और ऑफ पीक समय में इसका परिणाम उच्च वोल्टेज स्तर होता है जिससे दि.ट्रा.लि. के उपकरण भी प्रभावित हो सकते है। वोल्टेज की गतिशीलता तथा वोल्टेज और बड़े पैमाने के पॉवर आऊटेजिस को टूटने से बचाने के लिए उच्च माँग के अनुसार कैपेसिटर बैंकों/शंट लाइन रिएक्टरों की पर्याप्त संख्या को अधिष्ठापित करने की आवश्यकता है जो प्रणाली में आवश्यक रिएक्टिव पॉवर[7] प्रदान करता है तथा उसका अनुरक्षण करता है। इसके अतिरिक्त निर्धरित क्षमता से परे लाइनों की अधिकता के परिणाम में वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, उच्च ट्रांसमिशन हानियाँ तथा बारम्बार क्रमभंग/ब्रेकडाऊन भी होते है। सी ई ए द्वारा जारी एमटीपीसी के अनुसार उचित लाइन लोडिंग सामान्यतः टीएलएल की अपेक्षा अधिक नहीं हो सकती है। सीईए ने 400 के वी (एसीएसआर-वर्सिमिस कंडक्टर) तथा 220 के वी (एसीएसआर-जेबरा कंडक्टर) के लिए लोडिंग सीमा क्रमशः अधिकतम चालू लोड के 697 एएमपी तथा 546 एएमपी निर्धारित की थी।

[7] रिएक्टिव पॉवर विद्युत का वह भाग है जो वैकल्पिक चालू उपकरण के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों को स्थापित करता तथा बनाए रखता है। इसे एमवीएआर में मापा जाता है। रिएक्टिव पॉवर कैपेसिटरों द्वारा उत्पन्न की जाती है जैसा कि ये वोल्टेज को गति प्रदान करते है।

सीईए के एमटीपीसी में निर्धारित है कि लोड प्वाइंटस के आस पास लोड की आवश्यक रिएक्टिव पॉवर को पूरा करने के विचार से कम वोल्टेज प्रणालियों में जहाँ तक संभव हो रिएक्टिव प्रतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए । सामान्य सिद्धांतों के अनुसार कम वोल्टेज स्थितियों के दौरान उपयोगिता में रिएक्टिव पॉवर प्रतिपूर्ति ग्रिड से रिएक्टिव पॉवर माँग के बचाव के लिए रिएक्टिव पॉवर माँग के समतुल्य होनी चाहिए ।

वर्ष 2007-08 के लिए कैपेसिटर बैंकों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए नोर्दन रिजनल पॉवर कमेटी (एनआरपीसी) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली को 2007-08 में 3750 एमवीएआर की रिएक्टिव ऊर्जा की आवश्यकता थी । लेखापरीक्षा में, हालाँकि, पाया गया कि दिल्ली में 2007-08 इस ऊर्जा के प्रति 3456 एमवीएआर की रिएक्टिव ऊर्जा की क्षमता को अधिष्ठापति किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप 294 एमवीएआर ऊर्जा की कमी थी ।

जीसीसी ने समय-समय पर पुनः कहा कि दिल्ली में कैपेसिटर बैंक क्षमता कम थी और कम वोल्टेज स्थितियों के अंतर्गत रिएक्टिव पॉवर की अधिक निकासी से बचने हेतु इसमें वृद्धि करना आवश्यक था । इसके अतिरिक्त एसएलडीसी ने (अक्टूबर 2010) इंगित किया कि रिएक्टिव ऊर्जा में कमी डिसकॉमस स्तर पर थी और इनको अपनी ओर से कैपेसिटर बैंकों को अधिष्ठापित करने की आवश्यकता थी । लेखापरीखा में , तथापि, देखा गया कि दिल्ली में रिएक्टिव ऊर्जा क्षमता की स्थिति मे सुधार नहीं हुआ था जैसा कि 2011-12 में कैपेसिटर बैंकों की अधिक्षमता एनआरपीसी द्वारा निर्धरित 4492 एमवीएआर (दि.ट्रा.लि.-754.48 एमवीएआर व डिसकॉमस -3737.52 एमवीएआर) की आवश्यकता के प्रति 3657 एमवीएआर (दि.ट्रा.लि.-754.48 एमवीएआर व डिसकॉमस-2902.52 एमवीएआर) थी जिसके परिणामस्वरूप 835 एमवीएआर (डिसकॉमस स्तर) की कमी आई थी ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2011-12 के दौरान दि.ट्रा.लि. के बैंकों की कुल 754.48 एमवीएआर क्षमता में से केवल 694.25 एमवीएआर क्षमता कार्यशील थी इसके परिणामस्वरूप 7.98 *प्रतिशत* क्षमता मुख्यतः पटपढ़गंज, कश्मीरी गेट, महरौली, नजफगढ़, शालीमार बाग तथा पप्पनकलां सब-स्टेशनों पर अनुपलब्ध थी जिसमें जीसीसी के आश्वासन के बावजूद मार्च 2012 तक सुधार नहीं किया गया है ।

इस प्रकार कैपेसिटर बैंकों की क्षमता में कमी के कारण कम वोल्टेज क्षेत्र के अंतर्गत रिएक्टिव पॉवर की अधिक खपत हुई जो संबंधित ग्रिड की खराबी को बढ़ा सकता था ।

इसके अतिरिक्त निर्धारित सीमा के भीतर नियंत्रित वोल्टेज के लिए 400 केवी स.स्टे. पर चालू शंट रिएक्टिरों तथा अधिकतम निर्धारित वोल्टेज सीमा के बिना 400 केवी लाइनों का चार्ज योग्य बनाने के लिए लाइन रिएक्टर का उपरोक्त कसौटी के अनुसार प्रदान करने की आवश्यकता है । तथापि संवीक्षा से पता चला कि दि.ट्रा.लि. ने अपनी ट्रांसमिशन प्रणाली में शंट रिएक्टरों तथा लाइन रिएक्टरों को अधिष्ठापित नहीं किया था ।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि कमी में से पाँच एमवीएआर क्षमता तक कैपेसिटर बैंक कश्मीरी गेट सब-स्टेशन पर लगाए गए, 20 एमवीएआर क्षमता तक कैपेसिटर बैंक महरौली सब-स्टेशन को अल्पावधिक पुनः प्रचलन में लाया जाएगा और शेष क्षतिग्रस्त कैपेसिटर बैंकों के लिए खरीद आरंभ की गई है । उन्होंने आगे कहा कि कुछ 220 केवी केबल बिछाने की स्कीमें प्रक्रियाधीन अथवा प्रचलन में है जो प्रणाली की क्षमता में वृद्धि करेंगी तथा अधिक कैपेसिटर बैंकों की आवश्यकता को भी कम करेंगीं ।

यह देखा गया कि निर्धारित वोल्टेज स्तर को पुनरीक्षण अवधि के दौरान बनाए नहीं रखा गया । संवीक्षा से पता चला कि अधिकतम वोल्टेज स्तर ने निर्धारित सीमा को 400 केवी बवाना सब स्टे. में 34 महीने तक 400 केवी बामनौली स.स्टे और 421 केवी से 433 केवी के बीच की रेंज में 48 महीने तक दिया जबकि न्यूनतम स्तर दोनों स.स्टे. में 349 केवी से 379 केवी के बीच की रेंज में 11 महीने था । दिसंबर 2010 में इसकी शुरूआत से 400 केवी मुंडका सब स्टे. में अधिकतम सीमा 423 केवी से 433 केवी के बीच की रेंज में 16 महीने में से 14 महीने बढ़ी पाई गई ।

इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावधि के दौरान न्यूनतम वोल्टेज स्तर जून 2009 से अगस्त 2009 के दौरान 220 के वी के 12 सब स्टे. में तथा जून 2010 से अगस्त 2010 के दौरान 15 सब-स्टेशनों में अपेक्षित सीमा से कम था । यह पाया गया कि 220 केवी के तीन स.स्टे. जैसे सब्जीमंडी, महरौली और नजफगढ़ में न्यूनतम वोल्टेज स्तर 198 केवी की अपेक्षित सीमा से कम था तथा ग्रीष्मावधि के अलावा भी 182 तथा 197 केवी के बीच की रेंज में था ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि प्रणाली में कम वोल्टेज के लिए नार्दन रिजनल ग्रिड स्वयं ही उत्तरदायी था ।

7.8.2.3 बस बार प्रोटैक्शन पैनल (बीबीपीपी)

बस बार,एक विद्युत स.स्टे. पर ट्रांसफोर्मरों तथा ट्रांसमिशन लाइनों के आने व जाने अंतः संबंध हेतु उपयोग किया जाता है । बीबीपीपी समस्त पॉवर नेटवर्क पर बस बार की त्रुटि के प्रभाव को सीमित करता है जो अनावश्यक ट्रिपिंग से बचाता है । यह केवल उन चयनित ब्रेकरों पर ट्रिप करता है जो बस बार त्रुटि को दूर करने के लिए आवश्यक हैं । ग्रिड मानकों तथा ट्रांसमिशन प्रणाली में सर्वोत्तम व्यावहारिक अनुभवों के अनुसार बीबीपीपी को सभी 220 केवी स.स्टे. पर ग्रिड की खराबियों के दौरान प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखने तथा 220 केवी बसों की त्रुटियों को अतिशीघ्र दूर करने के लिए रखा जाना है ।

मार्च 2012 को दि.ट्रा.लि. के 220 केवी स.स्टे. पर प्रदान किए गए बीबीपीपी के ब्यौरे **तालिका 7.2** में दिए गए हैः

तालिका 7.2 : 220 केवी स.स्टे. पर प्रदान किए बीबीपीपी का विवरण

220 केवी सब-स्टेशनों की कुल संख्या	बीबीपीपी के साथ प्रदान किए गए स.स्टे. की संख्या	प्रदान किए गए व कार्यशील स्थिति के वीबीपीपी स.स्टे. की संख्या	बीबीपीपीएसएस. की सं. जो प्रदान किए गए व कार्यशील हैं परंतु सीईए दिशानिर्देश की 25 वर्ष की आयु सीमा के प्रति 35 वर्ष पुराने	बीबीपीपी स.स्टे. की सं. जो प्रदान किए गए परंतु कार्यशील स्थिति में नहीं हैं	बीबीपीपी के साथ नहीं प्रदान किए स.स्टे. की संख्या
28	26	24	4 (महरौली, नरेला, पटपड़गंज, नजफगढ़)	2 (गाजीपुर क्रियाशील नहीं; गोपालपुर मे स्थापित किया लेकिन चालू नहीं)	2 (सब्जी मंडी और लोधी रोड स. स्टे मे बस बार वीवीपीपी मुहैया नहीं कराए गए)

पुराने तथा अप्रचलित बीबीपीपी से प्रणाली को चलाने का अर्थ है प्रणाली को उक्त तालिका में उल्लिखित स्थानों पर त्रुटि के जोखिम पर चलाना है ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2012) कि सब्जी मंडी और लोधी रोड स.स्टे. में स्थान के प्रतिबंधों के कारण बस बार नहीं है, हालाँकि, इन स.स्टे. को जीआईएस में बदल कर बीबीपीपी के अधिष्ठापन पर विचार किया जाएगा । चार स. स्टे. जहाँ बीबीपीपी का पूरा उपयोग किया गया है, दि.ट्रा.लि. पुराने स.स्टे. को स्वचालित प्रणाली प्रदान करके प्रोटैक्शन स्कीम को बढ़ाने की योजना बना रहा है । उन्होंने आश्वासन दिया कि गोपालपुर में बीबीपीपी छः माह के भीतर आरंभ किया जाएगा ।

7.8.3 ट्रांसमिशन प्रणाली का अनुरक्षण

ट्रांसमिशन प्रणाली का नियमित तथा आवधिक अनुरक्षण अपने निरंतर प्रचलनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है । अनुसूचित लाइनों की गश्त के अतिरिक्त लाइनों क अनुरक्षण हेतु देश में ट्रांसमिशन को सर्वोत्तम तरीके से व्यवहार में लाने के लिए भ.स. की समिति द्वारा निम्नलिखित तकनीकें निर्धारित की गई हैं-

- हॉट लाइन अनुरक्षण;
- हॉट लाइन वॉशिंग;
- इंसूलेटर का हॉट लाइन पंक्चर डिटैक्शन;
- सुबाह्य भूसंपर्क हॉट लाइन औजारों का उपयोग करने से निवारक अनुरक्षण;
- लाइन का वाइब्रेशन मापन;
- थर्मो-विजन स्कैनिंग; और
- उपकरण का प्रदूषण मापन ।

हॉट लाइन तकनीक (हॉ.ला.त.) में स.स्टे. तथा लाइनों के अनुरक्षण कार्यो जैसे हॉट स्पॉट, नट व बॉल्ट की टाइटनिंग, कंडक्टर को क्षति, इंसुलेटरों को बदलना इत्यादि को

बिना स्विच बन्द किए जाते है । इसमें अनुरक्षण के निवारण के लिए सभी स.स्टे. और लाइनों की थर्मो-विजन स्कैनिंग भी शामिल है । लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2012 को दि.ट्रा.लि. में कोई पृथक हॉट लाइन अनुरक्षण डिविजन/उप-डिविजन नहीं था और दि.ट्रा.लि. द्वारा कोई हॉट लाइन अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, तथापि, दि.ट्रा.लि. ट्रांसमिशन प्रणाली में डिस्क इंसुलेटरों की हॉटलाइन वॉशंग बाह्य ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही थी ।

इसी तरह 400/220 केवी ट्रांसमिशन लाइनों की थर्मो-विजन स्कैनिंग बाह्य ठेकेदारों के माध्यम से की जा रही थी । थर्मो-विजन स्कैनिंग 220 केवी तथा उससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर सभी ऊपरी लाइनों तथा स.स्टे. उपकरणों में कंडक्टर जोडों, हल्के कनैक्शनों तथा अन्य हार्डवेयर कनैक्शनों में पूर्व स्तर पर हॉट स्पॉट की पहचान के लिए किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार थर्मो-विजन स्कैनिंग एक निरंतर प्रक्रिया है । लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूँकि थर्मो-विजन स्कैनिंग ठेका नवंबर 2011 में समाप्त होने जा रहा था, दि.ट्रा.लि. ने सितंबर 2011 में निविदाएँ आमंत्रित की थी । तकनीकी बोली नवंबर 2011 मे खोली गईं तथा एक बोलीकर्त्ता मैसर्स शांथला की कीमत बोली दिसंबर 2011 में खोली गई । कार्य मैसर्स शांथला पॉवर लिमिटेड को जनवरी 2012 में ₹ 28.02 लाख की लागत पर एक वर्ष की अवधि के लिए सौंपा गया । तथापि बाद में जाँच में दि.ट्रा.लि. ने पाया कि ठेकेदार ने ठेके को धोखे से प्राप्त किया है, इसलिए दि.ट्रा.लि. द्वारा (मार्च 2012) ठेके को रोक दिया गया और ठेकेदार को कार्य न देने के लिए कहा गया । संवीक्षा में यह भी पता चला कि दिसंबर 2012 तक कोई नई निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं ।

आगे संवीक्षा से पता चला कि कमेटी द्वारा ट्रांसमिशन के अन्य बेहतर विकल्पों की सिफारिश की गई जैसे दि.ट्रा.लि. में इंसुलेटरों के हॉटलाइन पन्चर का पता लगाना, सुवाह्य भूसंपर्क हॉटलाइन औजारों का उपयोग करने से निवारक अनुरक्षण, लाइन का वाइब्रेशन मापन और उपकरण का प्रदूषण मापन नहीं किए जा रहे थे ।

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2012) कि हॉटलाइन अनुरक्षण सामान्यतः उन लाइनों में प्रतिबंधित है जहाँ अनुरक्षण के लिए शट-डाऊन करना उपयुक्त नहीं था जो दि.ट्रा.लि. लाइनों के मामले में नहीं था, हालाँकि हॉटलाइन डिविजन को बनाने पर विचार किया जाएगा इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने भविष्य में अन्य बेहतर विकल्पों पर विचार करने तथा उन्हें अपनाने का भी आश्वासन दिया ।

7.8.4 ट्रांसमिशन हानियाँ

जबकि उपभोक्ताओं को ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्येशन (ट्रा.और डि.) नेटवर्क के जरिए जनरेटिंग स्टेशन से ऊर्जा प्रदान की गई है, कुछ ऊर्जा की हानि हुई जिसे ट्रा.और डि हानि माना गया है । ट्रांसमिशन हानि जनरेटिंग स्टेशन/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा तथा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉमस) के नेटवर्क को भेजी गई ऊर्जा के बीच में अंतर है । डीईआरसी ने पुनरीक्षण अवधि के दौरान 0.95 *प्रतिशत* ट्रांसमिशन हानियों को अनुमत किया है । 2007-08 और 2011-12 के बीच हानियों के ब्यौरे ***अनुलग्नक-7.8*** में दिए गए हैं ।

ट्रांसमिशन हानियाँ 2007-08 में 1.42 *प्रतिशत* से बढ़कर 2008-09 में 1.59 *प्रतिशत* तथा 2011-12 में कम होकर 1.21 *प्रतिशत* हो गईं । लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि ट्रांसमिशन हानियाँ अन्य राज्यों की हानियों की अपेक्षा कम थीं तथा चालू वर्षों में इसके कम होने की प्रवृत्ति थी, वे हालाँकि अधिक थीं, सभी पाँच वर्षों में 0.95 *प्रतिशत* के डीईआरसी मानकों के परिणामस्वरूप दि.ट्रा.लि. को ₹ 10.54 करोड़ मूल्य के 503 मी.यू. की हानि हुई ।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि हानियाँ स.स्टे. की समस्त क्षमता तथा नेटवर्क की समय सीमा, लाइनों व स.स्टे. पर भार, रिएक्टिव पॉवर तथा पॉवर इंजैक्शन व निकासी के कारण थीं । हानियाँ पूरी तरह से दि.ट्रा.लि. के नियंत्रण में नहीं थीं । उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन हानियाँ शैड्यूल बनाने के उद्देश्यों के लिए थीं और दि.ट्रा.लि. को कोई वित्तीय हानि नहीं थी ।

लेखापरीक्षा का विचार है कि ट्रांसमिशन हानियों को लाइनों के निर्माण तथा स.स्टे. परियोजनाओं की सामयिक समाप्ति के साथ नेटवर्क को सुदृढ़ करके न्यूनतम किया जा सकता है ।

7.8.5 सब-स्टेशनों और लाइनों का प्रचालन एवं अनुरक्षण

ओ एण्ड एम विभाग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्णय लेने में विलंब, गलत निर्णय तथा अनुचित ठेकाकरण के कारण स.स्टे. एवं लाइनों के प्रचालन व अनुरक्षण से प्रभावित दि.ट्रा.लि. को निम्नलिखित कमियाँ होने से ₹ 5.35 करोड़ का अतिरिक्त अथवा परिहार्य व्यय हुआ ।

7.8.5.1 क्रय आदेश में लेटैंट डेफैक्ट वारंटी खंड के शामिल न होने के कारण ₹ 1.77 करोड़ की हानि

लेटैंट डेफैक्ट में वे कमियाँ अन्तर्निहित होती है जिनका जाँच अथवा दैनिक परीक्षणों से पता नहीं चलता है परन्तु कुछ डिजाइन के भूल जाने और गलत उपयोग के कारण निर्माण के समय पर होती हैं । लेटैंट डिफैक्ट वारंटी (एल.डी.डब्ल्यू) खंड बिक्री के पश्चात त्रुटियों का पता लगने पर विक्रेता से क्षतिपूर्ति वसूल करने हेतु ठेके में गारंटी खंड के भाग के रूप में उपयोग किया जाता है । इसलिए मँहगी मद जैसे ट्रांसफोर्मर की खरीद के लिए करार करते समय ऐसे खंड को सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

स.स्टे. तथा लाइनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि कुछ क्रय आदेशों में एलडीडब्लयू खंड के समावेश न होने के कारण दि.ट्रा.लि. ट्रांसफोर्मरों की निशुल्क मरम्मत करवाने में विफल रही । जिनमें यह सूचित था कि क्रय आदेशों में एलडीडब्लयू खंड के समावेश के संबंध में एकरूपता नहीं था ।

220 केवी स.स्टे. लोधी रोड, सब्जी मंडी तथा पप्पनकलाँ में 100 एमवीए के तीन ट्रांसफोर्मर निर्माता मैसर्स क्रोम्पटन ग्रीवस लिमिटेड (सीजीएल) फरवरी 2003 से जुलाई 2004 के दौरान आरंभ किए गए, वे मार्च 2005 से नवंबर 2006 के बीच विफल/ट्रिप हो गए । सीजीएल तथा दि.ट्रा.लि. द्वारा परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि विफलता डिजाइन की कमी के कारण थी । सीईए ने निर्माता द्वारा किए गए

डिजाइन, सामग्री, निर्माण प्रक्रिया व गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में संदेह भी व्यक्त किया गया था ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उक्त तीन ट्रांसफोर्मरों की खरीद और अधिष्ठापन में कोई एलडीडब्ल्यू खंड एनआईटी तथा एलओए में सम्मिलित नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप कंपनी उक्त त्रुटि के सुधार हेतु मैसर्स सीजीएल को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकी और इन ट्रांसफोर्मरों को बिना किसी लागत के मरम्मत नहीं करवा सकी । दि.ट्रा.लि. ने तीन ट्रांसफरों की मरम्मत पर ₹ 1.77 करोड़ व्यय किया जिससे अन्यथा बचा जा सकता था ।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि यद्यपि लेटैंट डिफैक्टस में कमियाँ अन्तर्निहित हैं परन्तु ये सैद्धान्तिक थीं और दावे को लागू करने हेतु त्रुटियों को प्रमाणित करना कठिन था ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दि.ट्रा.लि. ने अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने हेतु 2008 से 2011 के दौरान नौ ट्रांसफोर्मरों के नए क्रय आदेशों में एलडीडब्ल्यू खंड को सम्मिलित नहीं किया था ।

प्रबंधन ने उक्त के संबंध में आगे कहा कि एनआईटी में एलडीडब्ल्यू खंड के कारण ट्रांसफोर्मर के विभिन्न निर्माताओं ने भाग लिया था, अतः एलडीडब्ल्यू खंड एनआईटी से हटा दी गई । प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था चूँकि दि.ट्रा.लि. के वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऐसे जुर्माना खंड को सम्मिलित करना आवश्यक है ।

7.8.5.2 उपस्करों के लिए आदेश देने में विलंब के कारण ₹ 2.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय

220 केवी की ऑवरहालिंग के उद्देश्य से पार्क स्ट्रीट तथा कश्मीरी गेट स.स्टे. पर अधिष्ठापित जीआईएस बोर्ड किया गया, मैसर्स एबीबी स्विटजरलैंड ने ओईएम होने के कारण पहली बार मई-जून 2007 के माह में निरूपण किया और इन जीआईएस बोर्डो की ऑवरहालिंग की सिफारिश की । मैसर्स एबीबी से 17 अप्रैल 2008 को एक बजटीय प्रस्ताव एकत्रित किया गया । दि.ट्रा.लि. ने मार्च 2010 में स्विस फ्रैंक (एसएफ) 21,54,447 के लिए कार्य की आवश्यकता और आदेश देने का निर्णय लेने में दो वर्ष लगा दिए, जिससे जीआईएस बोर्डो की ऑवरहालिंग में विलंब हुआ । इस प्रकार निश्चित निर्णय लेने में विलंब के कारण दि.ट्रा.लि. को ₹ 2.24[8] करोड़ की अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा था ।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि आदेश को अंतिम रूप देने में काफी समय लिया गया था और आगे कहा कि ऐसा कार्य के विशेष और उच्च तकनीकी वाणिज्यिक प्रकृति के होने के कारण हुआ था ।

[8] स्विस फ्रैंक ₹ 38.60/एसएफ से ₹ 46.65/एसएफ के संबंध में भारतीय रूपए की कीमत कम हो जाने के कारण {[एसएफ 21,54,447 (₹ 46.65 - ₹ 38.60) = ₹ 1,73,43,298.35] + सीमा शुल्क @28.93 प्रतिशत}

7.8.5.3 दि.ट्रा.लि. के 220 केवी लाइनों के लिए पोलीमर टाइप इंसुलेटरों की गैर खरीद के परिणामस्वरूप ग्रिड बाधाएँ तथा पोर्सीलेन टाइप एंटी फोग इंसुलेटरों की बिना वारंटी की खरीद में ₹ 0.23 करोड़ का निष्फल व्यय

सर्दी के मौसम में बहुत अधिक फोग के दौरान ट्रांसमिशन लाइनों की ट्रिपिंग को बन्द करने के लिए दि.ट्रा.लि. ने 220 केवी लाइनों के लिए 90 के एन[9] (5000 संख्या) तथा 160 केएन (6000 संख्या) एंटी फोग डिस्ट इंसुलेटर (पोर्सीलेन टाइप) खरीदने हेतु दिसंबर 2007 में एक प्रस्ताव तैयार किया । इस प्रस्ताव में इंसुलेटरों की संख्या के लिए पुनः संशोधन किया गया । उसी समय, मार्च 2008 में फोग के कारण ग्रिड बाधाओं के होने के पश्चात सीईए ने अप्रैल 2008 में निर्णय किया कि एनसीआर क्षेत्र में पोर्सीलेन इंसुलेटरों को केवल पोलीमर इंसुलेटरों से बदल दिया जाना चाहिए । उत्तरी क्षेत्रीय पावर कमेटी ने उन क्षेत्रों में जिनमें प्रदूषण् स्तर उच्च हैं वहाँ से जाने वाली लाइनों पर विद्यमान पोर्सीलेन टाइप एंटी फोग इंसुलेटरों को पोलीमर टाइप एंटी फोग इंसुलेटरों से बदलने की भी सिफारिश की थी । सीईए द्वारा निर्देशित पोर्सीलेन टाइप इंसुलेटरों की बजाए पोलीमर टाइप इंसुलेटरों की खरीद के मामले पर दि.ट्रा.लि. ने (नवंबर 2008) ने अनुरोध किया कि क्रय की प्रक्रिया में पहले से ही बहुत अधिक विलंब हो गया था और कहा कि 220 के वी लाइनों पर पोर्सीलेन डिस्क इंसुलेटरों का पोलीमर इंसुलेटरों से एक साथ बदलाव शीघ्र ही किया जाना चाहिए था ।

दि.ट्रा.लि. ने 90 केएन की 12443 यूनिटों तथा 160 केएन की 34800 यूनिटों के लिए ₹ 3.37 करोड़ की लागत पर पोर्सीलेन टाइप एंटी फोग इंसुलेटरों का आदेश दिया (जुलाई 2010) ।

संवीक्षा से पता चला कि दि.ट्रा.लि. द्वारा 90 केएन एंटी फोग इंसुलेटरों की 5010 यूनिटों की कुल संख्या में से उसने अनुरक्षण उद्देश्य के लिए मार्च 2012 तक केवल 312 यूनिटों का उपयोग किया था और शेष 4698 यूनिटें (90 केएन) दि.ट्रा.लि. के पास पड़ी हुई थीं जिसके परिणामस्वरूप 23 लाख का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि इन पोर्सीलेन टाइप एंटी फोग इंसुलेटरों का उपयोग नहीं किया गया था । दि.ट्रा.लि. ने (फरवरी 2012) अधिक संख्या में ट्रिपिंग जो 220 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली में जनवरी 2010, दिसम्बर 2011 तथा पुनः जनवरी 2012 में हुई थी, के कारण पीजीसीआईएल से 11000 पोलीमर इंसुलेटर खरीदने का निर्णय लिया था । दि.ट्रा.लि. ने पीजीसीआईएल को अगस्त 2012 तक सामग्री प्रदान करने का अनुरोध किया जैसा कि ये सर्दी के मौसम से पहले अधिष्ठापित की जानी थीं । हालाँकि, तदतर (जुलाई 2012) दि.ट्रा.लि. ने स्वयं ही इंसुलेटर खरीदने का निर्णय लिया । खरीद अभी दिसंबर 2012 तक नहीं की गई है इसके परिणामस्वरूप एनआरपीसी/सीईए के निर्देशों का गैर अनुपालन तथा ग्रिड की बाधाओं का जोखिम हो गया ।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जून 2012 में 90 केएन की 7433 यूनिटों की बराबर मात्रा तथा 160 के.एन. पोर्सीलेन टाइप एण्टी फॉग इन्सुलेटर्स के 34800 यूनिट के लिए क्रय आर्डर रोक दिए गए थे । जबकि, तथ्य यह रहे कि गैर खरीद तथा

[9] के.एन. का तात्पर्य किलो न्यूटन जो इंसुलेटरों की मशीनरी की सुवाह्य का प्रतिनिधित्व करता है । इंसुलेटर कंडक्टरों को सुरक्षित रखने हेतु उपयोग किया जाता है ।

पॉलिमेर टाइप अधिष्ठापन के लगाए जाने से ऑपरेशन्स ग्रिड प्रभावित हुआ इसके अतिरिक्त पोर्सीलेन टाइप इन्सुलेटर की खरीद में ₹ 23 लाख का निष्फल व्यय हुआ ।

7.8.5.4 दि.ट्रा.लि. के 400 के.वी. के लिए पोलीमर इन्सुलेटर की खरीद में पी.जी.सी.आई.एल. को परामर्श प्रभारों के प्रति किए गए भुगतान से ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय

उत्तरी क्षेत्र में कोहरे की स्थितियों के दौरान एक बडी संख्या की ट्रिपिंग के निराकरण के लिए, सी.ई.ए. की इच्छा थी (अप्रैल 2008) कि 400 के.वी. तथा 220 के.वी.पर लगाए गए पोर्सीलेन इन्सुलेटर्स के स्थान पर पोलीमर इन्सुलेटर को बदला जाना चाहिए । तदनुसार, दि.ट्रा.लि. ने पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा 400 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन्स के लिए पोलीमर इन्सुलेटर की खरीदने का निर्णय लिया । इन्सुलेटर्स के स्थापित/बदलने का कार्य दि.ट्रा.लि. द्वारा अलग टेण्डर्स से किया जाना था । दि.ट्रा.लि. 22 सितंबर 2008 को ₹ 13.58 करोड़ की अनुमानित लागत पर लागत को शामिल किए गए आधार पर 400 के.वी. लाईनों के लिए 160 के.एन. पोलीमर इन्सुलेटर्स की खरीद के लिए पी.जी.सी.आई.एल, के साथ एक करार में सम्मिलित हुआ। करार के अनुसार दि.ट्रा.लि. ने पी.जी.सी.आई.एल को 10 *प्रतिशत* की दर से परामर्श प्रभारों तथा 12.36 *प्रतिशत* की दर से उन पर लगाए गए सर्विस टैक्स अदा किए थे । दि.ट्रा.लि. ने अगस्त 2008 से सितंबर 2009 के दौरान पी.जी.सी.आई.एल. को ₹ 13.57 करोड़ अदा किए गए ।

आपूर्ति आदेश की पूर्ति 31 अक्टूबर, 2009 तक की जानी थी, जबकि इसे मई 2011 तक पूर्ण किया गया और वास्तविक व्यय ₹ 11.04 करोड़ था जो पीजीसीआईएल के परामर्श शुल्क ₹ 1.11 करोड़ सहित था ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दि.ट्रा.लि. का मैसर्स पीजीसीआईएल को 10 *प्रतिशत* परामर्श शुल्क देकर कार्या का आवण्टन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि दि.ट्रा.लि. के पास अपने बूते पर कार्य को क्रियान्वित करने हेतु पूर्णतः विकसित नियोजन, भण्डार और परियोजना विभाग थे । यदि दि.ट्रा.लि. ने स्वयं विद्युतरोधी पॉलीमर का संसाधन और प्रापण किया होता, तो ₹ 1.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और ₹ 13.57 करोड़ की निधियों के 15 महीनों (अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2010 तक) से अधिक समय तक अवरोध से बचा जा सकता था ।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) मापदण्ड की मितव्ययिता और तकनीकी विशिष्टताओं की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए दि.ट्रा.लि. ने पीजीसीआईएल की सहायता ली । उन्होंने यह आश्वस्त किया कि भविष्य में विद्युतरोधी पॉलीमर की आवश्यकता होने पर दि.ट्रा.लि. स्वयं प्रापण की व्यवस्था करेगा । उन्होंने यह भी बताया कि पीजीसीआईएल के अवरूद्ध निधियों हेतु ब्याज की माँग की जाएगी ।

7.9 ग्रिड प्रबंधन

7.9.1 ग्रिड का रखरखाव तथा एस.एल.डी.सी. का निष्पादन

ट्रांसमिशन व ग्रिड प्रबंधन विद्युत उत्पादन केन्द्रों और ग्रिड से डिस्कॉम/उपभोक्ताओं तक विद्युत के सुगम निकासी हेतु आवश्यक प्रकार्य है । ग्रिड प्रबंधन विद्युत तन्त्र की विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता और प्रभावशीलता बनाए रखने हेतु अन्तःसम्बद्ध विद्युत तन्त्र में विद्युत संतुलन की सतत निगरानी सुनिश्चित करता हैं । भारत में ग्रिड व्यवस्था सीईए द्वारा जारी ग्रिड कोड में दिए गए मानकों/निर्देशों के अनुसार की जाती है । दिल्ली की एसएलडीसी जो उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण् केन्द्र (एनआरएलडीसी)[10] का एक घटक है, राज्य में विद्युत तन्त्र यथा विद्युत की अनुकूलतम नियतीकरण व प्रेषण और ग्रिड प्रक्रियाओं की निगरानी तथा नियंत्रण का समन्वित संचालन सुनिश्चित करता है । एस.एल.डी.सी. विद्युत उत्पादन कंपनियों व डिस्कॉम से डी.ई.आर.सी. द्वारा निर्दिष्ट शुल्क व प्रभार का आरोपण व संग्रहण करता है । जीएनसीटीडी ने अधिसूचित किया (नवंबर 2002) कि एस.एल.डी.सी., दिल्ली, का संचालन दि.ट्रा.लि. द्वारा किया जाएगा ।

7.9.2 आवृत्ति प्रबंधन द्वारा ग्रिड नियंत्रण

ग्रिड कोड के अनुसार ट्रांसमिशन सेवाओं द्वारा ग्रिड के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ग्रिड अनुशासन बनाए रखना अपेक्षित है । विनियमों के अनुसार सभी प्रयोक्ताओं, यथा एस.एल.डी.सी. विद्युत उत्पादन कम्पनियों, डिस्काम्स, एनआरएलडीसी को यह सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव उपाय करने चाहिए कि ग्रिड आवृत्ति 49.5 - 50.2 हर्ट्ज बैण्ड के भीतर बनी रहे । ग्रिड आवृत्ति विद्युत उत्पादन क्षमताओं में कमी होने, अधिक माँग, विद्युत भार उत्पादन संतुलन बनाए रखने में ग्रिड में अव्यवस्था, विद्युत भार की अपर्याप्त निगरानी प्रबंधन के कारण अनुमत आवृत्ति स्तरों से नीचे या ऊपर चला जाता है ।

दिल्ली ग्रिड कोड 2008 के अनुसार कोई प्रयोक्ता एक नियत सीमा, जैसा कि एस.एल.डी.सी द्वारा निर्धारित है, (नियत भार) से अधिक अपने भार में आकस्मिक वृद्धि नहीं करेगा । एसएलडीसी को पूर्व सूचना व अनुमित के बिना आवृत्ति के अनुमत स्तर से नीचे गिर जाने पर विद्युत की अधिका निकासी को रोकने हेतु हस्तचालित विद्युत भार क्षरण को क्रियाशील करने हेतु सम्बद्ध प्रयोक्ताओं को निर्देशित कर सकता है ।

ग्रिड नियंत्रण लागू करने हेतु एन.आर.एल.डी.सी. तीन प्रकार (ए,बी और सी)[11] के उल्लंघन संदेश एस.एल.डी.सी को भेजता है और एस.एल.डी.सी. इन संदेशों को अधिक डिस्कमों को अग्रेषित कर देता है ।

[10] राष्ट्रीय ग्रिड पाँच क्षेत्रों उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी ग्रिडों से निर्मित है, जिनमें से प्रत्येक में एक क्षेत्रीय विद्युत भार प्रेक्षण केन्द्र (आरएलडीसी) है जो सम्बद्ध क्षेत्र में विद्युत तन्त्र के समन्वित संचालन सुनिश्चित करने हेतु एक शीर्षस्थ निकाय है ।

[11] संदेश ए तब निर्गत किया जात है जब आवृत्ति 49.7हर्ट्ज से कन हो और अनियत अन्त-अन्तरण (यूआई) 150 मे.वा. से अधिक या नियत अन्तःअन्तरण (न्यूनतम 50 मे.वा.) के 12 प्रतिशत से अधिक

एसएलडीसी द्वारा 2007-08 से 2011-12 के दौरान डिस्कॉम्स को निर्गत उल्लंघन संदेशों का विवरण नीचे **तालिका 7.3** में दिया गया है:

तालिका 7.3 : जारी उल्लंधन आदेश

क्र.सं.	संदेश का प्रकार	निर्गत संदेशों की संख्या				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	ए	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	125	45	37
2	बी	उपलब्ध नहीं	24	57	13	15
3	सी	उपलब्ध नहीं	3	12	6	1

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि संवीक्षा का अवधि के पिछले तीन वर्षो में उल्लंधन संदेशों के जारी होने में कमी आई है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अक्टूबर 2008 के दौरान एस.एल.डी.सी. दिल्ली ग्रिड तन्त्र में निम्न आवृत्ति व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक विद्युत निकासी को नियंत्रित करने में असफल रही, जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने ₹ 2.5 लाख का अर्थदण्ड लगाया । यद्यपि इसके पश्चात् ग्रिड अनुशासन को बनाए रखने में सुधार हुआ है, जा संदेशों के कम होने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है ।

प्रबंधन ने दिसम्बर 2012 में दिए अपने उत्तर में उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि की और यह जोड़ा कि कम्पनी डिस्कॉम से अर्थदण्डों की वसूली के मामले पर डीईआरसी से मंत्रणा कर रहा था जिस पर निर्णय अभी लम्बित था ।

7.9.3 बेकिंग डाऊन निर्देश (बी.डी.आई)

आवृत्ति जब आदर्श सीमाओं से अधिक हो जाती है अथवा विद्युत उत्पादन अधिक तथा निकासी कम हो जाती है (50 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर) एसएलडीसी विद्युत उत्पादकों और ग्रिड (केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों) को एनआरएलडीसी के माध्यम से समन्वित ग्रिड प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और राज्य में विद्युत तन्त्र के संचालन में अधिकतम मितव्ययिता और प्रभाविता प्राप्त करने हेतु विद्युत उत्पादन व आपूर्ति को कम करने हेतु बेकिंग डाऊन निर्देश (बी.डी.आई.)जारी कर कार्यवाही करता है । बी.डी.आई. का अनुपालन होने के परिणामस्वरूप नेटवर्क में विद्युत का अधिक अन्तर्वेशन हो सकता हैं जिससे संचारण तन्त्र में ट्रिपिंग और ग्रिड में बाधाएँ हो सकती हैं । बी.डी.आई. के अनुपालन न होने से अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है ।

हो और आवृत्ति में गिरावट की प्रवृत्ति देखी जाए । सदेश बी 49.5 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम होने पर यदि यू.आई. मात्रा 150 मे.वा. से अधिक हो या नियत (न्यूनतम 50 मे.वा.) के 12 प्रतिशत से अधिक हो या पिछले 10 मिनट से अधिक तक यदि यू.आई.मात्रा 300 मे.वा. से अधिक हो या पिछले 5 मिनट से नियत न्यूनतम आवृत्ति 50 मे.वा.) से 24 प्रतिशत से अधिक हो । संदेश सी 49.5 हर्ट्ज से कम पर जारी किया जाता है जब यह स्थिति (संदेश बी) क्रमशः 20 मिनट और 15 मिनट से अधिक समय तक बनी रहे या बीते दो घण्टों में 49.5 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम पर विद्युत की अधिक निकासी दो बार हो चुकी हो । इस प्रकार, संदेश सी जारी किया जाना गंभीर मामला माना जाता है ।

एसएलडीसी ने 2007-08 और 2011-12 के बीच 9287.51एम.यू हेतु बी.डी.आई. निर्गत किए, जिनमें से केन्द्रीय सेक्टर विद्युत-उत्पादन केंद्रो (सीएसजीएस) को 4867.21 एम.यू. हेतु और दिल्ली विद्युत-उत्पादन केन्द्रों को 4420.30 एम.यू. हेतु बीडीआई अनुपालन हेतु जारी किए गए । लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एसएलडीसी ने बीडीआई के विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा अनुपालन और उनके लिए आरोपित अर्थदण्डों के पृथक अभिलेख तैयार नहीं किए हैं । एसएलडीसी विद्युत उत्पादन कम्पनियों को जारी किए गए बीडीआई के अनुपालन किए जाने के बारे में अनभिज्ञ थी । जारी किए गए बी.डी.आई. के अनुपालन हेतु अलग अभिलेखों के अनुपलब्ध होने की स्थिति में बीडीआई को जारी करने का मूल प्रयोजन ही निष्फल सिद्ध हो जाता है ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि चूँकि अन्तःराज्यीय एबीटी दिल्ली में 1 अप्रैल 2007 से क्रियान्वित किया गया है, इसलिए केवल नियोजित ऊर्जा के लिए ही भुगतान किए गए । उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि केवल वित्तीय उद्ग्रहण के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रिड अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए भी इन निदेशों और अभिलेखों को रखने की आवश्यकता है, अन्यथा इससे विद्युत नेटवर्क में विद्युत का अधिक अन्तःवेशन होता है, जिससे ट्रिपिंग तथा ग्रिड में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ।

7.9.4 ग्रिड समन्वय समिति बैठक

दिल्ली ग्रिड कोड समन्वय समिति (व्यापार का प्रबंध) नियम 2008, के अनुसार ग्रिड समन्वय समिति (जीसीसी) को दि.ट्रा.लि., एस.एल.डी.सी., विद्युत उत्पादन कम्पनियों (आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, बीटीपीएस[12]) डिस्कॉम, एनआरएलडीसी और डीईआरसी प्रत्येक के सदस्य से गठित किया जाना था । जीसीसी का प्रमुख प्रकार्य ग्रिड कोड के नियम व प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन सुगम बनाना, किसी बडी ग्रिड बाधा का विश्लेषण करना, व दिल्ली के विद्युत तन्त्र से सम्बन्धित मामलों को सुलझाना है ।

ग्रिड कोड के अनुसार जीसीसी की बैठक तीन महीनों में कम से कम एक बार होनी चाहिए । यद्यपि समिति आवश्यकता होने पर किसी मामले की चर्चा के लिए अध्यक्ष, जीसीसी से मन्त्रणा कर कभी भी बैठक कर सकती है ।

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जीसीसी बैठकें त्रैमासिक आधार पर नियमित तौर पर आयोजित नहीं की जा रही थीं, जैसा कि ग्रिड कोड द्वारा अपेक्षित है । पहले वर्ष में बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई, परन्तु चौथी बैठक (6 नवंबर 2009) के बाद 5 वीं बैठक (25 अक्टूबर 2010) लगभग एक वर्ष के अन्तराल और उसके बाद 6 वीं अंतिम बैठक (8 मई 2012) 18 महीनों के अन्तराल पर आयोजित की गई ।

जीसीसी की बैठकों में देरी के परिणामस्वरूप सभी पणधारियों द्वारा सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन, हॉट रिजर्व के प्रावधान व मीटरीकरण प्रक्रिया के क्रियान्वयन में देरी और बीवाईपीएल और बीआरपीएल द्वारा अक्टूबर 2010 से बिलों की गैर-अदायगी पर कार्यवाही में देरी हुई । इस प्रकार सतत निगरानी/निरीक्षण और तन्त्र से सम्बन्धित मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही का प्रयोजन निष्फल सिद्ध हुआ ।

[12] इन्द्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कम्पनी लि., प्रगति विद्युत कम्पनी लि., बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जीसीसी बैठक जब आवश्यकता होती थी आयोजन किया जाता है । जीसीसी बैठकों के अतिरिक्त उपसमिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित की जाती हैं । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रिडकोड के प्रावधानों के अनुसार जीसीसी बैठक तन्त्र की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय बैठक आयोजित करने के अतिरिक्त कम से कम तीन महीनों में एक बार आयोजित की जानी चाहिए जिससे उच्चतर स्तर पर नियमित पर्यवेक्षण हो सके । इसके अतिरिक्त उपसमितियाँ केवल जीसीसी का कार्य सुगम बनाने के लिए हैं ।

7.9.5 अनियोजित अन्तःअन्तरण प्रभार

एसएलडीसी अनुबन्धित विद्युत उत्पादन क्षमता, केन्द्रीय क्षेत्र से प्राप्त आवण्टन और भविष्य में क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्धता की गई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि की विद्युत आपूर्ति योजना का निर्माण करता है और विद्युत उत्पादन कम्पनियों, सीएसजीएल और डिस्कॉमों से मंत्रणा कर विद्युत की निवल अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तुत करता है । माँग व आपूर्ति में अन्तर के परिणामस्वरूप वास्तविक विद्युत उत्पादन और वास्तविक निकासी तथा नियोजित विद्युत-उत्पादन या नियोजित विद्युत निकासी में अन्तर आता है, जिसकी पूर्ति अनियोजित अन्तःअन्तरण (यू.आई.) प्रभार द्वारा की जाती है, जिसकी गणना एसएलडीसी द्वारा प्रति 15 मिनट के समय खण्ड के लिए की जाती है । यू.आई. प्रभार का आरोपण निम्न आवृत्ति की स्थितियों में अधिक निकासी या निम्न अन्तःवेशन रोकने हेतु उपाय के रूप में कार्य करता है । यू.आई. प्रभारों से प्राप्त वाणिज्यिक निवारक सभी भुगतान 'अनशेड्यूल्ट इंटरचेंज पूल अकाउण्ट फण्ड' नामक निधि में जमा कर दिए जाते हैं जिसका रखरखाव व संचालन ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुपालन में एसएलडीसी द्वारा किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त सी.ई.आर.सी के निर्देशों के अनुसार निधि का उपोग आरंभिक वर्षों के दौरान पूँजीगत लागतों की आपूर्ति हेतु आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाना चाहिए ।

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि मार्च 2012 तक यू.आई. पूल अकाउण्ड फण्ड में ₹ 165 करोड़ (2007-08 से 2011-12 तक संचित किया गया) उपलब्ध था, हालाँकि बैक-अप एस.एल.डी.सी. के निर्माण (₹ 10 करोड़) संप्रेषण तन्त्र (₹ 0.96 करोड़), साइबर सुरक्षा प्रणाली (₹ 0.20 करोड़), पर्यवेक्षकीय नियंत्रण और आंकड़ा प्राप्ति (स्केडा)[13] (₹ 26.22 करोड़) के प्रस्ताव होते हुए भी तन्त्र सुधार हेतु स्त्रोत महत्व की किसी योजना हेतु इसका उपयोग नहीं किया गया था ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि यू.आई. पूल में अधिशेष धनराशि के उपयोग के प्रस्ताव डीईआरसी के पास लम्बित थे । इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि जीएनसीटीडी के परामर्श के अनुसार दि.ट्रा.लि. आगामी विद्युत संचारण परियोजनाओं हेतु निधियों के प्रयोग हेतु डीईआरसी को प्रस्ताव कर रही है ।

[13] स्कैडा तन्त्र में एक स्कैडा केन्द्रीय होस्ट कम्प्यूटर और रिमोट कंट्रोल ईकाईयों और संचालन टर्मिनलों के मध्य आँकडा-संप्रेक्षण का समावेश है । स्कैडा तन्त्र सूचना का संग्रहण कर उसे केन्द्रीय साइट पर वापिस प्रेषित कर देता है ।

7.9.6 ऊर्जा लेखा तथा लेखापरीक्षा

ऊर्जा लेखा तथा लेखापरीक्षा विद्युत संचारण में होने वाली हानियों का आकलन करने व उन्हें कम करने हेतु आवश्यक है । विद्युत संचारण हानियाँ विद्युत उत्पादन से विद्युत संचारण (जीटी) और विद्युत संचारण से वितरण (टीडी) अन्तरपृष्ठ मीटरीकरण बिंदुओं से प्राप्त मीटर रीडिंग यन्त्र (एमआरआई) पाठ्याँक से अवकलित किए जाते हैं । 31 मार्च 2012 तक टीडी (136) और जीटी (15) के बीच 151 अन्तरपृष्ठ सीमा मीटरीकरण बिन्दु थे । दि.ट्रा.लि. ने सभी अन्तरापृष्ठ मीटरिंग प्वाईंटों में 0.2 श्रेणी मीटर प्रदान किए जैसा कि सीईए द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

सीईए के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत संचारण यूटीलिटी हेतु अन्तरपृष्ठ मीटरों को एक ही लाइसेंसी के विद्युत उप-ग्रहों के बीच लाईन के अंत में और दो लाइसेंसियों के उप-गृहों के बीच लाईन के दोनों सिरों पर लगाए जाने चाहिए । ये मीटर लाइसेंसियों के लिए सम्बन्धित मुख्य मीटर माने जाने चाहिए । यदि अन्तरपृष्ठ मीटर नहीं हैं, तो सभी प्रवेशी और बर्हिगामी फीडरों पर विद्युत लेखीकरण मीटर लगाए जाने चाहिए ।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि दि.ट्रा.लि. ने केन्द्रीय ग्रिड से प्राप्त विद्युत के प्रवेशी बिन्दु पर अन्तरापृष्ठ मीटरों का संस्थापन नहीं किया है और विद्युत लेखीकरण हेतु पीजीसीआईएल द्वारा संस्थापित मीटरों पर निर्भर है । इसके अतिरिक्त 4 सं. 220 कि.वो.सब.स्टे पर साऊथ ऑफ वाजीराबाद, गोपालपुर, नरेला में दि.ट्रा.लि. द्वारा स्वयं प्रवेशी अन्तरापृष्ठ मीटरों का संस्थापन किया जाना था, जिन्हें स्थापित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त दि.ट्रा.लि. ने 66/33 कि.वो. सब.स्टे से बर्हिगमन डिस्कॉम फीडर की 230 में से 147 पर आडिट मीटर प्रदान किए हैं ।

प्रत्येक उ.गृ./फीडर के विद्युत-संचारण हानियों का अवकलन करने और ऊर्जा के संचारण में प्रत्येक सब.स्टे /फीडर के निष्पादन का आकलन करने हेतु सीईए, के मीटरों के संस्थापन व संचालन हेतु मानकों का अनुपालन आवश्यक है ।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि मीटरीकरण प्रक्रिया जैसा कि मई 2012 में आयोजित जीसीसी बैठक में अनुमोदित किया गया दिल्ली के सभी पणधारियों द्वारा स्वीकार कर ली गई हे । शेष 83 बिन्दुओं पर आडिट मीटर संस्थापित किए जा रहे थे ।

7.10 वित्तीय प्रबंधन

7.10.1 वित्तीय स्थिति

राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक विद्युत क्षेत्र का वित्तीय परिवर्तन और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है ।

2011-12 तक पिछले पाँच वर्षों में कंपनी की वित्तीय स्थिति **अनुलग्नक-7.9 और 7.10** में दी गई हैं ।

विद्युत के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य में राजस्व के पर्याप्त अन्तर के कारण दि.ट्रा.लि. ने 2004-05 तक हानि उठाई जो संचित होकर ₹ 3777.59 करोड़ हुई, परंतु 2005-06 और 2006-07 के दौरान दि.ट्रा.लि. ने विद्युत क्षेत्र सुधार ऋणों पर ब्याज की छूट के परिणामस्वरूप न्यूनतम लाभ अर्जित किया । 1 अप्रैल 2007 से कंपनी ने विद्युत के क्रय-विक्रय का कार्य बंद कर दिया और संचालन का लाभार्जन आरंभ किया इसलिए मार्च 2012 तक संचित हानियाँ कम होकर ₹ 2552.29 करोड़ रह गई थी ।

अनुलग्नक - 7.9 से देखा जा सकता है कि दि.ट्रा.लि. को कर से पहले लाभ 2007-08 में ₹ 58.79 करोड़ से वर्ष 2011-12 में 1005.33 करोड़ हो गया जो कि 1613.03 *प्रतिशत* बढ़ गया । 2011-12 में लाभ में वृद्धि मुख्यतः 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिए बकायों की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 478.91 करोड़ की अतिरिक्त आय की अनुमति देने, 2011-12 के कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर[14]) में डी.ई.आर.सी. द्वारा 2011-12 के लिए ₹ 51.53 करोड़ के उच्चतर व्यय और अन्य आय में ₹ 28 करोड़ और विविध आय में ₹ 154 करोड़ की वृद्धि के कारण थी ।

जैसा कि जीएनसीटीडी द्वार निधीयन न किए जाने से बाह्य ऋणों का सहारा लेना पड़ा था । उधारों में 2007-08 में ₹ 584.86 करोड़ से 2011-12 में ₹ 2029.12 करोड की वृद्धि के कारण ऋण इक्विटी अनुपात 0.16:1 (2007-08) से बढ़कर 0.51:1 (2011-12) हो गया । नियोजित पूँजी पर रिटर्न का प्रतिशत 21.15 प्रतिशत (2007-08) से बढ़कर 29.17 प्रतिशत 2011-12 हो गया क्योंकि शुद्ध अचल परिसम्पत्तियों में पर्याप्त वृद्धि ₹ 624.49 करोड़ (2007-08) से ₹ 1673.47 करोड़ (2011-12)पूँजीगत कार्य प्रगति पर ₹ 56.74 करोड़ (2007-08) से ₹ 1000.32 करोड़ (2011-12) तक वृद्धि और कार्यशील परिसम्पत्तियों, ऋणों और अग्रिमों में ₹ 326.32 करोड़ (2007-08) से ₹ 1494.23 करोड़ (2011-12) तक की वृद्धि हो गई । नियोजित पूँजी पर रिटर्न 2011-12 में बढ़ा क्योंकि कुल 2011-12 के दौरान रिटर्न में अतिरिक्त आय हुई जैसाकि ऊ पर परिचर्चा गई है ।

अनुलग्नक- 7.10 से यह देखा जा सकता है कि 2011-12 में लागत के प्रमुख तत्वों में कर्मचारी लागत, अवमूल्यन, ब्याज और वित्त प्रभार जो इस वर्ष में कुल लागत का क्रमशः 24.09, 32.95 और 15.05 प्रतिशत था। दूसरी ओर प्रक्रियाओं अर्थात् वहीलिंग तथा एसएलडीसी प्रभारों से आय 2011-12 में राजस्व के प्रमुख घटक थे ।

प्रबंधन ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की (जनवरी 2013) ।

7.10.2 प्रक्रियाओं की लागत की वसूली

अनुलग्नक – 7.10 से यह देखा जा सकता है कि प्राप्ति (राजस्व) प्रति ईकाई 2007-08 में ₹ 0.11 से बढ़कर 2011-12 में ₹ 0.57 हो गई और लागत तदर्नरूप प्रति ईकाई तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान ₹ 0.08 से बढ़कर ₹ 0.17 हो गई । इसके अतिरिक्त प्रति

[14] कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का अर्थ अनुज्ञप्त व्यवसाय से सम्बन्धित लागत जो डीईआरसी (विद्युत संचारण के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियमों के अनुपालन में आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क व प्रभारों के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु अनुमत हैं ।

ईकाई अंशदान (प्राप्ति में से घटाई गई चर लागत) 2007-08 में ₹ 0.10 से 2011-12 में ₹ 0.14 हो गयी । 2011-12 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रति इकाई लाभ ₹ 0.03 से बढ़कर ₹ 0.40 हो गया जो 2011-12 में एआरआर के माध्यम से पिछले व्यय की वसूली और 2011-12 के लिए एआरआर में अधिक व्यय की अनुमति के कारण हुई अतिरिक्त आय के कारण थी ।

7.10.3 शुल्क निर्धारण

दि.ट्रा.लि. की वित्तीय व्यवहार्यता विवेकपूर्ण वित्तीय पद्धतियाँ अपनाकर अपनी संचालन की आवश्यकताओं और भविष्य के पूँजी विस्तार कार्यक्रमों के वित्तीयकरण हेतु प्रक्रियाओं से अंधिशेष (उचित, रिटर्नों सहित) के अर्जन पर निर्भर करती है । राजस्व संग्रहण दि.ट्रा.लि. के लिए निधियों के अर्जन करने का प्रमुख स्त्रोत है ।

दि.ट्रा.लि. ने डीईआरसी में नियन्त्रण अवधि 2007-08 से 2010-11 और 2011-12 के लिए अनुमत समय के भीतर एआरआर दाखिल की । दि.ट्रा.लि. ने 2007-08 से 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 1661.08 करोड़ का एआरआर (20 अगस्त 2007) को प्रस्तुत किया और उसके औचित्यकरण हेतु 31 मार्च 2011 को ₹ 1206.33 करोड़ का संशोधित एआरआर प्रस्तुत किया । दि.ट्रा.लि. ने 6 अप्रैल 2011 को वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 656.96 करोड़ और ₹ 1496.36 करोड़ विभिन्न खातों के लिए जैसे कि 2005-06 विद्युत क्रय लागत (₹ 171.60 करोड़) आरएलडीसी/यूएलडीसी शुल्क (₹ 5.49 करोड़) दि.वि.बो. के बकाये (₹ 1046.45 करोड़), 2005-06 के अल्पावधि ऋण पर ब्याज (₹ 3.59 करोड़) व 2006-07 के (₹ 5.05 करोड़) प्रेषण सिरे पर मीटरीकरण (₹ 20.21 करोड़) अतिरिक्त विद्युत क्रय देयता (₹ 243.97 करोड़) का दावा करते हुए एआरआर दाखिल की । दि.ट्रा.लि. द्वारा किए गए आयोग द्वारा अनुमोदित एआरआर प्रस्तावों का विवरण नीचे **तालिका 7.4** में दिया है:

तालिका 7.4 : संचारण शुल्क

वर्ष	दि.ट्रा.लि.				डीईआरसी			
	विद्युत संचारण हेतु कुल क्षमता (मे.वा.)	भार अपवर्तक (0.95) पर विद्युत संचारण के लिए कुल क्षमता (मे.वा.)	2011 में प्रस्तुत संशोधित आवश्यकता के अनुसार राजस्व आवश्यकता (₹ करोड़ में)	शुल्क कि.वा./माह (₹ में)	विद्युत संचारण हेतु कुल क्षमता (मे.वा.	भार अपवर्तक (0.95) पर विद्युत संचारण के लिए कुल क्षमता (मे.वा.)	राजस्व आवश्यकता (₹करोड़ में)	शुल्क कि.वा./माह (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= {(4)/(3)X1000)}/12	(6)	(7)	(8)	(9) {(8)/(7)X1000)}/12
2007-08	9811	9320	217.42	19.44	9811	9320	182.84	16.35
2008-09	9951	9453	231.8	20.43	9951	9453	162.85	14.36
2009-10	10526	10000	314.68	26.22	10526	10000	179.87	14.99
2010-11	11336	10769	442.43	34.24	11336	10769	398.24	30.82
2011-12	12191	11581	656.96	47.27	12191	11581	708.67	50.99
			1496.36[15]				478.91[16]	
			3359.65				**2111.38**	

[15] 2002-07 की अवधि के लिए विभिन्न मदों के प्रति

[16] डीईआरसी द्वारा अनुमत ₹ 478.91 करोड़ के बकाये (वि.व. 2007-08 से 2010-11 के एआरआर के संशोधन के कारण स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि के लिए ₹ 484.95 करोड़ + पेंशन ट्रस्ट हेतु 150 करोड़ -पूर्व अवधि देयताओं के अतिरिक्त धनराशि के प्रति ₹ 156.04 करोड़)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दि.ट्रा.लि. ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए ₹ 3359.65 करोड़ (2002-07 से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों सहित) का दावा किया, जिसमें से डीईआरसी ने ₹ 2111.38 करोड़ की अनुमति प्रदान की, जिससे ₹ 1248.27 करोड़ का घाटा 2007-12 की अवधि हेतु एआरआर के लिए ₹ 94.99 करोड़ की अधिशेष राशि और 2002-07 की अवधि के लिए ₹ 1343.26 करोड़ की कमी का शुद्ध परिणाम हुआ । यद्यपि 2007-08 से 2011-12 एआरआर का डीईआरसी द्वारा औचित्यीकरण किया जाना शेष है ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2012) इन तथ्यों की पुष्टि की, हालाँकि यह भी बताया कि दि.ट्रा.लि. ने 2007-08 से 2010-11 और 2011-12 हेतु औचित्यीकरण हेतु याचिका दाखिल की है जिसका आयोग द्वारा औचित्यीकरण शेष है ।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रा.लि. ने दि.ट्रा.लि. और डिस्कॉम के बीच किए गए थोक विद्युत संचारण समझौता (बीपीटीए) के प्रावधान अनुसार बिलों के समय पर भुगतान हेतु डिस्कॉमों को व्हीलिंग प्रभार पर ₹ 6.81 करोड़ ₹ 1.81 करोड़ (₹ 2.50 करोड़ (2007-08) हेतु और प्रतिवर्ष 2010-11 और 2011-12 की अवधि हेतु) छूट प्रदान की है । हालाँकि डीईआरसी ने अपने आदेशों में इस अभ्युक्ति के साथ कि डिस्कॉमों को प्रदत्त छूट एक व्यावसायिक व्यवस्था है और इसे एआरआर द्वारा पारित नहीं किया जा सकता इस छूट की अनुमति नहीं दी । इसके परिणामस्वरूप दि.ट्रा.लि. को ₹ 6.81 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

शीर्षवार व्ययों की जाँच से यह भी पता चला कि दि.ट्रा.लि. ने 2007-08 से 2011-12 अंतिम ऑकडे की अवधि के दौरान प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओएण्डएम) पर ₹ 748.90 करोड़ का व्यय किया गया जिसके समक्ष डीईआरसी ने ₹ 726.47 करोड़ हेतु अनुमति प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.43 करोड़ का वास्तविक घाटा हुआ । इस सम्बन्ध में डीईआरसी द्वारा यह पाया गया कि 2006-07 के दौरान दिल्ली की कुल विद्युत आवश्यकता 24629 एम.यू. और 2009-10 के दौरान यह आवश्यकता 24125 एम.यू. थी, जो विद्युत उपभोग में शिथिलता दर्शाती है, जबकि ओएण्डएम व्यय कई गुणा बढ़ गए हैं । ओ एण्ड एम प्रभारों की कम वसूली के परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 6.67 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अपने स्रोतों से करना पड़ा । इस प्रकार, इन व्ययों में कमी करने की आवश्यकता थी ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष छूट की अनुमति न देने और ओएण्डएम व्ययों के लिए कम भत्तों के दिये जाने के विरूद्ध याचिका दाखिल की गई है ।

7.10.4 निजी डिस्कॉमों (बीआरपीएल तथा बी.वाई.पी.एल.) समझौते के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप को ₹ 700 करोड़ से अधिक की लंबे समय से लम्बित देयताओं की वसूली न करके अनुचित लाभ दिया जाना

दि.ट्रा.लि. शुल्क आदेशों में निर्दिष्ट आवण्टन क्षमताओं के अनुपात में डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीपीएल, एनडीएमसी और एमईएंस) से व्हीलिंग प्रभारों और उस पर अन्य आरोपणों हेतु मासिक विद्युत संचारण बिलों संग्रहण करता है ।

दि.ट्रा.लि. और डिस्कॉमों के बीच किए गए बीपीटीए के अनुसार विद्युत संचारण तन्त्र के प्रयोग हेतु विधुत संचारण प्रभारों के प्रति मासिक बिल दि.ट्रा.लि. द्वारा डीईआरसी द्वारा निर्गत शुल्क आदेशों के अनुसार अगले महीने के 10वें दिन या उससे पूर्व जारी किए जाने थे । विद्युत संचारण बिलों का भुगतान बिलों की जारी तिथि से एक माह के भीतर किए जाने चाहिए । बीपीटीए के अन्तर्गत भुगतान सुरक्षा प्रणाली (पीएसएम) दि.ट्रा.लि. के पक्ष में एक अप्रत्यादेय आवर्ती साखपत्र (सा.प.) को जारी करने के लिए भी प्रावधान करता है । देय तिथि के भीतर भुगतान ना कर पाने की स्थिति में कंपनी सा.प. का उपयोग कर सकती है । बीपीटीए के अनुसार यदि सा.प. को बनाए रहीं रखा जाता है या निकासी के सात दिनों के भीतर नवीकृत कर दिया जाता है तो डिफॉल्ट एस्क्रो एग्रीमेण्ट पर पक्षों द्वारा एग्रीमेण्ट में पृथक हस्ताक्षर किया जाएगा, निर्दिष्ट टंग से डिफॉल्ट एस्क्रो व्यवस्था को लागू किया जाएगा । बिल के प्रस्तुत किए जाने से एक महीने के भीतर विद्युत संचारण प्रभारों के भुगतान में देरी के मामले में दि.ट्रा.लि. बिल के भुगतान की वास्तविक तिथि से भुगतान न की गई राशि पर 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से विलंब भुगतान अधिशुल्क लगा सकता है ।

डिस्कॉमों से बिलों के संग्रहण और उनकी उगाही से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच से पता चला कि बीआरपीएल और बीवाईपीएल द्वारा अक्टूबर 2010 से बिलों का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा था अक्टूबर 2010 से मार्च 2012 की अवधि के ₹ 705.70 करोड़ (₹ 431.11 करोड़ की बीआरपीएल और ₹ 274.59 करोड़ की बीआईपीएल से) की व्हीलिंग प्रभार, प्रोत्साहन बिलों, आयकर बिलों और विलम्ब भुगतान अधिशुल्क (एलपीएससी) से संबंधित राशि की वसूली 31 मार्च 2012 तक लम्बित थी ।

इसके अतिरिक्त जॉच में पता चला कि दि.ट्रा.लि. ने 2007-08 से 2011-12 के लिए बीआरपीएल और बीवाईपीएल से सा.प. प्राप्त नहीं कर पाई थी । लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि 2010-11 के लिए बीवाईपीएल और बीआरपीएल से ₹ 13.46 करोड़ का सा.प. प्राप्त किया गया , अपितु दि.ट्रा.लि. इस तिथि तक देय धनराशि हेतु आवर्ती सा.प. प्राप्त नहीं कर पाई थी । अतः 31 मार्च 2011 तक ₹ 152.58 करोड़ की देयताओं के विपरीत दि.ट्रा.लि. के पास ₹ 13.46 करोड़ के ही सा.प. थी तथापि दि.ट्रा.लि. समझौते के अनुसार मार्च 2011 तक अदा न किए गए बिलों की वसूली हेतु ₹ 13.46 करोड़ के सा.प. को भुना नहीं पाई थी । लेखा परीक्षा में पाया गया कि चूकि 2007-08 से 2009-10 और 2011-12 के दौरान सा.प. को बनाए नहीं रखा गया । बी.पी.टी.ए. की शर्तों के अनुसार एक डिफॉल्ट एस्क्रो व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए था, जबिक दि.ट्रा.लि. द्वारा बीआरपीएल के साथ किसी डीफॉल्ट एस्क्रो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए ।

इसके अतिरिक्त बीपीटीए (बिलों का भुगतान न करना और साख पत्र की गैर-संस्थापन) के प्रावधानों के अनुसार समझौते की तिथि से 30 दिनों की निर्धारित अवधि, के अन्दर साख पत्र को संस्थापित करने/बढ़ाने में असफल होने पर यदि कोई बिल इसके जारी होने की तिथि से दो महीने से अधिक की अवधि के लिए अदत्त बना रहेगा तो दि.ट्रा.लि. के पास इस प्रकार के लाभार्थियों को विद्युत के पारगमन को रोकने/नियंत्रण करने का विकल्प रहेगा । लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रा.लि. ने न तो साख पत्र प्राप्त किया न ही समझौता शर्तों के अनुसार निजी डिस्कॉम्स के विरूद्ध उनके समझौते को समाप्त करने हेतु विद्युत के नियंत्रण को बंद करने के लिए कोई समुचित कार्यवाही

किया । इस प्रकार दि.ट्रा.लि. डिस्काम्स के साथ हस्ताक्षरित समझौता के प्रावधानों का पालन न करने के कारण अपने हित की रक्षा करने में असफल रहा जिसके कारण निजी कम्पनियों को अनुचित लाभ हुआ ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ओर दि.ट्रा.लि. अपने पूँजीगत परियोजनाओं के लिए उधारों पर निर्भर था जबकि दूसरी ओर निजी डिस्कॉम्स अर्थात् बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल के द्वारा पारगमन प्रभारों के गैर भुगतान[17] के कारण ₹ 705.70 करोड़ की विशाल राशि का अवरोधन हुआ ।

प्रबंधन ने अपने जवाब में (दिसंबर 2012) उपरोक्त तथ्य की पुष्टि की है । हालाँकि उन्होंने कहा कि यद्यपि विद्युत के पारगमन को रोकने/विनियंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था । परन्तु इसे लागू नहीं किया जा सका इसलिए एसएलडीसी ने स्पष्ट किया है कि विनियंत्रण तकनीकी रूप से संभव नहीं था क्योंकि चूककर्ता डिस्काम्स को सम्पूर्ण शक्ति का 70 प्रतिशत आबंटित था । आगे कहा गया कि दि.ट्रा.लि. और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अनुसरण से पैकेज की व्यवस्था के परिणामस्वरूप बीवाईपीएल और बीआरपीएल आईडीबीआई के वित्तीय नबंबर 2012 से बकाया राशि के भुगतान के लिए मानें जो मार्च 2013 तक पूरा होगा । हालाँकि हमने पाया कि दि.ट्रा.लि. और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के द्वारा अनुसरण के बावजूद स्थिति बिगड़ चुकी थी । दिसम्बर 2012 को 754.83 करोड़ की वसूली लम्बित थी ।

7.10.5 एसएलडीसी प्रभारों का संग्रहण

एसएलडीसी ने जनवरी 2004 में अपना कार्य आरम्भ किया । एस एल डी सी उत्पादन कम्पनियों और डिस्काम्स से इस प्रकार के शुल्कों एवं प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करती है जैसा कि आयोग के विनियमों 2007 के अनुसार डीईआरसी द्वारा एआरआर में लागू हो तथा जो संविदाकृत पारगमन क्षमता के आधार पर आबंटित हो । 2007-08 तक एसएलडीसी के व्ययों की वसूली दि.ट्रा.लि. के एआरआर के द्वारा की गई । हालाँकि आयोग के निर्देशों के अनुसार 2008-09 से आगे एसएलडीसी ने एसएलडीसी प्रभारों के निर्धारण के लिए डीईआरसी के साथ अपनी पृथक याचिका दायर किया ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्ग्रहित हुआ कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए डीईआरसी के द्वारा अपेक्षित 4 महीनों के सापेक्ष एसएलडीसी के द्वारा याचिका दायर करने में 3 से 15 महीने तक की देरी की गई ।

वर्ष 2007-08 के लिए डीईआरसी ने ₹ 7.10 करोड़ के एसएलडीसी के दावे के विरूद्ध ₹ 7.06 करोड़ के लिए याचिका को औचित्यकृत किया । यद्यपि एसएलडीसी ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दावों क्रमशः ₹ 8.36 करोड़, ₹ 12.63 करोड़, ₹ 15.19 करोड़ को औचित्यकृत करने के लिए तथा वर्ष 2011-12 में ₹ 27.31 करोड़ के लिए एआरआर दायर की थी । डीईआरसी ने वर्ष 2008-09 के लिए केवल ₹ 9.04 करोड़

[17] डिस्कॉमस (बीवाईपीएल तथा बीआरपीएल) द्वारा गैर-भुगतान के जो कारण डीटीएल को सौंपे गए थे वे उपभोक्ताओं पर प्रभारित गैर-लागत-परावर्तित शुल्कों के कारण वित्तीय कठिनाई झेलने का सामना करने के कारण थे । उन्होंने आगे सूचित किया कि यहाँ तक कि उनके बैंकर्स उन्हें वर्तमान शुल्क संरचना में वसूली की अनिश्चितता के कारण ऋण भी नहीं दे रहे थे ।

के लिए एआरआर पर आदेश जारी किया था जो सम्पूर्ण अवधि के लिए बिना औचित्यकृत किए उसी दर पर वर्ष 2011-12 तक जारी था ।

प्रबंधन ने इसके प्रत्युत्तर (दिसम्बर 2012) में तथ्यों की पुष्टि की ।

7.11 सामग्री प्रबन्धन

सामग्री प्रबंधन में मूल कार्यों अर्थात सामग्री-सूची नियंत्रण नीति सामग्रियों की अधिप्राप्ति और पुरानी सामग्री सूची का निपटान निर्धारित किया जाता है । दि.ट्रा.लि. ने भण्डारों की अधिप्राप्ति और सेवाओं आदि के लिए निर्माण कार्य अधिप्राप्ति नीति एवं कार्यप्रणाली (डब्ल्यू पी पी पी) को प्रतिपादित किया था हालाँकि दि.ट्रा.लि. में सामग्री सूची के ऊपर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोई सूची नियंत्रण क्रियाविधि नहीं थी ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए उपभोग महीनों के रूप में उपभोगों, भण्डार के समापन स्टाकों तथा समापन स्टाकों का ब्यौरा नीचे **तालिका 7.5** मे दिया गया है:

तालिका 7.5 सामग्री प्रबंधन-भंडार का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोग (प्रतिवर्ष)	उपभोग (प्रतिमाह)	निबल समापन स्टॉक (तुलन पत्र के अनुसार)	उपभोग के महीने के रूप में समापन स्टॉक
2007-08	1.99	0.166	18.42	110.96
2008-09	2.47	0.206	13.61	66.07
2009-10	3.55	0.296	13.18	44.53
2010-11	7.99	0.666	18.48	27.75
2011-12	14.73	1.227	23.41	19.08

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 के दौरान दि.ट्रा.लि. के पास 111 महीनों के उपभोग का समापन स्टॉक था यद्यपि यह 2011-12 में घटकर 19 महीने का हो गया जबकि अभी भी यह उच्च स्तर पर था । लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रा.लि. ने अपनी सामग्री आवश्यकताओं का न तो कोई एबीसी विश्लेषण करवाया न ही कोई न्यूनतम मानक स्तर अथवा पुनर्व्यवस्थित मानदण्ड तय किया ।

7.11.1 भण्डारों का भौतिक सत्यापन

दि.ट्रा.लि. के नियंत्रणाधीन दो भण्डार थे जिनमें से एक महरौली भण्डारों/अतिरिक्त को रखने के लिए और दूसरा पीतमपुरा में रद्दी माल के लिए । लेखापरीक्षा ने पाया कि महरौली भण्डार का भौतिक सत्यापन वर्ष 2009-10 तक किया गया ।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के सामग्री प्रबंधन विभाग के संवीक्षा से पता चला कि अचल, पुराने, बेकार और रद्दी माल सामग्री में लगभग ₹ 1.45 करोड़ से ₹ 1.50 करोड़ का अवरोधन हुआ । उपरोक्त भण्डार का मिलान नहीं किया गया था क्योंकि दि.ट्रा.लि. के द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था । दि.ट्रा.लि. द्वारा रद्दी माल /पुरानी सामग्री की पहचान और निपटान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रबंधन (दिसम्बर 2012) ने कहा कि अचल सामग्रियों का निपटान प्रक्रिया के अधीन था ।

7.11.2 अधिप्राप्ति एवं सामग्री सूची नियंत्रण

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि अधिप्राप्ति एवं सामग्री सूची नियंत्रण में कमियों के कारण ₹ 6.98 करोड की हानि /अतिरिक्त व्यय/ परिहार्य व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

7.11.2.1 ठेको को अंतिम रूप देने में विलंब

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निविदाओं को जारी करने की तिथि से संविदा के अंतिम रूप दिए जाने में पर्याप्त देरी हुई । वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 25 लाख से अधिक मूल्य के क्रय आदेशों के नमूना जाँच से पता चला कि कुल 21 क्रय आदेश जहाँ एनआईटी जारी किया गया था वहाँ दि.ट्रा.लि. के डब्ल्यूपीपीपी में अनुमत 5 महीने की अधिकतम समयावधि की अपेक्षा क्रय आदेश में से 17 क्रय आदेशों को एनआईटी के जारी होने की तिथि से 6 से 19 महीनों के अन्दर अन्तिम रूप दिया गया ।

प्रबंधन ने (दिसम्बर 2012) स्वीकार किया कि इसमें देरी हुई थी । इसके अतिरिक्त यह कहा कि इसके समय से कार्यों को युक्तिसंगत एवं सरल व कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे है ।

7.11.2.2 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के निपटान में देरी के कारण ₹ 2.54 करोड़ की हानि

दि.ट्रा.लि. ट्रांसफार्मरों को यदि एक बार उन्हें मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया तो रद्दी माल के रूप में घोषित करने के प्रचलन का पालन कर रही है । उसके बाद रद्दी माल निपटान समिति (एसडीसी) क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के आरक्षित मूल्य आधारभूत सामग्री अर्थात् कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि के बाजार मूल्य के आधार पर सिफारिश/तय करती है । उसके बाद रद्दी ट्रांसफार्मरों को मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन (एमएसटीसी) के ई-नीलामी तंत्र के द्वारा बेचा जाता है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि रद्दी स्टॉक/परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए न तो अलग से कोई नीति बनायी गई थी न ही डब्ल्यूपीपीपी ने रद्दी माल के पहचान और निपटान के मुद्दे को शामिल किया गया । किसी समय सीमा की अनुपस्थिति में ट्रांसफार्मर को रद्दी के रूप में मानने के मामले की प्रक्रिया का पालन, आरक्षित मूल्य निर्धारित करना एवं इसका निपटान कम से कम यथोचित अवधि (6 माह) के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए । हालॉकि इन ट्रांसफार्मरों का निपटान 6 महीने से परे 7 से 80 महीने की देरी से हुआ ।

इस प्रकार निर्णय लेने एवं रद्दी ट्रांसफार्मर के निपटान के लिए मामलों की प्रक्रिया में देरी के कारण दि.ट्रा.लि. को *9.40 प्रतिशत* की दर से ₹ 2.54 करोड़ की हानि हुई जो कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 7.03 करोड़ की अवरूद्ध निधियों पर दि.ट्रा.लि. की न्यूनतम उधार दर से था । **(अनुलग्नक - 7.11)**

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि प्रक्रियागत देरी को रोकने के लिए एक रद्दी सामग्री निपटान नीति विचाराधीन है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

7.11.2.3 भण्डार में 19 महीने से बेकार पड़े हुए 4 ट्रांसफार्मरों की खरीद में ₹ 12.85 करोड़ के अवरोधन के कारण ₹ 1.61 करोड़ की हानि

दि.ट्रा.लि. ने मैसर्स ईएमसीओ लिमिटेड को 9 अप्रैल 2009 को ₹ 25.70 करोड़ की कुल लागत के 100 एमवीए 220/66-33 केवी के 4 ट्रांसफार्मरों के क्रय के लिए आदेश जारी किया था । दि.ट्रा.लि. को 100 एम वी ए के 4 ट्रांसफार्मरों की सुपुर्दगी की प्राप्ति मार्च 2010 में हुई जिनमें से 2 ट्रांसफार्मर जून और जुलाई 2010 के दौरान एस एस को जारी किए गए । लेखापरीक्षा ने पाया कि 100 एमवीए के शेष दो ट्रांसफार्मरो को नवम्बर 2011 मे एसएस को जारी किए गए और इस प्रकार 16 महीने से बेकार पड़े रहने के कारण ₹ 12.85 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ और फलतः मार्च 2010 में ट्रांसफार्मरों की प्राप्ति के पश्चात यहाँ तक कि उनके तैनाती के लिए तीन महीने से अधिक समयावधि पर विचार के बावजूद ₹ 1.61 करोड़ के ब्याज की हानि हुई ।

प्रबंधन (दिसम्बर 2012) ने कहा कि भार आवश्यकताओं के कारण ट्रांसफार्मरों के स्थल में परिवर्तन की वजह से उन्हें चालू करने में देरी हुई । प्रबंधन का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किसी विशेष स्थल पर दीर्घकालीन अवधि के लिए पारगमन क्षमता की गैर-उपलब्धता के अतिरिक्त निधियों के अनावश्यक अवरोधन को टालने के लिए ट्रांसफार्मर की खरीद और उनके चालू करने के स्थल (एस एस) को उचित तरीके नियोजित किया जाना चाहिए था ।

7.11.2.4 एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर की खरीद के लिए संविदा में आपूर्तिकर्त्ता का अनावश्यक पक्ष लेना और जोखिम पर खरीद को शुरू करने में देरी एवं चूक करने वाले आपूर्तिकर्त्ता को लागत (मूल्य) देना

दि.ट्रा.लि. (जुलाई 2009) ने एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर की 227 किमी की खरीद के लिए निविदा जारी की थी । एनआईटी के अनुसार इसकी सुपुर्दगी समय-सारणी 3 महीने की अवधि से ज्यादा निर्धारित की गई थी जबकि निर्धारित कीमत (लागत) बोली मूल्यांकन के उद्देश्य से 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लागत में जोडी गई थी । इस संविदा को 9 दिसंबर 2009 को अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की सुपुर्दगी अवधि के साथ ₹ 3.95 करोड़ की कीमत पर मैसर्स मॉडर्न इन्स्ट्रूमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड को सौंपा गया ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दि.ट्रा.लि. ने जनवरी 2010 में मैसर्स मॉडर्न के द्वारा बनायी गयी सुपुर्दगी समय-सारणी के विस्तार के निवेदन को स्वीकार किया था । नीलामी के अंतिम रूप दिए जाने के समय एल 2 आपूर्तिकर्त्ता, मैसर्स अरावली के विरूद्ध मैसर्स मॉडर्न का पक्ष लेना यह एन.आई.टी. के प्रावधनों का उल्लंधन था तथा जिसके कारण ₹ 36.18 लाख का सम्भावित अतिरिक्त व्यय हुआ । आगे यह पाया गया कि एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर के 227 किमी की माँग के विरूद्ध मैसर्स मॉडर्न ने केवल 56.345 किमी की ही आपूर्ति की थी । हालाँकि दि.ट्रा.लि. ने जून 2011 तक ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं शुरू की जबकि जोखिम पर एसीएसआर कन्डक्टर की 170.655 किमी की खरीद के लिए नोटिस और मैसर्स मॉडर्न की लागत

ठेकेदार को सौंप दी गयी थी और उसके बाद अक्टूबर 2011 में ₹ 19.36 लाख की निष्पादन प्रतिभूति भुना ली गयी थी ।

दि.ट्रा.लि. ने जनवरी 2012 में मैसर्स मॉडर्न की लागत के जोखिम पर एसीएसआर जेब्रा कन्डक्टर के 170.655 किमी की शेष मात्रा की खरीद के लिए निविदा जारी किया था परन्तु कार्य को अभी तक (दिसंबर 2012) सौंपा जाना शेष है । इस प्रकार मैसर्स मॉडर्न को समय में विस्तार देकर अनुचित रूप से पक्ष लिया गया । मैसर्स मॉडर्न ने न तो सामग्री की आपूर्ति किया और न ही दि.ट्रा.लि. मैसर्स मॉडर्न की लागत के जोखिम पर सामग्री की शेष मात्रा की खरीद पूरी कर सका ।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2012) कि अत्यावश्यकता एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए पार्टी के द्वारा दिए गैस सुपुर्दगी के विस्तार के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया था । इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि जोखिम पर पुनर्खरीद एवं पार्टी की लागत प्रक्रिया के अन्तर्गत है । इनका प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि इसकी इतनी अत्यावश्यकता थी तो निविदा प्रक्रिया 5 से 6 महीने में होने के बजाय अल्पावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए थी तथा इसके पश्चात भी दल को समय बढाने की अनुमति देने के बजाए पुनः क्रय की प्रक्रिया जोखिम लागत आधार पर तत्काल शुरू की जानी चाहिए जो अभी तक नहीं की गई थी ।

7.11.2.5 सामग्री का गैर-उपयोग

(i) दि.ट्रा.लि. ने मैसर्स सीमेन्स लिमिटेड से अप्रैल 2010 और जून 2010 में दो क्रय आदेशों के द्वारा ₹ 1.80 करोड़ की लागत के 66/33 के.वी. फीडर के 108 न्यूमेरिकल डिस्टैन्स प्रोटेक्शन रिले को खरीदा । दि.ट्रा.लि. के द्वारा सामग्री की प्राप्ति 3 अगस्त 2010 (कुल संख्या 86) एवं 29 सितंबर 2010 (कुल संख्या 22) को हुई ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सितंबर 2010 तक इन 66/33 के.वी. के फीडरों के रिले की प्राप्ति भण्डार में हुई थी, आवश्यक मदों अर्थात् रीसेट ट्रिपलिंग रिले, टेस्ट ब्लॉकों, टेस्ट प्लग इत्यादि की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सका जिनकी आपूर्ति एनआईटी के अनुसार ठेकेदार के द्वारा की जानी थी । संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स सीमेन्स ने इन मदों की आपूर्ति करने से यह निवेदन करते हुए मना कर दिया कि ये मदें क्रय आदेश में दिए गए कार्य क्षेत्र से बाहर थीं । इस प्रकार एनआईटी के अनुसार इन मदों का कार्य के क्षेत्र में होने के बावजूद मैसर्स सीमेन्स लिमिटेड को जारी क्रय आदेश में इन मदों की अपूर्ति को शामिल करने की दि.ट्रा.लि. की असफलता के कारण ₹ 1.80 करोड़ मूल्य की सामग्री का गैर उयपोग हुआ जिसमें से ₹ 1.36 करोड़ (80%) आपूर्तिकर्त्ता को अदा किया गया ।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि क्रय आदेश में इन मदों का कोई विशेष उल्लेख नहीं था परंतु पार्टी ने सामग्री की आपूर्ति की । तथ्य यह है कि पारगमन नेटवर्क के संबंर्धन को प्रभावित करने के अतिरिक्त लगभग 2 वर्षो से ₹ 1.36 करोड़ मूल्य की सामग्री उपयोग में नहीं लायी गई ।

(ii) एक अन्य मामले में दि.ट्रा.लि. ने 9 फरवरी 2011 को मैसर्स यूनिवर्सल केबिल को ₹ 88.60 लाख की लागत के 11 के.वी. 1000 वर्ग मिमी एक्स.एल.पी.ई. केबिल के 10 किमी की खरीद के लिए क्रय आदेश सौंपा । दि.ट्रा.लि. को जून 2011 तक की कुल 9.714 किमी केबिल की प्राप्ति हुई ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राष्ट्रमण्डल खेल से पहले अत्यन्त महत्वपूर्ण आवश्यकता का हवाला देते हुए मई 2010 में केबिल मँगायी गई थी । यद्यपि राष्ट्रमण्डल खेल का आयोजन अक्टूबर 2010 में आयोजित हुआ था जबकि इसका खरीद आदेश राष्ट्रमण्डल खेल की समाप्ति के 4 महीनों के बीत जाने के बाद सौंपा गया । इस प्रकार राष्ट्रमण्डल खेल के लिए सामग्री की अत्यन्त आवश्यकता हेतु प्रयोजन निष्फल सिद्ध हुआ । लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2012 तक दि.ट्रा.लि. के द्वारा कोई भी सामग्री उपयोग में नहीं लायी गयी थी । और आगे यह पाया गया कि केबिल का 11 के.वी. 1X1000 वर्ग मिमी आकार दि.ट्रा.लि. के द्वारा नित्यक्रम में उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि दि.ट्रा.लि. 11 के.वी. लाइनों की कुछ संख्या का ही रखरखाव करती है जबकि तथ्य से यह भी प्रकट हुआ कि दि.ट्रा.लि. ने पिछले पाँच वर्षों में इस प्रकार के आकार की केबिल की खरीद नहीं किया था । दि.ट्रा.लि. के पास निकट भविष्य में विषम आकार की केबिल की मात्रा के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं थी । ₹ 0.86 करोड़ के इस अविवेकी खरीद निर्णय के कारण ₹ 6.74 लाख की राशि के ब्याज की हानि हुई जिसकी अप्रैल 2012 तक अवरूद्ध निधियों पर 9.4 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई थी ।

प्रबंधन ने स्वीकार किया (दिसंबर 2012) कि दि.ट्रा.लि. के द्वारा लम्बे समय से इस मद की खरीद न होने के कारण इसकी क्रिया विधि में ज्यादा समय लगा । इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि यह मद न केवल राष्ट्रमण्डल खेल के लिए थी बल्कि नित्यक्रम में रख-रखाव के दौरान किसी अत्यावश्यकता की पूर्ति के लिए भी थी और इसका भविष्य में लाभदायक उपयोग किया जा सके । परंतु तथ्य यह है कि दि.ट्रा.लि. ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान केबिल के इस प्रारूप का उपयोग नहीं किया था एवं इसके उपयोग के मौके तो अप्रत्यक्ष है ।

7.11.2.6 जोखिम लागत पर सामग्री की खरीद के संबंध में ठेकेदार से ₹ 0.61 करोड़ की गैर वसूली

दि.ट्रा.लि. ने मैसर्स अल्फा कम्युनिकेशन लिमिटेड को 27 नवंबर 2009 को ₹ 1.62 करोड़ लागत की 10 X 2.5 वर्ग मिमी-72किमी एवं 6 X 2.5 वर्ग मिमी-88किमी के आकार की 1.1 के.वी. फ्लेम रिटार्डेन्ट लो स्मोक (एफ.आर.एल.एस.) नियंत्रण केबिल की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश सौंपा । हालाँकि, चूँकि निरीक्षण के दौरान सामग्री स्वीकार करने लायक नहीं पायी गई इसलिए 10 फरवरी 2010 को दि.ट्रा.लि. के द्वारा क्रय आदेश को अस्वीकृत कर दिया गया । इस आदेश को रद्द कर दिया गया एवं 1 अगस्त 2011 को सामग्री की खरीद मैसर्स अजन्ता इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज से मैसर्स अल्फा की लागत के जोखिम पर ₹ 2.30 करोड़ की गई ।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 7.30 लाख की बैंक गारण्टी को नकदीकरण कराया गया और अधिशेष की वसूली हेतु विधिक कार्यवाही जारी है । इसके बावजूद यह

तथ्य रह जाता है कि कार्यवाही में देरी के कारण कम्पनी मैसर्स एल्फा से अब तक ₹ 0.61 करोड़ की अधिशेष राशि नहीं वसूल पाई है ।

7.11.2.7 ट्रान्सफार्मरों में अधिष्ठापन हेतु नाईट्रोजन इन्जेक्शन अग्नि निवारण-सह-शामक तन्त्र के प्रापण में देरी

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नि.बो. ने 220 कि.वो.उ.गृ. में 100 मे.वा.ए. ट्रान्सफार्मरों के लिए ₹ 13.53 करोड़ की अनुमानित लागत पर 64 नाइट्रोजन इन्जेक्शन अग्नि निवारण-सह-शामक तन्त्र (एन.आई.एफ.पी.ई.एस.) की आपूर्ति, अधिष्ठापन, स्थापना, परीक्षण तथा क्रियान्वयन हेतु एक योजना का अनुमोदन किया (अगस्त 2009) । दि.ट्रा.लि. द्वारा फरवरी 2010 में निविदाएँ आमंत्रित की गईं । तकनीकी बोलियाँ तथा मूल्य बोलियाँ क्रमशः मार्च 2010 और सितम्बर 2010 में आरंभ की गईं । क्रय आदेश मैसर्स एसइआरजीआई को दिसम्बर 2010 में जारी किए गए । इस कार्य को अप्रैल 2011 तक पूर्ण किया जाना था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक अन्य बोलीकर्ता सीटीआर ने मैसर्स एसइआरजीआई के विरूद्ध पेटेण्ट के विवाद पर एक विधिक मुकदमा दायर किया था और 15 फरवरी 2010 को न्यायालय से मैसर्स एसइआरजीआई को दि.ट्रा.लि. को अग्नि विस्फोट निवारण तन्त्रों का विक्रय करने से रोकने हेतु आदेश प्राप्त कर लिए थे । अतः यद्यपि दि.ट्रा.लि. को लम्बित न्यायिक मामले का ज्ञान था, मैसर्स एसइआरजीआई को क्रय आदेश प्रदान किया गया और परिणामस्वरूप एनआई.एफ.पी.ई.एस. का प्रापण अधिष्ठापन अभी तक नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012) जबकि सीईए के दिशा-निर्देशों के अनुसार ये सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं ।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि न्यायालय में दोनों के बीच विधिक मुकदमा चल रहा था, परंतु दि.ट्रा.लि. को एल 1 पक्ष के पार्टी में क्रय आदेश प्रदान करने से रोक लगाते हुए कोई विधिक मनाही नहीं थी । इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि इस संविदा से संबंधित सभी मामले निपटाए जा रहे थे । यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निविदाओं को अंतिम रूप देने और क्रय आदेश जारी करने के पूर्व ही दि.ट्रा.लि. को स्थिति का ज्ञान था । अतः दि.ट्रा.लि. के लिए उपकरणों की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विकल्प तलाशना संभव था ।

7.12 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन (आ.प्र.) का उद्देश्य तन्त्र पर किसी बड़ी गड़बड़ी के प्रभाव को कम करना और इसकी कम से कम समय में पुनर्स्थापना करना है । सर्वोत्तम आचरण और सीईए नियमावली 2010 के अनुसार, किसी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में ट्रांसमिशन तन्त्र के तत्काल पुनःस्थापन हेतु सभी पॉवर यूटीलिटीज़ द्वारा आ.प्र. को गठित किया जाना चाहिए । यह आकस्मिकता पुनर्स्थापन तन्त्र, डीजी सेटों, वाहनों, अग्निशमन उपकरण, कुशल व विशेषज्ञ मानवशक्ति के विनियोजन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ।

7.12.1 एसएलडीसी हेतु आपदा प्रबंधन

दिल्ली ग्रिड कोड के अनुसार लोड शेडिंग प्रोसीजर तथा ब्लैक स्टार्ट प्रोसीज़र को डीईआरसी को तीन माह के भीतर निर्मित तथा प्रस्तुत किया जाना था । जबकि एसएलडीसी ने इसे 18 माह बीत जाने के बाद जनवरी 2010 में निर्मित किया । दिल्ली

विद्युत तन्त्र एनआरएलडीसी द्वारा रखरखाव किए जा रहे उत्तरी क्षेत्र के तन्त्र पुनरूज्जीवन का एक अभिन्न भाग है । पूर्ण ब्लैकआउट की स्थिति में दिल्ली को विद्युत उत्पादन गृहों, रेलवे ट्रैक्शन, और अन्य अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाएँ प्रदान करने में एनआरएलडीसी के निर्देशों और प्रक्रियाओं को पालन करना होता है ।

पर एसएलडीसी में 2004 से इलेक्ट्रॉनिक तौर स्केडा आंकड़े मैग्नेटिक टेप, मैग्निफाईड आपरेटिंग डिस्क, हार्ड डिस्क, और सीडी के रूप में सुरक्षित रखे जा रहे हैं । यद्यपि चर्चा के समय, एसएलडीसी द्वारा सूचित किया गया कि उपर्युक्त नियंत्रण आंकड़े इसी परिसर में रखे गए थे । चूंकि नियंत्रण आंकड़े पृथक बैक-अप स्थान पर नहीं रखे गए हैं, आपदा की स्थिति में इन स्केडा आंकड़ों के नष्ट हो जाने की संभावना है ।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2012) कि एसएलडीसी के बैकअप का सृजन कार्यान्वयन के अधीन था तथा सितंबर 2013 तक पूर्ण हो जाएगा ।

7.12.2 सब-स्टेशनों के लिए आपदा प्रबंधन

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि दि.ट्रा.लि. के कार्पोरेट कार्यालय तथा स.स्टे. में कोई आपदा प्रबंधन सैल/केन्द्र नहीं थे । हालांकि दि.ट्रा.लि. ने दो अधिकारियों के साथ अग्निशमन तथा सुरक्षा प्रकोष्ठ अक्टूबर 2009 में निर्मित किया, जो 2011-12 के अंत तक घटाकर एक अधिकारी कर दी गई । इस प्रकार, पूर्वानुमान न की जा सकने योग्य आकस्मिकताओं से जूझने हेतु दि.ट्रा.लि. की पद्धति निष्प्रभावी है ।

अग्निशमन तथा सुरक्षा प्रकोष्ठ ने दि.ट्रा.लि. अधिकारियों को अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया और समीक्षा की अवधि के दौरान 31 स.स्टे. में से 8 स.स्टे. में मॉक-ड्रिलों का आयोजन किया । अंतिम मॉक ड्रिल जुलाई 2011 में आयोजित की गई थी और तत्पश्चात् ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई । दि.ट्रा.लि. ने स.स्टे. के कर्मचारियों हेतु सुरक्षा/मॉक ड्रिलों/प्रशिक्षणों के लिए कोई सुरक्षा नियमावली/मानदण्ड/नियम पुस्तिका निर्धारित नहीं की है ।

इसके अतिरिक्त, सीईए के दिशानिर्देशों के अनुसार, उपगृहों में अग्नि को रोकने हेतु ट्रांसफार्मरों के साथ नाइट्रोजन पूरित सुरक्षा तन्त्र लगाने थे, जबकि लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रा.लि. द्वारा 220 कि.वो. स.स्टे. पर अपने 100 एमवीए ट्रांसफार्मरों के लिए कोई ऐसी अग्निशमन सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त उगृ. पर अधिष्ठापित अग्निशामकों के समय पर पुनः आपूरण तथा रखरखाव हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आग को बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक अन्य सुरक्षा उपायों जैसे फायरवॉल, ऑयल-पिट, सैण्ड बकेट, इत्यादि भी मार्च 2012 तक 220 कि.वो.वाले 28 स.स्टे. में से क्रमशः 15, 5 और 5 स.स्टे. में प्रदान नहीं किए गए थे ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2007-12 की अवधि के दौरान आग लगने की चार भिन्न-भिन्न घटनाएँ हुईं जिसमें अग्नि आपदा के कारण मानव जीवन के जोखिम के अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों और अन्य उपकरणों की क्षति के परिणामस्वरूप ₹ 2.31 करोड़ की हानि हुई । उपरोक्त हानि के अतिरिक्त दि.ट्रा.लि. को क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन

हेतु नए ट्रांसफार्मरों के क्रय के कारण ₹ 18.46 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ वहन करना पड़ा जिससे बचा जा सकता था ।

उपरोक्त स्थिति एन.आई.एफ.पी.ई.एस. के प्रापण में देरी के कारण अधिक गंभीर बन गई, जैसा कि पहले ही **पैरा सं. 7.11.2.7** में चर्चा की गई है ।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जुलाई और दिसम्बर 2012) में उपरोक्त तथ्य की पुष्टि की । हालाँकि इसने यह बताया कि सीईए के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ स.स्टे. में एन.आई.एफ.पी.ई.एस., फायरवॉल, ऑयल पिट इत्यादि प्रदान किए जा चुके हैं और शेष स.स्टे. में यह प्रक्रिया चल रही थी और सभी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

7.13 निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण

7.13.1 निगरानी

ट्रांसमिशन लाईनों तथा स.स्टे. इकाईयों की क्षेत्र इकाईयाँ मासिक एमआईएस प्रतिवेदन तैयार करती है जिसमें इकाईयों का निष्पादन तथा ब्रेकडाउन, ट्रिपिंग, इत्यादि के साथ-साथ अधिष्ठापित उपकरणों का उल्लेख होता है । इन्हें इकाई शीर्ष स्तर पर तैयार किया जाता है और कार्पोरेट कार्यालय (निदेशक/मु.प्र.नि.) नेटवर्क को मासिक आधार पर अग्रेषित किया जाता है । दि.ट्रा.लि. नेटवर्क (लाईनें तथा स.स्टे.) का संचालन निष्पादन भी बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाता है ।

एसएलडीसी ग्रिड कोड के अनुसार विभिन्न मापदण्डों यथा अधिकतम तथा न्यूनतम वोल्टेज़ स्तर, ब्रेकडाऊन, उपलब्धता पर एमआईएस रिपोर्ट (मासिक/वार्षिक) तैयार करती है । जबकि लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि राज्य में ग्रिड व्यवस्था की निगरानी हेतु राज्य ग्रिड कोड के अन्तर्गत गठित की गई ग्रिड समन्वय समिति ने ग्रिड के अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण/निगरानी हेतु इन वर्षों में नियमित रूप से तिमाही बैठकें नहीं कीं, जैसा कि पहले ही **पैरा 7.9.4** में चर्चा की गई है ।

लाईनों तथा स.स्टे. की चालू परियोजनाओं पर एम.आई.एस. प्रतिवेदन मासिक तौर पर बनाए गए और चालू परियोजनाओं पर कार्यवाही रिपोर्ट भी बोर्ड को प्रस्तुत की गई ।

7.13.2 आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और लागू कानूनों तथा अधिनियमों के अनुपालन हेतु यथोचित सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए निर्मित एक प्रक्रिया है जिसका निर्माण समुचित ढंग से कार्य संचालन के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण तन्त्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना और त्रुटियों और जालसाजी का पता लगाना है । तन्त्र तथा प्रक्रिया के परीक्षण के अतिरिक्त लागू होने वाले नियमों के अनुपालन हेतु प्रभावशाली आन्तरिक लेखापरीक्षा का होना दि.ट्रा.लि. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है ।

लेखापरीक्षा में हालाँकि योजना, परियोजना क्रियान्वयन, संचालन तथा रखरखाव, भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों की खरीद के दौरान अपर्याप्त नियंत्रण के मामले पाए गए, जैसाकि

पिछले अनुच्छेद में बताया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि दि.ट्रा.लि. ने योजना से लेकर कार्यान्वयन तथा प्रापण प्रक्रियाओं तक सभी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में पर्याप्त समय लिया ।

दि.ट्रा.लि. की अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं थी जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र, विषयक्षेत्र, आवधिकता इत्यादि निर्धारित हो । दि.ट्रा.लि. 2007-08 के प्रभाव से आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य को निजी चार्टर्ड को बाह्य स्त्रोत कर दिया । 2010-11 तक आंतरिक लेखापरीक्षा पूर्ण हो गई । आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा पूँजीगत परियोजनाओं, वित्तीय प्रबंधन तथा सामग्री प्रबंधन के केंद्रबिंदु विषयों के बजाय प्रमुखतः स्थापना मामलों, सुरक्षा जमा के जमा करने में हुई देरी और कार्य की तथ्यात्मक स्थिति इत्यादि पर केन्द्रित थी ।

प्रबंधन ने यह पुष्टि की और बताया (जनवरी 2013) कि दि.ट्रा.लि. द्वारा एक आन्तरिक लेखापरीक्षा नियमावली के निर्माण की प्रक्रिया जारी थी ।

7.13.3 लेखापरीक्षा समिति

दि.ट्रा.लि. ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुबन्ध 292ए के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार एक लेखापरीक्षा समिति (ले.स.) का गठन किया । ले.स. की संदर्भ की शर्तों के अनुसार इसे वर्ष में चार बार बैठक करनी चाहिए । अतः पाँच वर्षों की अवधि में ले.स. को न्यूनतम 20 बार बैठक करनी थी । जबकि ले.स. की बैठक 18 बार हुई । अनुबन्ध 292ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को सभी बैठकों में उपस्थित होना चाहिए, परंतु 18 बैठकों में से केवल 7 बैठकों में ये आन्तरिक लेखापरीक्षक उपस्थित हुए ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति/चर्चा में देरी हुई । जैसा कि स्पष्ट है 2009-10 और 2010-11 के उत्तरार्द्ध के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति व चर्चा मार्च 2012 में अयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में हुई ।

इस प्रकार दि.ट्रा.लि. के आन्तरिक नियन्त्रण व आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक था ।

प्रबन्धन ने भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया और यह बताया (जनवरी 2013) कि कार्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाहित करते हूए आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ बनाया जाएगा ।

निष्कर्ष

- ***प्रमुख परियोजनाओं के क्रियान्वयन में दोषपूर्ण नियोजन व परियोजना प्रबंध न के कारण असामान्य विलम्ब हुआ जिससे समय और धन का लगभग ₹ 109.40 करोड़ का अधिक व्यय हुआ और ₹ 64.42 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/अनावश्यक व्यय हुआ । कार्यबल/सीईए/डीईआरसी की संस्तुतियों का पालन नहीं किया गया ।***

- *अन्तः सम्बद्ध परियोजनाओं/क्रियाकलापों में समकालिकता का अभाव और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारण ₹ 287.09 करोड़ के धन का अवरोध हुआ ।*
- *दि.ट्रा.लि. निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान नियोजित स.स्टे और लाईनों की क्षमता संवर्द्धन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही ।*
- *कैपेसिटर बैंकों/शण्ट रिएक्टरों के अपर्याप्त संख्या में होने के कारण अभिक्रिया क्षमता का प्रवाह नियंत्रित न होने के कारण वोल्टेज स्तरों को स्थिरता प्रदान नहीं की जा सकती थी ।*
- *निर्णय लेने, महत्वपूर्ण निर्णय तथा समझौतों में देरी से स.स्टे तथा लाईनो का संचालन तथा रखरखाव प्रभावित हुआ जिससे दि.ट्रा.लि. द्वारा ₹ 5.35 करोड़ के अतिरिक्त अनावश्यक व्यय के अतिरिक्त गंभीर ग्रिड गड़बड़ियाँ उत्पन्न हुई ।*
- *दि.ट्रा.लि. की आपदा हेतु पर्याप्त तैयारी नहीं थी । समुचित अग्निशमन तन्त्र का अधिष्ठापन और अन्य सुरक्षा उपाय न होने के कारण ट्रान्सफार्मरों की क्षति के कारण ₹ 2.31 करोड़ की हानि के अतिरिक्त दि.ट्रा.लि. के नेटवर्क हेतु नए ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु ₹ 18.46 करोड़ का व्यय हुआ ।*
- *दि.ट्रा.लि. के पास अपनी देयताओं की वसूली हेतु कोई वित्तीय सुरक्षा उपाय नहीं हैं क्योकि इसने समझौते के अनुसार सा.प. जमा कराना अथवा दो डिस्कॉम (बीआरपीएल तथा बीवाईपीएल) द्वारा एस्क्रो खाते का संचालन सुनिश्चित नहीं किया । परिणामस्वरूप 15 दिसम्बर 2012 तक इन दो डिस्कॉमों से ₹ 754.83 करोड़ की वसूली लम्बित है ।*
- *सामान्य व सम्पत्ति-सूची नियन्त्रण के प्रापण में पाई गई कमियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.98 करोड़ की हानि तथा अतिरिक्त व्यय हुआ ।*

सिफारिशें

कम्पनी दि. ट्रा. लि. यह सुनिश्चत करने हेतु पहल कर सकता है :

- *कि ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर भारत सरकार की अनुशंसा तथा सीईए/डीईआरसी के निर्देशों का अनुपालन किया जाए ।*
- *कि ट्रांसमिशन लाईनों और स.स्टे की परियोजनाओं को इस प्रकार समक्रमिक किया जाए जिससे निधि या उपकरण निष्प्रयोज्य न हों ।*
- *लाईनों और स.स्टे की सुरक्षा और ग्रिड में बाधा उत्पन्न होने पर तन्त्र में स्थिरता बनाए रखने और ट्रान्समिशन घाटों को कम करने हेतु पर्याप्त संख्या में कैपेसिटर बैंक/शंट रिएक्टर, बस बार प्रोटेक्शन पैनल की स्थापना की जाए ।*
- *आपदा प्रबंधन हेतु सुरक्षा उपायों तथा अवसंरचना की पर्याप्तता हो ।*
- *ऋण ली गई धनराशि पर निर्भरता कम करने के लिए व्ययों में कटौती तथा डिस्कॉमों से देयताओं की वसूली हो ।*

अध्याय 8

लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित ईकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पतियों तथा देयताओं के संबंध में लेन-देनों की जाँच से संबंधित है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों का पालन किया जा रहा है ।

सरकारी कम्पनियाँ

8.1 इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड

8.1.1 कम बीमे के कारण हानि

परिसम्पत्तियों के अद्यतन मूल्यांकन पर आधारित बीमा कवर प्राप्त न करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ की हानि

इन्दप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने वर्तमान प्रतिस्थापन लागत आधार पर औद्योगिक सर्व जोखिम बीमा 18 सितम्बर 2006 से 17 सितम्बर 2007 की अवधि के लिए ₹ 2.62 करोड़ के प्रीमियम पर ₹ 740.25 करोड़ का बीमा कराया (सितम्बर 2006) जिसमें आग व विशिष्ट संकटों सहित सभी जोखिम समाहित होने के साथ ही भूकम्प तथा आतंकवाद, आग से लाभ की हानि (फ्लॉप) और इसके गैस टर्बाईन पावर स्टेशन (जीटीपीएस) हेतु मशीनरी टूट-फूट का भी समावेश था ।

एक भाप-टर्बाईन रोटर क्षतिग्रस्त हो गया (27 नवम्बर 2006) तथा कम्पनी ने बीमा कम्पनी पर ₹ 13.60 करोड़ का दावा किया । सर्वेयर की रिपोर्ट (22 जनवरी 2010) में ₹ 4.81 की हानि का आकलन किया गया जिसपर परस्पर सहमति बन गई । बीमा कम्पनी ने ₹ 4.81 करोड़ की शुद्ध देयता में से ₹ 2.80 करोड़ अदा किए (जुलाई 2011) । यह पाया गया कि निवल देयता को प्राप्त करने के लिए, कम बीमा होने के कारण, भाप टरबाईनं रोटर के क्षतिग्रस्त होने के कारण, बीमा कम्पनी ने, ₹ 7.14 करोड़ की हानि के निर्धारण मूल्य से ₹ 2.33 करोड़ कम कर दिए ।

बीमा पॉलिसी की सामान्य शर्तों का उपबन्ध 9 (2006-07) यह निर्धारित करता था कि पॉलिसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति-योग्य किसी हानि या क्षति के बाद यदि पूर्न स्थापन/प्रतिस्थापन/मरम्मत के समय बीमित सम्पत्ति बीमित धनराशि से अधिक मूल्य की हो तो इस शर्त के साथ कि बीमित राशि उस मूल्य के 85 प्रतिशत से कम न हो, जिस स्थिति में इस शर्त का कोई प्रयोजन नहीं है, बीमित को उस अन्तर के लिए स्वयं बीमाकर्ता माना जाएगा और उसके द्वारा हानि का एक आनुपातिक भाग वहन किया जाएगा । लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2002-03 के दौरान पहली बार बीमा पॉलिसी

लेने की प्रकिया के समय जीटीपीएस ने अपनी वर्तमान नवीकरण लागत ₹ 3.50 करोड़ प्रति मे.वा.प्ररिकलित की,जिससे 282 मे.वा. संयंत्र की नवीकरण लागत ₹ 987 करोड़ हुई । यद्यपि इसके बाद इसने संयंत्र के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कारपोरेशन (एनटीपीसी) को सम्पर्क किया जिसने सूचित किया कि उसके पास जीटीपीएस जितना बड़ा कोई गैस पावर स्टेशन नहीं है और सलाह दी कि उन्हें संयंत्र का यथार्थ मूल्य जानने के लिए किसी विशेषज्ञ मूल्य निर्धारणकर्त्ता को नियुक्त करना चाहिए । परंतु कम्पनी ने न तो बाजार के किसी मूल्य निर्धारणकर्त्ता को नियुक्त किया, और न ही स्वयं गणना की गई ₹ 3.50 करोड़ प्रति मे.वा. की प्रतिस्थापन लागत पर विचार किया और ₹ 2.50 करोड़ प्रति मे.वा. की दर पर 282 मे.वा. हेतु संयंत्र मूल्यांकन कुल ₹ 705 करोड़ पर पहली बीमा पॉलिसी ली, तत्पश्चात इसके आगे के वर्षों में संयंत्र का वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य का निर्धारण कराए बगैर केवल सूचकांकीकरण लागू कर बीमा कराया ।

सर्वेयर की रिपोर्ट में 2002-03 में 282 मे.वा. आईजीपीसीएल जीटीपीएस संयंत्र का मूल्य ₹ 3.24 करोड़ प्रति मे.वा. की दर से अधिष्ठापित ऐसे ही एक संयंत्र के आधार पर ₹ 913.68 करोड़ निर्धारित किया और आर.बी.आई. का सूचकांकीकरण लागू करने के बाद वर्तमान पॉलिसी प्रारंभ के समय संयंत्र का प्रतिस्थापन/सूचकांकी मूल्य ₹ 1081.27 करोड़ (2006-07) परिकलित किया गया । सर्वेयर ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित धनराशि ₹ 740.25 करोड़ थी जो कि ₹ 919.08 करोड़ अर्थात ₹ 1081.27 करोड़ के प्रतिस्थापन मूल्य के 85 प्रतिशत से कम थी अतः उक्त बीमा पॉलिसी से 31.54 *प्रतिशत* (740.25/1081.27) का कम बीमा लागू किया जाना चाहिए और इस कारण हानि के परिकलित मूल्य में से ₹ 2.33 करोड़ घटाए गए ।

इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारक की नियुक्ति न करने से कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा तत्पश्चात वर्तमान प्रतिस्थापन मूल्य से कम पर बीमा कवर लेने के परिणामस्वरूप कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ की हानि हुई ।

सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद के सार को स्वीकार करते हुए यह बताया (फरवरी 2013) कि संयंत्र की लागत की प्रति मे.वा. के आधार पर तुलना एक जटिल तत्व हैं क्योंकि प्रत्येक संयंत्र की लागत कई घटकों पर निर्भर होती है, अतः ₹ 2.5 करोड़/मे.वा. अथवा ₹ 3.5 करोड़/में.वा. पर विचार बहुत विषयपरक है । एनटीपीसी का संदर्भ लेकर ₹ 2.5 करोड़/मे.वा. का औसत लिया गया जो प्रतिवर्ष औसत रूप से परियोजनाओं के अधिष्ठापन की आरंभिक लागत में पाँच प्रतिशत की वृद्धि से प्राप्त् पूंजीगत लागत की गणना से भी मिलती है । तदानुसार वर्ष 2006 में निकाली गई पूंजीगत लागत भी पर्याप्त तर्कसंगत थी । बीमा दावे के बताए गए मामले में सर्वेयर ने इंश्योरेंस कम्पनी के हित-लाभ हेतु ₹ 3.5 करोड़/में.वा. के उच्चतर मूल्यांकन का चुनाव करने का निर्णय लिया । इसमें आगे बताया गया कि यदि ₹ 3.5 करोड़/में.वा. पर आधारित मूल्यांकन पर विचार किया गया होता, तो ₹ 920 करोड़ की बीमित राशि के लिए प्रीमियम बढ़कर ₹ 2.90 करोड़ हो गया होता । यद्यपि एक औपचारिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है और इस पर भविष्य में ध्यान दिया जायेगा ।

प्रति मे.वा. के आधार पर संयंत्र की लागत लेने की जटिलता तथा विषयपरकता और ₹ 2.5 करोड़ के औसत का पाँच प्रतिशत की वृद्धि के साथ चयन करने संबंधी सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा के इस तर्क को पुष्ट करता है कि, जैसा कि एनटीपीसी ने सुझाया था, परिसम्पत्तियों के समुचित मूल्यांकन हेतु एक बाजार मूल्य निर्धारक को नियुक्त किया जाना चाहिए था। ऐसा कम्पनी द्वारा बाद के वर्षों में भी संयंत्र की बीमा पालिसियाँ लेते समय नहीं किया गया। अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान संबंधी उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीमा सुरक्षा का प्रयोजन हानि के जोखिम से परिसम्पत्तियों/ सम्पत्तियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है। सर्वेयर द्वारा इंश्योरेंस कम्पनी के हितलाभ को देखते हुए उच्चतर मूल्यांकलन के चुनाव का निर्णय करने संबंधी उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ₹ 4.81 करोड़ की कुल देयता (कम बीमे के कारण ₹ 2.33 करोड़ के अतिरिक्त) पर कम्पनी द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

8.1.2 अधिक सुरक्षा कर्मियों पर अनावश्यक व्यय

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के विक्रय के पश्चात अधिशेष सीआईएसएफ कर्मियों के प्रत्यावर्तन में देरी के कारण ₹ 0.41 करोड़ का अनावश्यक व्यय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को सभी ऊर्जा संयंत्रों के लिए 389 (अब 292) की कुल प्राधिकृत संख्या के साथ इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) और प्रगति पावर कम्पनी लिमिटेड (पीपीसीएल) की सुरक्षा सौंपी गई। जीएनसीटीडी द्वारा इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन (आईपी स्टेशन) के डीकमीशन किए जाने का अनुमोदन किए जाने के बाद (सितम्बर 2009) इसे 31 दिसम्बर 2009 को बंद कर दिया गया। आईपी स्टेशन की बिक्री की नीलामी को अक्टूबर 2010 को ई-नीलामी के माध्यम से सम्पन्न किया गया, सफल बोलीकर्ता को स्वीकृति पत्र 15 नवम्बर 2010 को और बिक्री के नियम व शर्तों निहित पत्र 25 जनवरी 2011 का जारी कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सफल बोलीकर्ता को बिक्री पत्र जारी करने के बाद नीलामी किए गए सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं थी। परंतु सीआईएसएफ को प्रदत्त सुविधाओं के पुनरावलोकन हेतु आयोजित बैठक (अप्रैल 2011) में ही यह निर्णय लिया गया कि आईपी स्टेशन पर नियोजित सीआईएसएफ कर्मियों को प्रत्यावर्तित किया जाए और प्राधिकृत संख्या 292 तक कम की जाए (अगस्त 2011)। तत्पश्चात सुरक्षा कवर हेतु बंद आई.पी. स्टेशन पर 24 निजी सुरक्षा कर्मी नियोजित किए गए।

यह भी पाया गया कि हालांकि कम्पनी को पहले ही सितम्बर 2009 में ही आईपी स्टेशन के बंद होने और उसकी बिक्री का ज्ञान हो गया था, उसने बंद आईपी स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों की संख्या घटाने उनके प्रत्यावर्तन हेतु और कम लागत पर सुरक्षा के नियोजन (जैसा कि बाद में किया गया) हेतु समय पर उपाय नहीं किए । कम्पनी द्वारा ठेकेदार को जारी पत्र (जनवरी 2011) के अनुच्छेद 3.7 में यह कहा गया है कि बिक्री किए गए माल की देखरेख के लिए ठेकेदार द्वारा सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाएँ, तब भी अगस्त 2011 तक सीआईएसएफ कमियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया । इस प्रकार अनावश्यक सीआईएसएफ कर्मियों के नियोजन जिन्हें संयंत्र की नीलामी/बिक्री के बाद अन्य सुरक्षा व्यवस्था से बदला जा सकता था, के परिणामस्वरूप

कम्पनी को सीआईएसएफ कर्मियों के वेतन तथा भत्तों पर ₹ 0.41[1] करोड़ का अनावश्यक व्यय करना पड़ा ।

सरकार ने अपने उत्तर (जनवरी 2013) में बताया कि हालांकि ठेकेदार को बिक्री किए गए माल की देखरेख हेतु सुरक्षा गार्ड प्रदान करने थे, परंतु आईपी स्टेशन के परिवेश में अब भी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनके लिए सुरक्षा कर्मियों की सेवाएँ आवश्यक थी । सीआईएसएफ गार्डों के हटाए जाने के बाद भी कम्पनी ने 17 सुरक्षा गार्ड किराए पर रखे और 7 सुरक्षा गार्डों को विभागीय रूप से नियुक्त किया (अगस्त 2011)जिनपर क्रमशः ₹ 2.81 लाख और ₹ 2.00 लाख प्रति माह व्यय किए । सीआईएसएफ कर्मियों पर व्यय किया गया प्रति व्यक्ति व्यय सीआईएसएफ कर्मियों को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों और बंधे खर्चों के कारण किराए पर रखे गए सुरक्षा गार्डों की तुलना में काफी अधिक था और इस लिए सीआईएसएफ गार्डों के स्थान पर किराए पर निजी सुरक्षा गार्ड/विभागीय रूप से नियुक्त सुरक्षा गार्ड रखने का निर्णय लिया गया जो यद्यपि सीआईएसएफ कर्मियों की तुलना में कम प्रभावी, परंतु मितव्ययी थे । इसमें आगे बताया गया कि यद्यपि सुरक्षा पर किया जाने वाले प्रति व्यक्ति व्यय के कम होने से व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित की गई, परंतु कम लागत सुरक्षा तन्त्र, जैसा कि आईपी स्टेशन में हुई घुसपैठ की कई घटनाओं से सिद्ध होता है, न तो कारगर, न ही प्रभावशील ही रहा है । इस प्रकार ₹ 0.41 करोड़ के खर्च को निष्फल नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक सीआईएसएफ के परिनियोजन पर व्यय किया गया, संयंत्र में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और कम्पनी को उनपर किए गए व्यय का मूल्य मिल रहा था ।

निजी सुरक्षा की कार्यक्षमता तथा प्रभावशीलता के संबंध में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर से यह स्पष्ट है कि सीआईएसएफ सुरक्षा को प्रतिस्थापित करने का निर्णय (अगस्त 2011) निजी सुरक्षा गार्डों की प्रभावशीलता पर संदेह होने पर भी सुरक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय में कटौती को ध्यान में रखते हुए किया गया था । आगे भी निजी सुरक्षा की अक्षमता की दलील तर्क संगत नहीं है क्योंकि स्टेशन की सुरक्षा हेतु अभी तक निजी सुरक्षा परिनियोजित है (जनवरी 2013) । इस प्रकार सरकार का उत्तर लेखापरीक्षा की इस दावे की पुष्टि करता है कि सीआईएसएफ कर्मियों के समय पर प्रत्यावर्तन करने का ढंग निर्धारित करने और केन्द्रीय औद्योगिक सीमा बल अधिनियम,1968 के अनुबध 14(2)[2] के अंतर्गत अधिशेष मानव बल को अविलम्ब मार्च 2011 से अभ्यर्पित करने का उत्तरदायित्व कम्पनी का था । यद्यपि प्राधिकृत संख्या की समीक्षा हेतु बैठक अप्रैल 2011 में अर्थात संयंत्र की बिक्री की तिथि से छः महीने बीत जाने के बाद ही आयोजित की गई और अधिशेष संख्याबल अगस्त 2011 तक कार्यरत रहा, जिससे ₹ 0.41 करोड़ का अनावश्यक व्यय हुआ ।

[1] मार्च-अगस्त 2011 से आईपी स्टेशन पर विनियोजित सीआईएसएफ कर्मियों के वेतन व भत्ते पर किये गये कुल व्यय में से बाद में सुरक्षा प्रयोजन से रखे गए 24 कर्मियों पर किया गया व्यय समान अवधि हेतु घटाया गया ।

[2] महानिदेशक, सीआईएसएफ को लिखित में तीन माह पूर्व नोटिस के माध्यम से जिसमें यह बताया जाए कि बल के इस प्रकार प्रतिनियुक्त सदस्य को वापस लिया जाए तथा कम्पनी इनके कार्यभार से इस सूचना की समाप्ति की तिथि या इससे पूर्व की तिथि जब बल को वापिस किया जाए से मुक्त की जाएगी ।

8.2 दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड

8.2.1 अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णयों के कारण अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर चूकना

कम्पनी द्वारा निधियों के निवेश संबंधी अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ के ब्याज की हानि हुई ।

दिल्ली की विद्युत वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम), बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)ने उनके वित्तीयकरण हेतु आईडीबीआई बैंक द्वारा प्रस्तावित एक समग्र वित्तीय पैकेज के भाग के रूप में प्रोत्साहक निधीयन के प्रावधान हेतु अपने प्रमोटर रिलायंस इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंसइन्फ्रा) और दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (डीपीसीएल) से अनुरोध(दिसम्बर 2011) किया । रा.रा.क्षे, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के दिनांक 20-12-2011 के आदेश में निर्गत निर्देशों के अनुपालन में डीपीसीएल द्वारा दोनों डिस्कॉमों को इक्विटी के प्रावधान का अनुमोदन किया जिससे अंशधारण पैटर्न अनुपात 51:49 (रिलायंस इन्फ्राः सरकार) बना रहे और जिससे डिस्कॉम आईडीबीआई बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाये । तदनुसार जीएनसीटीडी ने इक्विटी योगदान हेतु ₹ 500 करोड़ का स्वीकृति आदेश जारी किया (28 दिसम्बर 2011) । स्वीकृति आदेश का उपबन्ध (xi) यह निर्धारित करता है कि रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त होने के बाद ही बीएसईएस को इक्विटी योगदान धनराशि को हस्तांतरित किया जा सकता था । डीपीसीएल को यह सरकारी अंश 29 दिसम्बर 2011 को प्राप्त हुआ ।

क्योंकि दोनों डिस्कॉम को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी के हस्तांतरण की कोई सूचना नहीं थी, डीपीसीएल ने उक्त निधियों को बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निवेश करने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें ब्याज प्राप्त हो सके । तदनुसार डीपीसीएल ने अपने पैनल के बैंकों से 7-30 दिनों की अवधि के लिए निधियों को फ्लेक्सी जमाओं में जमा कराने हेतु बोलियाँ आमंत्रित की । इलाहाबाद बैंक द्वारा 7 से 14 दिनों, 15 से 29 दिनों और 30 दिनों के लिए 10.05 प्रतिशत की सर्वाधिक ब्याज दर के कारण चुना गया । बोली में समय-पूर्व आहरण के लिए अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं किया गया था और बैंक ने आश्वस्त किया था कि धनराशि बैंक में रहने की अवधि समय पूर्व भुगतान बोले गए दर अर्थात 10.05 *प्रतिशत* पर किया जाएगा ।तथापि डीपीसीएल ने ₹ 500 करोड़ की निधियों को देयता की तिथि 12 जनवरी 2012 के साथ केवल 14 दिनों के लिए निवेश किया । इसके बाद दोबारा बोलियाँ आमंत्रित की गई और ₹ 501.93 करोड़ (₹ 500 करोड़ + ₹ 1.93 करोड़ ब्याज) की धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक में 15 दिनों के लिए 8.50 *प्रतिशत* की दर पर पुनः निवेश (12 जनवरी 2012) किया गया। डीपीसीएल ने ₹ 499.80 करोड़ की धनराशि को दोनों डिस्कॉमों (अर्थात बीआरपीएल और बीवाईपीएल) को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त होने पर इन्हें हस्तांतरित (फरवरी 2012) कर दिया ।

यह पाया गया कि डीपीसीएल द्वारा इन डिस्कॉमों को रिलायंस इन्फ्रा से इक्विटी योगदान प्राप्त हो जाने पर ही धनराशि को हस्तांतरित करना था और जीएनसीटीडी से निधियाँ प्राप्त करते समय बीआरपीएल और बीवाईपीएल को तुरंत निधियाँ जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि कम्पनी के अभिलेखों से स्पष्ट है । अतः डीपीसीएल को पहली बार ही 10.05 *प्रतिशत* की दर पर 30 दिनों तक निधियों का निवेश करना चाहिए था बजाय इसके कि पहले 10.05 *प्रतिशत* की दर से 14 दिन के लिए और उसके बाद शेष 16 दिनों के लिए अपेक्षाकृत कम दर पर, जिससे 0.32[3] करोड़ का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का अवसर खोना पड़ा ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (जुलाई 2012) तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि कम्पनी को रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार से निधियों की प्राप्ति 29-12-2011 को हुई और इसने 7-30 दिनों के लिए बोलियाँ आमंत्रित कर उस समय व्याप्त सुपरिवर्तनीय स्थितियों में 14 दिनों का निर्णय लिया । 7 से 30 दिनों के लिए बोलियाँ आमंत्रित कराने का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए उनके द्वारा निधियों को 30 दिनों ही तक जमा कराने का मन्तव्य था, बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय के वातावरण में कार्य करने वाले सभी संभावित चरों को ध्यान में रखते हुए जमा कराने की अवधि का निर्णय लिया था । उन्होंने आगे बताया कि बीवाईपीएल तथा बीआरपीएल को इक्विटी निधियाँ जारी करने की अत्यधिक आवश्यकता के कारण रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा डीपीसीएल को निधियाँ जारी की गईं और वे केवल अधिक ब्याज प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक समय तक निधियों को अवरूद्ध नहीं कर सकते थे ।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इलाहाबाद बैंक ने 30 दिनों तक की अवधि के लिए बिना जुर्माना लगाए समयपूर्व पैसे निकालने देने की सुविधा सहित 10.05 प्रतिशत की सर्वाधिक दर प्रस्तावित की थी । इसके अतिरिक्त प्रबन्धन का यह तर्क कि ब्याज प्राप्त करने हेतु निधियों को अधिक अवधि तक अवरोध नहीं किया जा सकता था, स्वीकार्य नहीं है क्योकि अर्थण्ड का उपबन्ध न होने पर डीपीसीएल के पास पहली बार 30 दिनों तक निधियों के निवेश के अवसर के साथ-साथ उसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी आहरित करने का विकल्प था यह भी बिना किसी ब्याज में कोई कमी हुए बगैर यह सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही था क्योंकि निधियाँ रिलायंस इन्फ्रा द्वारा इक्विटी जारी किए जाने के बाद ही हस्तान्तरित की जानी थी ।

[3] 30 दिनों तक ₹ 500 करोड़ का 10.05 *प्रतिशत* की दर पर निवेश तथा 14 दिनों के लिए 10.05 *प्रतिशत* और तत्पश्चात 16 दिनों के लिए अपेक्षाकृत कम दर अर्थात अगले 15 दिनों के लिए 8.5 *प्रतिशत* की दर पर और अगले 1 दिन के लिए 9.10 *प्रतिशत* की दर पर निवेश के मध्य अंतर

डीपीसीएल द्वारा समय पूर्व आहरण पर कोई अर्थदण्ड न होने पर भी बड़ी धनराशि को एक ही दर पर 30 दिन के ब्याज पर निवेश न करके केवल 14 दिनों के लिए निवेश करने के अविवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 0.32 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर छूट गया ।

यह मामला सरकार को सूचित किया गया (जून 2012), उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013) ।

नई दिल्ली
दिनांक:

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(विनोद रॉय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक- 3.6.9

अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान न किया जाना
(पैरा 3.6.9.8 को देखें)

क्र.सं.	आर.सी.सं. सहित होटल मालिक का नाम	निर्धारण की तिथि	सम्मिलित विलासिता कर (₹)	अपील की तिथि
वर्ष 2007-08 के लिए				
1	पुरेवाल इन्टरप्राइजिस वी./एल.टी./99/एस./2008	15-07-11	184931	15-05-11
2	इन्टरनेशनल ट्रैवल वी./एल.टी./97/एस./208	18-05-10	81896	15-07-11
3	अरिहन्त गैस्ट हाऊस वी./एल.टी./04/एस./693	22-03-12	136811	06-06-12
4	भारतीय तकनीकी संस्थान	11-06-10	8045149	08-07-10
5	पॉल्स कोर्ट वी./एल.टी./97/सी/258	14-12-07	193729	25-03-11
6	सो ईन वी./एल..टी./97/एस/268	20-05-11	20000	08-07-11
7	ग्लोबल इन वी./एल.टी./10/एस.डब्ल्यू/1132	09-04-11	153792	08-05-12
8	सॉलिटेयर वी./एल.टी./ई./04/681	31-03-11	463184	17-08-11
9	देव कुंज वी./एल.टी./एस./528	31-05-12	673419	08-06-12
10	अमर इन वी./एल.टी./97/एस/073	12-08-11	135890	26-09-11
11	शहरावत इन गैस्ट हाऊस वी./एल.टी./08/ एस.डब्ल्यू/984	23-03-12	96482	14-05-12
वर्ष 2008-09 के लिए				
1	प्रिन्स पैलेस वी./एल.टी./05/ सी/758	09-09-11	30000	18-11-11
2	लार्ड होटल	12-12-11	40000	11-1-12
3	रूप कलाँ डीलक्स वी./एल.टी./08/ सी/843	26-12-11	217691	08-02-12
4	राह रॉयलैक्स वी./एल.टी./03/सी/637	10-02-12	49886	19-04-12
5	वैष्णव वी./एल..टी./सी/2004/658	21-03-12	438177	03-05-12
6	अशोक कान्टीनैन्टल वी./एल.टी./97/सी/961	28-03-12	114375	09-05-12
7	इंडियन कान्टीनैन्टल वी./एल..टी./97/सी/158	28-01-12	67314	09-05-12
8	न्यू अशोक कान्टीनैन्टल वी./एल..टी./08/सी/932	23-03-12	350336	01-05-12
9	मोहक पैलेस डीलक्स वी./एल.टी./97/सी/315	30-03-12	63777	09-05-12
10	रिचा पैलेस वी./एल..टी./01/एस./541	28-03-11	366155	01-02-12

11	क्लासिक पेलेस डीलक्स वी./एल.टी./2002/सी/594	30-03-12	43319	23-05-12
12	स्टे वैल वी./एल..टी./06/सी/762	29-03-12	40000	23-05-12
13	रचना टूरिस्ट वी./एल.टी./04/सी/706	28-03-12	79960	23-05-12
14	ग्रेट शिवा वी./एल..टी./सी/2002/592	30-03-12	53298	24-05-12
15	सॉलिटेयर रैस्ट एण्ड होटल वी./एल.टी./ई./04/681	31-03-12	58356	13-06-12
16	वसन्त विहार क्लब वी./एल.टी./97/एस.डब्ल्यू/347	26-12-11	10105	13-02-12
17	ऑरकिड वी./एल.टी./97/एस/137	10-04-12	284406	30-05-12
18	एम.डी. इन्टरनेशनल वी./एल..टी./99/एस./467	30-3-12	2149542	31-05-12
19	रिगालिया रिट्रीट वी./एल.टी./06/789	29-03-12	295455	29-05-12
20	राधा कृष्णा वी./एल.टी./08/सी/936	30-3-12	45009	24-05-12
21	दादा इन्टरनेशनल वी./एल.टी./08/सी/846	30-3-12	74376	23-05-12
22	दिल्ली एम्पायर वी./एल.टी./सी/534	28-3-12	93520	23-5-12
23	शैल डीलक्स वी./एल.टी./09/सी/970	30-3-12	41441	23-5-12
24	वैष्णव वी./एल.टी./सी/2004/658	31-3-12	438177	3-5-12
25	शहरावत इन गैस्ट वी./एल.टी./08/एस.डब्ल्यू/984	27-3-12	387817	14-5-12
	वर्ष 2009-10के लिए			
1	**लॉर्डस** वी./एल.टी./09/सी/960	12-12-11	70000	11-01-12
2	सनराईज	26-06-08	2456375	7-8-08
3	गौतम डीलक्स वी./एल.टी./08/सी/902	16-02-12	46594	12-04-12
4	आर.एस.इन्टरनेशनल वी./एल.टी./08/सी/862	31-03-12	162058	24-04-12
	वर्ष 2010-11 के लिए			
1	मलिक कान्टीनेन्टल वी./एल.टी./09/7607	23-12-10	622688	17-2-12
2	लार्डस होटल्स वी./एल.टी./09/सी./960	12-12-11	80000	11-01-12
3	प्रेम प्लाजा	19-7-12	413280	27-9-11

अनुलग्नक - 6.1
(पैरा 6.3 में देखें)

सरकारी कम्पनियों तथा वैधानिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2012 पर प्रदत्त पूंजी,बकाया ऋणों और मानव शक्ति के अद्यतन ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

(कॉलम सं.5 (क) से 6 (घ) में दिए गए आंकड़े र करोड़ में) है ।

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूंजी[$]				2011-12 के अंत में बकाया ऋण[**]				2011-12 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
वित्त													
1.	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	जनवरी 1983	33.32	11.88	-	45.20	2.49	-	-	2.49	0.06:1 (0.06:1)	170
क्षेत्रवार कुल				**33.32**	**11.88**	**-**	**45.20**	**2.49**	**-**	**-**	**2.49**	**0.06:1 (0.06:1)**	**170**
अवसंरचना													
2.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 1971	22.15	-	-	22.15	7.05	-	-	7.05	**0.32:1** (0.32:1)	1690
3.	शाहजहानाबाद पुर्नविकास निगम	शहरी विकास	मई 2008	0.00*	-	-	0.00*	-	-	-	-	-	19
क्षेत्रवार कुल				**22.15**	**-**	**-**	**22.15**	**7.05**	**-**	**-**	**7.05**	**0.32:1 (0.32:1)**	**1709**
विद्युत													
4.	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	500.05	-	-	500.05	1631.30	-	1351.18	2982.48	5.96:1 (4849.80:1)	19
5.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	3691.00	-	260.00	3951.00	552.50	-	1382.99	1935.49	0.49:1 (0.32:1)	1749
6.	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	547.54	-	140.00	687.54	102.29	-	58.34	160.63	0.23:1 (0.37:1)	1076
7.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत	जनवरी 2001	1824.19	-	-	1824.19	186.67	-	1966.22	2152.89	1.18:1 (1.10:1)	**260**
8	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	1
क्षेत्रवार कुल				**6562.78**	**-**	**400.01**	**6962.79**	**2472.76**	**-**	**4758.73**	**7231.49**	**1.04:1 (0.55:1)**	**3105**

*प्रदत्त पूंजी केवल 700 है ।

[1] अनन्तिम

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूंजी $				2011-12 के अंत में बकाया ऋण **				2011-12 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
सेवाएँ													
9.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड	लोक वितरण	नवम्बर 1980	7.00	-	-	7.00	-	-	-	-	0 (0.31:1)	734
10.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसम्बर 1975	6.28	-	-	6.28	-	-	-	-	-	874
11.	दिल्ली जियोस्पेशियल लिमिटेड	सू.प्रौ.	मई 2008	10.76	-	-	10.76	-	-	-	-	-	17
12.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. रखरखाव सेवा लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
13.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एक्जिन लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
14.	दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिक्वर लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
क्षेत्रवार कुल				**24.04**	**-**	**0.03**	**24.07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- (0.09:1)**	**1625**
परिवहन													
15.	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त 2010	149.45	-	-	149.45	34.65	-	-	34.65	0.23:1 -	148
क्षेत्रवार कुल				**149.45**	**-**	**-**	**149.45**	**34.65**	**-**	**-**	**34.65**	**0.23:1**	**148**
कुल अ (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)				**6791.74**	**11.88**	**400.04**	**7203.66**	**2516.95**	**-**	**4758.73**	**7275.68**	**1.01:1 (0.55:1)**	**6757**
ब. (कार्यशील वैधानिक निगम)													
वित्त													
16.	दिल्ली वित्त निगम	वित्त	अप्रैल 1967	18.05	-	8.13	26.18	40.00	-	79.36	119.36	4.56:1 (3.11:1)	121
क्षेत्रवार				**18.05**	**-**	**8.13**	**26.18**	**40.00**	**-**	**79.36**	**119.36**	**4.56:1 (3.11:1)**	**121**
परिवहन													
17.	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर 1971	1784.30	-	-	1784.30	11676.14	-	-	11676.14	6.54:1 (7.37:1)	40632
क्षेत्रवार कुल				**1784.30**	**-**	**-**	**1784.30**	**11676.14**	**-**	**-**	**11676.14**	**6.54:1 (7.37:1)**	**40632**
कुल ख (सभी क्षेत्रवार कार्यशील वैधानिक निगम)				**1802.35**	**-**	**8.13**	**1810.48**	**11716.14**	**-**	**79.36**	**11795.50**	**6.52:1 (7.31:1)**	**40753**
कुल जोड़ (अ +ब)				**8594.09**	**11.88**	**408.17**	**9014.14**	**14233.09**	**-**	**4838.09**	**19071.18**	**2.12:1 (1.96:1)**	**47510**

$ प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित शेयर आवेदन धन ।

** 2011-12 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण हैं।

अनुलग्नक - 6.2

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्ति-योग्य अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारण्टियाँ, देयो का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं अंशदान में परिवर्तित ऋण और मार्च 2012 के अंत पर गारण्टी

(पैरा 6.4 मे देखें)

प्रतिवद्धता (कॉलम 3 (क) से 6 (घ) में आंकडे ₹ करोड़ में हैं)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशदान /ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता				वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टियाँ तथा वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता@		वर्ष के दौरान देयताओं में छूट			
		अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	बट्टे खाते में डाले गये ऋण	अंशदान में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज/दंडात्मक ब्याज	कुल
(1)	(2)	3 (क)	3(ख)	4(क)	4 (ख)	4 (ग)	4(घ)	5 (क)	5(ख)	6 (क)	6(ख)	6 (ग)	6 (घ)
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
वित्त													
1.	दिल्ली अजा/अजजा/अ.पि.व. अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-
विद्युत													
2	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	500.00	-	-	362.35	-	362.35	-	-	-	-	-	-
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	-	616.36	-	-	-	-	-	-	-		-	-
4	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	50.00	200.00	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-
5	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	400.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		950.00	1116.36	-	367.35	-	367.35	-	-	-	-	-	-
सेवाएँ													
6	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम	-	-	-	-	16.62	16.62	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता						वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टियाँ तथा वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता			वर्ष के दौरान देयताओं में छूट		
		अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार			अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार		
		3 (क)	3(ख)	4(क)	4 (ख)	4 (ग)	4(घ)	5 (क)	5(ख)	6 (क)	6(ख)	6 (ग)	6 (घ)
(1)	(2)												
7	दिल्ली परिवहन एवं पर्यटन विकास निगम	-	-	0.50	18.28	-	18.78	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		-	-	0.50	18.28	16.62	35.40	-	-	-	-	-	-
परिवहन													
8	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम	149.40	34.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		149.40	34.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल अ (क्षेत्रवार सभी सरकारी कम्पनियाँ)		1099.40	1151.01	0.50	386.13	16.62	403.25	-	-	-	-	-	-
ब कार्यशील बैंकाभिक निगम													
वित्त													
9	दिल्ली वित्त निगम	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यातायात													
10	दिल्ली परिवहन निगम	201.00	-	-	530.90	-	530.90	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		201.00	-	-	530.90	-	530.90	-	-	-	-	-	-
कुल ब (सभी क्षेत्रवार कार्यशील बैंकाभिक निगम		201.00	40.00	-	530.90	-	530.90	-	-	-	-	-	-
कुल जोड़(अ+ ब)		1300.40	1191.01	0.50	917.03	16.62	934.15	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक-6.3

(पैरा 6.6, 6.7 एवं 6.8 में देखें)

नवीनतम वर्ष सरकारी कम्पनियों तथा वैधानिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के लिए जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है,

(कॉलम 5(क) में दिए गए आंकडे ₹ करोड में है)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्नओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव#	प्रदत पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी @	नियोजित पूंजी पर रिटर्न$	नियोजित पूंजी पर प्रतिशत रिटर्न
				व्याज व अवमूल्यन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	अवमूल्यन	शुद्ध लाभ/हानि (कर के समक्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ														
वित्त														
1.	दिल्ली अजा/अजजा/ अ.पि.व अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2010-11	2.75	0.38	0.21	2.16	11.37	(-)87.29	25.92	21.93	54.15	2.54	4.69
क्षेत्रवार कुल				**2.75**	**0.38**	**0.21**	**2.16**	**11.37**	**(-)87.29**	**25.92**	**21.93**	**54.15**	**2.54**	**4.69**
अवसंरचना														
2.	दिल्ली राज्य उद्योग व अवसंरचना निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	124.69	0.01	1.16	123.52	1086.20[2]	(-)39.83	22.15	80.73	854.72	123.53	14.45
3.	शाहजहानाबाद पुनर्निर्माण लिमिटेड▲	2011-12	2012-13	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	Nil	0.00	0.00	0.11	0	0.00
क्षेत्रवार कुल				**124.71**	**0.01**	**1.18**	**123.52**	**1086.20**	**(+)39.83**	**22.15**	**80.73**	**854.83**	**123.53**	**14.45**

[2] लेखापालन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण पूर्व की गई परियोजना की धनराशि तथा विभागीय प्रभारों सहित कार्य प्रगति का अंतिम अधिशेष को टर्नओवर में सम्मिलित किया गया है। 2008-09 के बाद के टर्नओवर के आंकडे तदनुसार दर्शाए गए हैं।

▲ श.पु.लि. की प्रदत्त पूंजी ₹ 700 मात्र ₹ 231 मात्र ब्याज, और ₹ 49793 मात्र के संचित घाटे हैं।

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्नओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूँजी @	नियोजित पूँजी पर रिटर्न$	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत रिटर्न
				ब्याज व अवमूल्यन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	अवमूल्यन	शुद्ध लाभ/हानि (कर के समक्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विद्युत														
4.	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	78.61	161.21	0.04	(-) 82.64	NIL	(-)220.31	500.05	(-) 1506.18	1093.07	78.57	7.19
5.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2011-12	2012-13	1145.41	43.87	96.21	1005.33	1279.88	Nil	3951.00	(-) 2631.92	3707.93	1049.20	28.30
6.	इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	466.85	41.80	27.91	397.14	1127.52	Nil	687.54	214.33	535.30	438.94	82.00
7.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	2012-13	490.89	204.07	66.56	220.26	1005.23	Nil	1824.19	552.89	5171.23	424.33	8.21
क्षेत्रवार कुल				**2181.76**	**450.95**	**190.72**	**1540.09**	**3412.63**	**(-)220.31**	**6962.78**	**(-) 3370.88**	**10507.53**	**1991.04**	**18.95**
सेवाएँ														
8.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.57	-	0.41	1.16	1022.93	(-)2.04	7.00	10.68	31.28	1.16	3.71
9.	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	22.38	-	1.52	20.86	920.47	(-)0.92	6.28	0.01	1150.75	20.86	1.81
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.02	0.01	0.07	(-) 0.10	0.06	Nil	10.76	(-) 0.06	28.99	(-) 0.09	-

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्नओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव#	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी @	नियोजित पूंजी पर रिटर्न$	नियोजित पूंजी पर प्रतिशत रिटर्न
				ब्याज व अवमूल्यन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	अवमूल्यन	शुद्ध लाभ/हानि (कर के समक्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्षेत्रवार कुल				**23.93**	**0.01**	**2.00**	**21.92**	**1943.46**	**(-)2.96**	**24.04**	**10.63**	**1211.02**	**21.93**	**1.81**
परिवहन														
11.	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम	2010-11	2011-12	(-) 0.03	-	-	(-) 0.03	-	Nil	0.05	(-)0.03	(-) 0.04	(-) 0.03	-
क्षेत्रवार कुल				**(-) 0.03**	**-**	**-**	**(-) 0.03**	**-**	**Nil**	**0.05**	**(-) 0.03**	**(-) 0.04**	**(-) 0.03**	**-**
कुल (अ) सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ				**2333.12**	**451.35**	**194.11**	**1687.66**	**6453.66**	**(-)270.73**	**7034.94**	**(-)3257.62**	**12627.49**	**2139.01**	**16.93**
ब. कार्यशील वैधानिक निगम														
वित्त														
12.	दिल्ली वित्त निगम	2011-12	2012-13	12.14	9.81	0.36	1.97	21.49	(-)0.10	26.18	0	172.26	11.78	6.84
क्षेत्रवार कुल				**12.14**	**9.81**	**0.36**	**1.97**	**21.49**	**(-)0.10**	**26.18**	**0**	**172.26**	**11.78**	**6.84**
परिवहन														
13.	दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	2011-12	(-) 496.76	1679.32	159.05	(-) 2335.13	866.34	(-)1.34	1583.30	(-)12261.80	1497.77	(-) 655.81	-
क्षेत्रवार कुल				**(-) 496.76**	**1679.32**	**159.05**	**(-) 2335.13**	**866.34**	**(-)1.34**	**1583.30**	**(-)12261.80**	**1497.77**	**(-) 655.81**	**-**
कुल ब(सभी क्षेत्रवार वैधानिक निगम)				**(-) 484.62**	**1689.13**	**159.41**	**(-) 2333.16**	**887.83**	**(-)1.44**	**1609.48**	**(-)12261.80**	**1670.03**	**(-) 644.03**	**-**
कुल जोड़ (अ +ब)				**1848.50**	**2140.48**	**353.52**	**(-) 645.50**	**7341.49**	**(-)282.07**	**8644.42**	**(-) 15519.42**	**14297.52**	**1494.98**	**10.45**

लेखा अभ्युक्तियों के प्रभाव में वैधानिक लेखापरीक्षकों और नि.ग.ले.प. की अभ्युक्तियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और इसे (+) लाभ/हानि में वृद्धि और (-) लाभ/हानि में कमी से दर्शाया गया है ।

@ नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (पूंजीगत कार्य प्रगति पर सहित) जमा कार्यशील पूंजी का निरूपण है । वित्त कंपनियों/निगमों को छोड़कर कार्यशील पूंजी जहाँ नियोजित पूंजी की गणन प्रदत्त पूंजी, फ्री रिजर्व, बॉंड, जमा तथा उधारी (पुनः वित्त सहित) के मासिक तथा अंतिम शेषों के कुल के मध्य के रूप में की जाती है, को प्रस्तुत करती है ।

$ नियोजित पूंजी पर रिटर्न को लाभ व हानि खाते में दर्शित किए गए लाभ व हानि को प्रभारित ब्याज को जोड़कर निकाला गया है ।

अनुलग्नक 6.4
(पैरा 6.6 में देखें)
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी

(₹करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12 (अनन्तिम)
1. दिल्ली परिवहन निगम			
अ. देयताएँ			
पूंजी (पूंजीगत ऋण तथा पूंजीगत अंशदान सहित)	1364.30	1583.30	1784.30
उधारियाँ: अन्य सरकारी	9668.35	11846.80	13591.47
निधियाँ* (आरक्षित एवं आधिक्य)	162.28	193.26	257.45
सहायता अनुदान	172.11	138.37	657.77
व्यापारिक बकाया तथा अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	715.34	1171.01	578.45
कुल	**12082.38**	**14932.74**	**16869.44**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लाक	1518.41	2532.48	2509.66
घटा: अवमूल्यन	521.41	629.60	760.80
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	997.00	1902.88	1748.86
पूंजीगत कार्य प्रगति पर (बेसिस की लागत समेत)	13.86	5.94	7.98
निवेश	2.09	2.16	2.37
कार्यशील परिसंपत्तियाँ,ऋण तथा अग्रिम	1142.75	759.96	417.35
संचित हानियाँ	9926.68	12261.80	14692.88
कुल	**12082.38**	**14932.74**	**16869.44**
पूंजीगत नियोजन#	**1438.27**	**1497.77**	**1595.74**
2. दिल्ली वित्त निगम			
विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
अ. देयताएँ			
प्रदत्त पूंजी	25.88	25.88	26.18
शेयर आवेदन धन	0.18	0.24	0
आरक्षित निधि तथा अन्य आरक्षण एवं आधिक्य	45.10	45.41	46.25
उधारियाँ:			
(i) बॉन्ड एवं डिबेन्चर	-	-	-
(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	39.67	81.18	119.36
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	28.37	32.13	35.24
कुल योग -ए	**139.20**	**184.84**	**227.03**
ब. परिसम्पत्तियाँ			
नकद एवं बैंक शेष	37.97	18.72	23.46
निवेश	0.01	0.01	0.01
ऋण एवं अग्रिम	74.88	138.58	174.33
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	4.16	3.85	3.57
अन्य परिसम्पत्तियाँ	22.18	23.68	25.66
विविध व्यय	-	-	-
कुल योग -बी	**139.20**	**184.84**	**227.03**
स. पूंजीगत नियोजन^	**113.17**	**132.95**	**172.26**

* अवमूल्यन निधियों/आरक्षण को छोड़कर

पूंजीगत नियोजन निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (पूंजीगत कार्य प्रगति पर सहित) तथा कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है ।

^ नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी का प्रारम्भिक पूंजी, आरक्षिति (उनको छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से निधिबद्ध किया गया है तथा बाहरी निवेश द्वारा वापिस किया गया है), बॉन्ड, जमा राशियों तथा उधारों तथा अर्न्तोष (पुनः वित्त सहित) के जोड़ के मध्यमान का द्योतक है ।

अनुलग्नक 6.5
(पैरा 6.6 में देखें)
सांविधिक निगमों के कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

1	दिल्ली परिवहन निगम			
	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12 (अनन्तिम)
	परिचालित			
	(क) राजस्व	470.70	866.34	1196.05
	(ख) व्यय	1335.45	1640.64	2033.91
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)864.75	(-)774.30	(-) 837.86
	गैर परिचालित			
	(क) राजस्व	99.93	116.64	80.65
	(ख) व्यय	1278.97	1679.15	1783.31
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)1179.04	(-) 1562.51	(-) 1702.66
	कुल			
	(क) राजस्व	570.63	982.98	1276.70
	(ख) व्यय	2614.42	3319.79	3817.22
	(ग) पूर्व अवधि समायोजन	1.06	1.68	109.45
	(घ) निवल लाभ (+)/घाटा (-)	(-)2042.73	(-)2335.13	(-) 2431.07
	पूंजी तथा कर्जों पर ब्याज	1277.81	1679.32	1783.22
	नियोजित पूंजी* पर कुल प्रतिफल	(-)764.92	(-)655.81	(-) 647.85
2	दिल्ली वित्त निगम			
	विवरण	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
	1. आय			
	(क) कर्जों पर ब्याज	10.52	13.32	21.49
	(ख) अन्य आय	3.63	1.36	2.03
	कुल-1	**14.15**	**14.68**	**23.52**
	2. व्यय			
	(क) दीर्घावधि कर्ज़ों पर ब्याज	3.50	3.25	9.81
	(ख) अन्य व्यय	10.39	9.04	9.41
	(ग) वापस लौटाई गई अपवादित मदें	(-) 5.03	(-) 3.10	(-) 0.83
	कुल-2	**8.86**	**9.19**	**18.39**
	3. कर पूर्व लाभ (1-2)	5.29	5.49	5.13
	4. कर के लिए प्रावधान	0.07	0.64	1.13
	5. अन्य विनियोजन	3.00	4.66	3.97
	6. लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	2.22	0.19	0.03
	7. लाभांश	0.14	0	0
	8. नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	8.79	8.74	11.78
	9. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	7.77	6.57	6.84

* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल, लाभ तथा हानि लेखे पर प्रभारित निवल आधिक्य/घाटे जमा कुल ब्याज (घटा पूँजीगत ब्याज) का निरूपण करता है । डीएफसी के मामले में नियोजित पूंजी पर कल प्रतिफल की प्रतिशतता: प्राप्त करने के लिए ₹ 3.16 करोड के सांविधिक प्रावधानों को निवल आधिक्य/घाटा में से कम कर दिया गया है ।

अनुलग्नक 6.6
(पैरा 6.7 में देखें)
पीएसयू में जिनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दिखाते हुए विवरणी

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	नवीनतम अन्तिमरूप दिए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	उन वर्षों के दौरान जिन के लिए लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
			वर्ष	अंशदान	ऋण	अनुदान/आर्थिक सहायता
कार्यशील कम्पनियाँ/निगम						
दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व अल्पसंख्यक,विकलांग एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	25.92	2003-04	-	-	0.53
			2004-05	-	-	2.04
			2005-06	1.81	-	0.66
			2006-07	-	0.34	-
			2007-08	7.00	2.15	-
			2008-09	0.64	-	0.36
			2009-10	6.00	-	0.64
			2010-11	3.83	-	0.51
			2011-12	-	-	0.50
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	22.15	2011-12	-	-	-
दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम	2010-11	0.05	2011-12	149.40	34.65	-
दि.रा.औ.अ.वि.नि. एग्जिम लि.[▽]	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.औ.अ.वि.नि. इनर्जी लि.[V]	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लि.[▽]	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.औ.अ.वि.नि. मेन्टिनैन्स सर्विसेज लि.[V]	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	1583.30	2011-12	201.00	-	530.90
कुल		**1631.42**		**369.68**	**37.14**	**536.14**

[V] दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायका कम्पनी ।

अनुलग्नक - 7.1
(पैरा 7.2 में देखें)

ट्रांसमिशन लाईन और एस.एस. परियोजनायें तथा चयनित लेखापरीक्षा की कार्य निष्पादन की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

विवरण	डी.टी.एल. द्वारा योजनागत		डी.टी.एल. द्वारा कार्य निष्पादन के लिए लिया गया		लेखापरीक्षा में किया गया परीक्षण	
	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
एस.एस. (क्षमता एम.वी.ए. में)	12	5885	12	5065	11	4745
एस.एस. की मौजूदा क्षमता की वृद्धि (एम.वी.ए. में)	12	1535	4	365	4	365
लाईने (लम्बाई सी.के.एम. में)	20	255.01	16	211.368	10	159.868

अनुलग्नक – 7.2 (क)
वर्ष 2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान योजनागत क्षमता वृद्धियाँ वास्तविक वृद्धियाँ तथा कमी को दर्शाने वाली तालिका
(पैरा 7.2.2 में देखें)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
क. एस.एस. की संख्या							
1	वर्ष के आरम्भ में	24	24	24	26	28	–
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ	0	0	3	5	4	12
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0	2	2	3	7
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल एस.एस. (1+3)	24	24	26	28	31	–
5	वृद्धियों में कमी (2-3)	0	0	1	3	1	5
ख. ट्रांसफॉर्मर्स क्षमता (एम.वी.ए.)							
1	वर्ष के आरम्भ में क्षमता	9811	9811	9951	10526	11336	–
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ/बढ़ोत्तरी	0	120	2230	1950	3120	7420
3	वर्ष के दौरान क्षमता की वृद्धि	0	140	575	810	855	2380
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल क्षमता (1+3)	9811	9951	10526	11336	12191	–
5	वृद्धियों/बढ़ोतरी में कमी (3-2) (+/-) आधिक्य/कमी	0	(+) 20	(-) 1655	(-) 1140	(-) 2265	(-) 5040
6	योजनागत वृद्धि की कमी से प्रतिशतता	शून्य	-	74.22	58.46	72.60	67.92
ग ट्रांसमिशन लाईन्स (सी.के.एम.)							
1	वर्ष के आरम्भ में	802.784	802.784	817.448	817.448	844.560	–
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ	2.0	13.910	13.800	156.100	69.200	255.01
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0	14.664	0	27.112	45.974	**87.750**
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल लाईन्स (1+3)	802.784	817.448	817.448	844.560	890.534	–
5	बढ़ोतरी में कमी (3-2) (+/-) आधिक्य/कमी	(-) 2.0	(+) 0.754	(-)13.80	(-)128.988	(-)23.226	(-)167.26
6	योजनागत वृद्धि की कमी से प्रतिशतता	100	-	100	82.63	33.56	65.59

अनुलग्नक – 7.2 (ख)
(पैरा 7.2.2 में देखें)

2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान डी.टी.एल. द्वारा संचालित किए गए विभिन्न वोल्टेज़ स्तरों पर योजनागत क्षमता परिवर्धन, वास्तविक परिवर्धन तथा कमी दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400 केवी सब-स्टेशन (संख्या)						
1	**वर्ष के आरंभ में**	2	2	2	2	2
2	**वर्ष के लिए** योजनागत परिवर्धन	0	0	1	0	1
3	**वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन**	0	0	0	0	1
4	वर्ष के अंत में (1+3)	2	2	2	2	3
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	1	0	0
400/220 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	**वर्ष के आरंभ में**	2520	2520	2520	2520	2520
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	630	630	1260
3	**वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन**	0	0	0	0	315
4	**वर्ष के अंत में क्षमता** (1+3)	2520	2520	2520	2520	2835
5	**परिवर्धन/संवर्धन में कमी** (2-3)	0	0	630	630	945
220 के वी सब-स्टेशन (संख्या)						
1	**वर्ष के आरंभ में**	22	22	22	24	26
2	**वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन**	0	0	2	5	3
3	**वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन**	0	0	2	2	2
4	वर्ष के अंत में (1+3)	22	22	24	26	28
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	3	1
220/66 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम वी ए)						
1	**वर्ष के आरंभ में**	4100	4100	4260	4520	5220
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	120	1500	320	1860
3	**वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन**	0	160	260	700	160
4	**वर्ष के अंत में क्षमता** (1+3)	4100	4260	4520	5220	5380
5	**परिवर्धन/संवर्धन में कमी** (2-3)	0	(-) 40	1240	(-) 380	1700
220/33 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम वी ए)						
1	**वर्ष के आरंभ में**	2300	2300	2300	2600	2750
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	100	1000 (1100-2x50)	0

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	300	150	400
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	2300	2300	2600	2750	3150
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	(-) 200	850	(-) 400
400 के वी लाइनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	227.202	227.202	227.202	227.202	227.238
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	0	0	1.40	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0.036	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	227.202	227.202	227.202	227.238	227.238
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	1.40	(-) 0.036	0
220 के वी लाइनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	575.582	575.582	590.246	590.246	617.322
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	2.00	13.91	12.40	156.100	69.20
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	14.664	0	27.076	45.974
4	वर्ष के अंत में (1+3)	575.582	590.246	590.246	617.322	663.296
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	2.00	(-)0.754	12.40	129.024	23.226
66/33 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	90	90	90	90	90
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	90	90	90	90	90
5	परिवर्धन/संवर्धन मे कमी (2-3)	0	0	0	0	0
66/11 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	525	525	505	520	480
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	(-) 20	15	(-) 40	(-) 20
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	525	505	520	480	460
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	20	(-) 15	40	20
33/11 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	276	276	276	276	276
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	276	276	276	276	276
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	0	0

अनुलग्नक – 7.3
(पैरा 7.3.3 में देखें)
ट्रांसमिशन लाइनों तथा एस.एस. परियोजनाओं की समाप्ति में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्कीम के अनुमोदन व स्वीकृति की तिथि	सौंपने की तिथि	30 जून 2012 को कार्य की स्थिति	समाप्ति की तिथि	लिया गया कुल समय	सी.ई.ए./टास्क फोर्स के अनुसार स्कीम के अनुमोदन व स्वीकृति से शैड्यूल लक्षित समय	अधिक लिया गया समय (महीनों में)
ट्रांसमिशन लाइन परियोजना								
1	गहारानी बाग स./स्टे. से एचसीएमएल	दिसम्बर 2004	अगस्त 2009	100%	मई 2012	88	28	60
2	रिज़ स/स्टे. से एम्स (ट्रॉमा सेंटर) स/स्टे.	जून 2006	नवम्बर 2009	97%	अगस्त 2012 (अपेक्षित)	73	28	45
3	महारानी बाग से ट्रोमा सेंटर	दिसम्बर 2004	अगस्त 2009	100%	जुलाई 2011	78	28	50
4	शालीमार बाग से जीआईएस वजीरपुर	जून 2005	मई 2010	78%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	92	28	64
5	पीरागढ़ी से गुंडका	जून 2009	मई 2010	55%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	44	28	16
6	पीरागढ़ी से वजीरपुर	जून 2009	मई 2010	40%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	44	28	16
7	महारानी बाग से मस्जिद मोठ	दिसम्बर 2004	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2011	80	28	52
8	बामनौली का एलआईएलओ–आईजीआई पर महरोली ओवरहैड लाइन	मार्च 2007	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2010	41	28	13
9	रिज़ वैली से 220 के वी नारायणा स/स्टे.	नवम्बर 2005	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2010	57	28	29
10	महारानी बाग से गाजीपुर	दिसम्बर 2006	मार्च 2009	80%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	74	28	46
सब-स्टेशन परियोजनाएँ								
1	इलैक्ट्रिक लेन (एचसीएमएल)	दिसम्बर 2004	सितम्बर 2009	94%	मई 2012 (आरंभ किया गया परंतु लघु कार्य शेष है)	88	24	64
2	हर्ष विहार (400/220 के.वी.)	मार्च 2009	मार्च 2010	85%	जनवरी 2013 (अपेक्षित)	45	24	21
3	वजीरपुर	जुलाई 2005	मई 2010	37%	दिसम्बर 2012 (अपेक्षित)	88	24	64
4	पीरागढ़ी	जून 2009	नवम्बर 2011	0% कार्य शुरू नहीं हुआ	मई 2013	46	24	22

5	गुण्डका	दिसम्बर 2004	मई 2008	94%	दिसम्बर 2010 (आरंभ किया गया परंतु कुछ लघु कार्य शेष है)	71	24	47
6	रोहिणी II	सितम्बर 2004	मार्च 2010	74%	सितम्बर 2012 (अपेक्षित)	95	24	71
7	लोदी रोड़	सितम्बर 2004	जून 2010	9%	अप्रैल 2013 (अपेक्षित)	102	24	78
8	बवाना (विस्तार)	मार्च 2009	जून 2009	100%	जून 2011 (जुलाई 2012 में प्रभारित)	26	24	2
9	इं.गां.अ. हवाई अड्डा (डागल)	मार्च 2007	दिसम्बर 2008	100%	मई 2011	49	24	25
10	रिजवैली	सितम्बर 2006	मार्च 2008	100%	सितम्बर 2010	47	24	23
11	एम्स (ट्रॉमा सेन्टर)	दिसम्बर 2004	अक्टूबर 2009	95%	जुलाई 2011 (उद्घाटन किया)	78	24	54
12	मस्जिद मोठ	दिसम्बर 2004	सितम्बर 2006	100%	मई 2011	76	24	52

अनुलग्नक – 7.4
(पैरा 7.7.4 में देखें)

परियोजनाओं में लागत-वृद्धि दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/योजना का नाम	परियोजना की संकल्पना की तिथि	परियोजना की आरंभिक लागत	प्रदान किए जाने की तिथि	प्रदत्त लागत	लागत-वृद्धि
220 के.वी. विद्युत संचारण लाईन परियोजना						
1	महारानी बाग से इलैक्ट्रिक लेन	दिसम्बर 2004	78.83	जुलाई 2009	104.50	25.67
2	महारानी बाग से मस्जिद मोठ	मार्च 2008	100.79	जुलाई 2009	114.66	13.87
3	महारानी बाग से एम्स (ट्रॉमा सेंटर)	दिसम्बर 2004	93.13	जुलाई 2009	117.49	24.36
4	शालीमार बाग से वजीरपुर	जून 2005	35.51	मई 2010	41.11	5.60
सब-स्टेशन परियोजनाएँ						
1	400 के.वी लोनी से पूर्व	अक्टूबर 2008	144.91	मार्च 2010	181.15	36.24
2	400 के.वी मुण्डका	अक्टूबर 2007	5.62	मार्च 2009	8.92	3.30
			458.79		**567.83**	**109.04**

अनुलग्नक - 7.5
(पैरा 7.7.6 में देखें)

परियोजनाओं में निधियों का अवरोध दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना की संकल्पना की तिथि	कुल लागत (₹ करोड में)	एलओए की तिथि	पूर्ण करने की नियत तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक/प्रत्याशित तिथि	वास्तविक पूर्णता	किया गया व्यय
1	हर्ष विहार पर 400 के.वी. एस.एस.	मार्च 2009	250.24	मार्च 2010	सितम्बर 2011	जनवरी 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	153.16
2	मुण्डका से पीरागढ़ी तक लाइन	जून 2009	177.52	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	55.89
3	पीरागढ़ी से वजीरपुर तक लाइन	जून 2009	141.13	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	46.29
4	शालीमार बाग से जीआईएस वजीरपुर तक लाइन	जून 2005	44.67 (संशोधित 64.79)	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	24.78
5	महारानी बाग से गाजीपुर तक लाइन	दिसम्बर 2006	20.74	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	6.97
	कुल							**287.09**

अनुलग्नक - 7.6 (क)
(पैरा 7.7.7.4 में देखें)

एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुमत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था

सभी तीन लाईनों में ठेकेदार का नाम : मेसर्स टीबीईए

क्र. सं.	परियोजना का नाम (विद्युत संचारण लाइन)	एनआईटी की तिथि	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	मूल्य बोली खोलने की तिथि	एलओए जारी होने की तिथि	तार की लम्बाई (किमी)	प्रति किमी दर (₹ लाख में)	प्रदत्त लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की नियत तिथि
1	मुण्डका से पीरागढ़ी	8.10.09	14-12-2009	26-2-2010	28-5-2010	78	142.16	11088.48	27-5-2011
2	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से पीरागढ़ी	6.10.09	18-12-2009	26-2-2010	28-5-2010	60	145.22	8713.20	27-5-2011
3	शालीमार बाग से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	16.12.09	16.12.2009	26.2.2010	28-5-2010	27	152.27	4111.29	27-5-2011
	कुल					165		23912.97	
4	न्यूनतम दर ₹ 142.16 लाख प्रति किलोमीटर की दर से 165 किलोमीटर की कुल लागत						165 X 142.16 = ₹ 23456.40 लाख		
5	अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था (₹23912.97 लाख – 23456.40 लाख)						₹ 456.57 लाख		

अनुलग्नक - 7.6 (ख)
(पैरा 7.7.7.4 में देखें)

एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुगत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था

दोनों लाईनों में ठेकेदार का नाम : मेसर्स एल एण्ड टी लि.

क्र.सं.	परियोजना का नाम (विद्युत संचारण लाइन)	एनआईटी की तिथि	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	मूल्य बोली खोलने की तिथि	एलओए जारी होने की तिथि	तार की लम्बाई (किमी)	प्रति किमी दर (₹ लाख में)	प्रदत्त लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की नियत तिथि
1	रिज़ वैली से नारायणा	7.11.08	9.1.2009	24.04.2009	6.07.2009	16.2	243.74	3948.58	5-7-2010
2	महारानी बाग से मस्जिद गोठ	19.11.08	12.1.2009	24.04.2009	10.07.2009	56.61	215.11	12261.27	9-7-2010
	कुल					72.81		16209.85	
3	72.81 किमी के लिए ₹ 215.11 लाख प्रति किमी की न्यूनतम दर पर कुल लागत						72.81 X 215.11 = ₹ 15662.16 लाख		
4	अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था (₹ 16209.85 लाख – ₹ 15662.16 लाख)						₹ 547.69 लाख		

कुल अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था	धनराशि (₹ लाख में)
अनुलग्नक 7.6 (क)	456.57
अनुलग्नक 7.6 (ख)	547.69
कुल	1004.26

अनुलग्नक - 7.7
(पैरा 7.8.2.1 *(ख)* में देखें)

ट्रांसफॉर्मरों की खराबी की स्थिति दर्शाता विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	गारण्टी की अवधि के भीतर खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	सामान्य कार्य जीवन अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	मरम्मत और रखरखाव पर हुआ व्यय (₹ लाख में)
2007-08	112	1	0	1#	–
2008-09	111	3	1	1	27.55
2009-10	113	4	0	3	431.85
2010-11	119	4	1	3@	–
2011-12	122	1	0	1	39.19
कुल		13	2	9	498.59

मरम्मत न होने योग्य और कबाड़

@ एक मरम्मत न होने योग्य और कबाड़, एक निर्माता द्वारा निःशुल्क मरम्मत किया गया, एक मरम्मत किया जा सकने योग्य प्रक्रिया में

अनुलग्नक - 7.8
(पैरा 7.8.4 में देखें)

डी.टी.एल. की ट्रांसमिशन हानियों को दर्शाता विवरण

विवरण	ईकाई	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ट्रांसमिशन हेतु प्राप्त विद्युत	एमयूएस	22581	22313	24124	25581	25593
निवल पॉवर ट्रांसमिशन एमयूएस	एमयूएस	22260	21958	23791	25254	25284
वास्तविक ट्रांसमिशन हानि	एमयूएस	321	355	333	327	309
	प्रतिशत	1.42	1.59	1.38	1.28	1.21
डीईआरसी मानदण्डों के अनुरूप लक्ष्य ट्रांसमिशन हानि	प्रतिशत	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
डीईआरसी मानक से अधिक ट्रांसमिशन हानि (कम्पनी की आय/राजस्व तथा कुल ट्रांसगिट की गई विद्युत के संदर्भ में प्रति ईकाई प्रापण के रूप में आकलित)	एमयूएस	106	143	104	84	66
	प्रति ईकाई की दर से प्रति ₹ में	0.11	0.18	0.16	0.18	0.55
	₹ करोड़ में	1.17	2.57	1.66	1.51	3.63

अनुलग्नक -7.9
(पैरा 7.10.1 में देखें)

2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल की वित्तीय स्थिति को दर्शाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	**अ. देयताएँ**					
2	प्रदत्त पूंजी	3632	3632	3632	3951	3951
3	रिजर्व तथा अधिशेष (पूंजीगत अनुदान सहित)	7.92	10.72	23.57	45.41	-2552.29
4	विलम्बित कर	-	-	-	-	-
5	ऋण (ऋण निधियाँ)	584.86	627.48	1076.16	1326.28	2029.12
6	वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान (सीएल)	413.34	479.79	611.56	661.46	477.49
6 क	गैर-वर्तमान देयताएँ	-	-	-	-	379.38
7	**कुल**	**4638.12**	**4749.99**	**5343.29**	**5984.15**	**4284.70**
8	**ब. परिसम्पत्तियाँ**					
9	सकल ब्लाक[2]	1056.86	1193.61	1271.78	1820.36	2370.71
10	कम : अवमूल्यन	432.37	483.28	532.67	598.93	697.24
11	निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	624.49	710.33	739.11	1221.43	1673.47
12	पूंजीगत वर्कस-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी)	56.74	90.16	494.26	784.19	1000.32
13	निवेश	14.66	11.70	6.71	5.64	5.64
14	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (सीए)	326.32	368.86	585.97	567.99	1494.23
14 क	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	---	—	—	—	111.04
15	प्रयोग में नहीं आ रही परिसम्पत्तियाँ	8.61	11.71	11.71	11.71	-
16	संचित घाटे	3607.30	3557.23	3505.53	3393.19	-
17	**कुल**	**4638.12**	**4749.99**	**5343.29**	**5984.15**	**4284.70**
18	**ऋण अंशदान अनुपात**	0.16	0.17	0.30	0.34	0.51
19	**ब्याज (पूंजीकृत आईडीसी[4] का निवल)**	66.87	50.09	52.39	58.71	43.94
20	**टैक्स लगने से पहले लाभ**	58.79	72.29	93.10	167.55	1005.33
21	**कुल धन वापसी (पीबीटी + ब्याज)**	125.66	122.38	145.49	226.26	1049.27
22	**नियोजित पूंजी @**	594.21	689.56	1207.78	1912.15	3596.90
23	**नियोजित पूँजी पर रिटर्न %**	21.15	17.75	12.05	11.83	29.17

निर्माण के दौरान ब्याज 16 वर्ष 2011-12 के दौरान क्र.सं. 3,6क तथा 14क पर दिए आंकड़ कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-VI में संशोधन के कारण हैं।

[2] सकल ब्लाक विघटित की जाने वाली परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं और इन्हें प्रयोग में न आने वाली परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है । @ नियोजित पूँजी = कुल अचल परिसम्पत्तियाँ + सीडब्ल्यूआईपी + सीए - सीएल

अनुलग्नक - 7.10

(पैरा 7.10.1 और 7.10.2 में देखें)

2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल के कार्य परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	आय					
	राजस्व	226.16	326.06	336.14	454.15	1412.23
	ब्याज/सब्सिडी सहित अन्य आय	19.11	66.01	43.24	7.96	35.13
	कुल आय	**245.27**	**392.07**	**379.38**	**462.11**	**1447.36**
2	ट्रांसमिशन					
(क)	अधिष्ठापित क्षमता (एमवीए)	9811	9951	10526	11336	12191
(ख)	विद्युत उत्पादन इकाईयों से प्राप्त विद्युत (एमयूएस)[5]	22581	22313	24124	25581	25593
(ग)	क्रय की गई विद्युत (एमयूएस)	0	0	0	0	0
	कुल	22581	22313	24124	25581	25593
(घ)	ट्रांसमिशन में हानि (एमयूएस)	321	355	333	327	309
	निवल ट्रांसमिट की गई विद्युत (ख)+(ग)-(घ) एमयूएस में	22260	21958	23791	25254	25284
3	**व्यय**[6]					
(क)	नियत लागत पर					
(i)	कर्मचारियों पर लागत	44.29	53.79	80.68	64.76	70.36
(ii)	प्रशासकीय तथा सामान्य व्यय	14.50	13.99	14.33	7.01	18.38
(iii)	अवगूल्यन	49.29	53.03	51.88	69.27	96.21
(iv)	ब्याज तथा वित्त प्रभार (पूंजीकरण के बाद निवल)	66.87	50.09	52.39	58.71	43.94
(v)	पूर्व अवधि समायोजन/असामान्य मदें	(-)1.51	(-)0.73	19.03	4.07	6.38
(vi)	अपवादात्मक मदे	0	0	0	0	150.00
	कुल नियत लागत (टीएफसी)	173.44	170.17	218.31	203.82	385.27
(ख)	चर लागत					
(i)	**विद्युत का क्रय (शुल्क संशोधन)**	0	135.79	46.77	67.73	25.94
(ii)	**मरम्मतें तथा रखरखाव**	13.04	13.82	21.20	23.01	30.81
	कुल चर लागत (टीवीसी)	13.04	149.61	67.97	90.74	56.75
(ग)	**कुल लागत 3 (क) + (ख)**	**186.48**	**319.78**	**286.28**	**294.56**	**442.02**
4	प्रापण (₹ प्रति ईकाई) (कुल आय/शुद्ध ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.11	0.18	0.16	0.18	0.57
5	नियत लागत (₹ प्रति ईकाई) (टीएफसी/ **निवल** ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.08	0.08	0.09	0.08	0.15
6	चर लागत (₹ प्रति ईकाई) (टीबीसी/ **निवल** ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.01	0.07	0.03	0.04	0.02
7	कुल लागत (₹ प्रति ईकाई) (5+6)	0.08	0.15	0.12	0.12	0.17
8	योगदान (₹ प्रति ईकाई) (4-6)	0.10	0.11	0.13	0.14	0.55
9	**लाभ (+)/हानि (-) (4-7) (₹ प्रति ईकाई)**	0.03	0.03	0.04	0.06	0.40

[5] गैर स्टेशन उत्पादन सहित

[5] पेन्शन ट्रस्ट में ₹150 करोड़ देय है (ए आर आर 2011–12) और ट्रांसमीशन तथा एस एल डी सी शुल्क भी शामिल है

अनुलग्नक - 7.11
(पैरा 7.11.2.2 में देखें)

बेकार ट्रांसफॉर्मरों के निपटान में देरी के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता विवरण

क्र.स.	ट्रांसमिशन का प्रकार तथा संख्या	जब से अप्रयोज्य है	ओएण्ड एम द्वारा स्टोर को भेजा गया प्रस्ताव	जब से स्क्रैप या रिज़र्व मूल्य नियत किया गया	निपटान की तिथि/वर्ष	रिज़र्व मूल्य (₹ लाख में)	निपटान का मूल्य (₹ लाख में)	अनुमत औचित्य पूर्ण अवधि	अधिक समय जो लिया गया (छः माह से अधिक)	ब्याज की हानि (₹ लाख में)
1.	3 सं.- 50 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर 2 सं.- 50 मे.वो.ए. ट्रांसफॉर्मर	1 जुलाई 2002 अगस्त 2008	दिसम्बर 2007	17 जून 2009	8 सितम्बर 2009	97.74 18.75 (4 सं. तथा 1सं.)	166.89 34.00 (4 सं. तथा 1 सं.)	6 माह	80 माह 7 माह	82.59 (₹ 12516666 *9.4 % *80 माह =₹.78.44 लाख और 7572000 *9.4%*7 गाह =4.15 लाख
2	4 सं. -50 मे.वो.ए. ट्रांसफॉर्मर	1 जुलाई 2002	जनवरी 2008	27 मई 2009	10 सितम्बर 2009	80.27	136.79	6 माह	80 माह	85.72 (₹ 13679000 *9.4 % * 80 माह)
3.	1 सं.- 20 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर	अगस्त 2007	2007	17 अगस्त 2011	23 दिसम्बर 2011	35.77	34.00	6 माह	46 माह	12.25 (3400000*9.4 % *46माह)
4	1 सं. -315 मे.वो.ए. ट्रांसफॉर्मर	11 फरवरी 2008	-	-	अगस्त 2011	208.62	199.00	6 गाह	36 गाह	56.12 (19900000 *9.4 %* 36 माह)
5	1 सं. -100 मे.वो.ए.	19 जुलाई 2010	अभी स्टोर को भेजा नहीं गया	-	-	132.00 ओएण्डएम विभाग द्वारा बताया गया मूल्य	-	6 गाह	17 गाह (जून 2012)	17.58 (13200000*9.4 %* 17 माह)
	कुल						₹ 702.68 लाख (570.68 +132.00)			₹ 254.26 लाख